रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 27—जनवरी 2, 2009 (पौष 6, 1930)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 27—JANUARY 2, 2009 (PAUSA 6, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1449
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1169
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	17
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	2195
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	7547
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	513
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	10911
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	897
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1449
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1169
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence......	17
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....................	2195
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.............................	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....................	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).............................	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).............................	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	7547
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs...................	513
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.........................	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.......................	10911
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	897
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi...........................	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 2008

सं. 109-प्रेज/2008--राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1.	सज्जाद हुसैन, कांस्टेबल	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक	(मरणोपरांत)
2.	नितीश कुमार, पुलिस अधीक्षक	वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार	
3.	सेठी राम, उप-निरीक्षक	वीरता के लिए पुलिस पदक	

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

ग्राम चद्दीपोरा, पुलिस स्टेशन जैनापोरा में हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पुलवामा पुलिस को दिनांक 31.7.2006 को विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना के आधार पर उप-निरीक्षक सेठी राम की अगुवाई में एक पुलिस दल ने उक्त गांव की ओर कूच किया और उस लक्ष्य मकान का घेराव किया जिसमें आतंकवादी छिपे हुए थे। पुलिस दल को देख कर आतंकवादियों ने उस मकान के परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया जिस मकान में वे छिपे हुए थे तथा उन्हें मकान से बाहर नहीं जाने दिया और पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, पुलवामा श्री नितीश कुमार उस घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को निर्देश दिया कि वे नियंत्रित गोलीबारी करें जिससे परिवार के सदस्यों को कोई हानि न पहुंचे। इसी बीच निकटवर्ती सेना की 62 आर आर की एक यूनिट भी घटना स्थल पर पहुंच गई और वह भी अभियान में शामिल हो गई। सिविलियन लोगों को बचाने के लिए उप-निरीक्षक सेठी राम और कांस्टेबल सज्जाद हुसैन सहित एक पुलिस दल का गठन किया गया। प्रभावी कवरिंग फायरिंग के तहत पुलिस दल ने मकान में प्रवेश किया और वहां पर इन्हें आतंकवादी की भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। इस भारी गोलीबारी के बीच जब तीन सिविलियनों से मकान खाली करने के लिए कहा गया तो वे वहां से चले गए और उन्हें आतंकवादियों के चंगुल से बचाया गया। लेकिन दोनों ओर से हुई गोलीबारी में जब कांस्टलेबल सज्जाद हुसैन एक आतंकवादी के सामने आ गए तो वह गोली लगने से घायल हो गए। गोली लगने से घायल होने पर भी उन्होंने आतंकवादी पर गोलीबारी जारी रखी और उसे मार गिराया। उप-निरीक्षक सेठी राम, कांस्टेबल सज्जाद हुसैन को सुरक्षित स्थान पर ले गए लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही वे वीरगति को प्राप्त हो गए। बाद में पुलिस दल ने दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। इस अभियान का नेतृत्व, पुलवामा के पुलिस अधीक्षक श्री

नितीश कुमार ने स्वयं किया। बाद में हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों की पहचान निम्नानुसार की गई थी:-

1. उक़स उर्फ शकील, निवासी पाकिस्तान
2. ऐजाज अहमद डार, पुत्र सुल्तान डार, निवासी ख्वाजापोरा जैनापोरा

इस अभियान में मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार/गोलीबारुद बरामद हुआ:-

1.	ए के 47 राइफल	-	01 नग
2.	ए के मैग.	-	06 नग
3.	ए के गोलीबारुद	-	135 राउंद

इस संबंध में पुलिस स्टेशन जैनापोरा में 307 आर पी सी, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 7/27 के तहत प्राथमिकी सं. 72/06 दर्ज है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि पुलवामा पुलिस को दो आतंकवादियों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी लेकिन वस्तुतः वहां पर तीन आतंकवादी थे इसलिए पुलिस दल (बचाव दल) को भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। जिस आतंकवादी ने कांस्टेबल सज्जाद हुसैन को गंभीर रूप से घायल किया था वह बच कर भाग निकलने में सफल हो गया और इस अभियान में मारे गए अपने सहयोगी का हथियार भी अपने साथ ले गया इसलिए मुठभेड़ स्थल से केवल एक ही हथियार बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री (स्व.) सज्जाद हुसैन, कांस्टेबल, नितीश कुमार, पुलिस अधीक्षक और सेठी राम, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31 जुलाई, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 110-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

1.	गुरमीत सिंह गिल, कांस्टेबल	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक
2.	खेम्नार तैबाजी, कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

ग्राम मुस्लिमाबाद, बांदीपुर में उग्रवादियों की मौजूदगी के संबंध में दिनांक 20 जून, 2007 को लगभग 0500 बजे यूनिट 'जी' सैल, 51 बटालियन सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर श्री सुखमिन्द्र सिंह, उप कमांडेंट की कमान में घेराव करने और तलाशी अभियान चलाने की योजना बनाई गई। गुलाम नबी जरगार पुत्र अली मोहम्मद जरगार के मकान की तलाशी के दौरान एक कमरा अंदर से बंद पाया गया। इस पर श्री सुखमिन्द्र सिंह, उप-कमांडेंट ने तुरंत ही उक्त दल को सतर्क कर दिया, मोर्चा संभाला और मकान मालिक से कमरा खोलने के लिए कहा। जैसे ही कमरा खोला गया वैसे ही उस कमरे में छिपे उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा बल के दल पर एक हथगोला फेंका जिसके कारण कांस्टेबल गुरमीत सिंह गिल और कांस्टेबल खेम्नार तैबाजी के साथ-साथ मकान मालिक गुलाम नबी और उनकी लगभग 18 वर्षीय पुत्री नजमा घायल हो गए।

हथगोला फेंकने के बाद उग्रवादी वापस कमरे के अंदर चले गए। घायल हुए कांस्टेबल गुरमीत सिंह गिल और कांस्टेबल खेम्नार तैबाजी ने अपने जीवन की परवाह नहीं की और उग्रवादियों की आसन्न गोलीबारी को निष्क्रिय करने के लिए उन्होंने एक-दूसरे की आड़ ली और रेंगते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे के निकट पहुंचने पर कांस्टेबल गुरमीत सिंह गिल ने यह नोट किया कि एक उग्रवादी एक और हथगोला फेंकने की तैयारी कर रहा है। इसे अपने साथियों के जीवन के लिए खतरा समझ करके और स्वयं घायल होने के बावजूद इन्होंने तुरंत सूझबूझ और रणनीतिक कौशल का परिचय देते हुए अपनी राइफल से गोलियों की बौछार कर दी और उग्रवादी को घायल कर दिया जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। तथापि, पूरी तरह से तैयार न हुआ हथगोला, कमरे के अंदर ही फट गया। कांस्टेबल गुरमीत सिंह गिल के इस साहसिक कृत्य को कांस्टेबल खेम्नार तैबाजी ने गंभीर रूप से घायल होने और स्वयं इनके जीवन के लिए आसन्न खतरा होने के बावजूद कवरिंग फायर से इसे चतुराई से कवर किया। कमरे के अंदर छिपे हुए दूसरे उग्रवादी ने घबराहट में खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और बच कर निकलने की कोशिश की लेकिन श्री सुखमिन्द्र सिंह, उप-कमांडेंट और उप-निरीक्षक एम एस चट्टर ने कुछ दूरी तक उसका पीछा करने के बाद उसे काबू में कर लिया। चूंकि कांस्टेबल खेम्नार तैबाजी और विशेष रूप से कांस्टेबल गुरमीत सिंह गिल की

2—381 GI/2008

हालत चिंताजनक थी इसलिए इन दोनों को बी एस एफ हास्पिटल बांदीपुर और फिर हैप्टर से 92 बेस अस्पताल ले जाया गया। मकान और इसके आस-पास के क्षेत्रों की तलाशी के दौरान निम्नलिखित हथियार, गोलीबारुद और अन्य सामान बरामद हुआ:-

चीनी पिस्तौल	-	01 नग
पिस्तौल मैग.	-	01 नग
पिस्तौल गोलीबारुद	-	05 राउंद
हथगोले (चीनी)	-	02 नग
सेटेलाइट फोन (थूरया निर्मित)	-	01 नग
मोबाइल फोन	-	01 नग
विग	-	01 नग

मेहराज उद्दीन पुत्र गुलाम नबी जरगार (मकान मालिक) नामक पकड़े गए घायल उग्रवादी ने बाद में बताया कि मारा गया उग्रवादी शाहीन, एक पाक राष्ट्रिक, हिजबुल मुजाहिद्दीन गुट का उप-प्रभागीय कमांडर, बांदीपुर क्षेत्र का था और उन्हें आत्मघाती हमला करने के उद्देश्य से आतंकवादियों का मुकाबला करने वाली पोस्ट तहसील को नष्ट करने का काम सौंपा गया था।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री गुरमीत सिंह गिल, कांस्टेबल और खेम्नार तैबाजी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति के पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 जून, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा

संयुक्त सचिव

सं. 111-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री प्यारे लाल,
हैड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 31.3.06 को लगभग 1330 बजे, जब सिविल पुलिस के साथ डी/13 की टुकड़ियां, भंडारिया थानांतर्गत ग्राम – बड़ी मडगडी, बरकोल में छापे और तलाशी लेने की अपनी ड्यूटी करके लौट रही थीं तो डी/13 के कंपनी कमांडर, निरीक्षक विश्वंभर दत्त को इस आशय की सूचना मिली कि बैठक करने के सिलसिले में उग्रवादियों का एक बहुत बड़ा दल कुटकू गांव के आस-पास एकत्र हो रहा है। इस पर 13वीं बटालियन की टुकड़ियों ने उस गांव की ओर कूच किया। गांव पहुंच करके दल कमांडर ने दल को दो भागों में बांटा, आवश्यक अनुदेश दिए और चतुराई से आगे बढ़े। एक दल का नेतृत्व डी/13 के निरीक्षक विश्वंभर दत्त कर रहे थे, हैड कांस्टेबल/जी डी प्यारे लाल इस दल के प्वाइंट मैन थे। लगभग 1400 बजे जब यह दल गांव के निकट पहुंच रहा था तो गांव के बाहर खंदक जैसी संरचना के पीछे छिपे नक्सलियों के स्काउटों ने इस दल पर गोलीबारी कर दी। निरीक्षक बिश्वंभर दत्त के दिशानिर्देश पर एक भी क्षण गंवाए बगैर और अपने जीवन की परवाह किए बिना हैड कांस्टेबल/जी डी प्यारे लाल ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अपना हथियार ले करके आगे बढ़े और ए के 47 बट सं. एस/76 से गोलियों की बौछार कर दी। इस गोलीबारी में इन्होंने स्काउट को मार गिराया और गांव जाने का रास्ता साफ किया। सी आर पी एफ की टुकड़ियों द्वारा की गई तुरंत कार्रवाई से भयभीत हो कर गांव में मौजूद नक्सलियों ने सी आर पी एफ दल पर गोलीबारी कर दी। इस पर सी आर पी एफ दल द्वारा की गई जबावी गोलीबारी से उग्रवादी निकटवर्ती पहाड़ियों की ओर भाग गए। लेकिन सी आर पी एफ दल ने उनका पीछा किया और दो सशस्त्र उग्रवादियों को पकड़ लिया। हैड कांस्टेबल/जी डी प्यारे लाल ने जिस उग्रवादी को मार गिराया था उसकी पहचान, पकड़े गए उग्रवादियों ने प्रसन्न तुरी (आयु 28 वर्ष), निवासी घुगरी, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ के खूंखार नक्सली के रूप में की। इस क्षेत्र में कई स्थानों पर रक्त से सने घसीटने के चिह्न भी पाये गए। सी पी आई (माओवादी) के पकड़े गए उग्रवादी से की गई पूछताछ से पता चला कि भंडारिया पुलिस स्टेशन पर हमला करने की योजना बनाने के लिए वे गांव में एकत्र हुए थे। इस संबंध में निम्नलिखित बरामदगियां की गईं:-

1.	.315 बोर राइफल	-	03 नग
2.	.303 जी एफ राइफल	-	01 नग
3.	.315 बोर सी/एम पिस्तौल	-	01 नग
4.	एस एल आर मैग्जीन	-	02 नग

5.	7.62 एम एम जीवित गोलाबारुद	-	240 राउंद
6.	.303 एम एम जीवित गोलीबारुद	-	139 राउंद
7.	.315 एम एम गोलीबारुद	-	255 राउंद
8.	बड़ी मात्रा में पिट्ठू, नक्सली साहित्य, दवाइयां, खाद्य पदार्थ, कपड़े और दैनिक इस्तेमाल का सामान		

हैड कांस्टेबल/जी डी प्यारे लाल द्वारा की गई कार्रवाई में दर्शाया गया साहस, चौकसी, चपलता और बहादुरी, उत्कृष्ट कृत्य है जसमें इन्होंने न केवल खूंखार उग्रवादी को मार गिराया बल्कि सी पी आई (माओवाद) के उग्रवादियों के मनोवल को काफी क्षति पहुंचाई जो नक्सलवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में सी आर पी एफ की टुकड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हैड कांस्टेबल प्यारे लाल द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय साहस और समय पर की गई कार्रवाई ने बल को दृढ़ संकल्प और संगठित शत्रु का सामना करने के लिए प्रेरित किया।

इस मुठभेड़ में श्री प्यारे लाल, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31 मार्च, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 112-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. धनंजय सिंह, (मरणोपरांत)
   कांस्टेबल
2. घनश्याम, (मरणोपरांत)
   कांस्टेबल
3. राम रतन मीणा
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 14.11.2005 को लगभग 1505 बजे आतंकवादियों ने श्रीनगर शहर के मुख्य स्थल लाल चौक में आत्मघाती हमला किया। आत्मघाती हमलावरों ने व्यवसायिक बाजार में एक हथगोला फेंका और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 131वीं बटालियन की पल्लाडियम चौकी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। इस पर कांस्टेबल/जी डी घनश्याम ने, जो सी आई (ओपी) ड्यूटी पर तैनात था, अपनी एल. एम. जी. से आतंकवादियों पर पलट कर साहसपूर्ण ढंग से और बहादुरी से गोलीबारी की लेकिन गोलियां लगने से वे घायल हो गए और घायल होने से वे वीरगति को प्राप्त हो गए। गोलियों की आवाज सुन कर कांस्टेबल/जीडी धनंजय सिंह ने क्यू आर टी के साथ बी पी बंकर में घटनास्थल की ओर कूच किया और अपने जीवन की परवाह किए बगैर प्रभावी गोलीबारी करके उग्रवादियों को मार गिराने की कोशिश की। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें भी गोलियां लगीं और घटना स्थल पर ही वे वीरगति को प्राप्त हो गए। व्यस्त बाजार में हुए हमले के शुरुआती चरण की अफरा-तफरी के बीच टुकड़ियों ने आतंकवादियों की भारी गोलीबारी में ही उस क्षेत्र का घेराव कर लिया था। ऐसी स्थिति में हमलावरों का पता लगाना, सिविलियनों/घायल कार्मिकों को वहां से सुरक्षित स्थान पर ले जाना तथा आतंकवादियों को उलझाये रखना एक चुनौती थी जिससे वे और नुकसान न कर सकें। 131/164 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की क्यू आर टी, आई जी पी कश्मीर, डी आई जी, सी के आर, एस एस पी, श्रीनगर, एस पी, दक्षिण, एस पी, पूर्व, एस डी पी ओ कोठीबाग, एस एच ओ पुलिस स्टेशन मैसुमा घटनास्थल पर पहुंच गए और अविलम्ब स्थिति का जायजा लिया। क्यू आर टी के अधिकारियों ने जितने हो सके अधिक से अधिक सिविलयनों को वहां से हटाने की कोशिश की । होटलों के अंदर छिपे आतंकवादियों का पता लगाने/मार गिराने और इन होटलों के अंदर फंसे सिविलियनों को वहां से हटाने के लिए श्री आनंद जैन, एस पी पूर्व और श्री एस.पी.पानी, एस पी दक्षिण के नेतृत्व में दो दलों का गठन किया गया। लाल चौक के चारों ओर बाहर से मजबूत घेरा बनाया गया। एस पी पूर्व ने उप-

3—381 GI/2008

निरीक्षक अब्दुल हमीद, हैड कांस्टेबल अशोक कुमार, 5वीं बटालियन, कांस्टेबल सुबकरण, 5वीं बटालियन के साथ पिछली तरफ से प्रवेश किया। उनकी यह रणनीति सफल हो गई क्योंकि उन्होंने बिल्डिंग के पिछवाड़े एक सीढ़ी लगा दी और उसके सहारे पीक व्यू होटल में जा कर वहां फंसे सिविलियनों को वहां से हटा दिया। जब सिविलियनों को हटाने का काम चल रहा था तो पंजाब होटल में छिपे एक आतंकवादी ने सुरक्षा बलों पर एक हथगोला फेंक दिया जिससे यह पता चला कि दूसरा आतंकवादी पंजाब होटल में है। चूंकि तब तक अंधेरा हो चला था इसलिए यह निर्णय लिया गया कि घेरे को और सख्त बनाया जाए और अगले दिन तड़के ही अभियान तेज किया जाए। दिनांक 15/11/2005 की पहली किरण के साथ ही पीक व्यू और पंजाब होटल पर अभियान तेज किया गया। जब यह अभियान चल रहा था तो पंजाब होटल में मौजूद एक आतंकवादी ने अपने हथियार/गोलाबारुद छोड़ कर निकल भागने की कोशिश की लेकिन घेराव ड्यूटी पर तैनात कार्मिक ने उसकी संदिग्ध गतिविधि के कारण उसे पकड़ लिया जिसकी पहचान अजीज अहमद बट उर्फ अबू समन पुत्र रियाज अहमद बट, निवासी मंसूराबाद (पाकिस्तान) के रुप में की गई। पकड़े गए आतंकवादी के पास 100/- रुपए (एक सौ रुपए) की पाकिस्तानी मुद्रा थी और मौके पर की गई पूछताछ से पता चला कि उसके हथगोले, वन परिसर क्षेत्र में छिपा कर रखे हुए हैं। इस पर सी आर पी एफ और राज्य पुलिस दल ने उस क्षेत्र की तलाशी ली और तीन जीवित हथगोले और संतरे के रस के कंसंट्रेट पैकेट आदि बरामद किए। उसने इस बात की भी पुष्टि की कि अबू फुर्कन नामक एक और आतंकवादी भी पाकिस्तान का निवासी है और पीक व्यू होटल में छिपा हुआ है । श्री एस पी पानी दक्षिण, हैड कांस्टेबल शौकत अहमद, एस जी कांस्टेबल,बशीर अहमद एस जी कांस्टेबल कुल रतन सिंह और कांस्टेबल शिव करण, 5वीं बटालियन से युक्त एक दल को छिपे हुए आतंकवादी पर अंतिम हमला करने के लिए तैयार किया गया। श्री एस.आर.ओझा, भा.पु.से. के निर्देशानुसार तत्कालीन डीआईजीपी (ओपी) ने क्यू आर टी और कांस्टेबल/कमांडो राम रतन मीणा को निदेश दिया कि वे इस सुदृढ़ दल का नेतृत्व करें। इस सुदृढ़ दल ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह नहीं की और अत्यधिक साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए पड़ोस के होटल की तीसरी मंजिल में पंहुच गया। इस सुदृढ़ दल ने तीसरी और दूसरी मंजिल के सभी कमरों की चतुराई से जांच की। जब यह दल उतर कर पहली मंजिल पर आ रहा था तो पीक व्यू होटल के हॉल में मौजूद आतंकवादी ने उक्त सुदृढ़ दलों को नीचे उतरने से रोकने के उद्देश्य से प्रवेश द्वार पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी और हथगोले फेंके। सी आर पी एफ और जे एंड के पुलिस के संयुक्त दलों द्वारा की गई प्रभावी गोलीबारी के कारण आतंकवादी अपनी स्थिति बदलने पर मजबूर हो गया और दल ने उसे घेर लिया और उसे पहली मंजिल के एक किनारे ले गया। सुदृढ़ दल ने बी.पी.शीट का उत्कृष्ट उपयोग कर तेजी से कार्रवाई की। छिपे हुए आतंकवादी ने अपना स्थान बदलने की बेतहाशा कोशिश में दोनों दलों अर्थात सीढ़ियों की ओर भाग कर जाने वाले मार्ग को कवर करने वाले दल और हाल के दरवाजे तक लगभग पहुंच ही चुके दल पर अंधाधुंध गोलीबारी की दी। सी आर पी एफ और जे एंड के पुलिस के संयुक्त दलों ने अत्यधिक साहस का परिचय देते हुए आतंकवादी को घेर लिया और दो दलों द्वारा अलग-अलग दिशाओं से गोलीबारी किए जाने के बावजूद इनका कोई कार्मिक घायल नहीं हुआ और अंततः आतंकवादी मार गिराया गया। मारे गए आतंकवादी की पहचान बाद में एल ई टी (तंजीम) के उमर खालिद उर्फ अबू फुर्कन के रुप में की गई और मारे गए आतंकवादी से एक ए के 47, 05 मैगजीन बरामद की गई। 164 बटालियन सी आर पी एफ के द्वितीय कमान अधिकारी और उनके क्यू आर टी के साथ श्री आनंद जैन, भापुसे, एसपी, पूर्व और श्री एस.पी.पानी, भापुसे, एसपी, दक्षिण के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में 50 से अधिक सिविलियनों को बचाया गया। संयुक्त दलों ने उत्कृष्ट समन्वय के साथ एकजुट हो कर काम किया जिससे एक आतंकवादी मारा गया और दूसरा पकड़ा गया। चूंकि अभियान के दौरान कोई संपार्श्विक हानि नहीं हुई थी इसलिए यह

अभियान त्रुटिहीन संपन्न हुआ। पीक व्यू होटल और इसके आस-पास के क्षेत्रों अर्थात आतंकवादियों की गोली के निशाने में आने वाले क्षेत्रों में फंसे कई सिविलियनों को बचाया गया। कांस्टेबल /जीडी राम रतन मीणा, स्वर्गीय कांस्टेबल/जीडी घनश्याम और स्व. कांस्टेबल/जीडी धनंजय सिंह ने 26 घंटे तक चली बंदूक की इस लड़ाई के कठिन मिशन को संपन्न करने, एक आतंकवादी को मार गिराने और दूसरे को पकड़ने में अनुकरणीय साहस, असाधारण बहादुरी, उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता, वास्तविक स्थिति समझने की अत्यधिक सूझ-बूझ और उत्कृष्ट बहादुरी का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री (स्व.) धनंजय सिंह, कांस्टेबल, स्व. घनश्याम, कांस्टेबल और राम रतन मीणा, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 नवम्बर, 2005 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं.113-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

1. जी. दयानंद,
   डिप्टी एसाल्ट कमांडर/रिजर्व इंस्पेक्टर
2. डी. नरेश कुमार,
   रिजर्व उप-निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

श्री डी. नरेश कुमार, आर एस आई को इस आशय की विश्वसनीय सूचना मिली कि सीपीआई (माओवाद), रायलसीमा प्रभाग समिति, प्रकाशम ज़िले के सोमिदेवीपल्ली (v) के निकट रचरेला मंडल में पड़ने वाले नल्लमाला वन क्षेत्र में एक बैठक आयोजित कर रही है। इस पर ग्रे हाउंड और एस आई बी से प्रत्येक से सात-सात कार्मिक और प्रकाशम जिले से छः कार्मिक (कुल 20) लेकर इस अभियान के लिए तुरंत ही एक दल का गठन किया गया।

सर्वश्री जी. दयानंद, रिजर्व इंस्पेक्टर और डी नरेश कुमार, रिजर्व उप-निरीक्षक के नेतृत्व में गठित दो दल, दिनांक 16.06.2006 को सायं लगभग 6.00 बजे प्रकाशम जिले के रचेरला मंडल के नल्लमाला वन क्षेत्र में पहुंच गए जहां उप-निरीक्षक कुंभम् पी.एस., गिड्डालूर पी.एस., अर्धवीडु पी.एस. से युक्त प्रकाशम जिले का पुलिस दल और प्रकाशम जिले के विशेष पुलिस दल के 3 पी सी उनमें शामिल हो गए और सभी ने वन की उस पहाड़ी की ओर कूच किया जिसके बारे में श्री डी. नरेश कुमार को यह सूचना मिली थी कि माओवादियों की प्रभागीय समिति की बैठक वहां पर होने वाली है। दलों ने उस पहाड़ी की पहचान की और मध्य रात्रि के आस-पास उस स्थान पर पहुंचे जहां पर बैठक होने वाली थी। दोनों दल पहाड़ी के ऊपर चढ़े और वहां पर उन्होंने पाया कि उसके एक बड़े भाग पर पेड़ और झाड़ियां हैं। थोड़ी सी आहट भी कैंप के लोगों को सतर्क कर सकती थी जिससे न केवल उग्रवादी बच कर भाग सकते थे बल्कि इससे पुलिस कार्मिकों के लिए आसन्न खतरा भी हो सकता था। सर्वश्री जी. दयानंद, रिजर्व इंस्पेक्टर और श्री डी. नरेश कुमार, रिजर्व उप-निरीक्षक ने अपने सदस्यों को सतर्क किया, अपनी कार्ययोजना के बारे में विस्तार से बताया। दोनों दलों ने एक बड़ी चट्टान के निकट मोर्चा संभाला। सर्वश्री जी. दयानंद, रिजर्व इंस्पेक्टर और डी. नरेश कुमार, रिजर्व उप–निरीक्षक ने अपने दलों से 4 सदस्यों को चुना और माओवादियों का पता लगाने के लिए उन्हें क्षेत्र की चार दिशाओं में भेजा। उनको अनुदेश दिया गया था कि वे एक घंटे के अंदर अपने बेस में वापस आ जाएं। तदनुसार, चार सदस्य अलग –अलग दिशाओं में गए और बिना कुछ पता लगाए एक घंटे के अंदर लौट आए। एक बार फिर इन्हीं अनुदेशों के आधार पर चार अन्य सदस्य भेजे गए । इन चार सदस्यों में से एक सदस्य को वह स्थान

मिल गया जहां पर उग्रवादी एकत्र हुए थे। इन्होंने उस क्षेत्र का अच्छी तरह से निरीक्षण किया, भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया, दो संतरियों का पता लगाया, उनकी स्थिति का जायजा लिया और वापस अपने बेस में लौट आए तथा जहां पर माओवादी एकत्रित हुए थे उस स्थान की भौगोलिक स्थिति स्पष्ट की। माओवादी, पहाड़ी के ऊपर एक किनारे एकत्रित हुए थे जिसका उत्तरी और पूर्वी छोर, एक घाटी से ढका था और पश्चिमी तथा दक्षिणी छोर समतल था, जिसके चारों ओर पेड़ और चट्टाने थीं। एक संतरी, पश्चिम की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर तैनात था।

चूंकि उत्तरी और पूर्वी किनारे, घाटी से ढके थे इसलिए पुलिस के पास केवल एक विकल्प बचा था कि वे पश्चिमी और दक्षिणी छोर से माओवादियों की ओर बढ़ें। तदनुसार, पुलिस दल को सर्वश्री जी. दयानंद, रिजर्व इंस्पेक्टर और डी. नरेश कुमार, रिजर्व उप – निरीक्षक के नेतृत्व में दो ग्रुपों में बांटा गया। सर्वश्री जी. दयानंद, रिजर्व इंस्पेक्टर और रिजर्व उप-निरीक्षक ने अभियान की योजना बनाई और इस बारे में दोनों दलों को विस्तार से बताया। योजना के अनुसार श्री जी. दयानंद के नेतृत्व वाला दल पश्चिमी छोर पर तैनात संतरी की ओर जाएगा जबकि श्री डी. नरेश कुमार के नेतृत्व वाला दल दक्षिणी छोर पर तैनात संतरी की ओर जाएगा ताकि माओवादियों को कवर किया जा सके। जिस कांस्टेबल ने माओवादियों का पता लगाया था उसके मार्गदर्शन में दोनों दल धीरे-धीरे माओवादियों के शिविर की ओर बढ़े । 30 मिनट बाद प्रातः लगभग 3.10 बजे दोनों दल माओवादियों के शिविर पहुंच गए जहां पर इन्होंने देखा कि पश्चिमी छोर का संतरी वहां पर तैनात है। श्री जी. दयानंद के नेतृत्व वाले दल ने उस स्थान पर सुविधा के अनुसार मोर्चा संभाला जबकि श्री डी. नरेश कुमार के नेतृत्व वाले दल ने उस पी सी के मार्गदर्शन में दक्षिणी छोर के संतरी की ओर कूच किया जिसने इसके बारे में पता लगाया था। कार्य योजना के अनुरुप दोनों दलों ने प्रातः ठीक 3.30. बजे अभियान शुरु करने का निर्णय लिया। श्री डी. नरेश कुमार के नेतृत्व वाले दल ने प्रातः 3.25 बजे दक्षिणी छोर के संतरी को देखा और फिर दल ने पेड़ों और चट्टानों की आड़ लेकर धीरे-धीरे उस संतरी की ओर बढ़ना शुरु किया।

ऐसी अवस्था में प्रातः लगभग 3.30 बजे जब पश्चिमी छोर के संतरी ने कुछ आवाज सुनी तो उसे संदेह हुआ और उसने शोर मचाया, कार्मिकों को ललकारा और दूसरे उग्रवादियों को सतर्क कर दिया। इस पर श्री डी. दयानंद ने पुलिस की मौजूदगी जाहिर की और उग्रवादियों को समर्पण करने का आदेश दिया। आत्मसमर्पण करने के बजाए पश्चिमी छोर के संतरी और अन्य माओवादियों ने पुलिस कार्मिकों को मारने के उद्देश्य से उन पर गोलीबारी कर दी। दक्षिणी छोर के संतरी ने भी अन्य उग्रवादियों के साथ श्री डी. नरेश कुमार के नेतृत्व वाले दल पर गोलीबारी कर दी। श्री जी. दयानंद, जिन्होंने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला था और जो अपने दल का नेतृत्व कर रहे थे, संतरी और अन्य उग्रवादियों की गोलीबारी से बाल-बाल बचे। इस पर भी वे विचलित नहीं हुए और इन्होंने माओवादियों पर जवाबी गोलीबारी कर दी। इसके अतिरिक्त इन्होंने माओवादियों पर हमला जारी रखने के लिए अपने दल के सदस्यों को प्रोत्साहित किया। श्री जी. दयानंद के नेतृत्व वाले दल द्वारा की गई इस अचानक जबावी कार्रवाई से परेशान हो कर उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी करते हुए घाटी की उत्तरी दिशा में बढ़ना शुरु कर दिया। श्री जी. दयानंद अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर आगे बढ़े और माओवादियों पर हमला बोल दिया। यद्यपि अब अंधेरा हो चला था और श्री जी. दयानंद पर गोलियों की बौछार हो रही थी तो भी इन्होंने उनका मुकाबला करने में अनुकरणीय साहस और बहादुरी का परिचय दिया और उन पर गोलीबारी करते हुए और आगे बढ़े। श्री डी. नरेश कुमार, जो अपने दल का नेतृत्व कर रहे थे और दक्षिणी छोर के संतरी को कवर करते हुए डटे हुए थे, भी उस संतरी और अन्य उग्रवादियों द्वारा उन पर और उनके दल पर अंधाधुंध गोलीबारी करके किए गए हमले से बाल-बाल बचे। सर्व श्री जी.

दयानंद, रिजर्व इंस्पेक्टर और डी.नरेश कुमार, रिजर्व उप-निरीक्षक ने चपलता दिखाई और माओवादियों पर तत्काल जबावी हमला शुरु कर दिया। इस जबावी कार्रवाई से माओवादियों को धक्का लगा और उन्होंने श्री डी. नरेश कुमार और इनके दल पर गोलीबारी करते हुए घाटी की उत्तरी दिशा की ओर बढ़ना शुरु कर दिया। श्री डी. नरेश कुमार ने अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपने दल को प्रोत्साहित किया, उनका मार्गदर्शन किया और माओवादियों का पीछा करना शुरु किया। श्री डी. नरेश कुमार ने हमला करने में अत्यंत साहस और बहादुरी का परिचय दिया। माओवादी, श्री डी नरेश कुमार के इस साहसिक हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अंधेरे में घाटी की ओर भाग खड़े हुए। दोनों तरफ से लगभग 30 मिनट तक परस्पर गोलीबारी चलती रही। अगले दिन प्रातःकाल तक पुलिस दल ने प्रतीक्षा की और जब अगले दिन गोलीबारी के इस क्षेत्र की तलाशी ली गई तो वहां पर दो पुरुषों और एक महिला का शव पाया गया। बाद में उनकी पहचान (1) चकली अडेप्पा ऊर्फ वरधि, माओवादी ग्रुप के गडिकोटा एल ओ एस का कमांडर (2) पालगिरि सुवर्ण ऊर्फ दीपा उर्फ रजित उर्फ स्वर्ण , माओवाद की पेन्ना अहोबिलम मोबाइल दल की कमांडर और (3) नारायण नायक उर्फ श्याम , मद्दिलेरु मिलिट्री प्लाटून के सदस्य के रुप में हुई। पुलिस दल ने गोलीबारी स्थल से दो .410 मस्केट, 3 किट बैग और 33 जीवित गोलियां बरामद कीं।

उक्त घटना को आई पी सी की धारा 149 के साथ पठित धारा 147, 148, 307, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27, ए पी पी एस अधिनियम की धारा 8, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत अपराध संख्या 17/2006 और गिड्डलूर सर्किल (जी सी आर संख्या 39/ 2006) प्रकाशम जिले के रचेरला पुलिस स्टेशन के ई ओ एफ के मामले के रुप में दर्ज किया गया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री जी. दयानंद, डिप्टी एसाल्ट कमांडर/रिजर्व इंस्पेक्टर और डी. नरेश कुमार, रिजर्व उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17, जून 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 114-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. पी. प्रकाश,
   रिजर्व इंस्पेक्टर
2. पी. रविन्द्र रेड्डी,
   कांस्टेबल
3. के.वी.एस.आर. प्रसाद
   हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 28/02/2007 की सायं को श्री पी. प्रकाश, रिजर्व इंस्पेक्टर को अपने गुप्त स्रोत के माध्यम से यह संक्षिप्त सूचना प्राप्त हुई कि अन्य उग्रवादियों के साथ गुरथेड़ु दलाम के सीपीआई (माओवाद) के उग्रवादी, पूर्वी गोदावरी जिले के दोणकरई पुलिस स्टेशन से 18 किमी की दूरी पर स्थित मैरीगुडम वन क्षेत्र में डेरा जमाए हुए हैं। यह स्थान, उड़ीसा राज्य की उत्तर पूर्व दिशा और सीमाओं में जिला मुख्यालय से 220 किमी की दूरी पर स्थित है। यह क्षेत्र घने मिश्रित जंगल, जलधाराओं और पहाड़ियों से भरा पड़ा है। लगभग सभी सड़कों, ठेलों और पैदल चलने के रास्तों पर बारुदी सुरंगें बिछी होती हैं और ये सड़क यात्रा/ देहाती मार्गों से जाने के लिए खतरनाक हैं। ऐसी प्रतिकूल स्थिति होने पर भी श्री पी. प्रकाश, रिजर्व इंस्पेक्टर ने कार्रवाई योग्य आसूचना एकत्र की और वन में डेरा डाले उग्रवादियों को निष्क्रिय करने के लिए अभियान की योजना बनाई। अपनी योजना के अनुसार यह अभियान चलाने के लिए इन्होंने पूर्वी गोदावरी जिले के एक विशेष दल की सहायता ली। दलों की चाल गुप्त रखने के लिए इन्होंने यह योजना बनाई कि इन्हें रात के वक्त भेजा जाए ताकि वे प्रातः काल ही अपेक्षित स्थल पर पहुंच जाएं और अभियान शुरु कर दें। इनकी योजना के अनुसार श्री पी. प्रकाश के नेतृत्व में विशेष दल, सर्व श्री पी. रविन्द्र रेड्डी, कांस्टेबल और के वी एस आर प्रसाद , हैड कांस्टेबल वन क्षेत्र में पहुंचे और पहली मार्च, 2007 की पहली किरण के साथ ही इन्होंने उस क्षेत्र की तलाशी लेनी शुरु कर दी।

यह दल, पहाड़ी वन क्षेत्र में चढ़ाई चढ़ते हुए अपेक्षित जगह पहुंचा और उस स्थान का पता लगाया जिसे उग्रवादियों ने अभी हाल ही में खाली किया था। सर्वश्री पी. प्रकाश, रिजर्व इंस्पेक्टर, पी रविन्द्र रेड्डी, कांस्टेबल और के.वी.एस.आर. प्रसाद, हैड कांस्टेबल ने आस नहीं छोड़ी, अपने दल को प्रेरित किया और ये उग्रवादियों के संभावित ठिकाने की खोज में चल पड़े। कुछ दूरी पर श्री पी. प्रकाश, रिजर्व इस्पेक्टर और इनकी यूनिट के लोगों को कुछ पदचिह्न मिले। इस पर दल के सदस्य उन पदचिह्नों के आधार पर सावधानी से आगे बढ़े और सतर्कता से उस क्षेत्र की तलाशी लेनी शुरु कर दी । दूसरे दिन लगभग 0400 बजे इन्होंने

मैरीगुडम गांव के निकट स्थित वन में सशस्त्र उग्रवादियों की गतिविधि नोट की। इसके बाद श्री पी. प्रकाश, रिजर्व इंस्पेक्टर ने देखा कि उग्रवादियों के शिविर के चारों ओर एक भूखंड है। उनका यह शिविर घने जंगल में है। इसलिए इन्होंने सामने से हमला करने का निर्णय लिया, कवरिंग फायरिंग की सहायता ली ताकि उग्रवादियों को भागने से रोका जा सके। श्री पी. प्रकाश, रिजर्व इंस्पेक्टर ने अपने दल को एसाल्ट और कट ऑफ ग्रुपों में बांटा। जबकि कट-ऑफ ग्रुप को कवर फायर कवर देने और उग्रवादियों को भागने से रोकने के लिए लाभप्रद स्थान पर मोर्चे पर लगाया गया था, श्री पी. प्रकाश, रिजर्व इंस्पेक्टर ने एसाल्ट ग्रुप का नेतृत्व किया और सर्व श्री पी. रविन्द्र रेड्डी, कांस्टेबल और के.वी.एस.आर. प्रसाद, हैड कांस्टेबल ने दोनों कट ऑफ ग्रुपों के प्रभारी के रुप में कार्य किया। चूंकि वन की घनी घास-फूस और असमतल भू-भाग के कारण बहुत कम दिखाई दे रहा था, इसलिए सर्व श्री पी. प्रकाश, रिजर्व इंस्पेक्टर, पी. रविन्द्र रेड्डी, कांस्टेबल और के. वी.एस.आर. प्रसाद, हैड कांस्टेबल अपने छोटे एसॉल्ट दल के साथ रेंगते हुए उन उग्रवादियों के बहुत निकट पहुंच गए जिन्होंने वहां पर डेरा डाला हुआ था। जब सर्वश्री पी. प्रकाश, रिजर्व इंस्पेक्टर, पी. रविन्द्र रेड्डी, कांस्टेबल और के.वी.एस.आर प्रसाद, हैड कांस्टेबल और इनका दल उग्रवादियों के बहुत निकट पहुंच गया तो उन्होंने इन्हें देख लिया और इन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। सर्व श्री पी. प्रकाश, रिजर्व इंस्पेक्टर, पी. रविन्द्र रेड्डी, कांस्टेबल और के.वी.एस.आर. प्रसाद, हैड कांस्टेबल, जो उग्रवादियों के बहुत निकट थे, ने तुरंत कार्रवाई की और उन पर हमला बोल दिया। उग्रवादियों ने सर्वश्री पी. प्रकाश, रिजर्व इंस्पेक्टर, पी. रविन्द्र रेड्डी, कांस्टेबल और के.वी.एस.आर. प्रसाद, हैड कांस्टेबल तथा इनके दल को मारने के उद्देश्य से स्वचालित हथियारों का प्रयोग करके अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। यद्यपि सर्व श्री पी. प्रकाश, रिजर्व इंस्पेक्टर , पी रविन्द्र रेड्डी , कांस्टेबल, के वी एस आर प्रसाद, हैड कांस्टेबल और इनके दल के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी फिर भी इन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बगैर बहादुरी से जबावी कार्रवाई की। सर्वश्री पी. प्रकाश , रिजर्व इंस्पेक्टर, पी रविन्द्र रेड्डी, कांस्टेबल और के वी एस आर प्रसाद, हैड कांस्टेबल ने गोलीबारी करना और उग्रवादियों के शिविर की ओर बढ़ना जारी रखा तथा उस उग्रवादी को मार गिराया जिसके पास स्वचालित हथियार था। इसी बीच श्री पी. प्रकाश, रिजर्व इंस्पेक्टर के निर्देश पर कट ऑफ दल ने कवर फायरिंग की और उग्रवादियों को बच कर भागने से रोका। श्री पी. प्रकाश, रिजर्व इंस्पेक्टर श्री पी. रविन्द्र रेड्डी, कांस्टेबल और श्री के वी एस आर प्रसाद, हैड कांस्टेबल ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर उग्रवादियों पर गोलीबारी करना और उनकी ओर बढ़ना जारी रखा और उन तीन महत्वपूर्ण उग्रवादियों को मार गिराया जो पुलिस का कड़ा प्रतिरोध कर रहे थे। सर्वश्री पी. प्रकाश, रिजर्व इंस्पेक्टर, पी. रविन्द्र रेड्डी , कांस्टेबल और के वी एस आर प्रसाद, हैड कांस्टेबल द्वारा किए गए हमले से हुए खतरे को भांपते हुए बाकी उग्रवादी घने वन और चट्टानों का फायदा उठाते हुए उस स्थान से भाग खड़े हुए। सर्वश्री पी. प्रकाश, रिजर्व इंस्पेक्टर, पी रविन्द्र रेड्डी , कांस्टेबल और के. वी. एस. आर. प्रसाद, हैड कांस्टेबल ने अपने दल के साथ उन उग्रवादियों का पीछा किया जो एके-47 और अन्य स्वचालित हथयारों से लगातार गोलीबारी कर रहे थे। यह अभियान लगभग 0430 बजे समाप्त हुआ।

सर्वश्री पी. प्रकाश, रिजर्व इंस्पेक्टर, पी रविन्द्र रेड्डी, कांस्टेबल और के. वी. एस. आर. प्रसाद, हैड कांस्टेबल और इनके दल की बहादुरी से सीपीआई (माओवाद) को भारी क्षति हुई जिसमें 35 वर्षीय गुंडामल्ला रघुपति उर्फ स्वामी उर्फ राजू उर्फ लिंग स्वामी, डी सी एम-22 वर्षीय कृष्णपति दलाम, लक्कीदी नरसिंहुलु उर्फ नरसिम्हारेड्डी उर्फ लक्ष्मण, कमांडर नालग्गोंडा जिले का कृष्णपति दलाम और दसनी बासवाम्मा उर्फ भवानी उर्फ राधा-नल्लमाला वन प्रभाग समिति के पल्लवंक दलाम की क्षेत्रीय समिति का सचिव जो नल्लमाला क्षेत्र से ए ओ वी में आया, की मृत्यु हुई।

इस मुठभेड़ में पूर्वी गोदावरी जिले के डोंकराई पुलिस स्टेशन के अपराध संख्या 05/2007 के तहत गोलीबारुद के सहित (3) एस बी बी एल बंदूक, (2) बिजली के तार के बंडल , (1) हथगोला बरामद हुआ।

मारे गए इन उग्रवादियों ने नल्लमाला क्षेत्र में कई जघन्य अपराध किए थे जिसमें पुलिस कार्मिकों और राजनीतिक नेताओं की हत्या करना, पुलिस स्टेशनों और वाहनों को बम से उड़ाना, हमला आदि करना शामिल है। इस मुठभेड़ के परिणामस्वरुप नल्लमाला और ए ओ बी क्षेत्र के सी पी आई (माओवाद) का मनोबल लगभग नष्ट हो गया। सर्वश्री पी. प्रकाश , रिजर्व इंस्पेक्टर, पी. रविन्द्र रेड्डी, कांस्टेबल और के. वी. एस. आर. प्रसाद, हैड कांस्टेबल ने अपने छोटे से दल के साथ अभियान की उत्कृष्ट योजना बनाई और पुलिस की ओर से किसी भी तरह की चूक के बगैर सावधानीपूर्वक इसे निष्पादित किया तथा अपने अभियान में सफल हुए। इनका यह कृत्य मान्यता दिए जाने और प्रोत्साहित किए जाने का पात्र है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री पी प्रकाश, रिजर्व इंस्पेक्टर, पी रविन्द्र रेड्डी, कांस्टेबल और के वी एस आर प्रसाद, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2 मार्च, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

5—381 GI/2008

सं. 115-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

1. टी शिव रेड्डी
   हैड कांस्टेबल
2. टी जितेन्द्र सिंह,
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

सी पी आई (एम एल) पीपुल्स वार ग्रुप ने कार्य दल का गठन किया और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के दिशानिर्देश के तहत वर्ष 2001 से राजनीतिक नेताओं और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के लिए टैक्निकल काउंटर आफेंसिव कैंपेन चलाया । सैंडी राजा मौली उर्फ प्रसाद उर्फ पी डी ने सैंट्रल कमेटी के सदस्य और सैंट्रल मिलिट्री कमीशन के सदस्य के रुप में वर्ष 2003 में अलीपीरी में श्री एन चन्द्रबाबू नायडू पर हमला करने सहित कई हमलों का नेतृत्व किया और उनकी योजना बनाई। वह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ और कर्नाटक के कई आपराधिक मामलों में संलिप्त था। वह मिलिट्री के आधार पर रणनीति बनाने में चतुर था और उसने उस समय नल्लमाला वन में आगे बढ़ कर अपने संवर्ग का नेतृत्व किया जब पुलिस द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने के कारण संवर्ग का नैतिक पतन हो गया था। वह काउंटर आफेंसिव टैक्टिक्स में विश्वास करता था और उसने हमेशा ही राजनीतिज्ञों और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने की योजना बनाई। एक समय ऐसा आया जब आंध्र प्रदेश में सी पी आई (माओवाद) के उग्रवादियों का नैतिक पतन हो गया था और उन्होंने आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया था तब सैंडी राजा मौली ने आंध्र प्रदेश राज्य में बड़ी वारदातें करने और राजनीतिज्ञों तथा पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का निर्णय लिया। माओवादियों की हिंसक गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से सैंडी राजा मौली को पकड़ने के लिए एस आई बी में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया जिसके सदस्यों के रुप में सर्वश्री टी. शिव रेड्डी , हैड कांस्टेबल और टी. जितेन्द्र सिंह, कांस्टेबल को चुना गया। सर्वश्री टी. शिव रेड्डी , हैड कांस्टेबल और टी. जितेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने टीम भावना के साथ इस कार्य को चुनौती के रुप में लिया और सुराग खोजे , संदिग्ध उग्रवादियों पर नजर रखी और अनंतपुर और चितूर और कडप्पा जिलों में व्यापक छानबीन की और अंततः सैंडी राजा मौली और उसके कार्य दल की गतिविधियों तथा हिंसक कार्रवाई करने की उनकी योजनाओं के बारे में सूचना एकत्र की। सर्वश्री टी. शिव रेड्डी, हैड कांस्टेबल और टी. जितेन्द्र सिंह, कांस्टेबल तथा इनके दल को इस आशय की सूचना मिली कि वह दिनांक 22/06/2007 को अनंतपुर जिले के धर्मवर्म रेलवे स्टेशन आ रहा है और धर्मवर्म रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्तियों की जांच करने के लिए समय की कमी के कारण जिला पुलिस

के छोटे पुलिस दल का गठन किया गया। जब सर्व श्री टी. शिव रेड्डी , हैड कांस्टेबल और टी. जितेन्द्र सिंह, कांस्टेबल और उनका दल सायं लगभग 8.50 बजे प्लेटफार्म नंम्बर 1 पर यात्रियों की जांच कर रहा था तो अचानक एक युवती ने पुलिस दल पर गोलीबारी कर दी और सर्वश्री टी. शिव रेड्डी, हैड कांस्टेबल और टी. जितेन्द्र सिंह , कांस्टेबल उसकी गोली से घायल होने से बाल-बाल बचे। इसके तुरंत बाद दो अन्य संदिग्ध व्यक्तियों ने भी पुलिस दल पर गोलीबारी कर दी और बाहर जाने वाले गेट की तरफ दौड़ना शुरु कर दिया । सर्व श्री टी. शिव रेड्डी, हैड कांस्टेबल और टी. जितेन्द्र सिंह, कांस्टेबल तथा उनका दल यात्रियों को बैठे रहने के लिए कहते रहे और इन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बगैर उनका पीछा किया जबकि संदिग्ध उग्रवादी पुलिस दल पर गोलीबारी करते रहे। एक बार फिर संदिग्ध उग्रवादियों ने सर्वश्री टी शिव रेड्डी, हैड कांस्टेबल और टी. जितेन्द्र सिंह, कांस्टेबल पर गोलीवारी की और रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो और साइकिल स्टैंड की ओर दौड़े । इस पर भी सर्व श्री टी. शिव रेड्डी , हैड कांस्टेबल और टी. जितेन्द्र सिंह, कांस्टेबल और अन्यों ने फिर से उनका पीछा किया जबकि उग्रवादियों ने आर टी सी बस स्टैंड की आड़ लेकर पुलिस दल पर गोलीबारी करनी जारी रखी। सर्व श्री टी. शिव रेड्डी, हैड कांस्टेबल और टी. जितेन्द्र सिंह, कांस्टेबल तथा पुलिस दल ने अपनी रक्षा के लिए संदिग्ध उग्रवादियों पर जबावी गोलीबारी की जिसके परिणाम स्वरुप एक व्यक्ति मारा गया जिसकी पहचान सैंडी राजा मौली उर्फ प्रसाद के रुप में हुई जो सी पी आई (माओवाद) की सैंट्रेल कमेटी और सैंट्रल मिलिट्री कमीशन का सदस्य था। घटना स्थल पर बैग में एक 9 एम एम पिस्तौल , एक 0.38 रिवाल्वर, उग्रवादियों का साहित्य और 2 सी डी और खाली गोलियां बरामद हुई।

आई पी सी की धारा 34 के साथ पठित धारा 307, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1) (ख) और (क), 27 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत और पुलिस द्वारा गोलीबारी किए जाने के संबंध में धर्मवर्म टाउन पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 122/07 के तहत एक मामला दर्ज किया गया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री टी. शिव रेड्डी, हैड कांस्टेबल और टी. जितेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 जून, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 116-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. एम चन्द्र शेखर,
   उप निरीक्षक
2. जी रामा कृष्णा राव,
   कांस्टेबल
3. के. रेणुकेश्वर राव
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

सर्व श्री एम. चन्द्रशेखर, उप निरीक्षक और श्री जी. रामा कृष्णा राव, कांस्टेबल को विश्वस्त जानकारी मिली कि सी पी आई (माओवादी) द्वारा कुछ कार्रवाई दलों को विजियंगाराम और श्रीकाकुलम जिलों में महत्वपूर्ण ठिकानों को तहस-नहस करने के लिए भेजा जा रहा है। इस पर श्री एम. चन्द्रशेखर, उप निरीक्षक विजियंगाराम पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे और कार्रवाई दलों को निष्क्रिय करने के अभियान की विवेकपूर्ण योजना बनाई। उन्होंने पाया कि ये कार्रवाई दल रात के समय दुपहिया वाहनों से आगे बढ़ रहे हैं इसलिए सर्व श्री एम. चन्द्रशेखर, उप निरीक्षक श्री जी. रामा कृष्णा राव, कांस्टेबल, और के. रेणुकेश्वर राव, कांस्टेबल ने विजियंगारम के विशेष जिला दस्ता के साथ दिनांक 10.03.2008 को रात्रि 2200 बजे से एल्विनपेटा पुलिस थाना से 4 कि.मी. उत्तर में कन्नइगुडा जंक्शन के निकट वाहनों की औचक जाँच करने की योजना बनाई। जब श्री एम. चन्द्रशेखर, उप-निरीक्षक और पुलिस दल ने एक मोटर साइकिल को रोकने की कोशिश की तो पीछे बैठी सवारी ने श्री एम. चन्द्रशेखर के नेतृत्व वाले पुलिस दल पर अपने आग्नेयास्त्रों से गोली चला दी। श्री एम. चन्द्रशेखर ने तुरंत चतुराई एवं बहादुरी का परिचय देते हुए पुलिस दल को सुरक्षित पोजीशन लेने और मोटर साइकल पर यात्रा कर रहे व्यक्तियों पर आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करने का निदेश दिया। सर्व श्री जी.रामाकृष्णा राव, कांस्टेबल और के. रेणुकेश्वर राव, कांस्टेबल ने भी अपने प्राणों की परवाह किए बिना बहादुरी से जवाबी कार्रवाई की। यह परस्पर गोलीबारी कुछ मिनट तक चलती रही जिसमें (1) चोक्करी गंगाराम उर्फ कोम्मा उर्फ विजय, ए ओ बी एस जेड सी-सदस्य, (2) जिट्टु गणपति, सी पी आई (माओवादी) का एक महत्वपूर्ण कूरियर की मौत हो गई।

सर्व श्री एम चन्द्र शेखर, उप निरीक्षक, जी.रामा कृष्णा राव, कांस्टेबल और के. रेणुकेश्वर राव, कांस्टेबल और उनके दल ने सी पी आई (माओवादी) लोगों को भारी मात्रा में हताहत किया तथा (1) चोक्करी गंगाराम उर्फ कोम्मा उर्फ विजय, ए ओ बी एस जेड सी

सदस्य, (2) जिट्टू गणपति, सी पी आई (माओवादी) का एक महत्वपूर्ण कूरियर, की हत्या कर दी।

इस मुठभेड़ में विजियंगारम जिले के एल्विनपेटा पुलिस थाना की सी आर सं. 05/08 के तहत अपराध स्थल से एक रिवाल्वर, एक तपंचा और एक बजाज डिस्कवर मोटर साइकल (ए पी 35 एपी 6601) तीन जिन्दा कारतूस और एक खाली कारतूस बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री एम. चन्द्र शेखर, उप निरीक्षक, जी.रामा कृष्णा राव, कांस्टेबल और के. रेणुकेश्वर राव, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 मार्च, 2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

6—381 GI/2008

सं. 117-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री के मधुसूदन राव,
हैड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

कुरनूल जिले की नान्दयाल तहसील के पुलिस थाना महानंदी के अंतर्गत दिगुवमेटा के निकट माओवादियों का आवाजाही के बारे में विश्वस्त सूचना प्राप्त होने पर संदिग्ध क्षेत्र का कवर करते हुए कट-आफ दल के रुप में जिला विशेष दस्ता के साथ मिलकर 5 ग्रेहाउंड यूनिटों के एक अभियान की योजना बनाई गई। वरिष्ठ कमांडों-1898 श्री के. मधुसूदन राव अभियान के लिए भेजे गए ग्रेहांउंड दलों में से एक थे। इन यूनिटों को 4 और 5 अगस्त, 2007 की मध्य रात्रि को वहाँ छोड़ दिया गया । वे सारी रात चलकर 05.08.2007 को प्रात: 0800 बजे कोर क्षेत्र में पहुचे। यह यूनिट 5 और 6 तारीख को प्रत्येक को आवंटित क्षेत्र में पहाड़ों और नालों, घनी कांटेदार झाड़ियों तथा अस्थिर पत्थरों एवं शिलाखण्डों से भरे असमतल भू-भाग से होकर पहुची। 7 तारीख की सुबह को इस ग्रेहाउण्ड यूनिट, जिसमें नामिती मौजूद था, ने प्रातः 5.30 बजे काम्बिंग आभियान शुरू किया। इस कार्यक्रम के अनुसार इस यूनिट को 736 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित गलीकोण्डा को चेक करना था। यह सीधी और कठिन चढाई थी चोटी की छानबीन करने के पश्चात यह यूनिट सम्भावित कैम्पिंग स्थल की काम्बिंग करने के लिए नीचे स्थित पहाड़ी के नाले तक उतर आई। उन्होंने नाला से 630 मीटर ऊंची तटरेखा पर चढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने यूनिट को 4 दलों में विभाजित कर दिया, दल संख्या 1,2 और 3 प्रत्येक में तीन-तीन सदस्य थे और दल संख्या 4 में 12 सदस्य थे। श्री के. मधुसूदन राव चौथे दल का नेतृत्व कर रहे थे।

पहाड़ी पर चढ़ते समय, यूनिट के नेता असाल्ट कमाण्डर श्री सी. एच. वेंकेटश्वरलू (डी एस पी) जो दल का नेतृत्व कर रहे थे, ने देखा कि 630 कण्टूअर पहाड़ी की चोटी के निकट घास कुचली हुई सी प्रतीत हो रही है, ऐसा लगता था जैसे कुछ अनुचित हो गया हो। उन्होंने अपने दल को रोका तथा क्षेत्र का पर्यवेक्षण करते समय उन्होने एक महिला देखी जो शर्ट पहने थी तथा जो किसी व्यक्ति से बात कर रही थी जो दिख नहीं रहा था। ए सी ने तुरन्त अन्य दलों को चौकस कर दिया। असिस्टेंट असाल्ट कमांडर (आर एस आई) के नेतृत्व वाला द्वितीय दल दूसरी दिशा में कुछ दूरी पर था और उसने माओवादी शिविर की ओर विभिन्न दिशाओं से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इसी बीच तृतीय दल के तीन सदस्य बिना पूर्व सावधानी बरते आगे बढ़े और उन्होंने वहां बनाई गई तम्बू जैसी संरचना पर गोलियां चला दीं। माओवादी, जो वस्तुत: ऊंची पहाड़ी पर पड़ी चट्टानों के बीच छिपे थे, उन्होंने गोलियां चला दीं तथा एक कमाण्डों को निशाना बनाया। तृतीय दल द्वारा समय से पूर्व आक्रमण कर दिए जाने के कारण माओवादी दल-।। और 4 के सतर्क होने से पहले ही सतर्क हो गए तथा

उन्होंने पोजीशन ले ली। पार्टी-।। गोलीबारी में फंस गई और अपनी पोजीशन से बाहर नहीं आ सकी परन्तु श्री के. मधुसूदन राव के नेतृत्व वाले दल 4 ने तुरन्त स्थिति संभाली तथा उसने माओवादी जिला समिति और क्षेत्र समिति सचिव का उनके दो गार्डों सहित पीछा करना शुरू कर दिया जिन्होंने एक पुलिस कार्मिक को पहले ही निशाना बना दिया था और बीच बीच में ऐंके-47 तथा अन्य हथियारों से फायर करते हुए बच कर भाग रहे थे। महिला माओवादी बचकर भाग गई। श्री के. मधुसूदन राव के पास सुरक्षा कवच नहीं था और माओवादी भागकर बच निकलने के निरर्थक प्रयास में स्वचालित हथियारों से अन्धाधुंध गोलियां चला रहे थे। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और जाने के खतरे की परवाह किए बिना नामिती ने अपने दल का नेतृत्व किया और क्षेत्र समिति सचिव को इस तथ्य के बावजूद मार गिराया कि वे पुलिस दल के एक सदस्य को मार गिराने में सफल रहे थे। नामिती द्वारा प्रदर्शित असाधारण साहस के कारण नल्लामाला के क्षेत्र समिति सचिव को मार गिराया गया तथा उससे कुछ आग्नेयास्त्रों एवं अन्य मदों के साथ साथ एक एस एल आर, एक 303 राइफल, 165,000 रूपये नकद वरामद किए।

इस मुठभेड़ में श्री के. मधुसूदन राव, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 अगस्त, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 118-प्रेज/2008, राष्ट्रपति , आंध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. के. मुनि कृष्ण,
   हैड कांस्टेबल
2. वी लिंगन्ना डोरा
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 13/1/2007 को नलगोंडा के ओ एस डी को एक विशिष्ट सूचना मिली कि नलगोंडा जिले के गुर्रमपाद पुलिस थाना के येलामनिगुडेम गाँव में माओवादियों की हलचल हो रही है। उन्होंने तत्काल ग्रेहाउंड यूनिट कार्मिकों के साथ मिलकर एक अभियान की योजना बनाई और उन्हें स्थानीय अधिकारियों के साथ भेज दिया गया। 19 सदस्यों वाली ग्रेहाउंड टीम तथा स्थानीय अधिकारियों को येलामनिगुडेम गाँव से लगभग आधा कि.मी. दूरी पर लगभग 1500 बजे छुड़वा दिया गया। वहाँ यह यूनिट तीन पार्टियों में बंट गई – श्री के. मुनि कृष्ण और वी. लिंगन्ना डोरा को मिलाकर बनी 7 सदस्यीय असाल्ट पार्टी , 6 सदस्यों को मिलाकर बनी लेफ्ट कट ऑफ तथा 6 सदस्यों को मिलाकर बनी राइट कट ऑफ। स्थानीय अधिकारी असाल्ट पार्टी के साथ थे। आगे बढ़ने पर यूनिट को एक स्थानीय आसूचना से यह जानकारी मिली कि कुछ माओवादियों की हलचलों को गाँव के उत्तर पश्चिम में आधा कि.मी. दूरी पर स्थित संतरे के बाग में कुछ समय पूर्व देखा गया था। योजना के अनुरुप लेफ्ट कट ऑफ तथा राइट कट आफ दोनों को संदिग्ध क्षेत्र के दोनों ओर आधा कि.मी. की दूरी से अग्रिम पोजीशन लेने के लिए भेजा गया। असाल्ट पार्टी एक संवर्धित संरचना के रुप में आगे बढ़ी और संतरे के बाग में पहुँचने पर उन्होंने एक शेड देखा जिसमें काम मे लाए गए बरतन तथा बचा खुचा खाना पाया गया जिससे यह संकेत मिला कि कुछ समय पूर्व यहाँ किसी ग्रुप ने खाना खाया है। स्थानीय पुलिस अधिकारी , इस बात की आशंका को देखते हुए कि माओवादी कहीं आसपास ही होंगे, उसी शेड में रुक गए। उस क्षेत्र की खोजबीन करने पर ग्रेहाउंड पार्टी ने शीट राक क्षेत्र, जो उस बाग के उत्तरी सिरे पर था, की ओर जाने वाले कुछ पदचिन्ह देखे। यह असाल्ट पार्टी उन पदचिन्हों का अनुकरण करते हुए शीट राक क्षेत्र की ओर आगे बढ़ी । जब असाल्ट पार्टी उस शीट राक क्षेत्र से लगभग पचास मीटर दूरी पर थी तभी माओवादी संतरी ने स्काउट को देखा और पुलिस , "पुलिस" चिल्लाकर आपने साथियों को सतर्क करने के लिए अपनी कार्बाइन से गोलियां चलानी शुरु कर दीं। नलगोंडा जिलें के जिला समिति सदस्य मुक्का रवि उर्फ बीथारजू नरसिंहा उर्फ जनार्दन सहित चार अन्य उग्रवादी जो उस संतरी के पीछे छुपे आराम कर रहे थे, ने भी गोली चला दी और उन्होंने पूर्व की ओर भागना शुरु कर दिया जहाँ उनका सामना राइट कट आफ पार्टी से हुआ । तुरंत ही

वे बचकर भाग निकलने के प्रयास में पश्चिम की ओर मुड़े जहाँ उन्हें लेफ्ट कट आफ पार्टी की गोलीबारी का मुकाबला करना पड़ा । स्वयं को तीनों तरफ से घिरा हुआ पाकर वे माओवादी उत्तर की ओर दौड़े जहाँ मूंगफली के खेत थे। पुलिस नेट से बचकर भाग निकलने के नैराश्य पूर्ण प्रयास में उन्होंने सभी तीन तरफ से गोलियाँ चलानी शुरु कर दीं। श्री के. मुनि कृष्ण और वी. लिंगन्ना डोरा ने माओवादियों द्वारा स्वचालित एवं अन्य राइफलों से की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी से अपने जीवन को आसन्न गंभीर खतरे की परवाह किए बिना बड़े उत्साहित मूड से माओवादियों का पीछा करने वाले दल का नेतृत्व किया। उस भू-भाग से उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली क्योंकि उन्हें उग्रवादियों का खुले मैदान में पीछा करना पड़ा। तब भी नामिती 1और2 ने उनका पीछा करना जारी रखा और आक्रमण कर दिया। उनके अदम्य साहसी हमले से चार माओवादी मार गिराए गए जबकि 5वां उग्रवादी जिसका राइट कट आफ पार्टी द्वारा पीछा किया जा रहा था, कुछ सिविलियनों के बीच जा छुपा जो मूंगफली के उस खेत के एक ओर काम कर रहे थे, और वह बच गया। असाल्ट पार्टी और कट आफ पार्टियों को इस डर से गोलीबारी रोक देनी पड़ी कि कहीं कोई सिविलियन घायल न हो जाए।

इस सुनियोजित और सफल अभियान में मुक्का रवि उर्फ जनार्दन जिला समिति सदस्य नलगोंडा सहित चार माओवादी मार गिराए गए जिनसे ए.के.-47राइफल-1, स्टैनगन-1, 9एमएस कार्बाइन-1, तमंचा (देशी रिवाल्वर) -1, 98500/- रुपए की नकदी और अन्य मदें जब्त की गई । इस अभियान से नल्लामाला वन क्षेत्र में नलगोंडा जिला समिति की मौत की घंटी बज गई।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री के मुनि कृष्ण , हैड कांस्टेबल और वी लिंगन्ना डोरा, कांस्टेबल ने अदम्य साहस, शौर्य एवं कर्तव्य के प्रति उच्च स्तर की निष्ठा का प्रदर्शन किया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 जनवरी, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

7—381 GI/2008

सं. 119-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

1. वी. गोपी,
   कांस्टेबल
2. एम. वीरराजू
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 20.12.2007 को जिला पुलिस को एक विश्वसनीय जानकारी मिली कि लगभग 20-25 माओवादियों का एक समूह मारेडुमिल्ली पुलिस थाना सीमा के अन्तर्गत आने वाले चीता शिविर आरक्षित वन क्षेत्र के अन्दरुनी घने जंगल में एक शिविर चला रहा है। इन माओवादियों को गिरफ्तार करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक (प्रचालन), जो उग्रवाद विरोधी प्रचालनों के प्रभारी थे, ने चार ए.एन.एस. पार्टियों के साथ मिलकर अभियान की एक योजना बनाई। श्री वी. गोपी और एम. वीरराजू ने उस भूभाग पर अपने अनुभव के आधार पर अभियान की योजना में भाग लिया। यह अभियान एक अत्यधिक घने जंगल के एक ऐसे प्रतिकूल भू-भाग में आयोजित किया जाना था जहाँ पर ऐसा माना जाता था कि माओवादियों की वहां जबरदस्त पकड़ है। श्री वी. गोपी और एम. वीरराजू को मिलाकर बनी पार्टी को माओवादियों के सर्वाधिक सम्भावित वापसी मार्ग पर तैनात किया गया। पार्टी की हलचल के क्रम में श्री वी. गोपी को स्काउट-I (दल के प्रथम सदस्य) और एम. वीरराजू को स्काउट-II के रूप में तैनात किया गया था।

एक आर एस आई, 18 पुलिस कांस्टेबलों (कुल 19 सदस्यों) को मिलाकर बनी इस ए.एन.एस. पार्टी को दिनांक 21.12.2007 को चीता शिविर आरक्षित वन क्षेत्र के निकट मारेडुमिल्ली (पूर्व गोदावरी जिला) और चिन्तुरु (खम्माम जिला) के बीच स्थित सड़क के एक स्थान पर पहुंचाया गया। इस पार्टी ने उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर नेल्लोर गाँव के आस-पास स्थित गाँव तक मार्च किया और शाम के लगभग 4.00 बजे के आस-पास एक बड़े नाले को पार करके आगे बढ़ना प्रारम्भ किया। श्री वी. गोपी ने नाले को पार किया और आगे की ओर बढ़े। श्री एम. वीरराजू और शेष पार्टी एक नाले को पार कर रही थी। अकस्मात इस पुलिस पार्टी ने ए.के. 47 और एस.एल.आर. आदि जैसे स्वचालित हथियारों से गोली चलने की आवाज सुनी। इस पुलिस पार्टी को, जो नदी (नाले) के मध्य में थी कोई सुरक्षा कवच पहनने का मौका नहीं मिला क्योंकि यह मुठभेड़ अप्रत्याशित और अचानक उस समय हुई थी जब यह पार्टी एक नाला पार कर रही थी। इन दुर्दान्त माओवादियों ने, जो शिविर से वापस लौट रहे थे, पुलिस पार्टी पर घात लगाकर हमला किया और पुलिस पार्टी खतरे की स्थिति में हो गई। श्री वी. गोपी राजू, जो स्काउट-I थे, और जिन्होंने नाला पहले ही पार कर लिया था, ने पुलिस पार्टी पर आसन्न खतरे को महसूस किया तथा इस संकट की घड़ी में एक भी क्षण

का समय गंवाए बिना तत्काल उग्रवादियों पर गोलियाँ चला दीं और पुलिस पार्टी को और अधिक खतरे में पड़ने के बजाय उन्होंने माओवादियों को ललकारा। श्री वी. गोपी द्वारा दी गई चेतावनी पर माओवादियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियाँ चलानी शुरु कर दीं। हालांकि वी. गोपी को उस समय पुलिस दल के किसी अन्य सदस्य का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने माओवादियों के निकट पहुँचने में जरा भी समय नहीं गँवाया तथा बदले में गोलियाँ चला दीं। श्री वी. गोपी, जिनके पास गोलियों से बचने के लिए कोई कवच नहीं था, ने माओवादियों की गोलियों का सामना करके और माओवादियों पर गोलियों की वर्षा करके अपने कर्तव्य का सफलतापूर्वक निर्वाह करने में अदम्य साहस और आत्म-बलिदानी दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया। श्री गोपी के इस साहसपूर्ण कृत्य ने माओवादियों को और आगे बढ़ने से रोक दिया तथा इस तरह उसने पुलिस पार्टी की रक्षा की। जबकि इस पार्टी के अन्य सदस्य अभी भी माओवादियों के प्रतिघात क्षेत्र में थे, श्री एम. वीरराजू, गोलियों से बचने के सुरक्षा कवच के बिना ही, इस अभियान में श्री वी. गोपी की सहायतार्थ, प्रतिघात क्षेत्र से बाहर निकल आए। जब श्री वी. गोपी और श्री एम. वीरराजू माओवादियों को और अधिक गोली चलाने से रोकने के लिए आगे बढ़े, तभी पुलिस पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी रणनीतिक स्थान ग्रहण कर लिया और माओवादियों पर जवाबी कार्रवाई शुरु दी। इन कार्रवाइयों से माओवादी उस क्षेत्र से भाग गए। श्री एम. वीरराजू ने प्रतिघात क्षेत्र से बाहर आकर और इस बड़ी कार्रवाई में वी. गोपी की सहायता करके अत्यधिक साहस एवं बहादुरी का प्रदर्शन किया। श्री वी. गोपी और एम. वीरराजू के इस बहादुरीपूर्ण कार्य से दो भयंकर माओवादी नेताओं को मारा जा सका और पुलिस पार्टी की खतरे से रक्षा की।

मृत माओवादियों की पहचान निम्नलिखित के रूप में हुई:

1. डब्बा राजम्मा उर्फ सरिता, कमाण्डर, साबरी एल जी एस, खम्माम प्रभाग, पत्नी नवीन, प्रभागीय समिति सदस्य, खम्माम प्रभाग, और
2. जमुना, उप कमाण्डर, चिन्टूर एल ओ एस पत्नी रघु, कमाण्डर, चिन्टूर एल ओ एस, खम्माम प्रभाग।

निम्नलिखित जब्ती की गई:

.303 राइफलें	-	3 सं.
एस बी बी एल बन्दूकें	-	2 सं.
भू-सुरंगे	-	2 सं.
.303 लिवर राउण्ड्स	-	15 सं.
12 बोर राउण्ड्स	-	15
किट बैग	-	11 सं.
माओवादी साहित्य		

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री वी. गोपी, कांस्टेबल और एम. वीरराजू, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21 दिसम्बर, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 120-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री आर. नागेश्वर राव,
रिजर्व सब इंस्पेक्टर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

विशेष कार्य अधिकारी (ओ एस डी/अपर पुलिस अधीक्षक) वारंगल को 07.12.2006 को सूचना मिली कि प्रतिघाटन ग्रुप के कुछ नक्सलवादी, खम्माम-वारंगल क्षेत्र सचिव के साथ, वारंगल जिला सीमा से सटे जिला खम्माम के पुनुकुला चिल्का (v) के निकटवर्ती वन क्षेत्र में शिविर लगाए हुए हैं। उनसे जानकारी मिलने पर ओ एस डी/खम्माम के साथ मिलकर एक अभियान की योजना बनाई गई। चूंकि उस समय वारंगल अथवा खम्माम जिले में कोई ग्रेहाउण्ड यूनिट नहीं थी इसलिए 200 कि.मी. दूर नलगोंडा में शिविर लगाए पड़ी यूनिट को खम्माम के कोठागुडेम भेजा गया। श्री आर. नागेश्वर राव ए ए सी/आर एस आई इस ग्रेहाउण्ड यूनिट का एक सदस्य था जिसका नेतृत्व डी ए सी/आर आई ने किया था।

इस यूनिट को 07.12.06 की मध्यरात्रि को जंगलों के बाहरी हिस्से में पहुंचाया गया। यह यूनिट सारी रात चली तथा दिनांक 08.12.06 को 04.30 बजे तक कोर क्षेत्र में पहुँच गई। 247 फीट की ऊंचाई पर पहुँचने पर यह यूनिट 3 भागों में बंट गई। इस पार्टी के नेता श्री आर. नागेश्वर राव, रिजर्व उप निरीक्षक तथा 3 अन्य को मिलाकर असाल्ट ग्रुप बनाया गया। अन्य दो को पार्श्वभाग से पहाड़ी क्षेत्र को कवर करने के लिए भेजा गया।

247 फीट ऊंचाई वाली पहाड़ी बहुत ढालू थी और कंकडों से युक्त होने के कारण इस पर चलना और वह भी शान्त वन क्षेत्र के आन्तरिक भाग में इतने सुबह तड़के बिना आवाज किए चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब पुलिस पार्टी तटरेखा के किनारे-किनारे ऊपर पहाड़ी पर धीरे-धीरे चढ़ रही थी तभी उन्होंने दो विभिन्न स्थानों पर पूर्वनिर्मित दो शिविर स्थल देखे जिनसे यह संकेत मिलता था कि नक्सली सभी पूर्व सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अक्सर अल्प अन्तराल पर अपने शिविर बदल लेते थे। शाम को 0620 बजे चोटी पर पहुँचने पर असाल्ट ग्रुप के एक कनिष्ठ कमाण्डर ने (जे सी पी सी) एक पेड़ की शाखा पर लटकता हुआ एक पालीथीन बैग देखा जिसमें कुछ सामान भरा था। श्री आर. नागरेश्वर राव, रिजर्व पुलिस निरीक्षक, जिसे चौकस कर दिया गया था, ने समस्त क्षेत्र की सावधानीपूर्वक स्कैनिंग की और पीली शर्ट पहने एक सतर्क संतरी को .8 एम एम राइफल सहित आस-पास के क्षेत्र पर निगरानी रखते हुए देखा।

श्री आर. नागेश्वर राव, रिजर्व उप-निरीक्षक ने तत्काल यूनिट लीडर डी ए सी को सिग्नल भेजा कि वह अन्य ग्रुपों को सूचित कर दे और नक्सल शिविर की ओर धीरे-धीरे बढ़ना शुरु कर दिया। संतरी, जो बहुत चौकस था, ने किसी चीज की आशंका करते हुए

शिविर के सभी सदस्यों को सचेत कर दिया जो अपने हथियार लेकर बाहर निकल आए तथा अजनबी को अपना परिचय देने की घोषणा करने लगे। जब पुलिस पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने अपने हथियारों से गोलियां चला दी। जब अन्य ग्रुप सुरक्षा फायर कर रहे थे, तभी श्री आर. नागेश्वर राव, रिजर्व उप निरीक्षक तथा दो अन्य को मिलाकर बना असाल्ट ग्रुप आगे बढ़ा तथा वे नक्सल शिविर से लगभग 15 मीटर की दूरी तक पहुँच गए।

नक्सली उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए पत्थरों से बनाए मेकशिफ्ट मोर्चा से पूर्णतया सुरक्षित थे। वे बेहतर स्थिति में थे तथा उन्हें अच्छे एवं कमांडिंग व्यू का लाभ प्राप्त था। फिर भी श्री नागेश्वर राव, रिजर्व उप निरीक्षक ने शार्ट रेंज से एक साहसपूर्ण हमला किया जिससे नकसली शिविर मुश्किल में पड़ गया। उन्होंने पहली गोली से ही संतरी को मार गिराया। तीन सदस्यों वाली पुलिस असाल्ट पार्टी ने बाद में चलाई गई गोलियों से दो अन्य नक्सलवादी मार गिराए जो अपने शिविर से निकलकर पूर्व की ओर श्री आर. नागेश्वर राव, रिजर्व उप निरीक्षक की ओर दौड़े तथा उसके दो साथियों ने लगभग 50 गज की दूरी तक उनका पीछा किया। घायल नक्सली पीछे मुड़ा और उसने अपनी ए.के. और कार्बाइन से गोलियाँ चला दीं परन्तु उनकी टीम ने स्थिति संभाली और पुन: जवाबी कार्रवाई से उन दोनों को मार गिराया।

उस क्षेत्र की खोजबीन करने पर 4 प्लास्टिक शीटों और 4 किट बैगों तथा अन्य मदों की जब्ती की गई जिससे यह संकेत मिलता है कि एक नक्सली पुलिस पार्टी से छुपकर भाग गया। मृत नक्सलियों की शिनाख्त निम्नलिखित के रूप में हुई:

1. मनकिडि मधु उर्फ गौतम सीता रमैय्या, राज्य समिति सदस्य, ए.के. 47 सहित।
2. इट्टी रवि उर्फ सुबास, दलम सदस्य कार्बाइन सहित।
3. येसाम नरेन्द्र उर्फ गोपी, दलम सदस्य, 8 एम एम राइफल सहित।

इस मुठभेड़ में श्री आर. नागेश्वर राव, आरक्षी उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 दिसम्बर, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

8—331 GI/2008

सं. 121-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री के. चक्रपाणि,
रिजर्व सब इंस्पेक्टर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

पुलिस थाना कोठागुडेम-III शहर के उप निरीक्षक को दिनांक 18.10.2007 को अपने निजी स्रोतों से विश्वसनीय जानकारी मिली कि जनशक्ति किन्नेरासानी दलम के कुछ सदस्य 'किन्नेरासानी जलाशय' के निकट गट्टामाल्ला गाँव से 2 से 3 कि.मी. उत्तर स्थित पहाड़ी की चोटी पर शिविर लगाए हुए हैं। उन्होंने इस जानकारी से कोठागुडेम में शिविर लगाए पड़ी ग्रेहाउण्ड यूनिट को सूचित किया जिसने विस्तृत अभियान की योजना बनाई। श्री के. चक्रपाणि के नेतृत्व वाली 21 सदस्यीय ग्रेहाउण्ड टीम ने मध्यरात्रि के समय अपना बेस कैम्प छोड़ दिया तथा ड्रापिंग प्वांइट पर 0420 बजे पहुँच गई। यह पार्टी दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर लगभग आधा कि.मी. तक आगे बढ़ी और सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगी।

0520 बजे उन्होंने अपना सामान उठाया और पहाड़ी की ओर आगे बढ़े। शीघ्र उनके निकाय से एक जलधारा दिखाई दी जिसका जिक्र भारतीय सर्वेक्षण मानचित्र में नहीं था। भारतीय सर्वेक्षण मानचित्र में दर्शाई गई भौगोलिक विशेषताओं तथा उसकी जी पी एस अवस्थिति की जाँच करने के पश्चात यह सुनिश्चित हो गया कि वे सही मार्ग पर हैं। उन्होंने एहसास किया कि यह जलधारा किन्नेरासानी जलाशय के पृष्ठ भाग का जल था जो भारी वर्षा के कारण बढ़ गया था और उन्हें इस पहाड़ी पर पहुँचने के लिए उसी जलधारा के पास से होकर जाना होगा।

इसी बीच पार्टी के स्काउट ने आगे कुछ हलचल देखी और श्री के. चक्रपाणि को चौकस कर दिया जिसने उस क्षेत्र की दिन दूरबीन से स्केनिंग की थी और उसने एक महिला उग्रवादी सहित सशस्त्र जनशक्ति उग्रवादियों को देखा था। श्री के. चक्रपाणि ने तत्काल यूनिट को तीन पार्टियों में विभाजित कर दिया। श्री के. चक्रपाणि के नेतृत्व वाली पार्टी-1 में 7 सदस्य थे, पार्टी-2 में 7 सदस्य थे और पार्टी-3 में एक स्थानीय उप निरीक्षक और 2 सिविल पुलिस कांस्टेबलों को मिलाकर 10 सदस्य थे। स्काउटों में से एक पार्टी एक में था और दूसरा पार्टी तीन में था। पार्टी-1 ने उत्तर की ओर पोजीशन कवर कर ली जबकि पार्टी-2 ने पश्चिम को कवर कर लिया और पार्टी-3 ने पूर्व को कवर कर लिया। दक्षिणी भाग पूर्णतया जलधारा द्वारा कवर था।

पार्टी-3 की हलचल को जनशक्ति किन्नेरसानी दलम के सदस्यों ने देख लिया और उन पर गोली चला दी तथा उत्तर-पूर्व दिशा से बचकर भाग निकलने की कोशिश की। पार्टी-3 जो उस पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी, ने उन उग्रवादियों पर गोली चला दी जो पुलिस पार्टी पर गोली

चलाते हुए भाग रहे थे। पुलिस पार्टी को फैला हुआ देखकर उग्रवादियों ने दिशा बदलकर उत्तर की ओर दौड़ना शुरु कर दिया। चूंकि पूरा क्षेत्र खुला था और शत्रु उनकी ओर दहलाने वाले हथियारों से युक्त होकर दौड़ रहा था, इसलिए श्री के. चक्रपाणि ने अपनी टीम पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखा तथा उनको उन पर तब तक गोली न चलाने का निदेश दिया जब तक वे निकट रेंज में नहीं आ जाते। तब उसने उन उग्रवादियों के खिलाफ पार्टी का नेतृत्व किया जो उनकी ओर दौड़ रहे थे। बचाव मार्ग पर अवरोध उत्पन्न करती हुई एक अन्य पुलिस पार्टी को देखकर उग्रवादी घबरा गए और अपने हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए जलाशय की ओर दौड़े। अभी भी श्री के. चक्रपाणि अपनी पार्टी का निर्भीकतापूर्वक नेतृत्व कर रहा था और उसने चार उग्रवादियों को मार गिराया जो अपने हथियारों सहित उस जलाशय में गिर पड़े। पुलिस पार्टी एक घण्टे की खोज के बाद एक शव निकाल पाई जबकि दूसरा शव कुशल तैराकों द्वारा शाम को निकाला जा सका। दो अन्य शव अगले दिन निकाले गए। इस परस्पर गोलीबारी में प्रकाश, किन्नेरा सानी दलम कमाण्डर तथा दलम के तीन अन्य सदस्यों को मार गिराया गया। एक स्प्रिंगफील्ड राइफल और एक तपंचा जब्त किया गया। अन्य हथियार कुशल तैराक द्वारा भी नहीं निकाले जा सके क्योंकि जलाशय गहरा एवं कीचड़युक्त था। उन्हें गर्मियों में ही निकाला जा सकता है जब जलस्तर काफी मात्रा में कम हो जाता है। स्प्रिंगफील्ड राइफल के 28 जिन्दा राउण्ड तथा एस एल आर के 10 जिन्दा राउण्ड, 1,26,000 की नकदी, एक .303 मैगजीन उन कुछ मदों में से थे जिन्हें उग्रवादियों के कपड़ों से जब्त किया गया था।

इस मुठभेड़ में श्री के. चक्रपाणि, आरक्षी उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19 अक्टूबर, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 122-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

1.एन वी किशनराव,
रिजर्व इंस्पेक्टर

2.एस श्रीनिवास,
इंस्पेक्टर

3.मनोहर गौड़,
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

दिनांक30/06/2007 को सर्व श्री एन वी किशन राव, आरक्षी निरीक्षक, एस श्रीनिवास, निरीक्षक और मनोहर गौड़, कांस्टेबल ने संक्षिप्त एवं विशिष्ट सूचना एकत्र की कि उत्तर तेलंगाना स्पेशल जोनल समिति (माओवादी) के चोटी के काडरों सहित सी पी आई के (भूमिगत काडर) तडवाइमंडल में मेदाराम तथा इटुरुंगाराम मंडल के कोण्डाइ एवं आइलापुर जंगलों में घूम रहे है। माओवादियों ने घने जंगल, जल प्रपात एवं पहाड़ों के मध्य अपने शिविर बनाए हैं। तडवाइ थाने का सम्पूर्ण क्षेत्र वामपंथी उग्रवादियों के विभिन्न ग्रुपों की गतिविधियों से प्रभावित था और उन्होंने अधिकांश रास्तों पर भू-सुरंगे बिछा रखी थीं और किसी वाहन द्वारा सड़क यात्रा अत्यधिक जोखिमभरी है। सर्व/ श्री एन वी किशनराव, आरक्षी निरीक्षक, एस श्रीनिवास, निरीक्षक तथा मनोहर गौड़, कांस्टेबल , डी आई जी एस आई बी के अनुदेश पर एस पी वारंगल से मिले तथा उन्हें इस जानकारी से अवगत कराया। एस पी वारंगल और सर्व श्री एन वी किशन राव, आरक्षी निरीक्षक, एस श्री निवास निरीक्षक और मनोहर गौड़, कांस्टेबल ने आसूचना का बारीकी से विश्लेषण किया और एक विवेकपूर्ण अभियान योजना तैयार की। एस पी वारंगल ने शिविर पर हमला करने के लिए सभी उपलब्ध जिला गार्डों को एकत्र किया।

योजना के मुताबिक सर्वश्री एन बी किशन राव आरक्षी निरीक्षक , एस श्री निवास निरीक्षक मनोहर गौड़, कांस्टेबल तथा एक स्पेशल पार्टी जिला मुख्यालय से चलकर तडवाई और मेडाराम के बीच 4 किमी वाले मील के पत्थर पर पहुंची और वहां 30-06-2007 की रात्रि को विश्राम किया। 01-07-2007 को प्रात: 5 बजे इस विशेष पार्टी ने माओवादियों के संदिग्ध कैम्पिंग क्षेत्र की छानबीन शुरु की। चूंकि जंगल से होकर जाने वाले सभी मार्गों पर भू सुरंगे बिछी होने का संदेह था इसलिए सर्व श्री एन वी किशन राव , आरक्षी निरीक्षक, एस श्री निवास निरीक्षक और मनोहर गौड़, कांस्टेबल ने अन्य पार्टी के साथ, उस देहाती क्षेत्र में

क्षेत्र रणनीति का विवेकपूर्ण अनुसरण करते हुए पैदल चलना शुरु कर दिया। यह पार्टियां घने जंगल से होकर आगे बढीं और उग्रवादियों के संदिग्ध शिविर स्थल पर सुबह-सुबह पहुंच गई। प्रातः लगभग 7.30 बजे श्री मनोहर गौड़, कांस्टेबल जो स्काउट के रुप में काम कर रहा था, ने मेदाराम गाँव के दक्षिणपूर्व की ओर शिविर लगाए जैतूनी रंग की वर्दी पहने 8 सशस्त्र व्यक्तियों का ग्रुप देखा। श्री मनोहर गौड़, कांस्टेबल ने तुरंत इस पर्यवेक्षण से श्री एन० वी. किशनराव, आरक्षी निरीक्षक को सूचित किया जिसने पार्टी को वहीं रुकने का सिग्नल दे दिया और उन्होंने खुद जाकर वहां देख तथा उन्हें यह संदेह हुआ कि वे सी पी आई (माओवादी) से संबंधित उग्रवादी हैं। श्री एन वी किशनराव आरक्षी निरीक्षक ने समस्त पार्टी को दो हमलावार पार्टियों तथा एक कट आफ पार्टी के रुप में विभाजित किया। श्री एन वी किशन राव प्रथम हमलावार ग्रुप में थे और सर्वश्री एस श्रीनिवास तथा मनोहर गौड, दूसरी हमलावर पार्टी में थे। सी आई इटुरंगाराम परिक्षेत्र के नेतृत्व में कट आफ पार्टी ने जब सम्भावित बचाव मार्ग पर पोजीशन ले ली तब श्री एन वी किशन राव ने हमलावार पाटियों को आगे बढ़ने का सिग्नल दिया। चूंकि हमलावार पार्टियाँ उग्रवादियों के शिविर की ओर रेंग कर आगे बढ़ रही थीं, इसलिए संतरी ने जिसे पुलिस पार्टी के आने की भनक लग गई थी, "पुलिस" शब्द चिल्लाकर शिविर स्थित उग्रवादियों के सतर्क कर दिया और साथ ही पुलिस पार्टी पर तीव्र गोलियां चला दीं। लगभग 8 उग्रवादियों ने, जो बेहतर स्थिति में थे अपने स्वचालित हथियारों से चारों ओर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दीं और साथ ही हथगोले भी फेंके। श्री एन.वी.किशन राव ने उग्रवादियों को गोलीबारी बन्द करने और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने की चेतावनी देते हुए हमलावर पार्टियों को, उपलब्ध सुरक्षा कवच का आश्रय लेते हुए उग्रवादियों के शिविर की ओर आगे बढ़ने का आदेश दिया। चूँकि उग्रवादियों ने बार-बार दी जा रही चेतावनी का कोई जवाब नहीं दिया और पुलिस वालों की हत्या करने के इरादे से अपने स्वचालित हथियारों और ए.के.47 एस एल आर से गोली चलाना जारी रखा इसलिए श्री एन.वी.किशन राव ने पुलिस पार्टी को अपने बचाव के लिए उग्रवादियों पर जवाबी गोली चलाने का आदेश दिया तथा कट ऑफ पार्टी को सभी बचाव मार्ग सील करने के लिए चौकस कर दिया। श्री एन.बी. किशन राव और मनोहर गौड़ जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने थे, अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए उग्रवादियों की गोलियों पर जवाबी हमला करते हुए उनके शिविर स्थल के निकट तक पहुंच गए। कुछ उग्रवादी जो बड़े वृक्षों और टीलों की शरण लिए हुए थे, क्लेमोर सुरंगों का विस्फोट करते हुए भाग निकले, जबकि अन्य काडर शिविर स्थल से पुलिस पर लगातार गोलीबारी में व्यस्त बने रहे। उस घने जंगल में इस तीव्र गोलीवारी से युद्ध जैसी स्थिति हो गई। सर्व श्री एन.वी. किशन राव, आरक्षी निरीक्षक, एस. श्री निवास, निरीक्षक और मनोहर गौड़, कान्स्टेबल उग्रवादियों की गोलीबारी के बीच अत्यधिक कम दूरी से आगे बढ़ रहे थे, ने बहादुरीपूर्वक उन उग्रवादियों का पीछा किया और एक नियन्त्रित गोली बारी से उग्रवादियों की गोलीबारी को निष्क्रिय कर दिया। सर्व श्री एन.बी. किशन राव, आरक्षी निरीक्षक, एस. श्रीनिवास, निरीक्षक मनोहर गौड़, कांस्टेबल और उनकी पार्टी ने, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम थी, अपने जीवन की परवाह किए बिना उन पर भीषण जवाबी गोलीबारी की। यह परस्पर गोलीबारी लगभग आधा घण्टे तक चलती रही। जब हालात शान्त हो गए, तो पुलिस पार्टी ने उस क्षेत्र की तलाशी ली और वहाँ एक शव एक ए.के.47 राइफल, एक 9 एम एम कार्बाइन, एक पिस्तौल आदि सामान पड़ा पाया। इस शव की बाद में चेट्टी राजू पापैय्याह ऊर्फ सोमन्ना ऊर्फ वेंकटरमन, उत्तर तेलंगाना स्पेशल जोनल समित सदस्य अर्थात बहु संगठन और एन टी एस जेड सी सचिवालय सदस्य के रूप में हुई।

सोमन्ना एक कुख्यात एवं कट्टर आतंकवादी था और वह 1985 से भूमिगत था। वह एक खतरनाक नक्सली था और वर्ष 1986 में दलम का सदस्य बना था। वह 1990 में दलम कमाण्डर, 1993 में डी सी एम, 1997 में एन टी एफ डिवीजन समिति सदस्य बना तथा

31.04.2000 से एन टी एस जेड सी का सदस्य था। वह करीमनगर, निजामाबाद सम्भाग और वारंगल के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों में लगभग 50 आपराधिक मामलों में संलिप्त था और बर्वरता, जबरन धन वसूली तथा हत्याओं के लिए कुख्यात था। उस पर 10,00,000 रूपये का इनाम घोषित था।

इस गोलीबारी में पुलिस ने एक ए.के.47 राइफ़ल, एक 9 एम एम कार्बाइन, एक पिस्तौल, चार किट बैग्स, एक ए.के.47 मैगजीन बरामद किया तथा यह मामला वारंगल जिले के तडवाई थाना क्षेत्र की सी आर सं0 23/2007 की विषय वस्तु है।

इस मुटभेड़ में सर्वश्री एन.बी. किशन राव, आरक्षी निरीक्षक, एस.श्रीनिवास, निरीक्षक और मनोहर गौड़ कांस्टेबल ने असाधारण वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 जुलाई, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 123-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री केटीपल्ली वेणु गोपाला राव,
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

पुलिस अधीक्षक, गुन्टुर जिला को एक सूचना प्राप्त हुई कि कोटा आनन्द कुमार और पेदा राजु दशरथम, गुन्टुर जिले की बोलापल्ली पुलिस स्टेशन सीमाओं के नालामल्ला आरक्षित जंगलों में आ रहे हैं जिनकी योजना क्षेत्र में आतंक पैदा करने के लिए आस-पास के गांवों में कुछ महत्वपूर्ण राजनैतिक नेताओं को मारने की है।

तत्काल 18 कार्मिकों की संख्या के साथ वाई. रंगनाथ गौड, उप निरीक्षक के नेतृत्व में गुन्टुर की जिला विशेष पार्टी को बुलाया गया और विस्तृत ब्रीफिंग के पश्चात 24.07.07 की रात्रि को उन्हें नालामल्ला के आरक्षित जंगल में पहुँचाया गया। विशेष पार्टियों ने उनको सौंपे गए क्षेत्र की पूरे एक दिन छानबीन की परन्तु वे निष्फल रहे। अगले दिन दिनांक 26.07.2007 को जब पार्टी हरकत में थी तभी श्री केटीपल्ली वेणु गोपाल राव ने 6 से 7 व्यक्तियों को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए देखा। इसको देखने पर श्री केटीपल्ली वेणु गोपाल राव ने पार्टी को तत्काल सतर्क किया और घनी झाड़ियों के पीछे आड़ ले ली। तब पार्टी को तीन उप-पार्टियों में विभाजित किया गया। प्रथमतः श्री वाई. रंगनाथ गौड, उप निरीक्षक के नेतृत्व में 6 सदस्यों की पार्टी ने शत्रु क्षेत्र की बांयी दिशा को कवर किया। दूसरी पार्टी ने श्री पी. देवा प्रभाकर, उप निरीक्षक के नेतृत्व में 6 व्यक्तियों के साथ शत्रु क्षेत्र के दांयें पक्ष को कवर किया तथा श्री के. वेणुगोपाल राव के नेतृत्व में 6 सदस्यों वाली तीसरी पार्टी ने आक्रामक पार्टी की भूमिका अदा की। जब पार्टी हरकत में थी, तभी एक शत्रु ने पुलिस पार्टी को देखा तथा उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस पार्टी ने तत्काल आड़ ले ली और शत्रु को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। शत्रुओं ने पुलिस की सलाह की तरफ ध्यान नहीं दिया तथा पुलिस पर गोलीबारी करना जारी रखा। तब पुलिस ने भी आत्मसुरक्षा में गोलीबारी शुरु कर दी। परस्पर गोलीबारी लगभग 30 मिनटों तक जारी रही, जिसके दौरान नामित श्री के. वेणुगोपाल ने उच्चकोटि के साहस और बहादुरी का प्रदर्शन किया तथा गोलियों की बौछार में खड़े रहे। अपनी आत्मरक्षा में श्री के. वेणुगोपाल राव ने भी अपनी स्वयं की लोडिंग राइफल से शत्रु पर गोलीबारी शुरु की जिसमें कोट्टा आनन्द कुमार उर्फ श्याम नाम का विशेष एक्शन टीम का सदस्य मारा गया तथा तपंचा बरामद किया गया। कुछ क्षण पश्चात जब नामित के नेतृत्व में पुलिस पार्टी क्षेत्र की तलाशी ले रही थी तभी माओवादियों ने दुबारा उन पर तथा पुलिस पार्टी के अन्य सदस्यों पर गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस पार्टी ने पुनः झाड़ियों की आड़ ली तथा शत्रुओं को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। परन्तु उन्होंने पुलिस पार्टी पर गोलीबारी जारी रखी। श्री के. वेणुगोपाल राव के नेतृत्व में पुलिस पार्टी, जोकि निर्भीकता से टीम का मार्गदर्शन कर रही थी, आगे बढ़ी, आत्मरक्षा में

शत्रुओं पर गोलीबारी की। पेड्डु राजु दसा रंघम उर्फ टेक सिरनु ; नामक विशेष एक्शन टीम कमांडर मारा गया ओर उससे एक तपन्चा वहां से बरामद किया गया। सम्पूर्ण घटना के दौरान नामित ने माओवादियों की गोलीबारी का जवाब देने में उच्चकोटि की कार्रवाई का प्रदर्शन किया।

इस मुठभेड़ में श्री केटीपल्ली वेणु गोपाल राव, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26 जुलाई, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 124-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री डी. सत्यनारायण,
आरक्षित उप निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

यह मामला, नार्थ तेलंगाना स्पेशल जोन कमेटी (एन टी एस जैड सी) के खूंखार माओवादी गुरिलाओं के साथ हुई परस्पर गोलीबारी का है जिसमें महत्वपूर्ण नेता मधु उर्फ सरैय्या – करीम नगर पूर्व डिवीजन जिला कमेटी सचिव तथा वारंगल जिले के चित्याल और मेदाराम क्षेत्रों के तीन एल ओ एस सदस्यों सहित चार दुर्दान्त आतंकवादी मारे गए। इसके परिणामस्वरुप ए के-47 तथा 3-.303 राइफलें जैसे खतरनाक हथियार बरामद किए गए।

विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि गणेश, एन टी एस जेड सी सचिव, मधु, करीम नगर जिला डिवीजन कमेटी सचिव और अन्य महत्वपूर्ण माओवादी, वारंगल जिले की तडवी पुलिस स्टेशन सीमाओं के अंदर ओराटम तथा कोंडई गांवों के आस-पास चित्याल रिजर्व जंगल में ठहरे हुए हैं। 3 ग्रेहाउन्ड यूनिटों तथा ग्रेहाउन्ड द्वारा वारंगल जिले की 9 विशेष पार्टियों, जिला पुलिस तथा राज्य आसूचना अधिकारियों के साथ एक अभियान की योजना बनाई गई। श्री डी. सत्यनाराण, 20 सदस्यों की स्ट्रेन्थ के साथ एक ग्रेहाउन्ड यूनिट का नेतृत्व कर रहे थे। ग्रेहाउन्ड यूनिटों तथा जिला विशेष पार्टियों को अभियानों के लिए 12.09.06 की मध्यरात्रि को पहुंचाया गया। तलाशी पार्टियों ने प्रत्येक को सौंपे गए क्षेत्र की सितम्बर की 13 और 14 तारीख को छानबीन की जिन्होंने पहचान किए गए तथा सम्भावित सभी शरण स्थलों को कवर किया। 14 की शाम को एक ग्रेहाउन्ड यूनिट ने कुछ चरवाहों से स्थानीय आसूचना एकत्र की कि उन्होंने 2 से तीन दिन पहले निकट की पहाड़ी पर 8 से 10 माओवादियों को देखा है। उस यूनिट को 15 की सुबह क्षेत्र की खोजबीन के लिए पहाड़ी क्षेत्र की तरफ भेजा गया। तथापि, 15 की सुबह-सुबह वे खाली हाथ लौट आए।

इसी बीच, श्री डी. सत्यनाराण, रिजर्व उप-निरीक्षक के नेतृत्व वाली ग्रेहाउन्ड यूनिट को एक सदस्य ने जोकि इस पहाड़ी क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ रहा था, एक व्यक्ति को सिविलियन कपडों में पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ते देखा। श्री डी. सत्यनाराण, रिजर्व उप-निरीक्षक ने समग्र यूनिट को तत्काल सतर्क कर दिया तथा व्यक्ति की तलाश करना शुरु कर दिया। श्री डी. सत्यनारायण, रिजर्व उप-निरीक्षक ने आगे रह कर यूनिट का नेतृत्व किया तथा अन्य उनके पीछे-पीछे, आगे बढ़े। लगभग 200 यार्ड से सिविलियन को देखने के पश्चात श्री डी. सत्यनाराण, रिजर्व उप-निरीक्षक ने दक्षिणी पश्चिम दिशा में छः व्यक्तियों को जाते हुए देखा। छः में से, आखरी एक महिला थी जिसने जैतूनी हरे रंग की वेशभूषा पहन रखी थी और उसके पास .303 राइफल थी। श्री डी. सत्यनाराण, रिजर्व उप-निरीक्षक ने 3 समूहों में विभाजित होने के लिए अपनी टीम के सदस्यों को संकेत दिया। जहाँ उन्हें चार सदस्यों के साथ आक्रमण दल का नेतृत्व करना था वहां अन्य को दोनों धडों को कवर करना था। जब अन्य यूनिट सदस्य, धडों को कवर करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी महिला माओवादी जोकि सबसे पीछे थी, एक ध्वनि को सुनने के पश्चात संदिग्ध हो गई, वह पीछे मुडी तथा उसने गोलीबारी करना शुरु कर दिया। श्री डी. सत्यनारायण, रिजर्व उप-निरीक्षक ने, जोकि उसके समीप थे तथा जिन्होंने बिना कवर के उसको देखा था, तत्काल प्रतिक्रिया की तथा उसकी गोलीबारी का जवाब दिया और उसको नीचे गिरा दिया। इससे सतर्क होकर

माओवादियों ने भागना शुरु कर दिया तथा पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किए जाने को रोकने के लिए अपने हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी करना शुरु कर दिया। हालांकि वह भूभाग पूरी तरह कांटों वाली झाड़ियों तथा शिलाखण्डों से भरा हुआ था, कुछ ने घास में आड़ ले ली, जिसने हलचल को खतरनाक बना दिया, श्री डी. सत्यनाराण, रिजर्व उप-निरीक्षक तथा 4 सदस्यों वाली उनकी टीम ने, उनके हथियारों से की जा रही गोलियों की बौछार की परवाह न करते हुए उनका पीछा किया। श्री डी. सत्यनारायण, रिजर्व पुलिस निरीक्षक ने नेतृत्व करने के कारण, अन्य 200 मीटर पीछा करने के बाद एक अन्य महिला माओवादी को मार गिराया।

यह देखते हुए कि पुलिस पार्टी निरन्तर उनका पीछा कर रही है, माओवादी विभिन्न दिशाओं में छिटक गए। श्री डी. सत्यनारायण, रिजर्व उप-निरीक्षक तथा उनकी टीम ने उनमें से कुछ का पीछा करना जारी रखा क्योंकि माओवादी भागते हुए निरन्तर गोलीबारी कर रहे थे। उनकी टीम के एक सदस्य टी. मोहन तथा उनके साथ सदस्यों ने एक और महिला माओवादी को मार गिराया। उसी समय टी. मोहन ने एक माओवादी को मुड़ते हुए तथा अपनी ए के-47 से पुलिस पार्टी को लक्ष्य बनाते हुए देखा। निर्भीकता से उसने गोलीबारी शुरु कर दी तथा माओवादी को मार गिराया, जिसकी बाद में मधु, सचिव, करीम नगर जिला डिवीजन समिति के रूप में पहचान की गई। तब यूनिट फैल गई तथा उन माओवादियों, जो भाग गए थे को ढूंढने के लिए समग्र क्षेत्र की जांच की, परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। उन्होंने 6 किट बैग, 42,000/-रुपए नकद तथा अन्य चीजों के अलावा 3 सोने के बिस्कुट बरामद किए।

इस परस्पर चली गोलीबारी में, जो कि आंतरिक और कांटों भरी झाड़ियों वाले जंगल क्षेत्र, निर्भीक शिलाखण्डों भरे भूभाग में हुई, नोट करने लायक एक बात है कि पुलिस पार्टी ने लगभग 1½ कि.मी. तक माओवादियों का पीछा किया। पहले मानव और अन्तिम मानव के बीच 1 कि.मी. का फासला था ओर मानव समग्र लंबाई में फैले हुए थे। स्वचालित हथियारों जैसे कि ए के-47 और अन्य राइफलों के साथ सभी माओवादियों द्वारा कड़े मुकाबले के बीच सभी माओवादी कुछ ही क्षणों में जंगल में आसानी से भाग सकते थे परन्तु अटल दृढ़ निश्चय तथा पुलिस पार्टी द्वारा निरन्तर पीछा किए जाने के कारण वे असफल रहे।

परस्पर चली इस गोलीबारी में निम्नलिखित माओवादी मारे गए जिसके फलस्वरुप एक ए के-47 और तीन .303 राइफलें बरामद की गई।

1. अल्लुवाला सरैय्या उर्फ मधु, करीम नगर जिला डिवीजन कमेटी सकेरेटरी, ए के-47 जिलए हुए।
2. .303 राइफल लिए हुए पोथु राजुला वसन्था उर्फ निरमला, चित्याल स्थानीय ओपरेशन स्कैवाड सदस्य।
3. सुनकर प्रमाली उर्फ ललिथा, मदारम एल ओ एस सदस्य, .303 राइफल लिए हुए ।
4. मोदिगा पदमा, मेदारम एल ओ एस सदस्य, .303 राइफल लिए हुए।

उक्त घटना को तडवई पुलिस स्टेशन, वारंगल जिले में भारतीय शस्त्र अधिनियम, ए पी पी एस अधिनियम की धारा 149, 25 (1 बी) और 27 के साथ पठित धारा 148, 307 के अन्तर्गत अपराध संख्या 105/06 के तहत दर्ज किया गया है।

इस मुठभेड़ में श्री डी. सत्यनाराण, रिजर्व उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 सितम्बर, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 125-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री महेश चन्द्र लडढा
पुलिस अधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 27.04.2005 को श्री मेहश चन्द्र लडढा ओंगल शहर (प्रकाशम जिला) में अपने कार्यालय से कार्य करके चार (4) बंदुकधारी कर्मियों के साथ टाटा सुमो में लगभग 14.05 अपने शिविर कार्यालय में लौट रहे थे। जैसे ही वे कामाक्षी देवी मंदिर के पास पहुंचे, माओवादियों की एक 7 सदस्यीय एक्शन टीम ने श्री महेश चन्द्र लडढा को लक्ष्य बनाकर साइकिल पर रखी खांडा माइंस में विस्फोट कर दिया। विस्फोट इतना भयानक था कि इसका प्रभाव समग्र क्षेत्र में महसूस किया गया और समीपवर्ती क्षेत्र में 3 सिविलियनों को मारने के अलावा उस वाहन को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया जिसमें श्री महेश चन्द्र लडढा यात्रा कर रहे थे।

इस बड़े विस्फोट और वाहन को हुई क्षति से डरे बिना श्री महेश चन्द्र लडढा ने अपना धैर्य बनाए रखा और उत्कृष्ट बुद्धिमता और साहस का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बंदूकधारी कर्मियों के साथ-साथ अपने आपको उस क्षतिग्रस्त वाहन के हिस्से से बाहर निकाला। हालांकि श्री महेश चन्द्र लडढा अपने आशंकित बंदूकधारी कर्मियों और ड्राइवर को धैर्य प्रदान कर रहे थे, आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरु कर दी। अपने जीवन के खतरे की परवाह किए बिना श्री महेश चन्द्र लडढा ने उत्कृष्ट नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया तथा स्थिति को नियंत्रण में लिया। उन्होंने अपने छोटे से बल का नेतृत्व किया तथा माओवादियों पर प्रतिकारी आक्रमण बोल दिया। आतंकवादियों द्वारा की जा रही भीषण गोलीबारी के बीच भी श्री महेश चन्द्र लडढा पीछे नहीं हटे तथा उन्होंने आक्रमणकारियों को दो टूक जवाब देना जारी रखा। उनके बीच परस्पर गोलीबारी जारी रही और श्री महेश चन्द्र लडढा के निर्देश के अन्तर्गत पुलिस द्वारा प्रभावपूर्ण प्रतिकारी कार्रवाई के कारण, माओवादियों का 7 सदस्यीय सशक्त, उच्चप्रेरित और प्रशिक्षित मारक स्क्वाड (कार्रवाई टीम) भवनों और दिवारों की आड़ लेने के लिए विवश हो गया।

इस मुठभेड़ में श्री महेश चन्द्र लडढा ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 अप्रैल, 2005 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 126-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

1. देवेन्द्र सिंह चौहान,
   पुलिस अधीक्षक
2. एन. शिव प्रसाद,
   रिजर्व निरीक्षक
3. एम. गजैन्द्र कुमार,
   रिजर्व उप निरीक्षक
4. एम.ए. शुकूर,
   उप निरीक्षक
5. आर. सिरनु बाबू,
   कांस्टेबल
6. वी. साई बाबू,
   कांस्टेबल
7. वी. श्रीनिवास राव,
   हैड कांस्टेबल
8. ए. शिव कुमार,
   रिजर्व उप निरीक्षक
9. शैक आफताब,
   कांस्टेबल
10. एम.वी. नारायण,
    कांस्टेबल
11. वी. कृष्णा,
    कांस्टेबल
12. डी. श्रीनिवास रेड्डी,
    रिजर्व उप निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

श्री देवेन्द्र सिंह चौहान आई पी एस, एस.पी. खम्माम द्वारा 15.03.2008 को एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि खम्माम जिले की चेरला पुलिस थाना सीमाओं और बीजापुर जिले के समीवर्ती जंगल क्षेत्रों में गेर-कानूनी माओवादी पुलिस स्टेशनों पर हमला करने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस और राज्य के विरुद्ध हिंसात्मक कृत्य करने के लिए एक शिविर आयोजित कर रहे हैं तथा श्री देवेन्द्र सिंह चौहान ने अपने अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा

की तथा सभी कारकों तथा सुरक्षा अभियानों को ध्यान में रखते हुए अभियान हेतु एक योजना तैयार की। तब प्रतिबंधित माओवादियों जो कि बड़ी संख्या में अवैध हथियार और बारुद तथा विस्फोटक लिए चल रहे थे, को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाने हेतु उन्होंने 8 ग्रेहाउन्द यूनिटों को सौंपने के लिए उन्होंने ग्रेहाउन्ड प्रमुख से अनुरोध किया। तदनुसार श्री जी. दयानन्द, आक्रमण कमान्डर/डी एम पी के साथ 16.03.2008 की पूर्वाह्न में खम्माम जिला मुख्यालय को 8 ग्रेहाउन्ड यूनिटों को भेजा गया। श्री देवेन्द्र सिंह चौहान एस.पी. खम्माम ने श्री शाहनवाज कासिम, आई पी एस, ए एस पी कोथागुदेम, श्री जी. कृष्णा मूर्ति, स्कैवार्डन कमांडर/अपर पुलिस अधीक्षक तथा श्री जी. दयानन्द, आक्रमण कमान्डर/डी एस पी की सलाह से अभियान की योजना तैयार की। पार्टियों को श्री देवेन्द्र सिंह चौहान ने 16.03.2008 की शाम को गहन तरीके से ब्रीफ किया।

तदनुसार 8 ग्रेहाउन्ड यूनिटों और एन. शिवा प्रसाद, आरक्षित निरीक्षक, एम. गजेन्द्र कुमार, आरक्षित उप-निरीक्षक, एम.ए. शुकूर, उप-निरीक्षक, आर. सिरनु बाबू, कांस्टेबल, वी साई बाबू, कांस्टेबल, वी. श्रीनिवास राव, हैड कांस्टेबल, ए. शिव कुमार, आरक्षित उप-निरीक्षक, शैक आफताब, कांस्टेबल, एम.वी. नारायण, कांस्टेबल, वी.कृष्णा, कांस्टेबल तथा डी. श्री निवास रेड्डी, आरक्षित उप-निरीक्षक (कुल 167) सहित 17 सिविल पुलिस अधिकारियों और कार्मिक वाली पुलिस पार्टी को 16.03.2008 की रात को खम्माम से सीमावर्ती क्षेत्र की तरफ भेजा गया। तदनुसार पुलिस पार्टियों ने उक्त गैर-कानूनी आतंकवादियों को पकड़ने के लिए क्षेत्र में तलाशी और छानबीन अभियान शुरु कर दिया। 17.03.08 शाम को जंगल क्षेत्र की छानबीन करते समय खम्माम जिले की एक पुलिस पार्टी ने जैतूनी हरी वेश भूषा में और आग्नेयास्त्रों से सुसज्जित अनुमानतः 10-12 की संख्या में व्यक्तियों के समूह की हरकत को नोट किया। पुलिस पार्टी ने उनको तत्काल पकड़ने का प्रयास किया परन्तु सशस्त्र समूह छत्तीसगढ़ के जंगल में उत्तरी दिशा की तरफ खिसक गया। पुलिस पार्टी ने उनको पकड़ने के लिए सशस्त्र समूह का पीछा करना शुरु किया और सीमा का उल्लघंन करते हुए पुलिस पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य के जंगल क्षेत्र में प्रवेश कर गयी तथा उन्होंने उक्त तलाशी एवं छानबीन अभियान को जारी रखा। इस सूचना के प्राप्त होने पर श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक खम्माम अभियान का नेतृत्व करने के लिए पार्टी में शामिल हो गए। श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, पूर्व निर्णित आर वी प्वाइन्ट पर जंगल में पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने आगे बढ़ते हुए पार्टीयों का नेतृत्व करते हुए अभियान को जारी रखा।

दिनांक 18.03.2008 को लगभग 0830 बजे जब पार्टियां पालीगुडा गांव के जंगल क्षेत्र में पूर्वोत्तर दिशा में बढ़ रही थी, श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, श्री शिव प्रसाद डी ए सी, जी एच एस, श्री गजेन्द्र कुमार ए ए सी, तथा श्री एम.ए. शुकूर के नेतृत्व में पार्टी तथा अन्यों ने कुछ आतंकवादियों को देखा। उसी समय आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी को देखा तथा अचानक पुलिस कार्मिकों को मारने की इच्छा से पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी।

श्री देवेन्द्र सिंह चौहान और श्री शिव प्रसाद डी ए सी, जी एच एस, श्री गजेन्द्र कुमार, ए ए सी, श्री एम.ए. शुकूर, उप निरीक्षक डुमामगुडेम वाली उनकी पार्टी तथा अन्यों को ए के-47, एस एल आर जैसे हथियारों से युक्त नक्सलवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी का सामना करना पड़ा। श्री देवेन्द्र सिंह चौहान ने तत्काल अपनी पार्टी को सतर्क किया तथा पार्टी ने ग्राउन्ड कवर लेते हुए अपनी रक्षा के लिए मोर्चा संभाल लिया तथा अपनी पहचान को उचित रूप से प्रकट करते हुए आतंकवादियों को आत्म समर्पण करने की चेतावनी दी। भूभाग कठिन था और पुलिस पार्टी उससे अनभिज्ञ थी तथा वहां कोई कवर उपलब्ध नहीं था। श्री देवेन्द्र सिंह चौहान विपरीत परिस्थितियों और आतंकवादियों की भारी गोलीबारी में निडर रहे, उन्होंने

अपनी पार्टी को दो यूनिटों में विभाजित किया तथा आतंकवादियों को जिन्दा पकड़ने की इच्छा से एक यूनिट को बांयी दिशा को कवर करने तथा दूसरी यूनिट को दांयी दिशा को कवर करने का निर्देश दिया। आतंकवादियों ने उनकी चेतावनी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उन्होंने पुलिस पार्टियों पर भारी गोलीबारी जारी रखी। भगोड़ों को उचित रूप से चेतावनी देने के पश्चात अपनी जान बचाने के लिए किसी और विकल्प के न रहने पर पुलिस पार्टियों ने आत्मरक्षा में गोलीबारी शुरु कर दी। संतरी आतंकवादी ने आतंकवादियों द्वारा पास में ही लगाई गई खांडा माइन में विस्फोट करने का प्रयास भी किया परन्तु उक्त माइन में विस्फोट नहीं हुआ। परस्पर चली गोलीबारी के दौरान जोकि श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, श्री एन. शिव प्रसाद, डी ए सी, श्री गजेन्द्र कुमार ए ए सी, श्री एम.ए. शुकूर, उप निरीक्षक, श्री आर. सिरनु बाबू जे सी तथा श्री वी. साई बाबू जे सी पर हो रही थी, ने आतंकवादियों की गोलीबारी का साहस से सामना किया तथा उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया और उन्होंने आगे बढ़ते हुए, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की लागत पर तथा अपने जीवन के प्रति आसन्न गहरे खतरे से बिना भयभीत हुए, गोलीबारी की शुरुआत कर दी।

जब उक्त गोलीबारी चल रही थी, श्री देवेन्द्र सिंह चौहान ने श्री अनजनैय्या रेड्डी, उप आक्रमण कमान्डर/आर आई, जो कि उसी पार्टी में थे, को अपनी यूनिट को इस तरह से आगे बढ़ने का निर्देश दिया जिससे कि बाएं पक्ष को कवर किया जा सके। जबकि श्री अनजनैय्या रेड्डी, उप आक्रमण कमान्डर/आर आई के नेतृत्व में यूनिट उत्तर-पश्चिम दिशा में कुछ आगे बढ़ चुकी थी, उन्होंने नाले के पार छोटी पहाडी पार आतंकवादियों के अन्य समूह को कवर लेते हुए पाया। उप आक्रमण कमान्डर/आर.आई के नेतृत्व वाली पार्टी ने पुलिस के रूप में अपनी पहचान बताई और आतंकवादियों को समर्पण करने की चेतावनी दी। आतंकवादी जो ऊंचाई पर पहाड़ी पर थे, समर्पण करने की बजाय उनको मारने की इच्छा से ए के-47 और अन्य हथियारों से पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। श्री एन. शिव प्रसाद के गोलीबारी के निर्देशों पर श्री वी. श्रीनिवास राव ने अगुवाई की तथा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति भारी जोखिम के बावजूद स्वचालित हथियारों से शत्रु द्वारा की जा रही गोलीबारी के बीच, आगे बढ़ते हुए अपने कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा का परिचय दिया तथा आत्मरक्षा में शत्रु पर गोलीबारी शुरु कर दी।

चार ई ओ एफ में से वे पहले थे जिन्होंने इस प्रमुख अभियान में भाग लिया। ई ओ एफ के परिणामस्वरुप 7 आतंकवादियों को मारा जा सका (4 पुरुष और 3 महिला) और 1 ए के-47, 2 एस एल आर, 2,.303 राइफल, 2 एस बी बी एल, 1 खांडा माइन, 3 ग्रैनेड, ए के-47, एस एल आर, .303, 12-बोर के कुछ जीवित गोलाबारुद तथा 2 लाख रुपए नगद बरामद किए गए।

गोलीबारी की आवाज सुनने के कुछ समय पश्चात श्री मोसेस बाबू, उप आक्रमण कमान्डर/आर आई के नेतृत्व वाली पार्टी तथा श्री जी. विजय कुमार, उप निरीक्षक चेरला उस स्थान के निकट पहुंचने लगे, जहां से गोलीबारी की आवाज आ रही थी। जब पार्टी आगे बढ़ रही थी, श्री देवेन्द्र सिंह चौहान ने वी एच एफ सैट पर अपनी पार्टी से सम्पर्क किया और चूंकि और आतंकवादियों के समूह आगे बढ़ रहे थे तथा पुलिस पार्टियों पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे इसलिए उन्हें सतर्क रहने का निर्देश दिया। जब उक्त पार्टी, गोलीबारी की आवाज की तरफ आगे बढ़ रही थी, उन्होंने पहाड़ी पर आतंकवादियों के समूह को देखा। जैसे ही आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी को देखा, उन्होंने पुलिस पर गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस पार्टी ने उन्हें अपनी पहचान बताते हुए समर्पण करने की चेतावनी दी तथा चूंकि गोलीबारी जारी थी इसलिए उन्होंने आत्मरक्षा में गोलीबारी शुरु कर दी। इस पार्टी में श्री जी. विजय

कुमार, उप निरीक्षक, श्री ए. शिव कुमार, ए ए सी, शैक आफताब, श्री एन.वी. नारायण तथा श्री वी. कृष्णा ने विपरीत परिस्थितियों में उत्कृष्ट साहस प्रदर्शित किया, आतंकवादियों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना किया तथा गोलीबारी का जवाब दिया।

इस ई ओ एफ में 4 प्रुरुष आतंकवादी मारे गए तथा 1, .303 राइफल, 1, 8 एम एल राइफल, 2 एस वी वी एल, 1 स्कैनर सेट, 1 बारुदी सुरंग, 2 एस एल आर मेगजीन, 2 कैमरा फ्लैश तथा .303, 8 एम एम के कुछ जीवित गोला बारुद तथा 12 बोर बरामद किए गए।

इसी बीच, श्री डी. अदिनारायण डी ए सी के नेतृत्व वाली अन्य पुलिस पार्टी जिसमें श्री बी. जनार्दन रेड्डी, ए ए सी, श्री रामचन्द्र, उप निरीक्षक अल्लापल्ली तथा श्री राजैय्या, उप निरीक्षक वैंकटपुरम शामिल थे, ने भी उस समय परस्पर गोलीबारी की जब आतंकवादियों के अन्य समूह ने उन पर गोलीबारी शुरु कर दी तथा पार्टी ने आतंकवादियों को समर्पण करने की उचित चेतावनी देने के पश्चात आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी।

इस ई ओ एफ के परिणामस्वरुप 1 पुरुष तथा 1 महिला आतंकवादियों की मृत्यु हुई ओर 1, .303 राइफल, 2 ग्रेनेड तथा .303 बोर के कुछ जीवित राउन्ड बरामद किए गए।

लगभग 1245 बजे जब श्री एम. श्रीनिवास राव, उप आक्रमण कमान्डर/आर आई के नेतृत्व में यूनिट एक छोटी पहाडी की जांच करने के पश्चात नीचे उतर रही थी, उन्होंने भी गोलीबारी की आवाज सुनी तथा उन्होंने परस्पर हो रही गोलीबारी वाली दिशा की तरफ जाने का निर्णय लिया। कुछ समय पश्चात जब पार्टी परस्पर गोलीबारी वाली दिशा की तरफ आगे बढ़ रही थी, उन्होंने जंगल के आतंकवादियों के एक और समूह को देखा। आतंकवादियों ने पुलिस को देखने के पश्चात पेड़ों की आड़ लेते हुए गोलीबारी शुरु कर दी। श्री डी. श्रीनिवास रेड्डी, सहायक आक्रमण कमान्डर/आर एस आई ने कर्तव्य के प्रति उच्चकोटि की निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिन्ता किए बिना, आगे बढ़े तथा आतंकवदियों परगोलीबारी शुरु कर दी।

इस ई ओ एफ को परिणामस्वरुप 4 आतंकवादियों (2 पुरुष और 2 महिला) आतंकवादियों की मृत्यु हुई और 1 डी बी बी एल, 2 एस बी बी एल, 1 ग्रैनेड, 1 कैम्प फ्लेश, 1 मैनपैक बैटरी, 69 इलैक्ट्रिक डेटोनेटर, एस एल आर के कुछ जीवित गोलाबारुद तथा 35 किट बैग और साहित्य बरामद किया गया।

कुल मिलाकर, सुबह 0850 बजे से 1315 बजे तक कुल चार बार परस्पर गोलीबारी हुई और जब आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी की कोई आवाज नहीं आई तब ये समास हुए। सभी चारों ई ओ एफ के परिणामस्वरुप 17 माओवादियों (11 – पुरुषों तथा 6 महिलाओं) की मृत्यु हुई तथा 15 हथियार (1 –ए के 47, 2 –एस एल आर राइफलें, 4 - .303 राइफलें, 3-12 बोर बंदूकें, 4-एस बी बी एल, 1-डी बी बी एल) बरामद किए गए। पुलिस ने 1 एस एल आर पाउच, 2-एस एल आर मेगजीन, 2-लैंड माइन, 2-ग्रैनेड, 1-मैनपैक, 67-डेटोनेटर, 9 एस एल आर राउन्ड, 35-किट बैग तथा 2 लाख रुपए नगद भी बरामद किए। यह मामला अपराध संख्या 01/2008 147, 148, 307, आई पी सी की धारा 149 के साथ पठित, 120बी, 124(ए) आई पी सी, आई ए अधिनियम की धारा 25 (1) (क) 27 तथा बीजापुर जिले के पामेदु पुलिस स्टेशन के ई.एस. अधिनियम की धारा 4 और 5 का है।

वे कैडर जिनको ई ओ एफ में निष्क्रिय किया गया वे हैं मातुरी यादगिरि उर्फ सागर, डी सी एस खम्माम, इसके अलावा 1) भगत उर्फ ईयथू, सी.ओ. किस्ता राम, 2) भास्कर सी.ओ. वेलीरपद एल ओ एस, 3) ओंगल सी.ओ. सी एन एम, पामेदु सहित (9) महत्वपूर्ण कमान्डर लैवल भूमिगत कैडर गोलीबारी के विनिमय में मारे गए। यह भीषण गोलीबारी का आदान-प्रदान जोकि खम्माम जिला पुलिस के 8 ग्रेहाउन्द यूनिटों सहित पुलिस पार्टियों ओर सी पी आई (माओवादी) के मध्य हुआ, यह लगभग 4½ घंटों तक चला और इसमें 17 खूंखार आतंकवादी मारे गए और इसमें काफी हथियार बरामद किए गए। उक्त पार्टी ने उन आतंकवादियों पर जोकि स्वचालित हथियारों से पुलिस पार्टी पर गोलीबारी कर रहे थे, पर अपनी जान और व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना जवाबी गोलीबारी करके कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा और अनूठे साहस का परिचय दिया। इस परस्पर चली गोलीबारी ने छत्तीसगढ़ राज्य के दंडकारण्य क्षेत्र जिसे सम्भवत: अभी तक माओवादियों का गढ़ ओर जिसे उनके द्वारा उदारीकृत क्षेत्र घोषित किया गया था, सीपी आई (माओवादी) के आतंकवादियों पर यह पहला गहरा कुठाराघात सिद्द हुआ है। इससे दोनों राज्यों पर उल्लेखनीय सकरात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि माओवादी अंधाधुंध हिंसा का आश्रय लेते थे और छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पुलिस कार्मिकों को मारते थे। इसी पामेदु पुलिस स्टेशन सीमाओं में 02.11.2007 को माओवादियों द्वारा 11 पुलिस कार्मिकों को मार दिया गया था। इस अभियान ने माओवादियों को बुरी तरह हताश कर दिया है तथा दोनों राज्यों की पुलिस के मनोबल को प्रोत्साहन प्रदान किया है। देश में वामदल आतंकवाद के इतिहास में यह अब तक सबसे बड़ी मुठभेड़ है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, पुलिस अधीक्षक, एन. शिव प्रसाद, आरक्षित निरीक्षक, एम. गजेन्द्र कुमार आरक्षित उप निरीक्षक, एम.ए. शुकूर, उप निरीक्षक, आर. सिरनु बाबू, कांस्टेबल, वी.साई. बाबू, कांस्टेबल, वी. श्रीनिवास राव, हैड कांस्टेबल, ए. शिव कुमार, आरक्षित उप निरीक्षक, शैक आफताब, कांस्टेबल, एम.वी. नारायण, कांस्टेबल, वी. कृष्णा, कांस्टेबल तथा डी. श्रीनिवास रेड्डी, आरक्षित उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 मार्च, 2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 127-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

1. जयन्त सारथी बौराह,
   उप डिवीजनल पुलिस अधिकारी
2. दुर्गा किंगकर शर्मा,
   उप निरीक्षक
3. दीपक तुगखंगिया,
   कांस्टेबल
4. प्रफुल्ल खाखलरी,
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

श्री प्रमोद गोगई, भालुकोनिया गांव (पुलिस स्टेशन-काकोटीबारी, जिला शिवसागर) के घर में खूंखार उल्फा आतंकवादियों की उपस्थिति के संबंध में गुप्त सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए श्री जयन्त सारथी बौराह, ए पी एस, एस डी पी ओ, सोनारी ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए वहां दबिश दी। लगभग 14.30 बजे जयन्त सारथी बौराह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी की गई। आतंकवादियों ने जयन्त सारथी बौराह और उनकी पार्टी को लक्ष्य बनाते हुए हैंड ग्रैनेड भी फेंका। उसी क्षण श्री जयन्त सारथी बौराह ने मोर्चा लेने के लिए अपनी पार्टी को कमांड दी तथा आतंकवादी गोलीबारी का सामना करते हुए अपने सर्विस हथियार से गोलीबारी करना शुरु कर दी इसने उप निरीक्षक दुर्गा किंगकर शर्मा, ए बी सी 25 दीपक तुंगखंगिया तथा ए बी सी 38 प्रफुल्ल खाखलरी को प्रेरणा प्रदान की तथा सभी ने तुरन्त जवाबी कार्रवाई शुरु कर दी जिससे भीषण मुठभेड़ शुरु हो गई। जयन्त सारथी बौराह तथा उनकी पार्टी द्वारा की गई समयपूर्वक और तुरन्त जवाबी कार्रवाई के कारण एक खूंखार उल्फा आतंकवादी मारा गया। अन्य आतंकवादी घनी बांस की झाड़ियों की आड़ के अन्तर्गत धान के खेतों के जरिए भागने में सफल रहे। मुठभेड़ स्थल से एक बैल्जियम निर्मित पिस्तौल, एक मैगजीन, 4 राउन्ड जीवित गोला बारुद तथा कुछ अभिशस्त दस्तावेज बरामद किए गए। मारे गए आतंकवादी की पहचान एस एस सार्जेन्ट मेजर अनन्त दुवारा उर्फ अनीरबन बासुमतारी, गांव – सिंगलीपाथर, पुलिस स्टेशन – मथुरापुर, जिला शिव सागर के रूप में की गई तथा वह शिव सागर के उल्फा आतंकवादियों द्वारा जबरन वसूली करने का बादशाह था।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री जयन्त सारथी बौराह, उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी, दुर्गा किंगकर शर्मा, उप निरीक्षक, दीपक तुगखंगिया, कांस्टेबल तथा प्रफुल्ल खाखलरी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

12—381 GI/2008

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28 अक्तूबर, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 128-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. श्यामल प्रसाद सैकैया,
   पुलिस अधीक्षक
2. कुमुद चेतिया,
   उप निरीक्षक
3. तरुण दोवराह
   सशस्त्र शाखा कांस्टेबल
4. धुरबा दास,
   सशस्त्र शाखा कांस्टेबल
5. जैबुल अली
   सशस्त्र शाखा कांस्टेबल
6. मधु चौहान,
   सशस्त्र शाखा कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 31.3.07 की सुबह लगभग 8.40 बजे उप निरीक्षक कुमुद चेतिया, ओ/सी डीमो पुलिस स्टेशन को डीमो पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत गांव चकलापथ में उल्फा उग्रवादियों की उपस्थिति के संबंध में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई। तदनुसार उप निरीक्षक कुमुद चेतिया, ओ/सी डीमो पुलिस स्टेशन और अन्य पुलिस कार्मिकों तथा सेना की 174 और 136 फील्ड रेजीमेन्ट के अधिकारियों और कार्मिकों द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरु किया गया। जब तलाशी अभियान प्रगति पर था, उल्फा उग्रवादियों ने एक श्री जिबा गोगोई के घर से सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करना शुरु कर दिया जिसके परिणामस्वरुप 174 फील्ड रेजीमेन्ट के मेजर स्वप्निश परिहार को गहरी चोट पहुंची जिन्हें उपचार के लिए तत्काल ए एम सी एच, डीबरुगढ़ भेजा गया। जवाबी कार्रवाई पर अभियान दल ने भी एक खूंखार उल्फा उग्रवादी को मार गिराया जिसकी बाद में पहचान स्वंयभू सर्जेन्ट मेजर तिरथा चेतिया उर्फ बिथल्व कोनवर, गांव हाव पारा चुक, नितईपुखरी, पुलिस स्टेशन डिमो, शिव सागर जिले के रूप में की गई। इस सूचना के प्रापत होने पर, श्री श्यामल प्रसाद सैकैया, ए पी एस, पुलिस अधीक्षक, शिव सागर अन्य अधिकारियों और पुलिस कार्मिकों के साथ तत्काल घटनास्थील पर पहुंचे तथा उन्होंने पाया कि उल्फा उग्रवादियों और पुलिस दल के बीच गोलीबारी जारी है। श्री एस.पी. सैकैया, ए पी एस, पुलिस अधीक्षक, शिव सागर ने कुमुक के साथ अभियान की कमान संभाल ली और उल्फा उग्रवादियों पर आक्रमण को तीव्र करना शुरु कर दिया। उनके नेतृत्व में भी अभियान 45 मिनट से अधिक समय तक चला। तदन्नतर मुठभेड़ के दौरान अन्य भीषण उल्फा उग्रवादी मारा गया जिसकी बाद में पहचान स्वंयभू कोरपोरल नंदेश्वर

मोहन (बरुआ) उर्फ सरुधई उर्फ बिपुल मोहन, गांव जपीहोजिया पुलिस स्टेशन बाकता, जिला शिव सागर, असम के रूप में की गई। जब मुठभेड़ समाप्त हो गई, समग्र घर और परिसर की गहन तलाशी की गई तथा शस्त्रों, गोला बारुद, आई ई डी/बम बनाने हेतु विस्फोटक सामग्री की बड़ी खेप तथा अभियोगात्मक दस्तावेज उस घर से बरामद किए गए। इस संदर्भ में ई.एस. अधिनियम की धारा 4/5 के साथ पठित यू ए (पी) की धारा 10/13 के साथ पठित शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1) (ए) के साथ पठित धारा 307/326/353/120(बी)/121(ए) के तहत मामला संख्या 21/07 डीमो पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री श्यामल प्रसाद सैकैया, पुलिस अधीक्षक, कुमुद चेतिया, उप निरीक्षक, तरुण दोवराह, सशस्त्र शाखा कांस्टेबल, धुरबा दास, सशस्त्र शाखा कांस्टेबल, जैबुल अली, सशस्त्र शाखा कांस्टेबल तथा मधु चौहान, सशस्त्र शाखा कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31 मार्च, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 129-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री आनन्द प्रकाश तिवारी,
उप विभागीय पुलिस अधिकारी

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 28 अगस्त, 2007 को 1830 बजे श्री आनन्द प्रकाश तिवारी का बारागोग गांव, पुलिस स्टेशन कमालपुर, जिला कामरूप, असम में कट्टरवादी उल्फा उग्रवादियों के एक ग्रुप की उपस्थिति के बारे में आसूचना जानकारी मिली। अधिकारी ने तुरन्त विस्तृत योजना बनाई और एक उप-निरीक्षक एवं पांच कांस्टेबल की एक टीम के साथ रांगिया से लगभग 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित गांव की ओर प्रस्थान किया। आसूचना जानकारी के अनुरुप वह पूरे युक्तिपूर्ण कौशल से और चुपके से उग्रवादियों द्वारा शरण लिए हुए घर के समीप पहुंचे। घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर उन्होंने पार्टी को रोका और सभी पुलिस कार्मिकों को ब्रीफ किया। आनन्द प्रकाश तिवारी दो कांस्टेबलों के साथ रेंगते हुए लक्षित कमरे के नजदीक पहुंचे। पोजीशन लेने पर, उन्होंने उग्रवादियों को ललकारा, तभी उग्रवादियों ने ए के राईफल्स से गोलीबारी शुरु कर दी और हथगोले फेंके। एस डी पी ओ ने तुरंत जवाबी गोलीबारी की और आत्मरक्षा के लिए तेजी से घर की एक तरफ पहुंच गए। मोइनुल हक लश्कर नाम के एक कांस्टेबल को किरचों से चोट पहुंची और उग्रवादी की गोलीबारी से उसका हथियार भी क्षतिग्रस्त हो गया। एस डी पी ओ घायल कांस्टेबल के पास पहुंचे और उसको वहां से ले आए। उग्रवादी घर से रुक-रुक कर गोलीबारी कर रहा था। एस डी पी ओ, कांस्टेबल द्विजन कलीटा के साथ लगातार गोलीबारी करते रहे। गोलीबारी लगातार 40-45 मिनट तक चली। उग्रवादी द्वारा फैंके गए एक ग्रेनेड के फटने से नजदीक के एक घर में आग लग गई।

घर पर कड़ी निगरानी रखते हुए, एस डी पी ओ ने कुमक मांगने के लिए कहा। 2330 बजे के लगभग कुमक पी ओ पुंची। कुमक पार्टी को पुन व्यवस्थित और स्थिति देने के बाद घर की तलाशी ली गई, वहां उन्हें एक उग्रवादी का शव उसके व्यक्तिगत हथियार और सामान के साथ बरामद हुआ।

मृत उग्रवादी की पहचान बाद में असम के एक प्रतिबंधित ग्रुप उल्फा की 709वीं बटालियन के स्वयंभू सार्जेंट मेजर निरंजन बेजबरुआ उर्फ रणदीप शर्मा उर्फ भगीन निवासी जबगंपार, नाओकाटा, पी एस गोरेश्वर, जिला बक्सा, असम के रूप में हुई।

इस मुठभेड़ में श्री आनन्द प्रकाश तिवारी, उप विभागीय पुलिस अधिकारी ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28 अगस्त, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

13—531 GI/2008

सं. 130-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री रत्नेश्वर बर्मन
उप निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 7.2.2007 की सुबह को, उत्तरबोरबील ओ पी के अधीन बिश्वनाथ पथार बोगोमतारी के सामान्य क्षेत्र में के एल एन एल एफ (कार्बी लोंगरी एन सी हिल्स लिब्रेशन फ्रंट – एक भूमिगत उग्रवादी संगठन) केडर की हलचल के बारे में एक गुप्त सूचना के आधार पर अनुशंसित उप-निरीक्षक आर बर्मन, प्रभारी उत्तरबोरबील ओ पी द्वारा एक तलाशी अभियान की योजना बनाई। उन्होंने बिश्वनाथ पथार क्षेत्र की तलाशी के लिए सी आर पी एफ की तैनाती की और स्वयं को घुसपैठियों के वेश में स्थानीय पोशाकों तथा स्थानीय वाहनों में कमांडो कार्मिकों के साथ बोगोमतारी क्षेत्र की ओर बढ़े, क्योंकि अगर वे अपनी वर्दी में होते तो उनके ठिकानों के आसपास तैनात उनके मुखबिर सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों को विफल करने हेतु उनको सतर्क कर सकते थे। पुलिस टीम उनको धोखा देने और आई ई डी आक्रमण से बचने के लिए दो मोटरसाइकिलों और एक टाटा मोबाईल वाहन पर सवार होकर चली। बोगोमतारी क्षेत्र के मोन फेंगसो गांव पहुंचने पर, पुलिस टीम ने उग्रवादियों की गतिविधियों को देखने के लिए मोन फेगंसों गांव के नजदीक घात लगा ली। लगभग 1255 बजे के आसपास उन्होंने विपरित दिशा से साइकिलों पर 3 व्यक्तियों को आते देखा। लेकिन मोटर साइकिल और वाहन को देखते ही लगभग 100 मीटर की दूरी से ही साइकिल सवार वापिस मुड़ गए और उन्होंने जंगल की तरफ भाग कर बचने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने उन्हें रुकने के लिए कहा लेकिन साइकिल सवार साइकिलों को वहीं छोड़कर नजदीक की पहाड़ी की ओर दौड़े। अनुशंसित कार्मिकों ने अपनी मोटरसाइकिल से बम्पी गांव की सड़क पर उनका पीछा किया परन्तु उग्रवादियों ने स्वचलित हथियारों से पुलिस टीम पर गोलीबारी शुरु कर दी अत: उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ दिया और वह कवर लेते हुए उग्रवादियों की ओर बढ़े। उग्रवादी चतुराई से दो भागों में बंट गए। एक उग्रवादी दक्षिण दिशा में घने जंगल की ओर दौड़ा जबकि अन्य दो पूर्वी दिशा में पहाड़ी के ऊपर की ओर दौड़े। पुलिस टीम तलहटी में होने और उग्रवादियों की गोलीबारी की सीधी रेंज में होने के कारण घाटे की स्थिति में थी और उग्रवादी बचने के लिए ऊपर की ओर भाग रहे थे तथा साथ-साथ नीचे पुलिस टीम पर गोलीबारी कर रहे थे। घाटे की स्थिति में होने के बावजूद अनुशंसित कार्मिक ने अदम्य साहस का परिचय दिया और पेड़ के पीछे कवर लेते हुए ऊपरी तल पर दो उग्रवादियों का पीछा किया तथा दूसरे कमांडो कार्मिकों के ग्रुप को पीछा करने का निर्देश दिया और तीसरे उग्रवादी, जो उनके दायीं तरफ जंगलों और झाड़-झंखाडों में भाग गया था, की गोलीबारी की जवाबी कार्रवाई की। परस्पर गोलीबारी लगभग एक घंटे तक चली और पुलिस ने ऊंची पहाड़ी पर छिपे और नीचे पुलिस पर गोली चला रहे उग्रवादियों की गोलीबारी

को निष्प्रभावी करने के लिए दो एच ई बम भी फोड़े। अनुशंसित कार्मिक ने दबाव बनाए रखा और साहस से जमीन पर डटे रहे और उग्रवादियों पर गोलीबारी करते रहे। अंततः जब गोलीबारी रुकी, पुलिस टीम सावधानी से 100 मीटर की दूरी पर बड़े शिलाखण्ड की तरफ आगे बड़ी और एक उग्रवादी को मरा पाया। मौके से एक 9 एम एम पिस्तौल और गोलाबारुद बरामद हुआ। बाद में मृतक उग्रवादी की पहचान लेफ्टीनेंट बीपलोब चंगमाई, 27वी बटालियन, उल्फा का एक वरिष्ठ नेता और संगठनात्मक सचिव के रूप में हुई जो कि कार्बी अंगलोंग जिले में सक्रिय था और के एन एल एफ के साथ संयुक्त अभियानों में शामिल होता था। ये दो उग्रवादी संगठन 6 जनवरी, 2007 को पहले भी आई ई डी विस्फोट कर चुके थे जिनमें पुलिस कर्मी सहित 7 व्यक्ति अपनी जान गवां चुके थे।

इस मुठभेड़ में श्री रतनेश्वर बर्मन, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 फरवरी, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा

संयुक्त सचिव

सं. 131-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

1. जादव गोगोई
   उप-निरीक्षक
2. जलालुद्दीन अहमद
   उप-निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

दिनांक 31/07/2006/ को एस पी धेमाजी द्वारा एक गुप्त सूचना प्राप्त की गई कि अत्याधुनिक हथियारों और विस्फोटकों से लैस उल्फा केडर के 4/5 सशस्त्रधारी बोरदोलोनी ओपी के अंतर्गत गोगामुख पुलिस स्टेशन के लखीपत्थर गांव के श्री धनाई बर्मन के घर में शरण लिए हुए है, अपर एस पी (मुख्यालय) और स्टाफ के साथ एस पी धेमाजी बारदोलोनी ओ पी पहुंचे। इस दूर दराज और अगम्य गांव में उग्रवादियों को पकडने के लिए एक योजना बनाई गई।

अभियान को चलाने के लिए तीन टीमों का गठन किया गया। दो टीमें को गांव को घेरने का कार्य दिया गया और उनको अलग दिशा में भेजा गया। एस पी और अपर एस पी के नेतृत्व में एक आक्रामक टीम ए के -47 /एस एल आर से लैस 10 सशस्त्रधारियों के साथ झुलसाने वाली गर्मी में पैदल-पैदल लखीपत्थर गांव पहुंची जोकि बोरदोलनी ओ पी से लगभग 10 किमी अंदर था। सी आर पी एफ 52 वीं बटालियन के "बी" कंपनी केम्प गोगामुख से बनी अन्य दो टीमों को घेराबंदी डयूटी पर तैनात किया गया। सभी अनुशंसित कार्मिकों से बनी आक्रामक टीम उसी दिन लगभग 230 बजे उक्त गांव पहुंची। पुलिस पार्टी जैसे ही श्री धनाई बर्मन के घर के नजदीक पहुंचने वाली थी, तभी उल्फा केडर के अत्याधुनिक हथियारों और विस्फोटोकों से लैस तीन सशस्त्रधारी भागने लगे। पुलिस पार्टी ने भागते हुए उल्फा लड़कों को समर्पण के लिए कहा परन्तु वे पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करते हुए भागते रहे। पुलिस ने भागते हुए उग्रवादियों को रोकने के लिए जवाबी गोलीबारी की परन्तु उग्रवादी लगातार पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करते रहे। इसी बीच, एक उग्रवादी ने एम 20 पिस्तौल ओर 16 राउंद जिंदे कारतूसों और अनेक दस्तावेजों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। अन्य दो उग्रवादियों ने, जो अभी भी भाग रहे थे, दो अलग -अलग घरों में पोजीशन ले ली ओर उनमें से एक उग्रवादी ने घर का कवर लेते हुए अपनी ए के -56 राईफल्स से गोलीबार शुरु कर दी। पुलिस कार्मिकों ने अपनी जिन्दगी को खतरे में डालते हुए उग्रवादियों का पीछा किया। घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र होने के कारण जान माल की अनावश्यक हानि से बचने की दृष्टि से पुलिस ने नियंत्रित जवाबी गोलीबारी की। उग्रवादियों ने पुलिस वालों को

मारने के उद्देश्य से उन की ओर एक हथगोला फेंका ताकि वे स्वयं बच कर भाग सके। उग्रवादियों द्वारा लगातार गोलीबारी किए जाने के कारण धीरेन बर्मन नामक एक वृद्ध व्यक्ति की कमर पर चोट लगी और एक घरेलू पशु की मौके पर ही मौत हो गई। कोई अन्य विकल्प न दिखने पर और घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र में जिन्दगियों और पशुओं को बचाने के लिए पुलिस पार्टी अपनी जिन्दगी को खतरे में डालते हुए उग्रवादियों को जिन्दा पकड़ने के लिए उनके ठिकाने की ओर बढ़ी। अवसर को देखते हुए एक उग्रवादी ने समर्पण कर दिया और दूसरा उग्रवादी पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करता रहा। पुलिस कार्मिक भी जवाबी गोलीबारी करते रहे और गोलीबारी के दौरान वह उग्रवादी गोली लगने घायल हो गया और उसको पकड़ लिया गया। घायल उग्रवादी को गांव वालों की सहायता से उपचार हेतु तुरंत धीमाजी सिविल होस्पीटल ले जाया गया परन्तु उग्रवादी को धीमाजी सिविल होस्पीटल पहुंचाने पर डाक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। जांच पड़ताल के दौरान गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान इस प्रकार हुई 1. एस/एस सी पी एल भोबेन सोनोवाल (22साल) उर्फ बीपलब कचारी पुत्र श्री सुमेश्वर सोनोवाल, गांव बोरबम कचारी गांव, पी एस गोगामुख और 2. एस /एस सी पी एल अनिल बासुमतारी उर्फ गडपानी (33 वर्ष), पुत्र श्री थानेश्वर बासुमतारी, गांव, सिमालुगुडी बिहपुराई पी एस बिहपुरिया, जिला उत्तरी लखीमपुर और यह भी पता चला कि मृत उग्रवादी 28 बटालियन उल्फा का स्वयंभू सार्जेट मेजर एवं सी कंपनी का द्वितीय कमान अधिकारी मृणाल हजारिका उर्फ भाष्कर बरुआ पुत्र स्व. खागेष्वर हजारिका गांव रतनपुर, पी एस मजुली था। वह, मजुली में सामाजिक कार्यकर्ता संजय घोष के अपहरण और हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त था। मृतक उग्रवादी के नेतृत्व में यह उग्रवादी गुट अनेक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों अर्थात जबरन धन वसूली/ हथगोले फेंककर सिविलियन और सुरक्षा कार्मिकों पर हमला तथा 15 अगस्त 2004 को धेमाजी परेड ग्राउंड पर आई ई डी रखना जिसमें 10 स्कूली बच्चे और 3 औरतें मारी गई थी इत्यादि में शामिल थे।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री जादव गोगोई, उपनिरीक्षक और जलालुद्दीन अहमद, उपनिरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 31 जुलाई, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

14—381 GI/2008

सं. 132-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जी.शाजी (मरणोपरांत)
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 20/03/2008 को 0040 बजे के लगभग, पुलिस स्टेशन चेथम पर रात को ड्यूटी देते समय हैड कांस्टेबल जी शाजी को पुलिस स्टेशन चेथम केट्टी बीट ड्यूटी कांस्टेबल (पीसी/551)रतन कुमार सिंह से वी एच एफ सैट पर एक सूचना मिली कि चेथम घाट पर एम वी फीलोकुंजी (सरकारी यान) से डीजल की अत्यधिक मात्रा में चोरी हो रही है। संदेश में यह भी चेताया गया था कि पुलिस गश्त को देखते ही बदमाश चोरी के डीजल से भरी एक डोंगी में भाग गए है और दूसरी डोंगी वहीं छोड़ गए हैं। एच सी जी शाजी, पी सी अमित तालुकदार के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे जो कि चेथम पुलिस स्टेशन से आधा किमी की दूरी पर था और वहां उन्होंने देखा कि चुराई हुई संपत्ति से भरी एक डोंगी एम वी फीलोकुंजी नाव के नजदीक बह रही थी। वर्दी में अपनी ड्यूटी पर सचेत रहते हुए एच सी जी शाजी मामलागत संपत्ति होने के कारण तुरंत बहती हुए डोंगी में उतर गए ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके। उसी समय, जब एच सी जी शाजी समुद्र में डोंगी पर सवार थे तभी चार बदमाश दूसरी इंजनयुक्त डोंगी में मौके पर आ गए और उन्होंने पहली डोंगी को उनके कब्ज़े से छुड़ाने का प्रयास किया। एच सी जी शाजी ने उनके प्रयास का प्रतिरोध किया और उनके आक्रमण को नकार दिया। यद्यपि अपराधी संख्या में अधिक थे और ओर एव डाह इत्यादि से लैस थे फिर भी एच सी जी शाजी उनके साथ बहादुरी से लड़े और अपनी जान की परवाह न करते हुए डांगी पर डटे रहे चूंकि आक्रामकों को उनसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ इसलिए उनमें से एक बदमाश अब्दुल नवाज ने डाह से एच सी जी शाजी के सिर पर वार किया । बुरी तरह से घायल होने के के बावजूद स्वर्गीय एच सी जी शाजी तब तक लगातार लड़ते रहे जब तक कि उन्हें समुद्र में नहीं धकेल दिया गया। एच सी जी शाजी की बहादुरी पूर्ण लड़ाई के परिणामस्वरुप मुख्य अपराधियों की पहचान हो गई और अंत में सौलह को गिरफ्तार किया गया। एच सी जी शाजी के शव को कोस्ट गार्ड ड्राइवरों की सहायता से सुबह 6बजे के लगभग समुद्र से निकाला जा सका। इस संबंध में दिनांक 20/3/2008 को आंई पी सी की धारा 302/409/411/392/34 के तहत एक मामला अपराध संख्या 66/08 पुलिस स्टेशन चेथम में दर्ज किया गया और बाद में हत्या एवं चोरी /तेल की चोरी में संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और मामलागत संपत्ति की बरामदगी की गई। मृतक एच सी शाजी अपनी पीछे 7 और 5 वर्ष की आयु के दो छोटे बच्चे तथा 25वर्षीय एक युवा पत्नी को छोड़ गए। कार्यवाही के दौरान निम्नलिखित मदें बरामद हुई।

1. एम वी पीलोकुंजी बोर्ड से हेलीफ्लेक्सिबल पाईप और इलैक्ट्रिक केबल के साथ २ मोनो ब्लोक पम्प
2. एम वी पीलोकंजी यान के मास्टर के केबिन से 14585 रुपये नगद, पोकेट टेलीफोन , नोटबुक एम वी पीलोकुंज की लोग बुक
3. अपराध में प्रयुक्त हथियार अर्थात एक डाह
4. अपराधी अपन्ना (एम वी पीलोकुंज का इंजीनियर) से संबंधित एक मोबाइल फोन।
5. एम वी पीलोकुंज की बगल में इंजनयुक्त डोंगी में सोनी एरिक्सन का एक मोबाइल फोन मिला।
6. चौलदारी संख्या 10 लाल पहाड़ और स्टीवर्ट नाले से 55 खाली प्लास्टिक ड्रम मिले
7. 4 लकड़ी के डोंगी इंजन

इस मुठभेड़ में श्री (स्व.) जी शाजी, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20मार्च, 2008से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 133-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, बिहार पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

1. श्रीमती के एस अनुपम
पुलिस अधीक्षक
2. श्री संजय कुमार पाण्डेय
उप निरीक्षक
3. श्री प्रेम सागर
उप निरीक्षक
4. श्री बृज किशोर प्रसाद
कनिष्ठ कमांडो
5. श्री राजीव कुमार यादव
कनिष्ठ कमांडो
6. श्री दिनेश कुमार यादव
कनिष्ठ कमांडो

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 17/01/2005 को लगभग 2100 बजे लम्बे समय (1988) से भगोड़े हिंसक और खतरनाक अपराधी सहेन्द्र शर्मा और उसके साथियों के बेलदौर पुलिस स्टेशन सीमा के अंतर्गत इतमाड़ी गांव में एकत्र होने और कुछ जघन्य अपराध किए जाने के बारे में सूचना मिलने के बाद श्रीमती के एस अनुपम, आई पी एस , एस पी खगड़िया ने बैलदौर, चौथम, मानसी और अन्य पुलिस स्टेशनों के मुख्य अधिकारियों और एस टी एफ को अपने सशस्त्रों बलों के साथ तुरंत चलने के निर्देश दिए और स्वयं अपने सशस्त्र बलों के साथ अपराधियों के स्थान की ओर चली । इतमाडी गांव के तटवर्ती क्षेत्र की जटिल स्थलाकृति से अच्छी तरह परिचित होने के कारण उन्होंने एकत्रित बलों को ब्रीफ किया कि कैसे लक्षित घर को घेरना है और कैसे अधिकारियों तथा कार्मिको को तैनात करना है। दिनांक 18/10/2005 को 4.00 बजे तक इतमाडी को घेर लिया गया । एस पी खगड़िया के नेतृत्व में एस आई संजय कुमार पाण्डेय सहित आक्रमणकारी पुलिस पार्टी उत्तर से आगे बढ़ी और दूसरे एस आई प्रेम सागर के नेतृत्व में पूर्वोत्तर से आगे बढ़े। इस पर अपराधियों ने आगे बढ़ती हुई पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। जब उन्होंने देखा कि अपराधियों की गोली आक्रमणकारी पार्टी को लगने ही वाली है तब उन्होंने अपने कार्मिकों को लेटने के लिए कहा और दूसरी पार्टियों को वायरलेस से सूचित किया। आक्रमणकारी पार्टी के एस पी और सदस्यों ने घमंडी अपराधियों को अपने हथियार डालने और समर्पण करने के लिए कहा परन्तु वे उनकी चेतावनी को सुनने के मिजाज में नहीं थे। अपराधी तंग घाटियों और उभरे हुए किनारों के पीछे छुपकर फायदे की स्थिति में जबकि पुलिस पार्टी को खुले में पोजीशन लेने के लिए

बाध्य होना पड़ा क्योंकि वे सूखे नाले के किनारे के नजदीक थे जोकि प्रभावी था। अंधाधुंध गोलीबारी के के बावजूद भी, कुशल नेतृत्व और साहस का परिचय देते हुए , एस पी अनुपम अपने कार्मिकों के साथ अपनी व्यक्ति सुरक्षा की चिंता किए बिना अपराधियों की तरफ रेंगते हुए आगे बढ़ी। इस घटना ने अपराधियों को और हिंसक बना दिया और उन्होंने गोलीबारी तेज कर दी। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए और अन्य कोई विकल्प मौजूद न होने के कारण उनका नेतृत्व करने वाली अधिकारी ने परिस्थिति की मांग के अनुरुप आत्मरक्षा में प्रतिबंधित और नियंत्रित गोलीबारी करने का आदेश दिया। दूसरी ओर अपराधी लगातार गोलीबारी कर रहे थे। पुलिस पार्टी और अपराधियों के बीच लगभग छः घंटे तक भारी गोलीबारी होती रही। इस मुठभेड़ के दौरान 15-20 अपराधी स्थिति का फायदा उठाते हुए नाले की तलहटी अथवा गहराई का फायदा उठाते हुए दक्षिण पूर्व की तरफ भाग गए और घनी उगी हुई फसल के खेतों में ओझल हो गए। उनको पकड़ने के प्रयास बेकार गए । 1100 बजे के लगभग भीषण मुठभेड़ के बाद जब गोलीबारी पूर्ण रुप से रुक गई तब पुलिस पार्टी सावधानी से आगे बढ़ी और वहां मरे हुए चार अपराधियों के साथ हथियार और गोलाबारुद की बड़ी रसद मिली जिसमें एक नियमित 30.06 सेमी ओटोमोटिक राईफल्स 30.06 कारतूसों के जिन्दे 190 राउंद और लूटी हुई .303 भरी हुई नियमित पुलिस राईफल्स शामिल है। गांव वालों ने मृत अपराधियों की पहचान इस प्रकार की 1. सहेन्द्र शर्मा (गैंग लीडर) 2. नंदन शर्मा 3. संजय शर्मा 4. महेश्वर ठाकुर। यह वास्तव में बड़ी चुनौती भरी मुठभेड़ थी। मृत सहेन्द्रशर्मा का क्षेत्र में भय था और हत्याकांड, जबरन धन वसूली, अपहरण और राईफल्स लूटने के खगड़िया और उसके पड़ोसी जिलों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कम से कम 33 आपराधिक मामलों में एफ आई आर दर्ज हो चुकी है। एक घटना में 16 व्यक्तियों को मारना और फिर उनके शव को टुकड़ों में काटकर कोसी नदी में फेंकना उनके बर्बर आपराधिक कार्यों में से एक है। दिनांक 15/08/2005 को उसने और उसके साथियों ने बेलदोर हाई स्कूल में चल रहे झंडा फहराने के समारोह के स्थान पर आक्रमण किया ओर एक पुलिस कांस्टेबल को बर्बरता से मार दिया तथा दूसरे पुलिस कर्मी एंव 3 निर्दोष गांव वालों को बुरी तरह घायल कर दिया और २ पुलिस राइफल्स लूट ली। ये घटनाएं उसकी विनाशात्मक प्रवृत्ति की प्रतीक हैं और कोसी क्षेत्र में उसने लोगों के दिमाग में डर पैदा कर रखा था। आई पी सी की धारा 307/353/34 और शस्त्र अधिनियम 25(1बी) ए 26/27/35 के तहत बैलदौर पुलिस स्टेशन मामला संख्या 05/2005 के पर्यवेक्षण नोट में उल्लिखित उसके पूर्व रिकार्ड उसके दुसाहसिक अपराधिक कार्य और हिंसक प्रवृति के बारे में उल्लेख करते है।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री/श्रीमती के एस अनुपम, पुलिस अधीक्षक, संजय कुमार पाण्डेय, उपनिरीक्षक प्रेम सागर, उपनिरीक्षक , बृज किशोर प्रसाद कनिष्ठ कमांडो, राजीव कुमार यादव, कनिष्ठ कमांडो और दिनेश कुमार यादव, कनिष्ठ कमांडो ने असाधारण शौर्य, अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 जनवरी, 2005 को दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

15—381 GI/2008

सं. 134-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. सुनील कुमार,
   वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2. करमलाल,
   निरीक्षक (वीरता के लिए पुलिस पदक)
3. छाट्टू सिंह,
   हवलदार (वीरता के लिए पुलिस पदक)
4. एम डी मुख्तारुल हक अंसारी
   कांस्टेबल (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 29/08/2002 को 13.15 बजे के लगभग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना, श्री सुनील कुमार आई पी एस को अपने विश्वस्त सूत्रों से गुप्त सूचना मिली कि प्रतिबंधित रणवीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखियाजी गांधी मैदान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक्जीबिशन रोड पर भारत मशीनरी की इमारत के एक फ्लैट में अपने विश्वस्तों के साथ गुप्त ठिकाने में रह रहा है। वे पहले की तरह ही हत्याकांड करने की योजना बना रहे थे और इस उद्देश्य से वे रणनीति और अन्य सहयोगी मामलों पर विचार-विमर्श कर रहे थे। मुखबिर ने यह भी सूचित किया कि मुखिया जी अपने विश्वस्तों के साथ जिस घर में रह रहे थे, उसके चारों ओर अत्याधुनिक हथियारों से लैस दस्ते को तैनात कर रखा था। यदि वे सही समय पर धावा नहीं बोलते तो उनके बच कर भागने की संभावना थी। ऐसे समय में उसी क्षण कोई प्रतिक्रिया किया जाना अपेक्षित था। समय के अभाव को देखते हुए, पर्याप्त बल को बुलाना संभव नहीं था। वरिष्ठ एस पी को उपलब्ध बल के साथ वहां तुरंत पहुंचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था । परिणाम की चिन्ता किए बिना और केवल अपनी सर्विस रिवाल्वर से लैस होकर, वह ड्राइवर कांस्टेबल मो मुस्तफा और अपने सुरक्षा कर्मी सशस्त्र हवलदार 51 छोटू सिंह, सशस्त्र कांस्टेबल मो. मुख्तारुल हक अंसारी और निरीक्षक कर्मलाल अपने पास उपलब्ध सर्विस रिवाल्वर से लैस होकर अपनी जिप्सी में एक्जीबिशन रोड के लिए तुरंत निकल पड़े। इस छोटी पार्टी ने उक्त इमारत की तीसरी मंजिल के एक फ्लैट पर धावा बोला। रणवीर सेना के केडर को दिन के समय और बिना जानकारी के इस तरह के मुकाबले की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी। फ्लैट की सुरक्षा में लगे हथियारबंद दस्ते को जवाबी कार्रवाई के लिए भी समय नहीं मिला और वे पुलिस के आने से चकित थे जिससे उनमें खलबली मच गई। उन्होंने पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया। वे पुलिस से भिड़ गए, और उन्होंने अपने आपको पुलिस जाल से छुडाने के लिए ताकत और बल से पुलिस कार्मिकों को धकेला। कुछ ने छत पर और दूसरों ने सीढ़ियों से बच कर भागने का प्रयास किया। यहा पर मौजूद

कार्मिक वर्दी में और दृढ़ निश्चयी थे और उनका ध्यान पूर्णतया अपने कार्य पर केन्द्रित था। वरिष्ठ एस पी पटना श्री सुनील कुमार के कुशल नेतृत्व में मनोनीत कार्मिकों ने अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करने का प्रयास किया। आसन्न खतरे और शारीरिक मुठभेड़ से चकित रह जाने का फायदा उठाते हुए ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखिया जी और उसके पांच सहयोगियों को घेर लिया गया और उन्हें काबू किया गया तथा गिरफ्तार कर लिया गया। यह सभी कार्य इतनी शीघ्रता और चतुराई से किया गया कि मुखियाजी और उसके सहयोगी बचकर भाग नहीं सकें। पूछताछ करने पर उन्होंने अपने नाम पते बतलाए। उनके नाम निम्नानुसार हैं:-

1. ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ मुखियाजी, रणवीर सेना के मुखिया (भोजपुर जिला)
2. शिव बचन शर्मा, जिला गया
3. कृष्ण नंदन चौधरी, जिला भोजपुर
4. मनीष कुमार, जिला पटना
5. रवीन्द्र शर्मा, जिला पटना

ठिकाने से जब्त मूल दस्तावेज सूचना के भंडार थे और सैन्य पद्धति पर आधारित प्रशिक्षण पद्धति और विस्फोटक इत्यादि में निपुणता वाले दुर्दांत आतंकवादी गुटों की मौजूदगी को दर्शाते थे तथा ब्रह्मेश्वर सिंह ने रणवीर सेना को अखिल भारतीय दर्जा देने की योजना बना रखी थी। रणवीर सेना का बजट करोड़ों में था। इन सबसे महत्वपूर्ण इस गिरफ्तारी से कई निर्दोषों की हत्याओं को बचाना था।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री सुनील कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, करमलाल, निरीक्षक, छाट्टू सिंह, हवलदार और मोहम्मद मुख्तारुल हक अंसारी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक/ पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29अगस्त, 2002 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 135-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

1. रतन लाल डांगी
   पुलिस अधीक्षक
2. टी. आर. कोशिमा,
   उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारी

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

दिनांक 12/07/2006 को श्री रतन लाल डांगी, पुलिस अधीक्षक, बीजापुर को स्थानीय स्रोत से यह विश्वसनीय आसूचना प्राप्त हुई कि हल्लूर और फुलादी वन क्षेत्र में लगभग 150 नक्सली मौजूद हैं और वे सलवा जुडुम राहत शिविर और पुलिस स्टेशन पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर श्री आर. एल. डांगी. ने कमांडेंट 138 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, कमांडेंट 31 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल श्री टी. आर. कोशिमा, ए एस पी, बीजापुर और श्री के. एल. नंद, उप-निरीक्षक, पी एस मिरतुर के साथ परामर्श करके विशेष अभियान चलाने की तत्काल योजना बनाई। खराब मौसम होने के बावजूद योजना के अनुसार श्री आर. एल. डांगी, पुलिस अधीक्षक और श्री टी. आर. कोशिमा. ए एस पी बीजापुर ने एक पुलिस दल के साथ रात में पैदल ही मिरतुर की ओर कूच किया। दिनांक 13/07/2006 को लगभग 1245 बजे जब अभियान चलाने वाले दल फुलादी जंगल क्षेत्र के निकट थे तो नक्सलियों ने अचानक ही टुकड़ियों पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। टुकड़ियों ने तत्काल मोर्चा संभाला और जवाबी गोलीबारी की। संख्या में नक्सली लगभग 150 थे और चट्टानों और पेड़ों की आड़ में ऊंचाई वाले स्थानों से एके-47, एस एल आर, एलएमजी आदि जैसे स्वचालित हथियारों से पुलिस दल पर गोलीबारी कर रहे थे। चूंकि पुलिस दल निचाई वाले स्थान पर था इसलिए जबावी गोलीबारी करने में इन्हें कठिनाई महसूस हो रही थी। इस बात को महसूस करते हुए कि पुलिस दल अलाभप्रद स्थिति में है, नक्सलियों ने चट्टानों और पेड़ों की आड़ से पुलिस दल पर आंई ई डी (इंप्रोवाइस्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) विस्फोट करने और भारी गोलीबारी करनी शुरु कर दी। इस पर श्री आर. एल. डांगी ने पुलिस दल को तत्काल दो भागों में बांटा। एक दल का नेतृत्व स्वयं इन्होंने किया और दूसरे दल का नेतृत्व श्री टी.आर. कोशिमा ने किया। श्री आर. एल. डांगी ने अपने दल के साथ दाईं तरफ से और श्री टी. आर. कोशिमा ने अपने दल के साथ बाईं तरफ से घेराव किया। जब नक्सलियों ने पुलिस दल को अपनी ओर आगे बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने मोलोटोव कॉकटेल फेंकने शुरु कर दिए जिनसे सूखी झाड़ियों में आग लग गई जिससे पुलिस दल को अपना बचाव करना पड़ा और इनका आगे बढ़ना रुक गया। इस कठिन स्थिति को देखते हुए श्री आर. एल. डांगी ने उच्च स्तरीय पेशेवर बुद्धिचातुर्य और प्रशंसनीय सूझ-बूझ का परिचय दिया और अपने जीवन की परवाह किए बगैर लगभग 150

मीटर रेंगते हुए इन्होंने उस स्थान और नक्सलियों की स्थिति का जायजा लिया तथा एक रणनीति तैयार की। इन्होंने श्री टी. आर. कोशिमा से कहा कि वे नक्सलियों को उलझाए रखें जबकि श्री आर. एल. डांगी, अपने दल के साथ दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच लगभग 350 मीटर रेंगते हुए उस स्थान के निकट पहुंचने में सफल हो गए जहां से नक्सली, पुलिस दल पर गोलीबारी कर रहे थे। श्री डांगी आगे बढ़ कर पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे और जब ये आगे बढ़ रहे थे तो दो नक्सलियों ने इन्हें देख लिया और इन पर गोलीबारी कर दी। श्री डांगी ने दुश्मन की गोलियों से बचने के लिए तत्परता से अपना मोर्चा बदला। अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए दुश्मन पर एक एच ई ग्रेनेड फेंका तथा साथ ही गोलीबारी कर दी जिससे दो नक्सली मारे गए। दो नक्सलियों के मारे जाने से उन्हें भारी धक्का पहुंचा और बाकी नक्सलियों ने वहां से भागना शुरु कर दिया। बाद में मुठभेड़ स्थल की तलाशी लेने पर पुलिस ने डिटोनेटर के साथ 01 बारुदी सुरंग और 200 मीटर बिजली की तार, तीर –कमान के दो सैट, नक्सलियों का साहित्य , प्रेशर बम, एके-47 के 14 खाली केस, 04 जीवित राउंद और एस एल आर (7.62) के 04 खाली केस, .303राइफल के 4 खाली केस, 315 बोर बदूंक के 07 जीवित राउंद और 01 पिट्टू बैग, जिसमें दैनिक इस्तेमाल की वस्तुएं थीं, बरामद किया। मारे गए दो नक्सलियों की पहचान (1) हेमला फागू पुत्र जेड बुच्छा , मुरिया 32 वर्ष, ग्राम –फुलादी, (2) दिलीप कुमार, 22 वर्ष मुरिया, ग्राम-पुस्नार पी एस गंगालुर के रुप में स्थापित हुई।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री रतन लाल डांगी, पुलिस अधीक्षक और टी. आर. कोशिमा, उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 जुलाई, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

16—381 GI/2008

सं. 136-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

1. सुन्दरराज पी.
   पुलिस अधीक्षक
2. के एल ध्रुव
   उप-पुलिस अधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

दिनांक 01/07/2006 को श्री सुन्दरराज पी., पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर ने अपने स्रोत से यह विश्वसनीय आसूचना प्राप्त की कि नारायणपुर-अनंतगढ़ सड़क के साथ लगे अत्तुबेंद गांव के वन क्षेत्र में लगभग 100 सशस्त्र नक्सली मौजूद हैं। इन्हें यह भी पता चला कि नक्सली, आस-पास के क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा कार्मिकों पर हमला करने तथा उनकी हत्या करने और उनके हथियार लूटने की योजना बना रहे हैं। श्री सुन्दरराज पी. ने श्री के. एल. ध्रुव, उप पुलिस अधीक्षक और इनके अधिकारियों और कार्मिकों के साथ परामर्श करके एक विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई ताकि सशस्त्र नक्सलियों का घेराव किया जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस अधीक्षक अपनी योजना के अनुरुप अपने कार्मिकों के साथ अपने वाहनों में सवार हुए और तत्काल अत्तुबेंद गांव पहुंच गए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने सशस्त्र नक्सलियों को पकड़ने के लिए अपने बल को तीन भागों में विभाजित किया। लेकिन जब सशस्त्र नक्सलियों को यह पता चला कि पुलिस दल उनके नजदीक पहुंच रहा है तो वे पड़ोसी वन क्षेत्र में चले गए। दिनांक 1/7/2006 को लगभग 1700 बजे जब पुलिस दल, अंजरेल जंगल के निकट अर्थात नारायणपुर-अनंतगढ़ सड़क पर 10 वें और 11वें मील के पत्थर के बीच नारायणपुर की ओर लौट रहा था तो पुलिस दल की प्रतीक्षा कर रहे झाड़ियों में छिपे हुए सशस्त्र नक्सलियों ने वाहन में बैठे पुलिस कर्मियों को मारने के ध्येय से उन पर गोलीबारी कर दी। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल स्थिति पर नियंत्रण किया और अपने अधिकारियों और कार्मिकों को आदेश दिया कि वे वाहन से उतर जाएं और सड़क के दूसरी ओर मोर्चा संभालें। नक्सली संख्या में लगभग सौ थे और चट्टानों और पेड़ों की आड़ लेकर ऊंचाई वाले स्थानों से ए के -47, एस एल आर, एल एम जी आदि जैसे स्वचालित हथियारों से पुलिस दल पर गोलीबारी कर रहे थे। जब पुलिस अधीक्षक को यह लगा कि इनके कार्मिकों का जीवन जोखिम में है तो इन्होंने अपने कार्मिकों को आदेश दिया कि वे भी अपनी रक्षा में जबाबी गोलीबारी कर दें । नक्सलियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी का मुकाबला करने के लिए इन्होंने तत्काल अपने कार्मिकों और अधिकारियों को राइट फ्लैंक दल, लेफ्ट फ्लैंक दल और मुख्य हमलावर दल के रुप में संगठित किया। नक्सलियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के बावजूद पुलिस अधीक्षक ने साहसपूर्वक मुख्य हमलावर दल का नेतृत्व किया और नक्सलियों का सामना करने के लिए जंगल के अंदर जाने का साहस किया। श्री

के. एल. ध्रुव ने लेफ्ट फ्लैंक दल का नेतृत्व किया। पुलिस अधीक्षक श्री सुंदरराज पी. और श्री के. एल. ध्रुव के समर्थ नेतृत्व और मार्ग दर्शन में राइट और लेफ्ट फ्लैंक के दलों ने भी अपनी-अपनी तरफ से उस क्षेत्र का घेराव किया। इससे कठिन परिस्थितियों में भी पुलिस अधीक्षक श्री सुन्दरराज पी. की मानसिक दृढ़ता और पहल करने की इनकी क्षमता का पता चलता है। श्री सुन्दरराज पी. ने उच्चस्तरीय पेशेवर बुद्धिचातुर्य और प्रशंसनीय सूझ-बूझ का परिचय दिया और अपने जीवन और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर विषम भौगोलिक स्थिति और अपने सिर के ऊपर से गुजर रही गोलियों को अनदेखा किया और गोलीबारी की दिशा में लगभग 100 मीटर रेंगते हुए गए । इन्होंने उस स्थान और नक्सलियों की स्थिति का जायजा लिया और रणनीति तैयार की तथा बाद में अपने कार्मिकों को इस दृष्टि से प्रोत्साहित किया कि वे रेंगते हुए और अपने आपको नक्सलियों से छिपाते हुए चतुराई से आगे बढ़ें । पुलिस अधीक्षक की इस चातुर्यपूर्ण रणनीति से पुलिस बल में कोई हताहत नहीं हुआ। जब ये अपने पुलिस दल के साथ जंगल में और आगे बढ़े तो इन्हें ए के -47, एस एल आर, .303 राइफलों और बारमर जैसी राइफलों से रणनीतिक दृष्टि से सुरक्षित मोर्चे से गोलीबारी करते हुए कुछ सशस्त्र नक्सली दिखाई दिए। उनकी गोलियां , पुलिस अधीक्षक के शरीर से कुछ इंच दूरी से ही गुजर रहीं थीं। ये और इनके कार्मिक बाल-बाल बचे। इस पर पुलिस अधीक्षक ने यह महसूस किया कि यदि सशस्त्र नक्सलियों को निष्क्रिय नहीं किया गया तो अपने कार्मिकों और अधिकारियों का जीवन जोखिम में पड़ जाएगा क्योंकि नक्सली गोलीबारी करने की बेहतर स्थिति में थे। इसलिए इन्होंने निर्णय लिया कि इन्हें और इनके कार्मिकों को भारी मात्रा में जबाबी कार्रवाई करनी चाहिए । इस पर इन्होंने पहल की और नक्सलियों की अधिकांश गोलीबारी स्वयं झेलने का साहसिक जोखिम लिया। श्री सुन्दरराज पी. ने संकट के समय अद्वितीय साहस और बहादुरी का परिचय दिया और अपने जीवन और सुरक्षा की परवाह किए बगैर रेंगते हुए आगे बढ़े और नक्सलियों पर सामने से हमला कर दिया। इन्होंने उप-पुलिस अधीक्षक श्री के. एल. ध्रुव से कहा कि वे लेफ्ट फ्लैंक से आगे बढें और दुश्मन को उलझाये रखें। श्री के. एल. ध्रुव और इनके दल ने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की और ये दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े तथा इन्होंने एक तरफ से दुश्मन को उलझाये रखा ताकि मुख्य हमलावर दल आगे बढ़ सके तथा नक्सलियों पर शिकंजा कसा जा सके । पुलिस अधीक्षक ने देखा कि जैतूनी हरी वर्दी पहने दो सशस्त्र नक्सली, ऊंचाई वाले स्थान पर मोर्चा संभाले हुए हैं और इन पर तथा इनके कार्मिकों पर गोलीबारी कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने अपनी ए के -47 राइफल से सशस्त्र नक्सलियों को ललकारा तथा अपने हथियार से गोलीबारी कर रहे सशस्त्र नक्सलियों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। उनमें से दो नक्सली घटनास्थल पर ही मारे गए। श्री सुन्दराज पी. और श्री के. एल. ध्रुव के चतुराईपूर्ण और साहसिक कृत्य से न केवल इनके कार्मिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई बल्कि नक्सलियों का मुख्य रणनीतिक मोर्चा भी समाप्त हो गया। पुलिस अधीक्षक और श्री के. एल. ध्रुव द्वारा बनाई गई और निष्पादित इस आक्रामक कार्रवाई से नक्सलियों में दहशत फैल गई और उन्होंने घायल हुए नक्सलियों और मारे गए कुछ नक्सलियों के शवों को अपने कब्जे में लिया और झाड़ियों से निकल भागे। लेकिन पुलिस अधीक्षक ने अपनी आक्रामक योजना जारी रखी जिससे नक्सली उस स्थान से दो और शवों को नहीं हटा सके। तलाशी अभियान के दौरान दो देशी राइफलों के साथ नक्सलियों के दो ही शव बरामद हो सके । दोनों ही नक्सलियों ने जैतूनी हरे रंग की वर्दी पहन रखी थी। तत्काल ही मृतक नक्सलियों की पहचान नहीं हो सकी लेकिन बाद में उनकी पहचान 1.समलू उर्फ चमलू पुत्र जगरु, आयु 27 वर्ष, ग्राम गोंडागांव, अबुजमाड क्षेत्र, 2. गंगाराम पुत्र लक्मा आयु लगभग 30 वर्ष, ग्राम- थडोनर अबुजमाड क्षेत्र के रुप में हुई। बाद में की गई तलाशी के दौरान पुलिस दल ने 02 देशी राइफलें, दो टिफिन बॉक्स बम, बिजली के तार, डिटोनेटर, खाली केसों के 168 राउंद, 06 बैटरी सैल और एक पोलीथीन कंटेनर बरामद किया जिसमें

लगभग 06 किलो विस्फोटक सामग्री, नक्सली साहित्य और दैनिक प्रयोग की वस्तुयें थीं। एक प्रेसर मकैनिज्म माइन का पता लगाया गया और पुलिस अधीक्षक ने श्री के एल ध्रुव, उप-पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) के साथ मिल कर उसे सुरक्षित रुप से निष्क्रिय कर दिया और इस प्रकार इन्होंने अपने कार्मिकों और अधिकारियों का जीवन बचाया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री सुन्दरराज पी., पुलिस अधीक्षक और के. एल. ध्रुव, उप – पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक पहली जुलाई, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 137-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री नरेन्द्र सिंह, (मरणोपरांत)
सहायक उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 5 जनवरी, 2008 को सायं लगभग 10.30 बजे नियंत्रण कक्ष, जींद से सूचना प्राप्त हुई कि बाल्मीकि बस्ती, रामराई गेट, जींद में दो दल आपस में लड़ रहे हैं। यह सूचना प्राप्त होने पर सहायक उप -निरीक्षक नरेन्द्र सिंह, हैड कांस्टेबल दिलबाग सिंह, हैड कांस्टेबल रविन्द्र सिंह, हैड कांस्टेबल आत्माराम, हैड कांस्टेबल उमेद सिंह, कांस्टेबल सज्जन सिंह और कांस्टेबल रोहतास सिंह, पुलिस स्टेशन सिटी जींद ने सरकारी वाहन में घटना स्थल की ओर कूच किया। जब पुलिस दल घटना स्थल के निकट पहुंचा तो इन्होंने देखा कि दोनों दल एक दूसरे पर ईंट/पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस दल के प्रभारी सहायक उप-निरीक्षक नरेन्द्र सिंह ने दोनों दलों से हिंसक कृत्य रोकने के लिए कहा। तथापि, जब ये पुलिस दल के साथ भागीरथ नामक एक व्यक्ति के घर के सामने पहुंचे तो इन पर भी पत्थरों से हमला किया गया जिसके कारण सहायक उप-निरीक्षक नरेन्द्र सिंह के सिर पर गंभीर चोट लग गई और ये अचेत हो गए तथा जमीन पर गिर पड़े। इन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल, जींद ले जाया गया जहां इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में हैड कांस्टेबल दिलबाग सिंह, 167/जींद के बयान के आधार पर सिटी जींद पुलिस स्टेशन में आई पी सी की धारा 302/353/148/149/186 के तहत दिनांक 06/01/2008 को प्राथमिकी संख्या 10 के रुप में मामला दर्ज किया गया।

इस घटना में श्री (स्व.) नरेन्द्र सिंह, सहायक उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 जनवरी, 2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 138-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री अरुण सिंह,
उप-पुलिस अधीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

सतिन्दर उर्फ काला पुत्र ईश्वर जाट, निवासी कुरार, पुलिस स्टेशन मुरथल, सोनू उर्फ सिनू पुत्र रामफल जाट, निवासी कुरार, पुलिस स्टेशन मुरथल, नेत्रपाल पुत्र करन जाट, निवासी कुरार, पुलिस स्टेशन मुरथल ने हत्या, हत्या की कोशिश लूटपाट, डकैती, अपहरण जैसे कई जघन्य अपराध किए और उन्होंने ग्राम कुरार के नवीन सुपुत्र लखी राम जाट और अमित सुपुत्र सुरेश नामक दो निर्दोष युवाओं की निर्मम हत्या का एक और अपराध किया तथा दीपक सुपुत्र धरमवीर, निवासी कुरार को गोली मार कर गंभीर रुप से घायल कर दिया था। इस संबंध में पुलिस स्टेशन मुरथल, जिला सोनीपत में आई पी सी की धारा 302/307/ 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 के तहत दिनांक 20.08.2006 को प्राथमिकी संख्या 118 के तहत एक मामला दायर किया गया है। ग्राम कुरार के सतिन्दर उर्फ काला पुत्र ईश्वर और सोनू उर्फ सिनू पुत्र रामफल को गिरफ्तार करने के लिए राज्य सरकार ने क्रमश: 50000/- रुपए और 15000/- रुपए की घोषणा की थी। दिनांक 03/09/2006 को इस आशय की गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कुरार के सतिन्दर उर्फ काला और सोनू उर्फ सिनू जघन्य अपराध करने के प्रयोजनार्थ बिना लाइसेंस और बिना नम्बर प्लेट की काले रंग की हीरो होंडा मोटर साइकल पर ग्राम नकलोई, जिला सोनीपत की ओर आ रहे हैं। सायं लगभग 12.40 बजे यह सूचना मिलने पर श्री अरुण सिंह ने पुलिस दल को तीन भागों में बांटा और छापा मारने वाले दलों का गठन किया। तथापि, इन्होंने नियंत्रण कक्ष सोनीपत को यह वी. टी. संदेश भेजा कि वे पुलिस स्टेशन के अन्य एस एच ओ को घटना स्थल पर पहुंचने के बारे में सूचित करें। इन्होंने स्वयं अतिरिक्त बल के आने की प्रतीक्षा किए बगैर भटगांव और नकलोई गांवों की ओर कूच किया। इस बीच यह हो सकता था कि सतिन्दर और सीनू नामक दो खूंखार अपराधी भाग सकते थे। जब श्री अरुण सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, गोहना की कमान में छापा मारने वाले दल नकलोई सड़क पर पहुंचे तो काली मोटर साइकल पर जाते हुए दो लड़के दिखाई दिए। दोनों ही लड़के कच्चे रास्ते की ओर मुड़े लेकिन क्योंकि मोटर साइकल कीचड़ में फंस गई थी इसलिए उन्हें यह छोड़नी पड़ी और उन्होंने पेड़ों के झुंड की ओर भागना शुरु किया तथा उन पेड़ों के पीछे उन्होंने शरण ली। छापा मारने वाले दल के कुछ सदस्यों ने उन लड़कों की पहचान सतिन्दर और सोनू के रुप में की। उप पुलिस अधीक्षक अरुण सिंह ने छापा मारने वाले दल को निर्देश दिया कि वे उन्हें चारों ओर से घेर लें। तथापि, वे स्वयं पश्चिम से छापा मारने वाले दल का नेतृत्व कर रहे थे और इनके सामने सतिन्दर और सीनू थे। श्री अरुण सिंह ने उन्हें चेतावनी दी और पुलिस के सामने समर्पण करने के लिए कहा लेकिन इसके बजाए उन्होंने उप पुलिस

अधीक्षक श्री अरुण सिंह के नेतृत्व वाले छापा मारने वाले दल पर गोलियां चलानी शुरु कर दीं। श्री अरुण सिंह ने अपने आपको जमीन पर गिरा कर अपना जीवन बचाया। श्री अरुण सिंह ने छापा मारने वाले दल को आदेश दिया कि वे अपने बचाव में सतिन्दर और सीनू पर गोलीबारी कर दें। दोनों तरफ से लगभग आधा घंटे तक गोलीबारी चलती रही। कुछ देर बाद जब अपराधियों की ओर से गोलीबारी बंद हुई तो छापा मारने वाला दल दोनों अभियुक्तों के निकट पहुंचा जहां वे गंभीर रुप से घायल पाए गए। जब सतिन्दर उर्फ काला और सोनू उर्फ सिनू को सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा था तो घायलावस्था में उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरी घटना में श्री अरुण सिंह, उप पुलिस अधीक्षक ने अपने जीवन को खतरे में डाल कर आपवादिक साहस, परिश्रम और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया। घटना स्थल से निम्नलिखित हथियार/गोलीबारुद बरामद हुए:-

1. .32 बोर का एक देशी रिवाल्वर
2. 3 जीवित कारतूस और 3 खाली कारतूस
3. बर्मिंघम में निर्मित .38 बोर का एक रिवाल्वर
4. एक जीवित कारतूस और 5 खाली कारतूस
5. चीन में निर्मित एक स्वचालित पिस्तौल और दो जीवित कारतूस
6. एक खाली कारतूस और .315 बोर की एक देशी पिस्तौल और
7. एक खाली कारतूस

इस मुठभेड़ में श्री अरुण सिंह,उप पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3 सितम्बर, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 139-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

1. मोहम्मद जाहिद
   उप-पुलिस अधीक्षक
2. आर्शिद खां
   उप निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

बाबागुंड, मटन के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में दिनांक 20.04.2006 को एस एस पी अनंतनाग द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट सूचना के आधार पर

एस ओ जी श्री गुफवाड़ा, 3 आर आर, 95 और 93 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक संयुक्त टीम उक्त क्षेत्र का घेराव किया और तलाशी अभियान चलाया। इस पर छिपे हुए आतंकवादी निकल कर बाहर आए और उन्होंने पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी का जबाब दिया गया और आतंकवादी को समर्पण करने के लिए मजबूर किया गया लेकिन उसने गोलीबारी जारी रखी। श्री मोहम्मद जाहिद, उप पुलिस अधीक्षक और उप-निरीक्षक आर्शिद खां ने भी बहादुरी से आतंकवादी को किसी भी मकान में नहीं घुसने दिया गया क्योंकि उसके किसी मकान में घुसने से भारी क्षति और लोगों के हताहत होने की आशंका थी। श्री मोहम्मद जाहिद, उप पुलिस अधीक्षक ने एक तरफ से पुलिस दल का नेतृत्व किया जबकि उप -निरीक्षक आर्शिद खां भी की दूसरी तरफ से आगे बढ़े ताकि आतंकवादी को घेरा जा सके। इसे देख कर आतंकवादी तुरंत ही पड़ोस की मस्जिद में घुसने में सफल हो गया लेकिन श्री मोहम्मद जाहिद ने मस्जिद में छलांग लगा कर उसका पीछा किया। उप-निरीक्षक आर्शिद खां भी दूसरी तरफ से चालाकी से उस मस्जिद में घुसने में सफल हो गए। दोनों ही आधिकारियों ने वहां पर ऐसी योजना बनाई जिससे आतंकवादी उस मस्जिद से बाहर आने पर मजबूर हो जाए और उस मस्जिद को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बगैर इस अभियान को सफल बनाया जा सके। इन अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित प्रशंसनीय और बहादुरी पूर्ण कृत्य के कारण वह आतंकवादी मस्जिद से बाहर आने पर मजबूर हो गया और इसके साथ ही उसे ढेर का दिया गया। मारे गए आतंकवादी की पहचान मोहम्मद युसुफ बट उर्फ फरीद खान पुत्र गुलाम मोहम्मद बट, निवासी अकुरा के रुप में की गई जो पिछले 10 वर्षो से सक्रिय था और एच एम गुट का स्वयंभू बटालियन का कमांडर था। तथापि, इस अभियान के दौरान कोई सिविलियन हताहत नहीं हुआ या निजी संपत्ति /मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ। हथियार/गोलीबारुद की निम्नलिखित बरामदगी की गई:-

1. एके राइफल- 01 नग
2. मैग्जीन-01 नग
3. एके गोलीबारुद- 13 राउंद
4. ग्रेनेड- 02 नग (इन्हें वहां पर नष्ट कर दिया गया।)

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री मोहम्मद जाहिद, उप पुलिस अधीक्षक और आर्शिद खां, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 अप्रैल, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 140-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री रोहित बस्कोटरा,
उप-पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

कचवोन के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में दिनांक 26/01/2007 को एस एस पी अनंतनाग द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट सूचना के आधार पर एस ओ जी कोकरनाग, 36 आर आर, 157 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक संयुक्त टीम ने उस विशिष्ट क्षेत्र का घेराव किया। तलाशी के दौरान आतंकवादी ने तलाशी दल पर गोलीबारी कर दी। आतंकवादी से समर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन उसने समर्पण करने के बजाए तलाशी दल पर फिर गोलीबारी कर दी। श्री रोहित बस्कोटरा की कमान में पुलिस दल ने पेशेवर ढंग से जबाबी कार्रवाई की और अपने मूल्यवान जीवन की परवाह किए बगैर शरीफ खान उर्फ औरंगजेब उर्फ पीर उर्फ बाजी नामक एक खूंखार आतंकवादी को घटना स्थल पर ही मार गिराया । इस मुठभेड़ में श्री रोहित बस्कोटरा, उप पुलिस अधीक्षक, कोकरनाग ने अपनी सर्विस राइफल अर्थात ए के -47 से 141 राउंद गोलीबारी की। उप पुलिस अधीक्षक रोहित बस्कोटरा के बहादुरी पूर्ण कृत्य, अनुकरणीय कृत्य था और आम जनता ने घटना स्थल पर ही इनकी प्रशंसा की थी क्योंकि इस अभियान के दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई सिविलियन भी हताहत नहीं हुआ। हथियारों/गोलीबारुद की निम्नलिखित मात्रा बरामद की गई:-

1. एके राइफल- 01 नग
2. मैग्जीन- 02 नग
3. एके गोलीबारुद- 50 राउंद

इस मुठभेड़ में श्री रोहित बस्कोटरा, उप पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26 जनवरी, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

18—381 GI/2008

सं. 141-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

1.	अब्दुल घनी मीर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	मुजफ्फर अहमद कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

दिनांक04/05/2007 को एस एस पी अनन्तनाग को खल्लहर नागम कोइरनाग के सार्वजनिक क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई। एस ओ जी अनन्तनाग पुलिस थाना कोकेरनाग, 93 बटालियन, सी आर पी एफ को मिलाकर तत्काल एक संयुक्त टीम बनाई गई जिसने उक्त क्षेत्र की नाकेबंदी कर दी। तथापि, खोजबीन के दौरान रियाज अहमद देवा उर्फ सैफुल्ला पुत्र अब्दुल हमीद देवा निवासी पंथ काजीगुंड खुलगांव (एच एम जिला कमांडर) नामक एक कट्टर आतंकवादी की मौजूदगी देखी गई आत्मसमर्पण करने के लिए कहे जाने पर उक्त आतंकवादी ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चलानीं शुरु कर दीं। एस एस पी अनन्तनाग के नेतृत्व वाली खोज पार्टी ने अपने जीवन की परवाह किए बिना पेशेवर ढंग से उसकी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया और उस दुर्दान्त आतंकवादी की मौके पर ही हत्या कर दी। कांस्टेबल मुजफ्फर अहमद का यह शौर्यपूर्ण कार्य जिसमें एस एस पी अनन्तनाग ने सहायता की थी, अनुकरणीय था और उनकी आम जनता ने घटनास्थल पर ही अत्यधिक सराहना की क्योंकि उनकी ओर से न कोई हताहत हुआ और न ही किसी को कोई क्षति पहुंची। इस अभियान के दौरान एस एस पी अनन्तनाग और कांस्टेबल मुजफ्फर अहमद ने अपनी ए के - 47 राइफलों से 156 तथा 75 राउंड गोलियां चलाईं। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखत शस्त्र एवं गोलाबारुद भी बरामद किया गया:-

1.	ए के राइफल	-	01 नग
2.	मैगजीन	-	01 नग
3.	ए के एम्यूनिशन	-	25 आर डी एस
4.	ग्रेनेड	-	01 नग

इस मुठभेड़ में सर्वश्री अब्दुल घनी मीर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा मुजफ्फर अहमद, कांस्टेबल ने असाधारण वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 04 मई, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 142-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, जम्मू कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री अश्फाक अहमद,
उप निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 28.3.2005 को विशिष्ट जानकारी के आधार पर एस ओ जी अनन्तनाग तथा 1 आर आर, तृतीय आर आर, 42 आर आर तथा 1 पी ए आर ए द्वारा गाँव लोकतिपुरा बिज बेहरा में एक संयुक्त अभियान चलाया गया, श्री अश्फाक अहमद, उप निरीक्षक/एन जी ओ लक्षित घर के पिछवाड़े से सैन्य बल का कमाण्ड कर रहे थे। सुरक्षा घेरे को तोड़ने के प्रयास में आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी शुरु कर दी परन्तु अधिकारी ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर उनका बहादुरी से मुकाबला किया और इस गोलीबारी में अब्दुल हमीद खान निवासी हरम शोफियान, अब्दुल्ला बारी मलिक निवासी कचदूरन शोफियान और ऐजियाज अहमद डार निवासी हसनपुरा बाग मारे गए। इसके अतिरिक्त 01 ए.के. राइफल, 02 मैगजीनें, 01 चीनी पिस्तौल, 04 ग्रेनेड, 01 पाउच, ए.के.-47 के 72 राउण्ड तथा पिस्तौल के 10 राउण्ड बरामद किए गए। यह अधिकारी की हालात से निपटने की पेशेवर दक्षता के कारण सम्पन्न हुआ जिससे कि इस अभियान में जान-माल को कोई नुकसान नहीं हुआ। श्री अश्फाक अहमद, उप निरीक्षक द्वारा की गई इस बहादुरीपूर्ण कार्रवाई का आम जनता और बलों ने स्थल पर ही स्वागत किया।

इस मुठभेड़ में श्री अश्फाक अहमद, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28 मार्च, 2005 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 143-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, झारखंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री प्रमोद कुमार सिंह,
उप निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

पालामऊ, चैनपुर थाना के प्रभारी उप निरीक्षक पी.के. सिंह को दिनांक 06.01.2004 को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली कि पालामऊ प्रभाग का अत्यधिक खूंखार नक्सलवादी अर्थात खुद्दी सिंह खरवार उर्फ नेताजी (बालामऊ प्रभाग की पीपुल्स वार ग्रुप सम्भागीय समिति के स्वयंभू सदस्य) अपनी टीम के साथ मण्डल डैम (चैनपुर थाना से 25 कि.मी. दूर घने जंगल में) के आस-पास इकठ्ठे हुए हैं। एस आई पी.के. सिंह के पास एक सशस्त्र पार्टी थी जिसमें केवल पाँच सशस्त्र कांस्टेबल थे। तथापि, उन्होंने तुरन्त घटनास्थल पर जाने का निश्चय किया क्योंकि हल्का सा विलम्ब होने पर भी पी डब्ल्यू जी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। पी डब्ल्यू जी स्क्वैड को पुलिस की हलचल के बारे में पहले ही पता चल गया था और उन्होंने घात लगा ली। जैसे ही पी.के. सिंह अपनी पार्टी के साथ जंगल में एक छोटे से निर्जन स्थान पर लगभग 1730 बजे पहुँचे, उन पर दो तरफ से गोलीबारी शुरु कर दी गई। जवान इस तीव्र अप्रत्याशित गोलीबारी से हक्के-बक्के रह गए परन्तु एस आई, पी के सिंह ने अपनी इस छोटी सी पार्टी का व्यक्तिगत साहस एवं बहादुरी से नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी पिस्तौल से नक्सलियों पर गोलियाँ चलानीं शुरु कर दीं और बड़े उत्साह के साथ अपने आदमियों से कहा कि वे उनके पीछे-पीछे आएं। अपने नेता की बहादुरी और अनुकरणीय साहस को देखकर पुलिस कार्मिकों ने भी गोलियाँ चलानीं शुरु कर दीं। इस स्थिति में हालात ऐसे हो गए थे कि एक ओर नकसलियों की भारी संख्या वाली सशस्त्र (लगभग 40) पार्टी थी जिन्होंने सुनियोजित घात लगा रखी थी और वे ऊंचाई पर थे और उन्होंने पुलिस कार्मिकों चौंका भी दिया था। परन्तु दूसरी ओर पुलिस कार्मिकों की एक छोटी सी पार्टी खुले और निचले स्थान पर थी तथा वह पूरी तरह से असुरक्षित थी। ऐसी विलक्षण परिस्थिति में एस आई पी.के. सिंह ने अनुकरणीय साहस एवं नेतृत्व का प्रदर्शन किया। इस अधिकारी की बहादुरी देखकर नक्सली भी भौचक्के रह गए। एस आई पी.के. सिंह और उसके आदमी लगातार गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ समय के पश्चात नक्सलियों ने फायरिंग बंद कर दी और एस आई/ पी.के. सिंह उस स्थान की ओर आगे बढ़े जहाँ से गोलियाँ चल रहीं थीं और देखा कि एक नकसली अपने घायल साथी को खींच कर ले जा रहा था। नक्सलियों ने तुरन्त एस आई पी.के. सिंह पर गोलियाँ चला दी। एक बार फिर एस आई पी.के. सिंह ने प्रत्युत्पन्नमति का परिचय दिया तथा अपने सर्विस पिस्तौल से जवाबी गोलीबारी कर दी जिससे दो हमलावर नक्सली मारे गए। बाद में मामले की छानबीन करने तथा घटनास्थल की जाँच करने पर यह पता चला कि घात लगाने की योजना कितने सुनियोजित ढंग से बनाई गई थी और कैसे भीषण मुठभेड़ हुई। मृत उग्रवादियों की पहचान

खुद्दी सिंह खरवार और छोटू चौधरी के रूप में हुई जो चोटी के खूंखार नक्सली थे और जिन पर नकद इनाम घोषित था। उनसे निम्नलिखित जब्ती की गई:-

(i) उग्रवादियों के 2(दो) शव, जिनमें से एक सीपी आई, एम एल (पी डब्ल्यू जी) का प्रभाग समिति का सदस्य था,
(ii) 1(एक) 9 एम एम पिस्तौल (इटली में निर्मित) मैगजीन सहित,
(iii) मैगजीन में 4(चार) जिन्दा कारतूस,
(iv) 1(एक) पिस्तौल स्लाइड में जिन्दा कारतूस,
(v) ग्रीन होल्स्टर में 5(पाँच) जिन्दा कारतूस,
(vi) 9 एम एम चलाए गए कारतूस 4(चार),
(vii) 1(एक) मिस फायर्ड कारतूस,
(viii) 1(एक) देशी पिस्तौल,
(ix) 1(एक) फायर किया गया .315 कार्टरिज बैरल में,
(x) चलाए गए कारतूस 4(चार)
(xi) 1(एक) राजदूत मोटर साइकल सं. एम पी-27ए-5347
(xii) 1(एक) काले रंग का पिठ्ठु, उग्रवादी साहित्य, खुद्दी सिंह नक्सल को सम्बोधित एक पत्र, 1(एक) मैग्नेट कम्पास, पी जी ए संविधान, सी पी आई (एम एल) पीपुल्सवार (पी डब्ल्यू जी) बुक अधिनियम, क्षेत्र समिति पुस्तिका, लेवी कांट्रैक्टर विवरण, अभ्यास एवं क्षेत्र शिल्प विवरण, बिहार-झारखण्ड संयुक्त राज्य समिति आयोग सी पी आई (एम एल) पीपुल्स वार (पी डब्ल्यू जी) बुक्स, छत्तीसगढ़, बाण्डारिया सीमान्त जोनल समिति पालामऊ कमिश्नरी पत्र, कैल्कुलेटर, दवाइयाँ, पीपुल्स वार (पी डब्ल्यू जी) विवरण लैवी रसीद,,

इस मुठभेड़ में श्री प्रमोद कुमार सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6 जनवरी, 2004 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

19—381 GI/2008

सं. 144-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री जी आर पाटिल,
सर्कल पुलिस इंस्पैक्टर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 7/6/07 को एटलस कंपनी शिनोली, तालुका चंदागढ़ के दो कर्मचारी श्री संजय मोरे और जनोबा रावालु येल्लुरकर अपनी मोटर साइकल संख्या एम एच 09 ए एस 8923 से एटलस कंपनी के कर्मचारियों की 4,07,000/- रुपये की तनख्वाह की राशि यू टी आई बैंक बेलगाम से निकालकर ले जा रहे थे।। पल्सर मोटर साइकल पर उनका पीछा कर रहे 4 अज्ञात व्यक्तियों ने बाची गांव के निकट वेन्गुर्ला रोड पर ऊपर हंसिए से हमला कर दिया और जनोबा येल्लुरकर को गंभीर रुप से घायल करते हुए उससे वह बैग छीन लिया जिसमें 407000/- रुपये रखे थे और मोटर साइकलों पर सवार होकर बेलगाम की ओर भाग गए। संजय मोरे की शिकायत पर बेलगाम देहात पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के अंतर्गत अपराधिक मामला संख्या 91/2007 दर्ज किया गया। बेलगाँव देहात थाने में धारा 397 के अंतर्गत दर्ज सी आर संख्या 91/073 की जानकारी प्राप्त होने पर जिसमें चार अभियुक्तों द्वारा, जो पल्सर मोटर साइकिल पर थे, एटलस फैक्टरी के कर्मचारियों से बाची गांव के निकट 407000 रुपये छीनकर बेलगाम शहर की ओर भाग जाने की खबर थी जिनमें से मोटर साइकिल पर सवार दो अभियुक्त काली और लाल कमीजें पहने थे। सूचना प्राप्त होते ही श्री जी आर पाटिल जो उस समय खानापुर सर्किल आफिस में थे, तुरंत हरकत में आ गए और अपने स्टाफ तथा खानापुर थाने के श्री एस एस गडग, सी पी सी 1433 और नंदागढ़ थाने के श्री एस ए तोलगी, सी पी आई सी 1517 के साथ एक सरकारी जीप संख्या के ए -२२ जी 276 चालक वी एन बागले सहित, खानापुर बेलगाम सड़क पर पेट्रोल ड्यूटी पर पहुंच गए, जब वह हतारगुंडी क्रासपर संदिग्ध अभियुक्तों का इंतजार कर रहे थे तभी उन्होंने देखा कि 3.30 बजे अपराह्न के आसपास दो व्यक्ति जो काली और लाल शर्ट पहने थे, एक नीले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल पर, जिसकी नम्बर प्लैट खुरची हुई होने के कारण संदिग्ध स्थिति में थी, खानापुर की तरफ जा रहे थे और जब उन्होंने उनको रुकने का सिग्नल दिया तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोकने के बजाय उसकी गति बढ़ा दी और उतावले ढंग से गाड़ी चलाते हुए खानापुर की ओर भाग गए। जब सी पी आई श्री जी आर पाटिल ने उनका पीछा किया तो उनकी चाल बढ़ गई तथा वे खानापुर जम्बोटी रोड पर पर जम्बोटी रोड की ओर चले गए। इसी बीच, सी पी आई ने इस की खबर डी एस पी बेलगाम देहात तथा बेलगाम जिला नियंत्रण कक्ष को दे दी और बेलगाम जम्बूटी रोड होकर पुलिस अधिकारी भेजने का अनुरोध किया तथा इस पी एस आई खानपुर को यह भी अनुदेश दिया कि वह जम्बोटी रोड पर अवरोधों की व्यवस्था करें। सी पी आई श्री जी आर पाटिल अपने तथा अपने कर्मचारियों के जीवन को जोखिम में डालते हुए औटौली वन मोड के निकट अपराधियों के आगे निकल गए। इसी बीच अभियुक्तों ने गाड़ी सड़क पर छोड़ दी तथा जंगल में भाग गए। सी पी आई ने अभियुक्तों का पीछा किया तथा तिलकवाड़ी के राबरी एडविन सेबेस्टियन नामक एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पूछे जाने पर उसने बताया कि दूसरे अभियुक्त

का नाम सोमू राजपूत था। खानापुर थाना के सी पी सी 1433 श्री एस एस गडग और नंदगढ़ थाना के सी पी सी 1517 श्री एस ए तोलगी , इन दोनों पुलिस कांस्टेबलों ने दूसरे अभियुक्त राजपूत का पीछा किया परन्तु उस अभियुक्त ने इन पर हमला कर दिया और बचकर भाग गया। इसी बीच के ए -22,2419 नम्बर वाली लाल रंग की मारुति कार देखकर, जो खानापुर जम्बोटी रोड से होकर गुजर रही थी, अभियुक्त राबर्ट एडविन सेबेसिटयन ने यह कहते हुए सी पी आई का ध्यान कार की ओर आकृष्ट कराया कि पैसा इस कार में रखा है और उस कार में बैठे लोग संजीव संतोष राणे और उसका भाई विनायक, तथा कमरुद्दीन सौदागर, उसके साथी हैं तथा सभी बेलगाम के हैं। जब सी पी आई ने कार की ओर देखा तभी अभियुक्त राबर्ट एडविन सेबेस्टियन ने उनर हमला कर दिया तथा सी पी आई और ड्राइवर को धक्का देते हुए ओटौली के जंगलों की ओर भाग गया, हल्की चोट होने के बावजूद सी पी आई श्री जी आर पाटिल ने अपने कर्मचारियों के साथ उसका पीछा किया।

इस बीच श्री आर बी पाटिल , डी एस पी बेलगाम, देहात, श्री बी पी हुलास गुण्ड , सी पी आई, बेलगाम देहात श्री विश्वनाथ कुलकर्णी, पी.ए.आई. बेलगाम देहात और श्री महन्तेश्वर पी आई, तिलकवाड़ी अपने कार्मिकों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए तथा ओटौली वन क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया और अभियुक्तों की तलाश शुरु कर दी। फरार अभियुक्त की तलाश करते हुए श्री जी आर पाटिल, सी पी आई ने देखा कि अभियुक्त श्री बी पी हुलासगुंड, सी पी आई, श्री विश्वनाथ कुलकर्णी पी एस आई, बेलगाम देहात और सी पी सी 1736, श्याम डोड्डानायकर और सी पी सी 800 श्री वी के मालागी के नेतृत्व वाले पुलिस बल को अपने रिवाल्वर से धमका रहा है और उन्हें गोली से मारने की कोशिश कर रहा है तथा उसका निशाना हो दो बार चूक भी गया तब सी पी आई पुलिस अधिकारियों के जीवन की रक्षा करने के लिए आगामी परिणामों का अनुमान लगाते हुए बहादुरी पूर्वक उस अभियुक्त की ओर बढ़े तथा सरकारी रिवाल्वर से उस अभियुक्त की दाहिनी टांग में गोली मारकर उसे अपंग बना दिया।उनकी त्वरित एवं समय से की गई कार्रवाई से पुलिस अधिकारियों की जान बच गई तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर पल्सर मोटर साइकल एवं एक देशी रिवाल्वर जब्त कर लिया गया। बाद में 376100/- रुपये तथा लूट की राशि और बेलगाम देहात संख्या 91/07 के अंतर्गत अभियुक्तों 1. येल्लूर के संतोष संजीव राणे 2. सोमू कुमार राजपूत 3. कमरुद्दीन सौदागर 4. रावर्ट एडविन सेवेस्टियन 5. बापू गणपति पाटिल जो सभी बेलगाम के थे को ले जाने के काम में लाई गई मारुति कार की जब्ती की गई। सी पी आई की इस त्वरित एवं सामयिक कार्रवाई की उसके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा काफी प्रशंसा की गई।

इस प्रक्रिया में श्री जी आर पाटिल के पेट में दाई ओर तथा दाहिनी बाँह में चोट भी लगी। इस प्रकार श्री जी आर पाटिल ने असाधारण साहस और दक्षता एवं कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय निष्ठा का प्रदर्शन किया तथा जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने में अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया।

इस मुठभेड़ में श्री जी आर पाटिल सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 जून, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 145-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/पुलिस पदक का द्वितीय बार/पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक		
	सर्व/श्री	
1.	वी.एस. भदौरिया, निरीक्षक	वीरता के लिए पुलिस पदक (मरणोपरांत)
2.	विजय यादव पुलिस महानिरीक्षक	वीरता के लिए पुलिस पदक का द्वितीय बार
3.	दिनेश चन्द सागर, पुलिस उप महानिरीक्षक	वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार
4.	डा. हरि सिंह, पुलिस अधीक्षक	वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार
5.	निरन्जन बी. व्यंगकार पुलिस अधीक्षक	वीरता के लिए पुलिस पदक
6.	के.डी. सोनाकिया निरीक्षक	वीरता के लिए पुलिस पदक
7.	सतीष दुबे निरीक्षक	वीरता के लिए पुलिस पदक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

ग्राम गढ़िया बुढारा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश में दिनांक 15.3.2007 को पुलिस के साथ 18 घण्टे से अधिक समय तक चली एक भीषण मुठभेड़ में दस्यु सम्राट जगजीवन परिहार तथा उसके गुट के कई अन्य प्रमुख सदस्य मारे गए। इस जगजीवन परिहार गुट ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित चम्बल घाटी में आतंक मचा रखा था। उन्होंने सोची समझी हत्या, डकैती, लूट और फिरौती के लिए अपहरण जैसे 54 जघन्य अपराध किए थे जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैली हुई थी। इस गुट के पास ए के-47 राइफल यू एस एम आई सेमी आटोमेटिक, .303 राइफलें और चीन में बने ग्रेनेड जैसे स्वचालित घातक हथियारों का जखीरा था। चम्बल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को दिनांक 14 मार्च, 2007 को इण्टरसेप्सन सेण्टर, एस टी एफ, मध्य प्रदेश, भोपाल से सूचना मिली कि यह गुट मुरैना जिले के पोर्सा पुलिस थाना अन्तर्गत स्थित गढ़िया बुढारा गाँव में रह रहे हीरा सिंह परिहार के घर में सम्भवत: आश्रय लिए हुए है। इस क्षेत्र की स्थलाकृति के पेशेवर रूप से जानकार श्री विजय यादव ने इन डकैतों को धर पकड़ने के लिए एक विवेकपूर्ण अभियान की योजना बनाई। तत्काल चार पुलिस पार्टियां बनाई गई और उन्हें गढ़िया बुढारा गाँव में मिलने का निदेश दिया गया। पहली पार्टी का नेतृत्व मुरैना के पुलिस अधीक्षक श्री हरि सिंह कर रहे थे। द्वितीय पार्टी का नेतृत्व चंबल रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री डी सी सागर कर रहे

थे। तृतीय पार्टी का प्रभार एस पी भिण्ड श्री निरन्जन बी. व्यंगकार ने गृहण किया जबकि चंबल के आई जी श्री विजय यादव ने चौथे ग्रुप का भार स्वयं संभाला। मुरैना के एस.पी. श्री हरि सिंह यादव के नेतृत्व वाली पहली पार्टी 1430 बजे सम्भावित स्थल पर पहुँच गई और उस घर में प्रवेश कर गई। पुलिस पार्टी को पास आते देखकर डकैतों ने अंदर पोजीशन ले ली तथा स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी शुरु कर दी। पुलसि पार्टी बिना किसी सुरक्षा कवच के थी इसलिए उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। निर्भीक श्री अजय सिंह ने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस थाना पोरसा के एस एच ओ, श्री वीरेन्द्र भदौरिया, निरीक्षक स्वचालित हथियारों से चली गोलियों से घायल हो गए। बहादुरी से जवाबी गोलीबारी करते हुए उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। थाना कोतवाली मोरेना के निरीक्षक श्री के.डी. सोनाकिया के हाथों में भी स्वचालित हथियारों से चलाई जा रही गोलियां लगी। उन्होंने ने भी अत्यधिक बहादुरी से जबाबी गोलीबारी की। हैड कांस्टेबल राजिन्दर सिंह परिहार, कांस्टेबल रामबरन और कांस्टेबल उदय वीर भी इस शुरुआती गोलीबारी में घायल हो गए थे। घायलों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। दुर्भायवश घायल पुलिस कार्मिकों के हथियार डकैतों के कब्जे में चले गए। वे डकैते घर के अंदर से पत्थरों और कंक्रीट की दीवारों का कवच बनाकर गोलियाँ चला रहे थे जबकि पुलिस खुले में थी, रणनीतिक रूप से यह अत्यधिक नुकसानदायक स्थिति थी। श्री हरि सिंह यादव, जिनकी आधी से अधिक पार्टी जख्मी हो गई थी और डकैतों की संख्या अधिक थी, ने भारी गोलीबारी की परवाह न करते हुए उच्च स्तर का साहस एवं दक्ष नेतृत्व का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने कार्मिकों को एकत्र किया और गोलियों का सामना करते हुए रणनीतिक लाभ लेने और डकैतों को व्यस्त रखने के उद्देश्य से घर की छत पर चढ़ गए। उनकी पार्टी के शेष कार्मिकों ने बाहर पोजीशन ले ली और जवाबी गोलीबारी करते रहे। उसी समय श्री डी.सी. सागर, डी आई जी चंबल रेंज अपने दल बल सहित घटना स्थल पर पहुँच गए। गोलियों का सामना करते हुए वे तुरन्त घर की छत की ओर बढ़ गए। छत के मध्य भाग में रोशनी के लिए एक मोकला बना था जो लोहे की ग्रिल से आच्छादित था। जैसे ही पुलिस बल का कोई सदस्य छत पर जाने की कोशिश करता था डकैत घर के अंदर से गोली चला देते थे। असुरक्षित पुलिस बल को तब और खतरा उत्पन्न हो गया जब उस आयरन ग्रिल की दरारों से गोलियाँ चलाई गई थीं। निरीक्षक श्री सतीश दुबे एस.एच.ओ. पुलिस थाना फूफ जिला भिण्ड अत्यधिक साहस और बहादुरी से छत पर आगे बढ़े तथा उस मोकले के पास जाकर नीचे खड़े डकैतों पर गोलियाँ चला दीं। चंबल रेंज के डी आई जी श्री डी.सी. सागर के समर्पण कर देने के आह्वान का स्वागत भारी गोलीबारी से किया गया। निरीक्षक सतीश दुबे को लोहे की ग्रिल से निकली किरच से आँख के नीचे चोट लग गई और वह छत पर गिर पड़े। चारों ओर से चलतीं गोलियों के बीच से श्री सागर अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए तुरन्त आगे बढ़े और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। तत्पश्चात श्री सागर ने आत्मरक्षा में सशस्त्र हमला बोल दिया। इसी बीच चंबल के आई जी श्री विजय यादव भी घटना स्थल पर पहुँच गए और तत्काल घर की छत पर चढ़ गए। हालात अत्यधिक नाजुक हो चले थे। एक पुलिस निरीक्षक मारा गया था, 2 पुलिस निरीक्षकों तथा 3 अन्य पुलिस कार्मिकों को गोलियों से घायल होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी डकैत जिन्दा थे तथा भारी गोलीबारी कर रहे थे जबकि पुलिस बल खुले मैदान में था और घर के अंदर घुस पाने में अक्षम था। आई जी ने अपने अधिकारियों के साथ संक्षिप्त चर्चा की और एक रणनीति तैयार की गई। यह स्पष्ट था कि इस पर आसानी से और जल्दी सफलता मिलना मुश्किल है। जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा और डकैत अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाएंगे। प्रचालनात्मक सफलता सुरक्षित करने के लिए एक आन्तरिक एक बाह्य और निर्जन घेराबंदी की गई। श्री डी.सी. सागर, डी आई जी, चम्बल रेंज अपनी टीम के साथ छत से आक्रमण की अगुआई कर रहे थे और उनकी सहायता कर रहे थे। श्री हरि सिंह उनकी सहायता कर रहे थे। जबकि श्री निरंजन

वी. व्यंगकार तथा उनकी टीम को उस घर के बाईं तरफ सुरक्षा मुहैया करानी थी। मध्य प्रदेश के एस टी एफ को उस घर के सामने वाला क्षेत्र कवर करना था। यह एक अत्यधिक मुश्किल काम था। चम्बल के आई जी श्री विजय यादव ने अपनी कमाण्ड पोस्ट छत पर स्थापित कर ली और अभियान को व्यक्तिगत रूप से निदेशित करते रहे। वह सारी रात अपने व्यक्तिगत जीवन की परवाह किए बिना अपने आदमियों का उत्साहवर्धन करते हुए और उनको व्यावसायिक मार्गदर्शन देते हुए गोलियों के बीच से इधर-उधर घूमते रहे। शुरुआत में ही लोहे की ग्रिल के बीच से आई गोली से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने पूरी दमखम से अपना कार्य जारी रखा। जब छत से हमला कम हो गया तो श्री विजय यादव खुद आगे बढ़े तथा ग्रेनेड चला दी। कमाण्डो रणनीति में संयुक्त राज्य में विशेष रूप से प्रशिक्षित श्री विजय यादव ने साहस, पेशेवरता और नेतृत्व का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया जो निर्णायक सिद्द होना था। श्री डी सी सागर ने अपने व्यक्तिगत जीवन की सुरक्षा की परवाह न करते हुए छत से तथा उस मुकले से जिससे डकैत लगातार गोलीबारी कर रहे थे प्रभावकारी हमला शुरु करने की एक रणनीति तैयार की। छत में छेद करने की पहल करते हुए उन्होंने अपने बल को साथ आने के लिए कहा। इस तरह, श्री डी सी सागर ने प्रभावी गोलीवर्षा करने का प्रयास किया तथा डकैतों द्वारा की जा रही सतत घातक गोलीबारी के जवाब में आंसू गैस के गोले तथा एच ई-36 ग्रेनेड चलाए । यह एक अत्यधिक जोखिम भरा कार्य था क्योंकि छत बिल्कुल खुली थी जिस पर कोई कवर नहीं था तथा घातक गोलियाँ चारों ओर से चल रहीं थीं। सारी रात श्री डी सी सागर अपने काम पर लगे रहे। हालांकि उन्हें गोली से हल्की चोट लग गई थी फिर भी वह निर्भीक बने रहे तथा उन्होंने हमला जारी रखा। इस कार्य में उनका श्री हरि सिंह यादव द्वारा अत्यधिक योग्यतापूर्वक सहयोग किया जा रहा था। आधी रात के पश्चात डकैतों ने घर के बायीं ओर की दीवार से होकर भागने का निरर्थक प्रयास किया। उन्होंने बायीं दीवार पर खुली रखी ईंटों को गिरा दिया और इससे होकर अपने स्वचालित हथियारों से फायर कर दिया। श्री निरंजन बी. व्यंगंकर एस पी भिण्ड, जो बायीं ओर की रक्षा कर रहे थे, ने बड़ी बहादुरी से उनकी गोलियों का जवाब दिया। अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालकर गोलियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए आगे बढ़े तथा डकैतों पर भारी गोली वर्षा की जिससे वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचने और उस साइड से बचकर भाग निकलने के सभी प्रयास छोड़ने को मजबूर हो गए। सारी रात गोली चलती रही। डकैत जिनके पास स्वचालित हथियार और भारी मात्रा में गोलाबारुद था तथा घर के अंदर बनी विभिन्न दीवारें उनकी रक्षा कर रहीं थीं, अविजित बने रहे। यह निश्चय किया गया कि दिन निकलने पर छत और दीवालों को तोड़कर घर के अंदर घुसा जाएगा। घर की छत में दो भारी दरारें बनाई गईं। श्री विजय यादव ने घर का अगवाड़ा जे सी बी मशीन से तुड़वा दिया। यह पुलिस बल तब भौंचक्का रह गया जब इस गैंग ने दो ग्रेनेड फेंके जिनमें से एक ग्रेनेड फट गया। इस विषम स्थिति में श्री विजय यादव, असाधारण साहस एवं अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए, सामने से घर के अंदर घुस गए तथा उन डकैतों को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया। साथ ही श्री डी सी सागर और श्री हरि सिंह यादव अपनी निजी जान को जोखिम में डालते हुए तथा अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए छत से घर के पिछवाड़े की तरफ कूदकर अंदर घुस गए तथा अत्यधिक नजदीक से डकैतों को मार गिराया। 18 घण्टे तक चली इस ऐतिहासिक मुठभेड़ में गैंग लीडर जगजीवन परिहार तथा उसके 6 अन्य प्रमुख साथी मार गिराए गए। इस गैंग पर 9.17 लाख का संचयी पुरस्कार था। डकैतों से घातक हथियार तथा भारी मात्रा में जिन्दा और खाली कारतूस बरामद किए गए। इसमें शामिल हैं एक ए के-47 राइफल, दो यू एस एम आई अर्धस्वचालित 30-06 बोर राइफलें पाँच मार्क-III .303 राइफलें, दो .315 भारतीय आयुध फैक्टरी राइफलें और चीन निर्मित विखण्डन ग्रेनेड भी बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री (स्वर्गीय) वी.एस. भदौरिया, निरीक्षक, विजय यादव, पुलिस महानिरीक्षक, दिनेश चन्द सागर, पुलिस उप महानिरीक्षक, डा. हरि सिंह, पुलिस अधीक्षक, निरंजन बी. व्यंगकर, पुलिस अधीक्षक, के.डी. सोनाकिया, निरीक्षक तथा सतीश दुबे, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, वीरता के लिए पुलिस पदक/पुलिस पदक का द्वितीय बार/पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15 मार्च, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 146-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री मोहिन्द्र कंवर,
उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

शिवपुरी पुलिस के डकैत उन्मूलन इतिहास में 13 जून, 2006 का दिन मील का पत्थर साबित हुआ है। शाम को एस डी पी ओ – करेरा, मोहिन्द्र कंवर को बाडगोर गांव के निकट माहौर नदी के दर्रों में 4-5 सशस्त्र डकैतों की हरकत के बारे में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। एस डी पी ओ करेरा ने तत्काल एस.पी. शिवपुरी को सूचित किया तथा सुनारी चौकी पहुंचने में कोई समय नहीं गंवाया। इसी बीच उन्होंने एस एच ओ, पुलिस स्टेशन अमोला, श्री रवि भदौरिया, प्रभारी बाह्य चौकी सुनारी, सहायक उप पुलिस निरीक्षक उदय भान सिंह को आवश्यक तैयारी करने के लिए ब्रीफ किया। 13.06.2006 को रात्रि में लगभग 2.30 बजे समग्र पुलिस बल बाह्य चौकी सुनारी पर एकत्र हुआ तथा बाडगोर गांव के जरिए माहौर दर्रों की तरफ आगे बढ़ने लगा तथा खाटी बाबा मंदिर पहुंचा जहां मुखबिर ने गैंग की वास्तविक स्थिति के बारे में बताया था। एस डी पी ओ करेरा ने बल को तीन तलाशी दलों में विभाजित कर दिया। प्रथम दल का नेतृत्व हवाक कमांडो शक्ति सिंह, मनोज सिंह, चंदगी राम और कांस्टेबल दया शंकर, सी-475 सुनेश्वर पाईकरा के साथ वे स्वंय कर रहे थे। दूसरे दल का नेतृत्व कांस्टेबल संतोष, कांस्टेबल कसान, कांस्टेबल रुस्तम तथा कांस्टेबल प्रेमलाल पांडेय के साथ एस एच ओ पुलिस स्टेशन अमोला, श्री रवि भदौरिया कर रहे थे। तीसरे दल का नेतृत्व सहायक उप निरीक्षक विनोद चाबई, हैड कांस्टेबल भान सिंह, हैड कांस्टेबल अमर सिंह, कांस्टेबल राजेन्द्र, कांस्टेबल संजय मारको के साथ सुनारी बाह्य चौकी के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक उदय भान सिंह कर रहे थे। एस डी पी ओ करेरा, एस एच ओ अमोला तथा सुनारी बाह्य चौकी के प्रभारी के योग्य नेतृत्व के अन्तर्गत पुलिस दल चुपके-चुपके डकैतों के क्षेत्र में आगे बढ़ा। इस तलाशी के दौरान दल संख्या 1 के कांस्टेबल सुनेश्वर पायकरा जिनका नेतृत्व एस डी पी ओ करेरा कर रहे थे, ने कुछ सशस्त डकैतों को पेड़ के नीचे बैठे देखा। एस डी पी ओ करेरा ने तत्काल वायरलैस सैट के जरिए दल संख्या 2

और दल संख्या 3 को इसका संदेश प्रेषित किया तथा उन सबको उस दिशा में आगे बढ़ने का आदेश दिया। इसी बीच डकैतों के संतरी ने गोली चलाई लेकिन वह चूक गया। इस तुरन्त लाभ से एस डी पी ओ करेरा को मौका मिल गया, क्योंकि गैंग में श्रेष्ठ तेज शूटर थे जिनके पास खूंखार राइफलों की किलेबंदी थी। पुलिस पार्टी संख्या 1 के सभी सदस्यों ने मोर्चा संभाल लिया, एस डी पी ओ, करेरा ने डकैतों को अपने हथियार डालने की चुनौती दी और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। डकैतों ने चेतावनी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तथा पुलिस पार्टी पर उनको मारने की इच्छा से अंधाधुंध गोलीबारी करना आरंभ कर दिया, गोलियों उनके कान के पास से गुजर रही थीं तथा अपनी जान के प्रति आसन्न खतरे को भांपते हुए, एस डी पी ओ करेरा ने आत्मरक्षा में गोलीबारी का आदेश दिया, एस डी पी ओ करेरा सर-पर आए खतरे का सामना करने के लिए आगे बढ़े। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही । आड़ लेते हुए एस डी पी ओ करेरा ने निर्भीकता से अपनी ए के-47 राइफल से गोली चलाई तथा एक डकैत को मार गिराया जो दर्रे में गिर पड़ा। डकैत निराश हो गए तथा उन्होंने अंधाधुध गोलीबारी जारी रखी। दल सांख्या 2 और दल संख्या 3 भी शामिल हो गए। इस भीषण मुठभेड़ के दौरान गैंग के एक सदस्य को मार गिराया गया जिसकी बाद में पहचान वांटेड आततायी डकैत उमराव सिंह बुंदेला के रुप में की गई, जबकि उसके साथी कम प्रकाश कम प्रकाश तथा जोखिम भरे भूभाग का लाभ उठाते हुए भागने में कामयाब रहे। मृत डकैत उमराव सिंह बुंदेला तीन दर्जन हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, हत्या के प्रयास जैसे घृणित अपराधों में संलिप्त था। उसके सिर पर 25000/-रुपए का इनाम था । डकैत पिछले 13 वर्षों से पुलिस को चकमा दे रहा था । इस अवधि के दौरान विभिन्न मुठभेड़ों में उसने कम से कम चार पुलिस अधिकारियों को मारा था । उसका कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, गुना से उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर तक फैला था। इस खूंखार मुठभेड़ में डकैतों द्वारा 55 राउन्ड गोली चलाई गई तथा पुलिस दल द्वारा 84 राउन्ड गोली चलाई गई। एक 12 बोर बंदूक, एक विलडोलिया, 10 जीवित राउन्डों सहित, 05 खाली कारतूस, एक 315 बोर देशी राइफल, .315 बोर के दो जीवित राउन्ड, दैनिक उपयोग की कुछ आवश्यक वस्तुएं तथा 1250/- रुपए नकद, डकैत के शव के पास से बरामद किए गए। मुठभेड़ स्थल से 12 बोर के 12 खाली कारतूस तथा 315 बोर के 4 खाली कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ श्री मोहिन्द कंवर, उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13 जून, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 147-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री सुनील शांताराम होसलकर,
हैड कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

02/03.06.2007 की मध्यरात्रि के दौरान हैड कांस्टेबल/6239 सुनील शांताराम होसलकर, पी एन/24675, प्रकाश लक्ष्मण काल गुटकर मुम्बई शहर के कुरुर गांव में सादा वर्दी में गश्त दे रहे थे। लगभग 0245 बजे, गश्त करते समय हैड कांस्टेबल सुनील एस होलकर को अपने स्रोतों के जरिए विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि एक वांछित खूंखार डकैत अर्थात नरेश उर्फ नारु रघुनाथ धानावडे अपने साथियों के साथ कोणकाणी पाडा, बनर्जी चाल, कमरा नं. 5, कुरुर गांव में छुपा हुआ है। उक्त विश्वसनीय सूचना के प्राप्त होने पर, हैड कांस्टेबल सुनील एस. होसलकर ने अन्य दो पुलिस कार्मिकों अर्थात् पी एन/24533, डी.डी. उगल मुगले तथा पी.सी./961165, एस.पी. टाटकरे को बुलाया जोकि निकटवर्ती क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। खूंखार डकैत नरेश उर्फ नारु धानावडे एक डकैती के सनसनीखेज मामले में घोषित अपराधी है जोकि हाल ही में कान्डीवली कार्य क्षेत्र में घटित हुई थी। उसके सिर पर पुलिस रिकार्ड में कई गंभीर अपराध दर्ज थे। चूंकि हैड कांस्टेबल सुनील एस. होसलकर घोषित अपराधी की पहचान करने में सक्षम था, उन्होंने दल का नेतृत्व किया तथा वे लगभग 03.35 बजे उक्त स्थान पर पहुंचे। हैड कांस्टेबल सुनील एस. होसलकर ने अपने साथियों के साथ महसूस किया कि ¾ व्यक्ति संदिग्ध रूप से कमरे में छुपे हुए हैं। हैड कांस्टेबल सुनील एस. होसलकर ने स्टाफ के साथ कमरे को घेर लिया, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और चिल्लाते हुए अपराधियों को अपनी पहचान बतायी कि 'हम पुलिस कार्मिक हैं तथा वे अपने आप को समर्पित कर दें' कुछ ही पल में, अपराधियों ने कमरे की बतियां बुझा दीं तथा उनमें से एक अपराधी ने अचानक कमरे का दरवाजा खोल दिया। दूसरी तरफ की लाइटों में हैड कांस्टेबल सुनील एस. होसलकर ने तत्काल पहचान की कि वह और कोई नहीं बल्कि आततायी नरेश धानावडे है, वे उन पर कूद पड़े तथा उसे सख्ती से पकड़ लिया। कुछ ही सैकन्डों में नरेश धानावडे ने छुरा निकाल लिया जो उसने अपनी कमीज के नीचे छुपा रखा था तथा हैड कांस्टैबल सुनील एस. होसलकर के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनके सिर से खून बहने लगा। तत्काल पी एन, प्रकाश लक्ष्मण कालगुटकर, हैड कांस्टेबल, सुनील एस. होसलकर की सहायता के लिए दौडे तथा नरेश धानावडे के अन्य साथियों को पी एन, डी.डी. उगलमुगले तथा पी सी, सुनील एस. होसलकर पर छोड़ दिया। तथापि, गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, हैड कांस्टेबल, सुनील एस. होसलकर, ने सशस्त्र हमलावर के ऊपर अपनी पकड़ ढीली नहीं की। नरेश धानावडे के अन्य दो साथी नामत: जगदीश पटेल तथा योगेश ने भागना शुरु कर दिया तथा पी एन डी डी उगलमुगले तथा पी सी, एस.पी. टाटकरे को धमकी दी कि 'हट जाओ नहीं तो मार डालेंगे' और वह दोनों पुलिस कार्मिकों की तरफ अपने दोनों

हाथों में खतरनाक छुरा दिखा रहा था तथा इस संग्राम में पी एन, डी.डी. उगलमुगले को हाथ में चोट लगी जिन्होंने दोषियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जो बचकर भागने में सफल रहे किन्तु पी.एन.डी.डी. उगलमुगले और पी सी, एस.पी. टाटकरे दोनों अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी तरफ भागे जोकि उस घनघोर अंधेरे में गायब हो चुके थे। अपराधी नरेश धानावडे को जब्त हथियार के साथ कुरार पुलिस स्टेशन लाया गया। हैड कांस्टेबल, सुनील एस. होसलकर को चिकित्सा उपचार के लिए तब भगवती अस्पताल, बोरिवल्ली भेजा गया तथा ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सा अधिकारी ने स्वीकार किया कि उनको सिर में गंभीर चोट आई है। इस संदर्भ में कुरार पुलिस स्टेशन मुम्बई में मुम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 135 के साथ पठित आई पी सी की धारा 307, 353, 332, 333, 504, 506 (ii) के तहत सी आर नं. 164/2007 मामला दर्ज किया गया है। अपराधी नरेश उर्फ नारु रघुनाथ धानावडे को इस मामले में दर्ज किया गया है तथा पुलिस भगौडे अपराधी जगदीश ईश्वर पटेल तथा योगेश की तलाश कर रही है। उक्त अपराधी के पूर्ववृत्त की जांच से पता चला है कि उसे लूट और डकैती के कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था तथा वह कांडिवली पुलिस स्टेशन के हाल ही के सनसनीखेज मामले में घोषित अपराधी था। वह लूटेरों के इस गैंग का गैंग लीडर था तथा इस गैंग के अन्य सदस्यों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। उल्लिखित कृत्यों से यह स्पष्ट है कि सादी वर्दी में सशस्त्र सतर्क पुलिस कार्मिकों का छोटा सा दल अपने कर्तव्य का पालन परिश्रम और सचेतता से कर रहा था तथा वह भी 3 जून, 2007 रविवार की मध्यरात्रि के पश्चात, उन्होंने उल्लिखित घोषित अपराधी तथा उनके साथियों को पकड़ा जोकि कोनकणी पाडा में छुपे हुए थे। ये अपराधी खूंखार हथियारों से लैस थे जिनकी मुम्बई शहर में अपराध करने की निश्चित योजना थी।

इस मुठभेड़ में श्री शांताराम होसलकर, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3 जून, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 148-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. पी. संजय सिंह,
   उप निरीक्षक
2. के. दिनेश कुमार सिंह,
   उप निरीक्षक
3. टी.एच. सुनील सिंह,
   कांस्टेबल
4. एम. इंगोचा सिंह,
   बंदूकधारी
5. टी.एच. हेमन्ता सिंह.
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 10.12.2007 को पूर्वाह्न लगभग 7 बजे एक विशिष्ट विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित संगठन के वाई के एल (कांगलेई यावोल कांनबालुप) का एक समूह, एक वरिष्ठ कैडर के नेतृत्व में, जिनके संबंध में यह जानकारी है कि वे 25.12.2004 को नानग्रेन चिंगलाक में एक उप-निरीक्षक तथा 5 कांस्टेबलों की हत्या करने, 10 ए आर घात में 1 कप्तान रुपिन्द्रदीप तथा उसके 5 जवान कुम्बी में 16.02.2005 को मारने, 19.09.2005 को नागरियान पहाड़ी पर हुई घात में जे सी ओ सहित 5/8 जी आर के 11 कार्मिकों को मारने और 24.02.2007 को खोइरोक में 7 अन्य आई आर बी के कार्मिक घायल करने में संलिप्त है, वे उत्तरी ए.ओ.सी. इम्फाल स्थित होटल सिटी इन में शरण लिए हुए हैं, बिशनपुर कमांडो का एक दल, इम्फाल पश्चिम कमांडो को सूचित करने के पश्चात, उप निरीक्षक पी. संजय सिंह के नेतृत्व में उक्त होटल पर दबिश करने के लिए संगठित किया गया। होटल पहुंचने पर होटल की उचित रूप से घेराबंदी की गई तथा उप निरीक्षक पी. संजय सिंह, उप निरीक्षक के. दिनेश कुमार सिंह, कांस्टेबल टी.एच. सुनील सिंह, बंदूकधारी एम. इनगोचा सिंह तथा कांस्टेबल टी.एच. हेमन्ता सिंह, सभी चेतावनी और सतर्कता के साथ होटल की सीढ़ियां चढ़ने लगे। चूंकि उप निरीक्षक, पी. संजय सिंह, जिनके पीछे बंदूकधारी एम. रंगोचा सिंह तथा कांस्टेबल हेमन्ता सिंह चल रहे थे, उन्होंने युक्तियुक्त तरीके से होटल के प्रत्येक कमरे की तलाशी लेना शुरु किया, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना होटल का कमरा संख्या 202 खोला, दो युवकों ने, जो कमरे के भीतर थे, अचानक अपनी एके-47 आक्रमण राइफल हाथ में ले ली तथा उप निरीक्षक पी. संजय सिंह के दल पर गोली चलाने का प्रयास किया। उसी समय, उप निरीक्षक पी. संजय सिंह, बंदूकधारी एम. इंगोचा सिंह तथा कांस्टेबल टी.एच. हेमन्ता सिंह की युक्तियुक्त कवर गोलीबारी ने अपनी जान की परवाह किए

बिना अडिग निश्चय के साथ कार्रवाई की तथा वे होटल के कमरे के अंदर घुस गए, कमरे में मौजूद दोनों युवकों पर गोलीबारी करने लगे तथा दोनों युवकों को चोट पहुंची तथा उनकी कमरे में ही मृत्यु हो गई। इसी बीच उप निरीक्षक के. दिनेश कुमार सिंह ने जिनके पीछे कांस्टेबल टी.एच. सुनील सिंह, वे होटल की तलाशी लेने के लिए चढ़ रहे थे तब अचानक, एक सशस्त्र कैडर ने दुबारा एस आई, के दिनेश कुमार सिंह तथा दल पर गोलीबारी करने का प्रयास किया। होटल की छत पर अधूरी दिवार की आड़ लेते हुए उप निरीक्षक, के. दिनेश कुमार सिंह तथा कांस्टेबल टी.एच. सुनील सिंह ने असाधारण कर्त्तव्य भावना से ओतप्रोत हो कर, सशस्त्र कैडर द्वारा किए गए प्रयास को असफल करने के लिए जवाब में गोली चलाई जिसके पश्चात उनको गोली की चोट पहुंची तथा होटल की छत पर उसकी मृत्यु हो गई। हलाक उग्रवादियों की बाद में पहचान निम्न के रूप में की गई :-

(1) हमोम फूलिन्द्रो मेतई उर्फ ईटो उर्फ नानओ उर्फ सुनील उर्फ ग्रेट (44) पुत्र एच. खील्म्बा, बिशनपुर ममांग लेकई वार्ड संख्या II,, एस/एस. लेफ्टिनेंट, लाल हबा टेंगोल-I, के वाई के एल फाइटिंग ग्रुप का भी कमांडर, ओ.एन.के. (आप्रेशन न्यू कोग लेईपाक)

(2) थोक चोम विनोद कुमार उर्फ चिंगखेई उर्फ सेती (26) पुत्र ठाकुर रत्न कुमार, कुम्बी अवांग लेईकई, एस/एस सार्जेंट, फाइटिंग कैडर, लालहबा टेंगो-I, के वाई के एल

(3) मुतुम अमु उर्फ देबान (26) पुत्र एम. इबोचा, ओकसू ममांग लेईकई, इम्फाल पूर्व, एम/एस सार्जेन्ट, फाइटिंग कैडर. लालहबा टंगोल-I, के वाई के एल

उनके पास से निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारुद बरामद किए गए:-

(1) एक मैगजीन और 22 जीवित राउन्ड के साथ एक ए के-47 हमलावर राइफल
(2) एक मैगजीन और 3 जीवित राउन्डों के साथ एक 9 एम एम पिस्तौल
(3) एक एच ई .36 हैंड ग्रैनेड

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री पी.संजय सिंह, उप निरीक्षक, के. दिनेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक, टी.एच. सुनील सिंह, कांस्टेबल, एम. इंगोचा सिंह, बंदूकधारी तथा टी.एच. .हेमन्ता सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 149-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. निंगोमबम सदानन्द सिंह,
उप निरीक्षक
2. ई. जोय कुमार सिंह,
कांस्टेबल
3. युमनम शरतचन्द्र सिंह,
कांस्टेबल
4. टी. जितेन सिंह,
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 07.02.2008 को रात्रि लगभग 9.30 बजे एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि कांगलेईपाक काम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी), नामक उग्रवादी संगठन के कुछ लडाकू सदस्य अपनी नापाक गतिविधियों जैसे कि जनता से पैसा वसूलने, वाहनों का अपहरण करने, सुरक्षा कार्मिकों पर घात लगाने आदि के लिए म्यांग इम्फाल रोड़ के आस-पास घूम रहे हैं। स्रोत सूचना की प्राप्ति पर उप-निरीक्षक एन.सदानन्द सिंह की कमान्ड के अंतर्गत इम्फाल पश्चिम जिले के कमान्डो का दल आतंकवादियों पर पूर्व-निश्चित हमले हेतु उक्त क्षेत्र में पहुंचे। रात्रि लगभग 10.05 बजे जब कमान्डो दल नारानकोनजिन लामकेई तथा समुरोओ के बीच बाई पास सड़क पर पहुंचे तो कुछ अज्ञात युवकों ने सड़क के दोनों हिस्सों से कमान्डो पर अचानक गोलीबारी करना शुरु कर दिया। पुलिस कमान्डो तत्काल अपने वाहन से कूद पड़े, उन्होंने पुलिस जिप्सी वाहन के निकट मोर्चा संभाला तथा जवाबी कार्रवाई शुरु कर दी। मुठभेड़ के दौरान, अज्ञात युवकों ने कमान्डो पर हथगोले भी फेंके परन्तु भाग्यवश वे लक्ष्य से दूर थे वे सड़क के पश्चिमी किनारे धान के खेत में फटे। उप निरीक्षक सदानन्द ने अपने कार्मिकों नामतः कांस्टेबल वाई.शरतचन्द्र सिंह, कांस्टेबल इलांगबाम जोय कुमार सिंह तथा कांस्टेबल टोंगबराम जितेन सिंह के साथ सहज रूप से तथा युक्तिपूर्वक आगे बढ़ना शुरु किया जो अन्धकार में निरन्तर युवकों की तरफ अपनी ए के राइफलों से गोलीबारी करते हुए कमान्डो पर गोलीबारी कर रहे थे। हालांकि कमान्डो आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने उग्रवादियों पर धावा बोल रखा था, फिर भी उग्रवादियों ने अत्याधुनिक हमलावर हथियारों से कमान्डो की तरफ गोलीबारी करना शुरु कर दिया। विपरीत दिशा से निरंतर गोलियों तथा अन्धेरे के कारण विपरीत स्थिति से भयभीत हुए बिना कांस्टेबल ई.जोय कुमार सिंह, एक युवक को मार गिराने में सफल रहे जिसने धान के खेत के निकट सड़क के पश्चिमी हिस्से में मोर्चा संभाल रखा था। युवक की बाद में पहचान (क) संतोष प्रधान (23) पुत्र सोमोरित प्रधान,

22—381 GI/2008

मंत्रीपुखरी, निकट पुखरी अचोबा, इम्फाल, ए/पी काकवा असेम लेईकई, इम्फाल, के सी पी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में की गई। कांस्टेबल टी.जितेन सिंह एक युवक को मार गिराने में सफल रहे जिसने सड़क के पूर्व हिस्से में मोर्चा संभाल रखा था। युवक की बाद में पहचान (ख) खाईदेम बोकेर मेतई (24) पुत्र ख. इबोबी मेतई, काकवा हुईद्रोम लेईकई, के सी पी के खूंखार सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में की गई। इसी बीच उप निरीक्षक एन.सदानन्द सिंह ने कांस्टेबल वाई.शरतचन्द्र सिंह के साथ सड़क के किनारे नाले के साथ-साथ रेंगना शुरु किया तथा हानिप्रद मोर्चे के बावजूद वे अन्य युवक को मार गिराने में सफल रहे जिसने धान के खेत के निकट नाले के पूर्वी हिस्से में मोर्चा संभाल रखा था। युवक की बाद में पहचान (ग) नाओरेम बोबोई मेतई उर्फ बोयनाओ (23) पुत्र एन.इबोहाल, काकवा नाओरेम लेइकई, के सी पी के कोरपोरल के रूप में की गई। यह ग्रुप हाल ही में काकवा बाजार में एक दुकानदार की हत्या के लिए जिम्मेदार था तथा वह वांगगोई गांव के आस-पास लूट-खसोट के नोट बांटने के लिए जिम्मेदार था। तथापि, 4/5 उग्रवादी अंधेरे का लाभ उठाते हुए निरन्तर गोलीबारी करते विभिन्न दिशाओं मे भागने में सफल रहे। संक्षिप्त मुठभेड़ के पश्चात मुठभेड़ स्थल पर सघन तलाशी ली गई तथा (क) एक 7.65 एम एम स्वचालित पिस्तौल, अमेरिका में निर्मित, 77317 संख्या मेगजीन के साथ तथा चैम्बर में एक जीवित राउन्ड तथा मेगजीन में 7.65 एम एम गोलाबारुद के अन्य जीवित राउन्ड, 7.65 एम एम गोलाबरुद के कुल दो राउन्ड, धान के खेत में पश्चिमी हिस्से के आस-पास उग्रवादी के शव के पास से बरामद किए गए। (ख) सड़क के पूर्वी हिस्से में पाए गए उग्रवादी के शव के पास से डेटोनेअर के साथ एक 36 एच ई हथगोला बरामद किया गया (ग) धान के खेत के पूर्वी हिस्से में पड़े शव के पास से मेगजीन के साथ एक 7.65 एम एम पिस्तौल तथा चैम्बर में एक जीवित राउन्ड तथा मेगजीन में 7.65 एम एम गोलाबारुद के तीन जीवित राउन्ड, 7.65 एम एम गोलाबारुद के कुल चार राउन्ड बरामद किए गए और जांच के पश्चात घटनास्थल से 9 एम एम गोलाबारुद का एक खाली खोल ए के गोलाबारुद के चार खाली खोल बरामद किए गए। इस मामले को आई पी सी की धारा 121/121-ए/307/34,25 (1-सी) शस्त्र अधिनियम की धारा 3/5, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा 16 यू ए (पी) शस्त्र अधिनियम तथा 16 यू ए (पी) शस्त्र अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत वांगगोई पुलिस स्टेशन में एफ आई आर सं. 15 (2) 08 के तहत दर्ज किया गया है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री निंगोमबम सदानन्द सिंह, उप निरीक्षक, ई.जोय कुमार सिंह, कांस्टेबल, युमनम शरतचन्द्र सिंह, कांस्टेबल, टी.जितेन सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 फरवरी, 2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 150-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. आई. खाबा सिंह,
   जमादार
2. एल. रामेश्वर सिंह,
   हवलदार
3. एम. अकाटोन सिंह,
   बंदूकधारी
4. टी एच. दीलिप सिंह,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 18.01.2008 को लगभग 10.30 बजे कमान्डो यूनिट इम्फाल पूर्वी जिले के जमादार आई. खाबा सिंह को थारोईजम मानिंग लेइकई, पास्तसोई, इम्फाल पश्चिम के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादी गुट कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (मिलिटरी परिषद) से संबंधित सशस्त्र उग्रवादियों के समूह की उपस्थिति के बारे में अपने स्रोत से बहुत ही विश्वसनीय और कार्रवाई योग्य सूचना प्राप्त हुई। जमादार आई. खाबा सिंह ने तत्काल इम्फाल पूर्वी जिले के कमांडो यूनिट के ओ.सी. इन्सपेक्टर मनिहार सिंह को सूचित किया, जिन्होंने कमांडो की चार टीमें गठित कीं अर्थात् टीमें जिनका नेतृत्व (1) निरीक्षक श्री मनिहार सिंह (2) जमादार आई.खाबा सिंह (3) उप निरीक्षक पी. जॉन सिंह डी सी ओ यूनिट, पश्चिम तथा (4) हवलदार एल. रामेश्वर सिंह कर रहे थे। संगठित टीम ने ब्रीफिंग ओर योजना बनाने के पश्चात, बिना कोई समय गंवाए, अभियान चलाने के लिए उक्त क्षेत्र की तरफ प्रस्थान किया। लगभग 1105 बजे क्षेत्र में पहुंचने के पश्चात जमादार आई खाबा सिंह तथा हवलदार एल.रामेश्वर सिंह के नेतृत्व में टीमें सीधे संदिग्ध घर पर पहुंची, इंस्पेक्टर मनिहार सिंह और एस.आई. पी. जोन सिंह के नेतृत्व वाले दल ने घिसट कर आगे बढ़ते हुए समीपस्थ घरों सहित आस-पास के क्षेत्र में घेरा डाल दिया। इस प्रकार जब जमादार आई खाबा सिंह अपनी टीम के साथ उस घर की तरफ बढ़ रहे थे, तीन अज्ञात युवकों को बहुत ही संदिग्ध तरीके से घरों के पिछले हिस्से से भागते हुए देखा गया। हवलदार एल. रामेश्वर सिंह और बंदूकधारी एम. अकाटन सिंह ने चिल्ला कर उनको रुकने के लिए कहा। तथापि, युवकों ने रुकने की बजाय कमांडो की तरफ गोली चलाना शुरु कर दिया तथा वे विभिन्न दिशाओं में भागने लगे। पुलिस अधिकारी और कार्मिक हक्के-बक्के रह गए क्योंकि उग्रवादी स्थानीय लोगों के बीच गोलीबारी कर रहे थे। तथापि, अधिकारियों और कार्मिक कुछ ही पल में पुनः संगठित हो गए तथा उचित सावधानी बरतने के पश्चात उसी समय गोली चलाते हुए उनका पीछा करना शुरु कर दिया जिससे कि उनको भागने से रोका जा सके। इस प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद हवलदार एल. रामेश्वर

अपनी ऊंगली में ए के राइफल का ट्रिगर पकड़े रहे तथा बंदूकधारी अकाटन ने दोनों तरफ से उसको कवरेज उपलब्ध करवाई। जबकि बंदूकधारी अकाटन निरन्तर पीछे से कवर कर रहे थे, हवलदार रामेश्वर आगे बढ़े, जैसे ही उन्होंने एक उग्रवादी को छोटे शस्त्र से अपनी तरफ गोली चलाते हुए देखा उन्होंने तत्काल गोली चलाई तथा एक उग्रवादी को घटनास्थल पर ही मार दिया। मृतक की बाद में पहचान नोंगथोमवम दिनेश्वर सिंह, 23 वर्ष, पुत्र एन.जुगेश्वर सिंह, सेनजाम चिरंग, पुलिस स्टेशन सेकामी, स्वंयभू कोरपोल, यू जी गुट, कंगलापेई पाक काम्यूनिस्ट पार्टी (एम सी) के रूप में की गई। शव के पास से छः जीवित राउन्ड वाली एक मेगजीन के साथ 'पेट्रो बेराटा' के रूप में चिन्हित एक 9 एम एम पिस्तौल तथा 9 एम एम गोला बारुद के 5 खाली कारतूस बरामद किए गए। दूसरी तरफ जमादार आई. खाबा सिंह तथा कांस्टेबल ठाकुर दीलिप सिंह, दोनों ने ए के राइफल पकड़े हुए हवलदार रामेश्वर की टीम के साथ निकट समन्वय से जो उग्रवादियों का पीछा कर रहे थे तथा ईंट की दीवार के दूसरे छोर पर मोर्चा संभालते हुए दो उग्रवादियों को देखा, एक जिसके पास छोटा शस्त्र था, निरन्तर पुलिस पार्टी पर गोलीबारी कर रहा था। लगभग 5/6 मिनट तक शान्ति छाई रही। तब अचानक सशस्त्र उग्रवादियों ने पुनः पुलिस पार्टी पर निरन्तर गोलीबारी करना शुरु कर दिया। जमादार खाबा सिंह तथा कांस्टेबल दीलिप सिंह ने अपनी जान जोखिम में डालकर अधिकतम सावधानी बरतते हुए गोलीबारी करने वाले उग्रवादियों पर धावा बोल दिया और उनकी गोलीबारी का जवाब दिया जिसके परिणामस्वरुप उनमें से दो उग्रवादी मारे गए जिनकी बाद में पहचान (1) हेई सनाम इनओबा सिंह, 34 वर्ष पुत्र (1) एच. चाओबा सिंह सनजाम चिरंग, स्वयंभू सार्जेन्ट मेजर, गैर कानूनी यू जी गुट के सी पी (एम सी) के रूप में की गई। शव के पास से 4 जीवित राउन्डों के साथ लोड हुई 9 एम एम की एक पिस्तौल तथा 9 एम एम गोलाबारुद के 4 कारतूस बरामद किए गए तथा (2) श्री दरंगम, 18 वर्ष पुत्र बेंजामीन, थमना पोकपी, लामकंग (पालेल के निकट), लिवा चानिंग गांव, स्वंयभू कोरपोरल उसी यू जी गुट अर्थात् के सी पी (एम सी) के रूप में की गई। बाकी भाग गए। इसे आई पी सी की धारा 121/121-ए, 307 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 16 यू ए (पी) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (I-सी ओ) के तहत एफ आई आर सं. 7(1) (8) पी एस आई – पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। घटनास्थल की और तलाशी के दौरान घटनास्थल से ए के हमलावार राइफल के 11 खाली कारतूस बरामद किए गए। मामले की जांच के दौरान यह रहस्योदघाठन हुआ कि मुठभेड़ में मारे गए सभी तीनों उग्रवादी सरकारी अधिकारी/सिविलयन नामतः (1) चानामबाम निंगोल साई खोम ओनई रशेशोरी देवी, 52 वर्ष, पत्नी (एल) एस. ब्रजगोपाल सिंह, हबाम मारक केशमलेईकई की 14.11.2007 को उनके कार्यालय अर्थात् आई सी डी एस परियोजना, मोईरांग में जघन्य हत्या के अपराध में संलिप्त थे। यह मामला मायंग पुलिस स्टेशन में एफ आई आर सं. 184(11)07 के अन्तर्गत दर्ज है, और वे (2) दिनांक 1.1.2008 को श्री मायूम संतोष शर्मा, 44 वर्ष, सुपुत्र इबोटोम्बी शर्मा (टैंथ खांगबल का सरकारी ठेकेदार) की जघन्य हत्या के अपराध में भी शामिल थे। इम्फाल पुलिस स्टेशन में एफ आई आर सं. 1(1) 08 के रुप में दर्ज है। सशस्त्र उग्रवादियों की भारी ओर अचानक की गई गोलीबारी में अपनी जान को जोखिम में डालने के बावजूद जमादार आई खाबा सिंह और हवलदार एल. रामेश्वर सिंह की कमांड में पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों ने तथा उनके सिपाहियों ने पेशेवर साहस और बहादुरी के साथ प्रतिक्रिया की जिसके परिणामस्वरुप कंगलईपाक काम्युनिस्ट पार्टी (एम सी) के 3 खूंखार सदस्य मारे गए तथा उनके पास से जीवित गोलाबारुद के 10 राउन्ड के साथ 2(दो) पिस्तौल तथा 9 एम एम गोला बारुद के 11 खाली खोलों के साथ तथा के.सी. मीतेई, जिला कमान्डर द्वारा हस्ताक्षरित 4 मांग पत्र बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री आई.खाबा सिंह, जमादार, एल. रामेश्वर सिंह, हवलदार, एम. अकाटोन सिंह, बंदूकधारी, टी एच. दिलीप सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18 जनवरी, 2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 151-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1.	के. बोबी उप निरीक्षक	वीरता के लिए पुलिस पदक
2.	एम. प्रेम कुमार सिंह हैड कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक
3.	वाई. शरतचन्द्र सिंह कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार
4.	एल. नाबा सिंह कांस्टेबल	वीरता के लिए पुलिस पदक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 24.4.2008 को शाम 5.05 बजे के आसपास, आन्तरिक सुरक्षा ग्रुप की पूर्वी कमान (ई सी आ.ई एस जी) के आसूचना नेटवर्क से सरकारी अधिकारियों इत्यादि के अपहरण संबंधी विनाशक गतिविधियाँ करने के उद्देश्य से नेशनल गेम्स गांव, लंगोई के आसपास घाटी आधारित कुछ भूमिगत तत्वों की उपस्थिति के संबंध में, एक विशिष्ट और विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के मिलने पर, उप-निरीक्षक के. बोबी की कमान के अधीन पश्चिमी इम्फाल जिला के कमाडों की एक टीम भूमिगत तत्वों को पकड़ने के लिए वहां गई। कमांडों ने दूसरे शंघाई होम गेम वीलेज (रोड क्रोसिंग क्षेत्र) के दक्षिण में लगभग 50 मीटर पर एक स्थान पर पहुंच कर अपने वाहनों को वहां रोक लिया तथा वहां से आने-जाने वालों की जामा-तलाशी/जांच-पड़ताल की। जब कमांडों पूरे क्षेत्र में गहन चौकसी एवं निगरानी रखने के लिए जामा-तलाशी/जांच-पड़ताल कर रहे थे, तब लगभग शाम 5.20 बजे आस-पास तीन अज्ञात युवक इरोइशेम्बा गांव अर्थात पश्चिमी दिशा से पहाड़ी की तलहटी में सड़क से स्कूटर पर सवार होकर आ रहे थे। एक स्कूटर पर तीन युवकों की संदिग्ध गतिविधियों को देखने पर, उप निरीक्षक बोबी ने उन्हें जांच के लिए रोकने को कहा। तथापि, उन्होंने रुकने की बजाय, पीछे बैठे दो युवकों ने कमांडों की तरफ छोटे हथियारों से तुरंत गोलीबारी शुरु कर दी। उसी समय, वे स्कूटर से कूद गए, पोजीशन ले ली और कमांडों की तरफ लगातार गोलीबारी करते रहे। कमांडों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। एक आतंकवादी (जो पीछे बैठा हुआ था) ने गोलीबारी का सहारा लेते हुए पहाड़ी की तलहटी के नाले के बगल में स्थिति ले ली जिसका

कांस्टेबल वाई. शरतचन्द्र सिंह की सहायता से एस.आई. बोबी ने सामना किया। कामंडों ने अपने कवर के लिए मुश्किल से उपयुक्त क्षेत्र ढूंढा। तथापि, दृढ़ निश्चय से एस.आई. बोबी और कांस्टेबल शरतचन्द्र ने जोरदार पीछा किया और मुठभेड़ में युवक पर हमला बोला। मुठभेड़ के बीच में, दूसरा युवक (जो आगे बैठा हुआ) भी दायीं तरफ से उसी नाले में कूदा और मुठभेड़ में अपने साथी की सहायता के लिए आया। तभी दोनों अज्ञात युवक छोटे हथियारों के साथ नाले के अंदर दिखाई पड़े, एस.आई. बोबी, हैड कांस्टेबल प्रेम कुमार सिंह, कांस्टेबल शरतचंद्र और कांस्टेबल एल. नाबा ने तुरंत गोलीबारी की और उन दोनों को मौके पर ही मार गिराया। मुठभेड़ 10-15 मिनट तक चली, जब वहां शान्ति हुई तब कमांडों ने पूरे क्षेत्र की तलाशी ली। दोनों पीछे बैठे हुए युवक गोली लगने से मृत पाए गए। एक 9 एम एम पिस्तौल दो जिन्दा राउंद, एक जिन्दा राउन्द इसके चेम्बर में और एक जिन्दा राउंद मेगजीन में पाया गया जो कि सबसे पीछे बैठे युवक के शव की दायीं तरफ पड़ा था। एक लैदर का थैला शव की पीछली जेब में पाया गया जिसमें 'वित्त विभाग का कार्यालय' 'पी यु एल एफ' के नाम से नगदी की रसीद प्राप्त की गई। जिसकी बाद में पहचान मो. लेहमुडींग उर्फ इथम (25) पुत्र (स्व.) मो. अस्पतुल्हा, चंगमडावी कंगला उकोक, वेरीपोक के रूप में हुई जो कि भूमिगत गुट पी यू एल एफ का कट्टर सदस्य था। दो जिन्दा राउंदो – एक जिन्दा राउंद उसके चेम्बर में और एक जिन्दा राउंद मैगजीन से भरी एक 9 एम एम पिस्तौल बीच में बैठे युवक के शव से भी प्राप्त हुई जो कि नाले के अंदर सबसे पीछे बैठे युवक के शव की दायीं तरफ 15/16 फुट की दूरी पर पड़ी हुई थी। जिसकी बाद में पहचान मो. आजाद खान (34) पुत्र मो. अब्दूर रहमान, चंगमबाडी कंगला उकोक, येरीपोक, पी यू एल एफ के कट्टर कार्यक्रता के रूप में हुई। स्कुटर चला रहा तीसरा युवक, जो बार-बार चेतावनी देने के बाद भी पुलिस के जाल से बचने के लिए इधर-उधर दौड़ रहा था, भी गोलीबारी से घायल हुआ और वह चोट लगाने से मारा गया। जिसकी बाद में पहचान मो. दारुश खान (25) पुत्र मो. सन्यैमा, चंगमबाड़ी कंगला युकोक, येरीपोक के रूप में हुई जो पी यू एल एफ का सदस्य भी था। इस मामले को एल पी एल पुलिस स्टेशन में आई पी सी की धारा 307/384/34/400 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) के तहत एफ आई आर सं. 45(4) 08 दर्ज किया गया। इस प्रकार, उक्त मुठभेड़ में, भूमिगत गुट पी यू एल एफ के तीन सदस्यों को, हथियार और गोलाबारुद (दो 9) एम एम पिस्तौल और 9 एम एम (गोलाबारुद) के चार जिन्दा राउंद और कुछ अभिशंसित दस्तावेजों की बरामदगी के साथ, मारा गया। आतंकवादी सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों से जबरन धन वूसली में संलिप्त था।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री के. बोबी, उप निरीक्षक, एम. प्रेमकुमार सिंह, हैड कांस्टेबल, वाई. शरतचन्द्र सिंह, कांस्टेबल और एल. नाबा सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक/पुलिस पदक के प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24 अप्रैल, 2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 152-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. टी.एच. फूलचंद्र,
   सहायक उप निरीक्षक
2. लेशराम सुरचन्द्र सिंह,
   राइफलमैन
3. युमनम रोबिश कुमार सिंह,
   राइफलमैन
4. नोरेम बुद्धा सिंह,
   राइफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 23.4.2008 की शाम को लगभग 5 बजे वाखा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास सशस्त्र उग्रवादियों के एक शक्तिशालनी ग्रुप द्वारा कैम्प लगाने की विश्वसनीय और कार्रवाई करने योग्य सूचना मिलने पर, पूर्वी इम्फाल जिले के कमांडों और 32-असम राईफल्स की टुकड़ी की एक संयुक्त टीम उचित योजना और ब्रीफिंग के बाद उस क्षेत्र में पहुंची। कमांडों और सुरक्षा बलों ने दूर-दराज, एकांत और घुसपैठ से आशंकित गांवों के कारण पहाड़ी क्षेत्र को कवर करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती। संयुक्त टीम क्षेत्री बेंगुन गांव पहुंची और नदी के पूर्वी किनारे के साथ-साथ दक्षिण में आधा कि.मी. चलने के बाद बायें मुड़ी और बरौनी पहाड़ी से लगी वाखा पहाड़ी की ओर गांव वाली सड़क के साथ-साथ पूर्व की तरफ चली। तब संयुक्त टीम वाखा पहाड़ी (जो कि एकांत क्षेत्र है और उसके बायीं तरफ धान की खेती और दक्षिण की तरफ चट्टान है) की तलहटी की ओर गांव की सड़क के साथ-साथ लगभग 3 कि.मी. चलने के बाद, क्षेत्र को व्यापक रूप से कवर करने के लिए रणनीतिक रूप से दो भागों में बंट गई – असम राईफल्स के कार्मिक दायीं तरफ मुड़े और वाखा पहाड़ी के दक्षिण की ओर चले जबकि ए एस आई फूलचन्द्र की कमान के अधीन कमांडों वाखा पहाड़ी श्रेणी के उत्तर की ओर उसी रास्ते के साथ-साथ आगे बढ़े। कमांडों को तलहटी क्षेत्र में लगभग आधा कि.मी. चलने के बाद रेशम उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत 4/5 झोपड़ीया बनी दिखाई दी। इस प्रकार, जब कमांडों इन झोपिड़यों के नजदीक पहुंचे, तब इन झोपड़ियों के नजदीक कुछ संदिग्ध युवक दिखाई दिए। ए एस आई फूलचन्द्र ने अपने कार्मिकों को सचेत कर दिया और तदनुसार वे झोपिड़यों की तरफ सावधानी से आगे बढ़े। 70/80 फीट की दूरी पर कमांडों अपने वाहनों से कूदे और युवकों को जांच के लिए रोका। तभी कुछ ओर युवक झोंपड़ियों से बाहर आए और उन्होंने कमांडों पर दो दिशाओं से दक्षिणी पहाड़ी की तरफ से और उतरी धान की खेती की तरफ से भारी गोलीबारी शुरु कर दी। तलहटी क्षेत्र के चारों ओर झाड़ियों और असमतल तल ने उग्रवादियों के शरीर को कवर देने के लिए फायदे की स्थिति प्रदान की। दूसरी तरफ कमांडों को अपने कवर के लिए सड़क पर मुश्किल से ही कोई स्थान मिल सका। प्रतिकूल स्थिति का सामना करने के बावजूद, ए एस आई फूलचन्द्र सिंह की प्रभावी कमान

के अधीन कमांडों जमीन पर झुक गए और उन्होंने हथियारों से सुसज्जित उग्रवादियों को जवाब देने के लिए अंधाधुंध गोलीबारी की। सही अवसर पाकर, राइफलमैन एल सुरचन्द्र सिंह उत्तर की ओर धान की फसल के नीचले क्षेत्र की ओर गया और घनी झाड़ियों के पीछे से उसने झोपड़ियों की ओर गोलीबारी शुरु की जहां से उगव्रादी गोलीबारी कर रहे थे। ए एस आई फूलचन्द्र ने इस कवर का फायदा उठाया और उनमें से एक झोपड़ी (अर्थात पहली झोपड़ी) के नजदीक जाने के लिए आगे बढ़े। तथापि, पहाड़ी की तरफ से भारी गोलीबारी होने के कारण, वह मुश्किल से झोपड़ी के नजदीक पहुंचे। एक क्षण ए एस आई फूलचन्द्र पीछे की ओर झुके तथा राइफलमैन एल सुरचन्द्र के बगल में निचले क्षेत्र में कूद गए और उन्होंने भी घनी झाड़ियों के पीछे से गोलीबारी शुरु कर दी। दूसरी तरफ राइफलमैन एन. बुद्धा सिंह और राइफलमैन वाई रोबिश कुमार सिंह भी, दूसरी तरफ से हो रही भारी गोलीबारी का सामना करते हुए, रेंगकर आगे बढ़ते हुए दूसरी झोपड़ी के पूर्वोत्तर कोने के नजदीक पहुंचने में सफल हुए। उन दोनों ने झोपड़ी की उत्तरी दीवार के पीछे से कवर लेते हुए, खुली खिड़कियों से गोलीबारी शुरु कर दी। झोपड़ियों के अंदर छिपे उग्रवादी कमांडों द्वारा जबरदस्त पीछा करने का सामना न कर पाने के कारण, बचने के लिए निकलकर भागने का प्रयास करने लगे। इस नाजुक स्थिति पर, ए एस आई फूलचन्द्र और राइफलमैन एल सुरचन्द्र झाड़ियों के पीछे से कूदे और सामने वाले दरवाजे से भागने वाले उग्रवादियों पर आक्रमण किया तथा एक उग्रवादी को मारने में सफल हुए जिसकी बाद में पहचान पेचीमायुम अजीतकुमार उर्फ ननाओ उर्फ नोंगथरई (27) पुत्र पी अचाऊ सिंह, खोंघाम्पत अवांग लैकई, भूमिगत गुट पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पी एल ए) का स्वयं भू नायक के रूप में हुई। उसके शव के पास से छः जिन्दा राउंदों से भरी एक ए के-56 राईफल बरामद हुई। इस प्रकार, जब ए एस आई फूलचन्द्र और राइफलमैन सुरचन्द्र के आक्रमण से सामने वाला दरवाजा बंद हो गया था, तब एक उग्रवादी झोपड़ी से बाहर नहीं जा सका। उसी क्षण, राइफलमैन एन. बुद्धा सिंह और राईफलमैन वाई. रोबिश कुमार सिंह ने झोपड़ी की उत्तरी खिड़की से उस पर गोलीबारी की, जहां वह उग्रवादी 9 एम एम की पिस्तौल (चार जिन्दा राउदों से भरी) के साथ मारा गया। जिसकी बाद में पहचान खंगेन मनयुम कोमल सिंह (23) पुत्र थोई सिंह, निवासी संजेनबाम सबल लैकई, भूमिगत गुट पी एल ए (स्वयं भू रैंक) के कट्टर सदस्य के रूप में हुई। दोनों को मारने के बाद भी, बाकि उग्रवादी 6/7 की संख्या के लगभग जो पहाड़ी पर फैले हुए थे, लगातार गोलीबारी कर रहे थे और कमांडो भी जवाबी गोलीबारी कर रहे थे, इस प्रकार 7 मिनट तक मुठभेड़ चली। उग्रवादी झुक गए और पहाड़ी के घने जंगल से बचकर भाग गए। इसी बीच, असम राईफल्स कार्मिक भी इस क्षेत्र में आ गए और इस प्रकार, संयुक्त टीम ने अगले आधा घंटे तक लगातार तलाशी अभियान जारी रखा। परन्तु, अंधेरे के कारण, आपरेशन में आगे कोई खास कामयाबी नहीं मिली। उक्त मुठभेड़ में, कमांडों कार्मिक अदम्य साहस, उच्चकोटि की वीरता से दो सशस्त्र उग्रवादियों को माने में सफल हुए और वहां से शस्त्र और गोलाबारुद बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री टी.एच. फूलचन्द्र, सहायक उप निरीक्षक, लेशराम सुरचन्द्र सिंह, राइफलमैन, युमनाम रोबिश कुमार सिंह, राइफलमैन और नोरेम बुद्धा सिंह, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 अप्रैल, 2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 153-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री ब्रह्मपाल सिंह राणा,
निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 22/09/2007 को रमजान के पवित्र महीने के दौरान जामिया नगर के क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाने की और बाद में कुरान को अपवित्र किए जाने की अफवाह उड़ने से स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट गया और अंततः गुस्साई भीड़ ने जामिया नगर पुलिस पोस्ट को घेर लिया। भीड़ पुलिस पोस्ट को नष्ट करने और पुलिस अधिकारियों को मारने के लिए आगे बढ़ी। निरीक्षक ब्रह्मपाल सिंह राणा जब ओखला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन में उपस्थित थे तब उन्हें शाम को 7.56 बजे के आसपास वायरलैस सेट से घटना के बारे में संदेश मिला कि न्यू फ्रेन्डस कालोनी के अंतर्गत जामिया नगर पुलिस पोस्ट पर 400/500 व्यक्ति इकट्ठा हो रखे हैं। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने पहल करते हुए तथा अपनी ड्यूटी से उपर उठकर वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के आने से पहले ही अपनी सरकारी जिप्सी में उपलब्ध स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे गए। वह तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने पुलिस पोस्ट के चारों तरफ 400/500 व्यक्तियों की भीड़ को देखा। अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए और अपनी जान की परवाह न करते हुए वह आगे आए और उन्होंने गुस्साई भीड को शांत करने एवं तितर-बितर करने के सभी प्रयास किए। लेकिन गुस्साई भीड़ उस समय कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और उसने जामिया नगर पुलिस पोस्ट एवं उनकी सरकारी जिप्सी सहित पुलिस वाहनों में आग लगा दी। पुलिस अधिकारी जलती हुई पुलिस पोस्ट के अंदर फंस गए। बेकाबू भीड़ को तितर बितर करने एवं साथी पुलिस वालों को बचाने के संबंध में उन्होंने स्थिति का वीरता से सामना किया और यह जानते हुए भी कि कम बल तथा उपलब्ध अल्प गोलाबारुद के साथ इतनी ज्यादा भीड़ के सामने लम्बे समय तक टिकना मुश्किल है उन्होंने गोलीबारी शुरु कर दी। तथापि वह 1000/1500 व्यक्तियों की उत्तेजित भीड का बहादुरी से विरोध करते रहे और घायल पुलिस अधिकारियों को बचाने में सफल रहे। वह भीड की तरफ आगे बढ़ते हुए हवा में तब तक गोलीबारी करते रहे जब तक कि उनकी सरकारी 9 एम एम पिस्तौल खाली नहीं हुई ओर वे भीड़ को एक एक तरफ करने में सफल रहे। उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने के लिए 14 अश्रु गैस के गोले भी छोड़े।

पूरी घटना में वह अपने कई पुलिस अधिकारियों सहित बुरी तरह घायल हो गए लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पुलिस पोस्ट को भीड़ से बचाया । अत्यधिक जिम्मेवारी एवं ड्युटी के प्रति समर्पण तथा अदम्य साहस से तुरंत कार्रवाई का उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने कई पुलिस अधिकारियों की जाने तथा सरकारी सम्पत्ति की रक्षा की । उनकी साहसिक एवं प्रशसंनीय वीरता की मीडिया ने काफी सराहना की जिससे पुलिस बल का हौसला बढा । यह उनकी सही समय पर की गई तुरंत कार्रवाई का ही नतीजा था कि एक ऐसी बड़ी दुर्घटना को होने से बचाया जा सका, जो कि सम्प्रदायिक तनाव का रुप लेते हुए एक जनसंहार में बदल सकती थी।

इस मुठभेड़ में श्री ब्रह्मपाल सिंह राणा, निरीक्षक ने असाधारण शौर्य , अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

24—381 GI/2008

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22 सितम्बर, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 154-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री सुंदर लाल
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

पिछले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली में झपटमारी और लूटमार की कई घटनाएं दर्ज हुई हैं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपराधियों को पहचानने तथा पकडने के लिए टीमें तैनात की गई। सूचना मिली कि जेल से छूटने पर कुख्यात एवं निर्भीक अपराधी दीवानचंद उर्फ लाला अपने साथी प्रीतपाल सिंह उर्फ गोल्डी निवासी उत्तमनगर के साथ दिल्ली में झपटमारी कर रहे हैं। इस सूचना को और विकसित किया गया । 21/09/2006 को शाम 2.30 बजे के आसपास गुप्त सूचना के आधार पर , प्रीतपाल सिंह उर्फ गोल्डी उर्फ सोनू पुत्र गुरदयाल सिंह निवासी सी -49 , मोहन गार्डन , उत्तम नगर, दिल्ली, उम्र लगभग 21 साल को पकड़ लिया गया तब उसके पास ४ जिन्दा कारतूसों सहित 12 बोर की एक पिस्तौल और चुराई गई एक मोटरसाइकिल थी। विकास मलिक पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी एफ-180 , लाडो सराय, महरौली , नई दिल्ली को भी गिरफ्तार किया गया। विशिष्ट सेल पुलिस स्टेशन में कानून की उपयुक्त धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया और जांच पड़ताल की गई। विकास मलिक को सी आर पी सी की धारा 41.1 के तहत गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह पी एस मालवीय नगर, दिल्ली के एक आक्रमण मामले में वांछित था। अभियुक्त प्रीतपाल सिंह उर्फ गोलडी उर्फ सोनू से गहन पूछताछ की गई। उसने बताया कि उनका .गैंग लीडर दीवान चंद उर्फ लाला एक चेन बेचने गया है और वे उन्हें मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली के नजदीक एन डी पी एल कार्यालय पर मिलेंगे। उसने आगे बताया कि दीवान चंद उर्फ लाला काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल संख्या डी एल 6 एस जेड 0624 पर आएगा और उसके पास एक पिस्तौल भी है। अभियुक्त प्रीतपाल सिंह उर्फ गोल्डी उर्फ सोनू के बताने के आधार पर मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली के नजदीक एन डी पी एल कार्यालय के आसपास जाल बिछाया गया। शाम 10.30 बजे के आसपास अभियुक्त दीवान चंद उर्फ लाला उक्त मोटर साईकिल पर आया और मोटर साइकिल को एन डी पी एल कार्यालय तथा औद्योगिक क्षेत्र मंगोलपुरी , दिल्ली के बीच सर्विस रोड पर खड़ा कर दिया। श्री संजीव यादव ए सी पी के नेतृत्व में टीम ने उससे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन बचने के चक्कर में उसने भागना शुरु कर दिया तथा साथ ही पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। पुलिस पार्टी ने आत्म रक्षा और उसे पकड़ने के लिए जवाबी गोलीबारी की। 15-20 मिनट के बाद जब गैंगस्टर की तरफ से गोलीबारी रुकी तब पुलिस पार्टी सावधानीपूर्वक उसके पास पहुंची और दीवानचंद उर्फ लाला को घायलवास्था में पाया। एक 9 एम एम पिस्तौल उसके कब्जे से बरामद की गई। घायल अपराधी को तुंरत होस्पीटल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान दीवानचंद उर्फ लाला की गैंग के 3 अन्य साथी नामतः 1.

योगेश कुमार उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र रघुवीर सिंह निवासी सी 44/237 गली संख्या 13 , सुदामापुरी भाग-11 , गामड़ी , भजनपुरा , दिल्ली (साथी) 2. राजकुमार उर्फ राम जाने पुत्र स्व. जीवन लाल निवासी सी -1822 , जहांगीर पुरी, दिल्ली (साथी) और 3. विनोद कुमार शर्मा पुत्र कृष्ण लाल शर्मा निवासी के -195 शकुरपुर जे जे कालोनी दिल्ली (जौहरी) को गिरफ्तार किया गया और झपटी गई सोने की 12 चैन बरामद की गई।

अधिकारी की व्यक्तिगत भूमिका

कांस्टेबल सुंदरलाल-21/09/2006 को जब मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली के नजदीक एन डी पी एल कार्यालय के आस पास जाल बिछाया जा रहा था तब कांस्टेबल सुंदरलाल एन डी पी एल की दीवार की तरफ सर्विस रोड के काने पर स्थित था। शाम 1.30 बजे के लगभग अभियुक्त दीवनाचंद उर्फ लाला मोटरसाइकिल पर आया और मोटरसाइकिल को एन डी पी एल कार्यालय तथा मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र , दिल्ली के बीच सर्विस रोड पर खड़ा किया। दीवाचंद उर्फ लाला को समर्पण के लिए कहा गया परन्तु बचने के चक्कर में उसने भागना शुरु कर दिया और पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। कांस्टेबल सुंदरलाल , दीवाचंद उर्फ लाला द्वारा खड़ी की गई मोटरसाइकिल के स्थान के नजदीक स्थिति लिए हुए थे। उन्होंने बहादुरी से गैंगस्टर का सामना किया, जबकि वह दुर्दांत गैंगस्टर की गोलीबारी की सीधी रेंज में थे। अपनी जिन्दगी की परवाह न करते हुए और प्रशंसनीय पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए कांस्टेबल सुंदरलाल तुरंत गैंगस्टर के नजदीक पहुंच गए। जब दीवानचंद उर्फ लाला सर्विस रोड पर एन डी पी एल की दीवार की तरफ भागा तब कांस्टेबल सुंदरलाल ने उसे दीवार की तरफ जाने से रोका और अपनी सुरक्षा के लिए कोई कवर न होते हुए भी गैंगस्टर के नजदीक पहुंच गए, बहादुरी से उसका सामना किया और उसको दीवार के पास जाने से रोका। अपनी आत्मरक्षा और गैंगस्टर को पकड़ने के संबंध में कांस्टेबल सुंदरलाल सिंह ने भी जवाबी गोलीबारी की। उन्होंने अपनी सर्विस पिस्तौल से ३ राउंड गोली दागी और दुर्दांत गैंगस्टर को मारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस मुठभेड़ में श्री सुंदरलाल, कांस्टेबल ने असाधारण शौर्य , अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21 सितम्बर, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 155-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, तमिलनाडु पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री एस आर जंगीड,
पुलिस महानिरीक्षक/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

नब्बे वें दशक के अंत के दौरान कुछेक बदमाशों ने जघन्य अपराध करके चेन्नई शहर में विध्वंस मचा रखा था और शांति भंग कर रखी थी। अपराधी गैंग में रवि उर्फ बैलई रवि पुत्र एस पी सेमी वीयासरपाडी, चेन्नई एक दुर्दांत अपराधी था जो कि निर्दयी और क्रूर था। उसका अपराध भरा रिकार्ड था जो 5 घृणाजनक हत्याएं और हत्या के प्रयास , अपहरण और व्यपहरण, जबरन धन वसूली गंभीर चोट और डराना इत्यादि के 16 मामलों में शामिल था तथा गुंडा अधिनियम (तमिलनाडु अधिनियम 14/1982) के तहत 5 बार गिरफ्तार हुआ था। उसने अपने साथियों के साथ सभी सीमाओं को तोड़ते हुए इस तरह का आतंक फैला रखा था कि चैन्नई शहर के लोगों को सपने में दिखता था। उसकी जघन्य गतिविधियां और नृशंसता वर्ष 2007 के शुरु में ही चरम पर थीं। 22/5/2007 को उसने अपने गैंग के साथियों के साथ राजकुमार नाम के व्यक्ति का अपहरण कर लिया और 60 लाख रुपये की फिरौती लेने के बाद छोड़ दिया और फरार हो गया। पुलिस आयुक्त ने श्री संग्राम जंगीड़, सक्रिय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, चैन्नई शहर के नेतृत्व में चैन्नई शहर के चारों ओर हुडदंग और गुंडागर्दी को खत्म करने के उद्देश्य से एक विशेष टीम का गठन किया। 1/8/2007 को श्री जंगीड को कृष्णागिरी जिले के बंगलूर क्षेत्र में वैलई रवि के बारे में और उसके द्वारा 1.5 करोड़ की फिरोती के लिए होसुर के पूर्व एम एल ए श्री वेंकटासेमी के अपहरण की योजना के बारे में पता चला। श्री जंगीड तुरंत वहां पहुचे और उस क्षेत्र को घेरने के लिए अपनी टीम के सदस्यों को तैनात किया। 17.45 बजे के आस पास जब श्री जंगीड अपनी टीम के सदस्यों के साथ उनको समर्पण की चेतावनी देते हुए उनके पीछे भागे, वैलई रवि और उसके सहयोगियों ने पुलिस टीम पर पेट्रोल बम्ब फेंके और गोलीबारी शुरु कर दी जिससे श्री जंगीड के बाएं हाथ में चोट लगी लेकिन ईश्वर की दया से वे बच गए ।

श्री जंगीड ने महसूस किया कि या तो स्वयं या फिर उसकी टीम का कोई सदस्य अपराधियों की गोलीबारी से मारा जा सकता है इसलिए अपनी आत्मरक्षा में अपनी पिस्तौल से उन्होंने जवाबी गोलीबारी की। कुछ मिनट तक गोलीबारी होने के दौरान श्री जंगीड ने अपनी सर्विस पिस्तौल से 6 राउंड गोलीबारी की इस पर वेलई रवि और अन्य अपराधी नामत: गुना उर्फ गुनासकरन चौटिल होने के कारण जमीन पर गिर पड़े और उसके तीन साथी अपनी बन्दूक लेकर जंगल का फायदा उठाते हुए पुलिस पार्टी पर गोलीबारी करने लगे। जबकि वैलई रवि के पास से देशी रिवाल्वर और गुना के पास से एस बी एम एल बंदूक मिली। दोनों को होस्पीटल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। वैलई रवि और उसके साथियों के मरने के बाद चैन्नई शहर के लोगों ने राहत की सांस ली।

इस मुठभेड़ में श्री एस आर जंगीड, पुलिस महानिरीक्षक/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने असाधारण शौर्य , अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1 अगस्त, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 156-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. रघुबीर लाल,
   पुलिस अधीक्षक
2. विजयमल सिंह यादव,
   उपनिरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

तलाशी अभियान के दौरान श्री रघुबीर लाल, पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को इस आशय की विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि अंजान डेरा के पश्चिम की ओर एक सूखे नाले के निकट अधुनातन हथियारों से लैस 15 खूंखार नक्सली मौजूद हैं। इस सूचना के आधार पर बल को दो दलों में बांटने के बाद पुलिस अधीक्षक ने स्वयं एक दल का नेतृत्व किया और नक्सलियों को घेरने और उन्हें गिरफ्तार करने के ध्येय से ये आगे बढ़े। दूसरे दल का नेतृत्व एस ओ चोपन ने किया। जैसे ही ये नक्सलियों के निकट पहुंचे वैसे ही नक्सलियों ने पुलिस दल को मारने और इनके हथियार छीनने के उद्देश्य से इनको लक्ष्य बनाया और अकारण तथा अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। इस पर श्री रघुबीर लाल ने अपने बारे में बताया और उन्हें पुलिस के समक्ष समर्पण करने का आदेश दिया लेकिन समर्पण करने के बजाए उन्होंने गोलीबारी जारी रखी। जब पुलिस अधीक्षक को कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखायी दिया तो इन्होंने पुलिस दल को अपनी रक्षा के लिए गोलीबारी करने का आदेश दिया और स्वयं बहादुरी से नक्सलियों की ओर बढ़ते रहे। इस मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों द्वारा चलाई गई एक गोली श्री रघुबीर लाल की छाती पर बी पी जैकेट को लगी जिससे यह आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त हो गई। यदि इन्होंने जैकेट नहीं पहनी होती तो यह निश्चित ही इनके जीवन के लिए खतरा हो सकता था। नक्सलियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी के बावजूद पुलिस अधीक्षक ने अपने जीवन को जोखिम में डाला और नक्सलियों को पकड़ने के उद्देश्य से अपने कार्मिकों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। इस प्रक्रिया में इनके दायें पैर पर कई छर्रे भी लगे जिससे ये घायल हो गए। लेकिन श्री रघुबीर लाल ने अपने घावों और जीवन की परवाह नहीं की और आगे बढ़ते रहे। इस मुठभेड़ के दौरान पन्नूगंज के तत्कालीन एस ओ श्री विजयमल यादव की बी पी जैकेट पर भी एक गोली लगी। लेकिन इन्होंने अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और घायल होने के बावजूद गोलीबारी जारी रखी। पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण नक्सलियों ने पहाड़ी भू-भाग और वन क्षेत्र का लाभ उठा कर भागना शुरु कर दिया। बाद में मुठभेड़ स्थल की पूरी तलाशी लेने पर एक नक्सली का शव पाया गया जिसकी पहचान बाद में रविन्द्र के रुप में की गई जो नौगढ़ का एरिया कमांडर था। उस पर 20,000/- रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की गई थी। श्री रघुबीर लाल, पुलिस अधीक्षक और विजयमल सिंह यादव, तत्कालीन उपनिरीक्षक और अब निरीक्षक द्वारा बनाई गई विस्तृत

25—381 GI/2008

और सतर्क योजना तथा अनुकरणीय नेतृत्व और साहस के कारण ही इस दुर्दांत नक्सली के साथ यह साहसपूर्ण मुठभेड़ संभव हो सकी। यह नक्सली , जनता में आतंक का पर्याय बना हुआ था। घायल होने के बावजूद इन्होंने नक्सलियों के साथ गोलीबारी जारी रखी। श्री रघुबीर लाल और श्री विजयमल द्वारा नक्सलियों के इस खूंखार कमांडर को मार गिराये जाने से पुलिस बल का मनोबल बढ़ा तथा इस क्षेत्र और बिहार राज्य के सीमावर्ती लोगों को काफी राहत मिली। इस कार्रवाई में निम्नलिखित हथियार/गोलीबारुद बरामद किया गया:-

1. एक एस एल आर संख्या -15366564
2. एक बोल्ट एक्शन राइफल संख्या टी – 2972-7.62 एमएम
3. एक डी बी बी एल (एफ एम) बंदूक संख्या-4501400
4. एक एस बी बी एल (एफ एम) बंदूक 12 बोर
5. दो कंटेनर बम, कारतूस, बैटरी, तार के साथ दो बैंडोलियर और दो पिट्ठू।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री रघुबीर लाल, पुलिस अधीक्षक और विजयमल सिंह यादव, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27 जून, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 157-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. जय प्रकाश,
   उप-पुलिस अधीक्षक
2. नवेंदु कुमार,
   उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 23/06/2006 को एस टी एफ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पुलिस मुखबिर से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि जिला कौशांबी के रहने वाले हफीजुल्लाह, जो एक खतरनाक अपराधी है और जिस पर 50,000/- रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की हुई है, के नेतृत्व में इंटर जोनल अपराधियों (आई आर 234) का एक गिरोह उसके मुख्य सह-अभियुक्त मोहम्मद मुस्लिम के साथ किसी व्यक्ति की हत्या करने के ठेके की अग्रिम राशि प्राप्त करने और उस व्यक्ति को पहचानने के लिए गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर किसी व्यक्ति से मिलने के लिए आ रहा है। इस पर पुलिस दल को दो भागों में बांटा गया। एक दल का नेतृत्व श्री राजेश पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक, एस टी एफ ने किया जिसमें उपनिरीक्षक सुशील कुमार सिंह, उप निरीक्षक विनय गौतम, उप निरीक्षक अभय प्रताप मल्ल, कमांडो दिलीप सिंह, कांस्टेबल पंकज कुमार सिंह और कांस्टेबल ड्राइवर रविन्द्र कुमार यादव शामिल थे। दूसरे दल का नेतृत्व उप –पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश ने किया जिसमें उप-निरीक्षक नवेंदु कुमार, उप-निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह, कांस्टेबल देवेन्द्र कुमार यादव, कांस्टेबल ड्राइवर मानवेन्द्र सिंह, कांस्टेबल ड्राइवर अजहरउद्दीन शामिल थे। दोनों दलों ने दो तरफ से मोर्चा संभाला और प्रतीक्षा करने लगे। सायं लगभग 8 बजे रजिस्ट्रेशन संख्या के बगैर एक बोलैरो कार गोमती नगर रेलवे स्टेशन के अंदर आकर रुक गई। उसमें से 5 व्यक्ति नीचे उतरे। पहले पुलिस दल द्वारा उन्हें ललकारे जाने पर हफीजुल्लाह ने अपने मुख्य सह-अभियुक्त मोहम्मद मुस्लिम और अन्यों के साथ पूर्वी तरफ के प्लेटफार्म की ओर और फिर उत्तर दिशा में खाली पड़ी जमीन की ओर भागना शुरु किया जहां पर दूसरा पुलिस दल प्रतीक्षा कर रहा था। इन्होंने उन्हें रुकने और समर्पण करने का आदेश दिया। तथापि, हफीजुल्लाह के नेतृत्व वाले गिरोह ने पुलिस कार्मिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। चूंकि महिलाओं और बच्चों समेत राहगीर, जो दोनों ओर से चली गोलीबारी में फंस गए थे, भयभीत हो गए और वे किसी और सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के लिए चीखने-चिल्लाने लगे और इधर-उधर बेतहाशा भागने लगे। इस पर उप –पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश और उप निरीक्षक नवेन्दु कुमार के नेतृत्व वाले दूसरे पुलिस दल ने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की, अपने बचाव में गोलीबारी की और अपने मोर्चे से बाहर निकल आए और उन बदमाशों का पीछा किया ताकि उन्हें पकड़ कर गिरफ्तार किया जा सके। दोनों ओर से चली इस गोलीबारी में सबसे पहले हफीजुल्लाह

और फिर मुख्य सह –अभियुक्त मोहम्मद मुस्लिम जमीन पर गिर पड़ा। इसे देख कर गिरोह के अन्य सदस्यों ने पुलिस कार्मिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और अंधेरे की आड़ में वहां से भाग खड़े हुए। वहां पर उठी धूल जब नीचे बैठ गई तो पुलिस दल सावधानी से उस स्थान की ओर आगे बढ़ा जहां पर हफीजुल्लाह और मोहम्मद मुस्लिम पड़े हुए थे और दोनों को ही वहां पर मरा पाया। गोमती नगर रेलवे स्टेशन जैसे व्यस्त स्थान और ऐसे स्थान जहां पर महिलायें और बच्चों समेत राहगीर, पुलिस और खूंखार अपराधियों के खतरनाक हथियारों से हुई भयंकर गोलीबारी में फंस गए हों, ऐसी स्थिति में उप पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश और उप निरीक्षक नवेंदु कुमार के नेतृत्व वाले दल ने अपने जीवन की परवाह नहीं की और जनता को कोई नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए इन्होंने खूंखार गिरोह का अत्यधिक साहस और सूझ-बूझ के साथ मुकाबला किया और उन्हें ललकारा तथा उन खतरनाक अपराधियों को मार कर इन्होंने अद्वितीय कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया। इस मुठभेड़ में आम जनता का कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। इस मुठभेड़ के दौरान निम्नलिखित बरामदगियां की गई:-

1. खाली कारतूसों के साथ फैक्ट्री मेड .38 बोर का एक रिवाल्वर
2. खाली कारतूसों के साथ .38 बोर का एक देशी रिवाल्वर
3. खाली कारतूसों के साथ .315 बोर का एक सी एम पी

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री जय प्रकाश, उप –पुलिस अधीक्षक और नवेंदु कुमार , उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 जून, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 158-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. चन्द्र प्रकाश,
   वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
2. ज्ञानेश्वर तिवारी
   अपर पुलिस अधीक्षक
3. धर्मेन्द्र सिंह चौहान,
   उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

श्री चंद्र प्रकाश, भा पु से, तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद, श्री ज्ञानेश्वर तिवारी, तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक, सिटी गाजियाबाद के साथ दिनांक 19/20.05.2003 की मध्य रात्रि में अपनी सरकारी कार में शहरी क्षेत्र की गश्त लगा रहे थे। प्रातः लगभग 0100 बजे इन्हें शहरी नियंत्रण कक्ष से यह ताजा समाचार मिला कि आगरा के मोहन डॉन और उसके सहयोगी बदमाश ने मेला प्लाजा होटल, गाजियाबाद के निकट पिस्तौल की नोक पर दो व्यक्तियों से उनकी मारुति जीन कार संख्या यू पी -80-डब्ल्यू/5548, एक पिस्तौल और 90,000/- रुपए नकद लूट लिए हैं। यह सनसनीखेज सूचना मिलने पर श्री चन्द्र प्रकाश, एस एस पी ने तुरंत कार्रवाई की और सिटी सर्किल के सर्किल पुलिस अधिकारियों तथा स्टेशन अधिकारियों को सतर्क किया। कथित लुटेरों का पता लगाने के लिए श्री ज्ञानेश्वर तिवारी, एस पी सिटी के साथ अभियान चलाने की रणनीति पर चर्चा कर लेने के बाद मेरठ –गाजियाबाद-दिल्ली के तिराहे-जंक्शन के निकट पहुंचे। इन्होंने उक्त नम्बर वाली मारुति जीन कार को तेजी से हिंडन नदी के पुल की ओर जाते देखा। श्री चन्द्र प्रकाश, एस एस पी ने सिटी नियंत्रण कक्ष को इस आशय की सूचना दी कि वे उक्त मारुति जीन कार का पीछा कर रहे हैं और सीमावर्ती पुलिस स्टेशनों के स्टेशन अधिकारियों और मोबाइल वाहनों को निदेश दिया कि वे उक्त वाहन को रोकें और लुटेरों को गिरफ्तार करें। जब टेढ़े-मेढ़े ढंग से तेजी से बढ़ती मारुति जीन कार, कनवनी सड़क पर कनवनी पुलिया के निकट पहुंची तो पुलिस बल के साथ इंदिरापुरम की तरफ से श्री धर्मेन्द्र सिंह चौहान, पुलिस निरीक्षक, तत्कालीन उप निरीक्षक और स्टेशन अधिकारी पुलिस स्टेशन, इंदिरापुरम वहां पहुंचे और अन्य पुलिस वाहन कनवनी गांव की तरफ से वहां पहुंचे। उक्त मारुति जीन कार में सवार लोगों ने अचानक कार रोक दी, अपनी-अपनी ओर से नीचे उतरे और मोर्चे संभाले। उनमें से एक व्यक्ति ने एस एस पी की हत्या करने की मंशा से इन पर गोली चला दी जिससे एस एस पी की कार की बाईं तरफ की खिड़की का शीशा टूट गया और इससे वाहन की पिछली सीट के बैक रेस्ट में छेद हो गया। चूंकि श्री चन्द्र प्रकाश, एस एस पी और श्री ज्ञानेश्वर तिवारी, एस पी सिटी , कार की पिछली सीट में बैठे हुए थे फिर भी ये सौभाग्य से बच गए। इसके साथ ही दूसरे बदमाश ने भी श्री धर्मेन्द्र सिंह चौहान के नेतृत्व वाली पुलिस टीम पर गोलबारी कर दी। इस बदमाश द्वारा चलाई गई गोली, श्री धर्मेन्द्र सिंह चौहान के शरीर को छूती हुई जीप की विंड स्क्रीन पर लगी । श्री चौहान भी सौभाग्य से बच गए। इसके बाद दोनों ही बदमाशों ने इन्हें मारने की मंशा से पुलिस दल पर लगातार

26—381 GI/2008

गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी से विचलित हुए बगैर और अपने जीवन की रक्षा और सुरक्षा की परवाह किए बगैर श्री चन्द्र प्रकाश, एस एस पी, श्री ज्ञानेश्वर तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक और श्री धर्मेन्द्र सिंह चौहान, पुलिस बल के सदस्यों के साथ अपने वाहनों से बाहर आए और बदमाशों को समर्पण करने का आदेश दिया। लेकिन बदमाशों ने पुलिस दलों पर गोलीबारी करनी जारी रखी। इस पर श्री चन्द्र प्रकाश , एस एस पी ने पुलिस बल को नियंत्रित गोलीबारी करने का अदेश दिया और स्वयं श्री ज्ञानेश्वर तिवारी, एस पी और श्री धर्मेन्द्र सिंह चौहान, स्टेशन अधिकारी के साथ बहादुरी से और अपने जीवन की परवाह किए बगैर अपनी रक्षा के लिए बदमाशों पर सीमित गोलीबारी की। आमने-सामने की इस भयंकर मुठभेड़ में दोनों बदमाश घायल हो कर गिर पड़े । बाद में घायलावस्था में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में दोनों की पहचान मोहन डॉन उर्फ मनीश के रुप में हुई जिसके नाम हत्या, फिरौती के लिए अपहरण, डकैती , लूटपाट और अपराधी गिरोह अधिनियम के तहत उसके आपराधिक पुलिस रिकार्ड में जघन्य अपराध के 40 मामले दर्ज थे और जतिन नारंग उसका निकट सहयोगी था। वे खूंखार और बदूंक की गोली दागने पर खुश होने और मौज-मस्ती करने वाले अपराधी थे जो आतंक फैलाया करते थे, शांति प्रिय लोगों के प्रति निर्दयतापूर्वक जघन्य अपराध करते थे। उनके कब्जे से हाल में लूटी गयी मारुति जीन कार संख्या यू पी-80-डब्ल्यू/5548, विदेश में निर्मित एक रिवाल्वर, भरी हुई 5 जीवित गोलियां और नकद 90,000/- रुपए के साथ .38 बोर की फैक्ट्री मेड एक पिस्तौल और 9 एम एम की एक फैक्ट्री मेड पिस्तौल, गोलीबारुद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री चन्द्र प्रकाश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ज्ञानेश्वर तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक और धर्मेन्द्र सिंह चौहान, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 मई, 2003 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 159-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री रबि कुमार देबबर्मा,
राइफलमैन

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

भारतचौपाड़ा सामान्य क्षेत्र में ए टी टी एफ (ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स) के चार से पांच उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना के आधार पर दिनांक 12 अगस्त, 2007 को अभियान चलाने की एक योजना बनाई गई और नायब सूबेदार गोविन्द डाइमरी के नेतृत्व में 10 अन्य रैंक के कार्मिकों से युक्त एक दल का गठन किया गया। इस पूरे अभियान में राइफलमैन सामान्य ड्यूटी रवि कुमार देबबर्मा अग्रणी स्काउट थे। इन्होंने घने जंगल से हो कर कार्मिकों को सही दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । जब ये कार्मिक, चौकसी स्थल पर पहुंचे तो इन्होंने पहल की, एक पेड़ पर चढ़े और ए टी टी एफ (ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स) के उग्रवादियों को अपनी मौजूदगी की भनक लगाए बगैर सफलतापूर्वक उनके छिपने के स्थान का पता लगाया। चौकसी की विस्तृत योजना तैयार करने के बाद इन कार्मिकों ने रात में उनके छिपने के स्थान की ओर कूच किया। अग्रणी स्काउट होने के नाते राइफलमैन सामान्य ड्यूटी रबि कुमार देबबर्मा ने अद्वितीय फील्ड कौशल, अनुकरणीय साहस का परिचय दिया और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर पांच मीटर की अत्यधिक निकट की दूरी से ए टी टी एफ (ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स) के एक खूंखार उग्रवादी को मार गिराया। इस सिलसिले में निम्नलिखित बरामदगियाँ की गईं:-

1. राइफल ए के 56- 01 नग
2. मैग्जीन राइफल ए के 56- 03 नग
3. गोलीबारुद ए के 56- 87 राउंद

इस मुठभेड़ में श्री रबि कुमार देबबर्मा, राइफल मैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 अगस्त, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 160-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री वासुदेवन पोट्टी आर ,
सहायक कमांडेंट

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

दिनांक 23 अक्तूबर, 2007 को लगभग 2200 बजे, कंपनी कमांडर सहायक कमांडेंट वासुदेवन पोट्टी आर के नेतृत्व में एक अधिकारी, एक जे सी ओ और 15 अन्य रैंकों के कार्मिकों से युक्त एरिया डोमिनेशन पतरोल एक्स सवोम्बंग कंपनी आपरेशन बेस, समान्य क्षेत्र सवोम्बंग की ओर गया। लगभग 2230 बजे सहायक कमांडेंट वासुदेवन पोट्टी आर ने सवोम्बंग फाकनुंग एक्सिस सड़क पर एक व्यक्ति की संदिग्ध हल चल नोटिस की । इन्होंने तत्काल ही उसको ललकारा। जब उसने देखा कि सुरक्षा बल उसकी ओर बढ़ रहे हैं तो उस उग्रवादी ने गोलीबारी शुरु कर दी और ऊपर पहाड़ी की ओर भागना शुरु कर दिया। इस पर सहायक कमांडेंट वासुदेवन पोट्टी आर और इनके सहयोगी राइफलमैन गणेश कुमार ने अदम्य साहस का परिचय दिया और ये दोनों ही उस उग्रवादी की ओर दौड़ पड़े। चूंकि सहायक कमांडेंट वासुदेवन पोट्टी आर उस उग्रवादी तक पहुंचने ही वाले थे इसलिए वह उग्रवादी फिर पीछे मुड़ा और बहुत नजदीक से इन पर गोली चला दी। इन गोलियों से सहायक कमांडेंट वासुदेवन पोट्टी आर बाल-बाल बचे और इन्होंने पलट कर उक्त उग्रवादी पर तत्काल गोलीबारी करके उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया। सहायक कमांडेंट वासुदेवन पोट्टी आर के नेतृत्व में "आपरेशन सवोम्बंग" में एक उग्रवादी मारा गया और वहां से दो 9 एम एम पिस्तौल, दो 9 एम एम मैग्जीन और पांच 9 एम एम जीवित राउंद बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में श्री वासुदेवन पोट्टी आर, सहायक कमांडेंट ने, अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23 अक्तूबर, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 161-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री हरि कांता झा,
नायब सूबेदार

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 को आई सी मेजर लोकानंदम जी वी को इस आशय की सूचना मिली कि कांगलेई यावूल कन्ना लुप (ओकन) के उग्रवादी, वाब्गई-सुग्नू सड़क की ओर बढ़ रहे हैं। कंपनी आपरेटिंग बेस कमांडर ने तत्काल कार्रवाई की और एक अधिकारी, एक जूनियर कमीशन अधिकारी और अन्य रैंक के 10 कार्मिकों से युक्त घात लगाने वाले एक दल का गठन किया। नायब सूबेदार हरिकांत झा, घात लगाने वाले इस दल के एक सदस्य थे। लगभग 2330 बजे इन्होंने नोट किया कि एक मोटर साइकिल सवार घात स्थल की ओर बढ़ रहा है। इन्होंने आई सी मेजर लोकानंदम जी वी को इस बारे में सूचित किया। सूचना मिलने पर इन्होंने अपने अधीन नायब सूबेदार हरि कांता झा और इनके दल को आदेश दिया कि वे सड़क की ओर जाएं और वाहन की जांच करें। आदेशानुसार उग्रवादियों को रोके जाने पर उन्होंने अत्यधिक नजदीक से गोलीबारी शुरु कर दी और वाहन से कूद गये। नायब सूबेदार हरिकांत झा ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर अदम्य साहस का परिचय दिया और अंधाधुंध गोलबारी करते हुए उग्रवादियों की ओर लपके और सफलतापूर्वक दो उग्रवादियों को मार गिराया। इसके बाद उस स्थान से दो ९ एम एम पिस्तौल, गोलीबारुद, धन ऐंठने की चिट 16,640/- रुपए और एक मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में श्री हरि कांता झा, नायब सूबेदार ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

27—381 GI/2008

सं. 162-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. जनक राज
राइफलमैन

2. नबल सिंह
राइफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 09 जून, 2007 को यह सूचनाप्राप्त हुई कि डी एच डी (जे) के स्वयंभू लांस कारपोरल के नेतृत्व में कुछ खूंखार आतंकवादी सिल्चर शहर के आसपास कुछ विध्वंसक कार्रवाई करने के लिए गंगानगर गाँव में छिपे हैं। मेजर जयदीप के नेतृत्व में एक छोटा सा दल उस क्षेत्र में 9 जून, 2007 को 2230 बजे भेजा गया। राइफल मैन/जनरल ड्यूटी जनक राज और राइफलमैन/जनरल ड्यूटी नबल सिंह स्काउट सं. 1 और स्काउट सं. २ का दायित्व निर्वाह कर रहे थे। यह टीम उस बिल्ट अप क्षेत्र में दुर्लभ और अज्ञात रास्ते से भेजी गई जिससे कि किसी को पता न लगे। उस गाँव में पहुंचने पर इस दल ने उस घर की घेराबंदी कर ली जिसमें आतंकवादी काडरों के छिपे होने का संदेह था। राइफलमैन/जनरल ड्यूटी जनक राज और राइफलमैन/जनरल ड्यूटी नबल सिंह मेजर जयदीप कृष्ण के साथ मिलकर अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उस घर में घुस गए और घर के अंदर छिपे चार कट्टर आतंकवादियों को धर-दबोचा तथा उन्हें पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। राइफलमैन/जनरल ड्यूटी जनक राज और राइफलमैन/जनरल ड्यूटी नबल सिंह ने गंभीर खतरे की स्थिति में भी अदभुत साहस का प्रदर्शन किया और बिना किसी समपार्श्विक क्षति के आतंकवादियों को अपने वश में कर लिया। गिरफ्तार आतंकवादियों को घटनास्थल पर ही पूछताछ करने पर उन्होंने शस्त्रास्त्रों तथा गोलाबारुद के एक भारी जखीरे के बारे में जानकारी दी जिसे बाद में नार्थ कछार हिल जिले के लम्सखांग गाँव के निकट स्थित एक भूमिगत जगह से जब्त किया गया। इसमें दो एस एल आर, एक ए के 47 राइफल, एक ए.के. 56 राइफल, एक आथोड ग्रेनेड लांचर, वर्गीकृत गोलाबारुद के 277 राउण्ड, तीन पाउच और 80000/-रुपये (अस्सी हजार रुपये) उस भूमिगत स्थल से जब्त किए गए। इस 'ओ पी लांग स्ट्राइक' की सफलता का श्रेय राइफलमैन/जनरल ड्यूटी जनक राज और राइफल मैन/जनरल ड्यूटी नबल सिंह की प्रत्युत्पन्नमति तथा सोच विचार कर की गई कार्रवाई को जाता है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री जनक राज, राइफलमैन और नबल सिंह, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 9 जून, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 163-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>

श्री लाल बहादुर नेवाड़
राइफलमैन

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

दिनांक 02 अक्टूबर, 2006 को राइफलमैन राजू राम से गांव नोंगब्राम में कुछ भूमिगत उग्रवादियों के छिपे होने की कार्रवाई योग्य आसूचना पर 02 अक्टूबर, 2006 की रात्रि को 34 असम राइफल्स के सैन्य बल द्वारा घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया। राइफलमैन राजू राम और राइफलमैन लाल बहादुर नेवाड़ ने अपनी प्लाटून के लिए स्काउट का नेतृत्व करने की इच्छा व्यक्त की। उस गांव को जाते समय इस प्लाटून को अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गोलीबारी के दौरान राइफलमैन राजू राम और प्लाटून कमांडर मेजर एस एस नागियाल ने देखा कि दो भूमिगत आतंकवादी बचकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत उनका पीछा किया जबकि भारी संख्या में गोलियां उनके ऊपर चलाई जा रहीं थीं, फिर भी उन्होंने प्रभावी गोलीबारी करके उन दोनों भूमिगतों को गोली मार दी। वह दोनों उग्रवादी गोली लगने पर नदी में कूद पड़े। इसी बची राइफलमैन नेवाड़ जो नम्बर दो स्काउट थे, उनका पीछा करते हुए नदी की तीव्र धारा में कूद पड़े और एक उग्रवादी को धर दबोचा जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का था, जिसकी शिनाख्त स्वयंभू प्राइवेट तोम्बू के रुप में हुई जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। नदी की तीव्र धारा में कूदकर बचकर भाग निकले दूसरे उग्रवादी का गोलियों से छलनी शव ग्रामीणों द्वारा वहां से लगभग 350 मीटर की दूरी पर निकाला गया जिसकी शिनाख्त कांगलेई युमफाम कन्ना लुप के स्वयंभू कारपोरल मैमू उर्फ दीवान के रुप में हुई। इस अभियान के दौरान एक 9 एम एम स्वचालित पिस्तौल तथा गोलाबारुद बरामद किया गया। राइफलमैन राजू राम तथा उनके साथी राइफलमैन लाल बहादुर नेवाड़ के वीरतापूर्ण कार्यों से दो कट्टर उग्रवादियों का शमन हुआ जिससे आतंकवादी गुटों को भारी क्षति पहुंची।

इस मुठभेड़ में श्री लाल बहादुर नेवाड़, राइफलमैन ने असाधारण शौर्य, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3 अक्तूबर, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 164-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्वश्री

1. विनय गहलौत
   इंस्पेक्टर
2. लाल सिंह,
   हैड कांस्टेबल
3. फारुक अहमद डार
   कांस्टेबल
4. सतपाल सिंह,
   कान्स्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

दिनांक 05 फरवरी, 2007 को लगभग 1700 बजे यूनिट "जी" स्रोत से गांव कामराजीपुरा में दो उग्रवादियों की मौजूदगी की जानकारी प्राप्त होने पर श्री ए के शर्मा सेकेण्ड-इन कमांड / स्थानापन्न कमांडेंट ने, 42 बटालियन बी एस एफ इंस्पेक्टर (जी) विनय गहलौत से उस घर की शुरुआती घेराबंदी करने को कहा तदनुसार इंस्पेक्टर (जी) विनय गहलौत ने दो पार्टियां बनाईं। एक पार्टी का नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया जबकि दूसरी पार्टी का नेतृत्व 42 बटालियन बी एस एफ के हैड कांस्टेबल सितम्बर सिंह कर रहे थे। इसी बीच स्थानापन्न कमांडेंट ने श्री राजेश कुमार उप कमांडेंट /एडजुटैंट, श्री एस ए तिग्गा, उप कमांडेंट तथा अन्य कंपनी कमांडरों को प्रवर्तन हेतु सैन्यबल सहित घटनास्थल पर जाने का निदेश दिया। श्री सितम्बर सिंह के नेतृत्व में हैड कांस्टेबल राजेश कुमार, हैड कांस्टेबल यशपाल शर्मा , कांस्टेबल मंजूर अहमद, कांस्टेबल जावेद अली और कांस्टेबल फारुख अहमद को मिलाकर बनी पहली पार्टी सिविल वाहन में गई तथा गांव पार करके और रोमुशी नाला, जो उस घर से लगभग 200 गज की दूरी पर है, को कवर करते हुए घेराबंदी कर ली। इंस्पेक्टर (जी) के कमांड वाली दूसरी पार्टी कामराजीपुरा गांव बी एस एफ के वाहन में पहुंची तथा इसने तुरंत लक्षित घर की घेराबंदी कर दी। बी एस एफ सैन्य बल को नजदीक आते देख दोनों उग्रवादी घर से बाहर कूद गए तथा उन्होंने इंस्पेक्टर (जी) पर भारी गोलीबारी की। इस भारी गोलीबारी से बेपरवाह इंस्पेक्टर(जी) विनय गहलौत और कांस्टेबल फारुक अहमद डार ने अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा तथा उन उग्रवादियों पर जवाबी गोली बारी की। दोनों उग्रवादी सेब के बाग में विभिन्न दिशाओं में भाग गए और उन्होंने जमीन में बने एक गड्ढे में पोजीशन ले ली। कांस्टैबल फारुक अहमद डार और इंस्पेक्टर (जी) विनय गहलौत ने आक्रामक रुप से रणनीतिक ढंग से आगे बढ़ते हुए उन उग्रवादियों पर गोली चलाना जारी रखा जबकि अन्य पार्टी सुरक्षात्मक गोलीबार करती रही । इसी बीच इंस्पेक्टर (जी)

विनय गहलौत तथा कांस्टेबल फारुक अहमद डार ने पेट के बल रेंग कर आगे बढने वाली पोजीशन ले ली तथा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना उग्रवादियों की ओर आगे बढ़े जो अब रोमुशीनाला की ओर आगे बढ़ रहे थे तथा उन्होंने उग्रवादियों पर तुरंत गोली चला दी। इस अचूक जवाबी गोलीबारी में एक कट्टर उग्रवादी घटनास्थल पर ही ढेर हो गया। हैड कांस्टेबल सितम्बर सिंह तथा उनकी पार्टी ने दूसरे उग्रवादी को कामराजीपुरा गांव के पूरब की ओर व्यस्त रखा। संख्या 01000118 कांस्टेबल सतपाल सिंह वीरतापूर्ण पहल करते हुए,अपने जीवन की सुरक्षा की तनिक भी परवाह न कर उस उग्रवादी की ओर आगे बढ़े तथा उन्होंने एवं हैड कांस्टेबल लाल सिंह, दोनों ने उग्रवादी पर जवाबी गोलीबारी की । यह कट्टर उग्रवादी कांस्टेबल सतपाल तथा हैड कांस्टेबल लाल सिंह की मारक बहादुरी तथा आक्रामक स्थिति के समक्ष अधिक समय तक नहीं टिक सका तथा अन्ततः उसने आत्मसमर्पण कर दिया। श्री ए के शर्मा सेकेण्ड-इन-कमांड / स्थानापन्न कमांडेंट भी डी एस पी (आप्स) स्पेशल आपरेशन ग्रुप पुलवामा और एस एच ओ राजपुरा के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए तथा अभियान में शामिल हो गए। उस क्षेत्र की तलाशी में दो उग्रवादियों के शवों , जिनकी शिनाख्त एच एम संगठन के जावेद अहमद गनई (चरार –ए – शरीफ थाना के पूर्व एस पी ओ-डिजर्टर) पुत्र स्व. अब्दुल गनई , निवासी डालवन (जम्मू और कश्मीर) तथा एच एम गुट के सज्जाद अहमद मीर पुत्र बशीर अहमद मीर निवासी बाबिहर जिला पुलवामा के रुप में हुई । उनकी बरामदगी के साथ साथ निम्नलिखित शस्त्र एवं गोलाबारुद भी बरामद हुए:

1. ए के सीरीज की राइफलें-01 नग
2. पिस्तौल (चीनी) – 01 नग
3. हथगोला (चीनी)- 02 नग
4. ए के मैग-06 नग
5. पिस्तौल मैग- 05 नग
6. ए के गोला बारुद-63 आरडीएस
7. पिस्तौल गोला बारुद-22 आर डी एस
8. ई एफ सी ए.के.सीरिज-28 नग

इस मुठभेड़ में सर्वश्री विनय गहलौत, इंस्पेक्टर, लाल सिंह, हैड कांस्टेबल, फारुक अहमद डार, कांस्टेबल तथा सतपाल सिंह कांस्टेबल ने असाधारण शौर्य, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहें हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 फरवरी, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

28—381 GI/2008

सं. 165-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्वश्री

1. सितम्बर सिंह भदौरिया,
   हैड कांस्टेबल
2. शेर जमाल
   कांस्टेबल
3. रन्तेष
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 07 जनवरी, 2007 को लगभग 1450 बजे यूनिट "जी" सेल से यह जानकारी प्राप्त होने पर कि गांव डलवन में कुछ उग्रवादी मौजूद हैं, श्री ए के शर्मा, 21सी/ स्थानापन्न कमांडेंट अन्य तीन अधिकारियों के साथ उस गांव की ओर चल पड़े। इसी बीच "लोथा ग्रुप" नामक विशेष प्रचालन सैन्यबल जो उस समय आसपास के क्षेत्र में पहले से ही उपलब्ध था तथा विद्रोह विरोधी चौकी पाखरपुरा से इंस्पेक्टर (जी) को भी लक्षति घर की ओर चलने को कहा गया । सैन्य बल की हलचल देखकर वे उग्रवादी घर के पिछवाड़े से कूदकर बचनार नाला की ओर भाग गए परन्तु कांस्टेबल शेर जमाल ने उन्हें भागते देख लिया तथा उन्होंने इसकी जानकारी पार्टी कमांडर हैड कांस्टेबल सितम्बर सिंह भदौरिया को दे दी । तत्काल इस पार्टी ने उग्रवादियों का पीछा करना शुरु कर दिया। दोनों उग्रवादियों ने पीछा कर रही इस पार्टी पर अपने स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की। हैड कांस्टेबल सितम्बर ने नाले के दूसरी ओर पोजीशन ले ली तथा जवाबी गोलीबारी की। इसी बची, लोथा पार्टी भी उत्तर पूर्व दिशा से इस मुठभेड़ में शमिल हो गई और उन्होंने भी उग्रवादियों पर गोली चलानी शुरु कर दी। दोनों उग्रवादियों ने विभिन्न स्थानों पर पोजीशन ग्रहण कर ली परन्तु बी एस एफ सैन्यबल ने उन पर भारी गोलीबारी की। हैड कांस्टेबल सितम्बर सिंह भदौरिया ने अपनी पार्टी के दो ग्रुप बना दिए तथा पार्श्व भाग से उग्रवादियों की ओर बढ़ना शुरु कर दिया। साथ ही लोथा ग्रुप के कांस्टेबल हमीदुल्ला मीर, कांस्टेबल मुस्ताक अहमद डार और कांस्टेबल निसार अहमद वानी ने सुरक्षात्मक गोलीबारी करके उग्रवादियों को बचकर भाग निकलने से रोका। हैड कांस्टेबल सितम्बर सिंह भदौरिया , कांस्टेबल शेर जमाल और कांस्टेबल सतपाल सिंह दाहिने पार्श्व भाग से नाले के ऊपर पहुंच गए। उग्रवादी भी बेहतर और सुरक्षात्मक पोजीशन के लिए नाले के ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। हैड कांस्टेबल सितम्बर सिंह भदौरिया ने अपने दल से सुरक्षात्मक गोलीबारी करने को कहा तथा पेट के बल घिसटते हुए उग्रवादियों की ओर को आगे बढ़े तथा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना उग्रवादियों पर गोली चला दी। इसी बीच कांस्टेबल शेर जमाल भी उग्रवादियों की ओर आगे बढ़े तथा उन पर एक हथगोला फेंककर गोलीबारी करनी शुरु कर दी। हैड कांस्टेबल सितम्बर सिंह भदौरिया और

कांस्टेबल शेर जमाल की अचूक गोलीबारी से एक उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारा गया जिसकी बाद में शिनाख्त जे ई एम आउटफिट के तहसील कमांडेंट गुलाम मोहम्मद धोबी पुत्र अली मोहम्मद धोबी कोड मुजामिल जेहादी के रुप में हुई। साथ ही हैड कांस्टेबल लाल सिंह के कमांड में कांस्टेबल रन्तेष और कांस्टेबल बलहंस राज को मिलाकर बने एक अन्य ग्रुप ने दूसरे उग्रवादी को बचनार नाले के दूसरे सिरे से व्यस्त रखा। हालांकि उग्रवादी उन पर लगातार गोली चलाता रहा था फिर भी कांस्टेबल रन्तेष अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना हैड कांस्टेबल लाल सिंह और कांस्टैबल हंसराज द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुरक्षात्मक गोलीबारी के बीच उत्तर दिशा से उग्रवादी की ओर आगे बढ़े। कांस्टेबल रन्तेष ने अदम्य साहस एवं अचूक गोलीबारी का प्रदर्शन करके उस उग्रवादी को मार गिराया जिसकी बाद में शबीर अहमद कोड दानिश पुत्र अब्दुल अजीज राथेर निवासी ग्राम फरसीपुरा जिला पुलवामा (जे एंड के) के रुप में हुई। बाद श्री ए के शर्मा सेकेण्ड –इन –कमांड/अफिशिएटिंग और अन्य अधिकारी भी इस अभियान में शामिल हो गए । तत्पश्चात चरार-ए-शरीफ की पुलिस भी वहां पहुंच गई। उस क्षेत्र की पुलिस अधिकारियों तथा सिविलियनों की मौजूदगी में तलाशी ली गई जिसमें निम्नलिखित शस्त्र एवं गोलाबारुद बरामद किए गए-

1. ए के श्रृंखला की राइफल- 02 संख्या
2. ए के सीरीज की मैग्स- 06 संख्या
3. हथगोला - 01 संख्या
4. 7.62 एम एम एम्यूनिशन- 11 आरडीएस
5. ए के सीरीज के एम्यूनिशन-142 आर डी एस

इस मुठभेड़ में सर्वश्री सितम्बर सिंह भदौरिया, हैड कांस्टेबल, शेर जमाल, कांस्टेबल, रन्तेष, कांस्टेबल ने असाधारण वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 जनवरी, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 166-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. विनोद कुमार सैनी,
 उप निरीक्षक
2. वर्गे भुजंग राव,
 कांस्टेबल
3. वाई. भास्कर नायडू,
 कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 20 अक्तूबर, 2006 को लगभग 0830 बजे जब बी एस एफ 63वीं बटालियन के कांस्टेबल वर्गे भुजंग राव तथा कांस्टेबल अरविन्द भाई एफ डी एल कर्मा में ड्यूटी पर थे, तभी उन्होंने एफ डी एल कर्मा के उत्तर की ओर स्थित नैनी/सैडल साइड की तरफ कुछ संदिग्ध हलचल देखी। इस पर दोनों ने सुरक्षात्मक पोजीशन ले ली और कांस्टेबल वर्गे भुजंग राव ने उन्हें रुकने और अपनी पहचान प्रदर्शित करने के लिए कहा। उग्रवादियों ने जब यह देखा कि बी एस एफ कार्मिक उन्हें रुकने के लिए कह रहे हैं तो एफ डी एल पर उन्होंने अपने स्वचालित हथियारों से भारी मात्रा में गोलीबारी शुरु कर दी। गोली चलने पर इन दोनों ने उग्रवादियों पर प्रभावी जवाबी गोलीबारी की तथा उन्हें आगे जाने से रोक दिया। दोनों कांस्टेबलों की जवाबी कार्रवाई से उग्रवादियों को मजबूरन निकटवर्ती क्षेत्र में पोजीशन लेनी पड़ी परन्तु वे एफ डी एल की ओर अंधाधुंध गोली चलाते रहे। चूंकि वह भू-भाग उग्रवादियों के भाग निकलने/एफ डी एल का चक्कर लगाने के लिए अनुकूल था इसलिए कांस्टेबल वर्गे भुजंग राव ने महसूस किया कि अपने एफ डी एल कार्मिकों को बचाने के लिए अत्यधिक जोखिम भरी कार्रवाई करने की जरूरत है। अत: वह विलक्षण साहस एवं अदम्य प्रतिरोधक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए, उग्रवादियों की भारी गोलीबारी के बीच अपनी पोजीशन से बाहर आ गए तथा एक उग्रवादी पर अचूक गोली चलाई जिससे वह वहीं पर ढेर हो गया। तत्पश्चात आसन्न खतरे के प्रति पूरी तरह से बेपरवाह इस बहादुर कांस्टेबल ने दूसरे उग्रवादी के खिलाफ भी भीषण कार्रवाई की क्योंकि वह बी एस एफ सैन्य बल को भारी संख्या में हताहत करने के इरादे से पोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसी बीच एस आई विनोद कुमार सैनी, एफ डी एल कर्मा के प्लाटून कमाण्डर ने गोलीबारी की आवाज सुनकर त्वरित कार्रवाई की और उग्रवादियों की भारी गोलीबारी के बीच, एफ डी एल के चारो ओर सैन्य बल तैनात करने में सक्षम रहे। यह कनिष्ठ कमाण्डर, उच्च स्तर की पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन करते हुए, एफ डी एल के चारो और संवेदनशील स्थानों पर समुचित सैन्यबल तैनात करने में सफल रहा। तत्पश्चात, कोटे में रखे शस्त्र एवं गोला बारुद तथा अन्य उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना उग्रवादियों की गोलीबारी के बीच

वह बेधड़क कोटे की ओर दौड़े। कोटे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के पश्चात उन्होंने तत्काल पोजीशन ले ली और जवाबी गोलीबारी जारी रखी। इसी बीच, एस आई विनोद कुमार सैनी ने एक उग्रवादी को गोली चलाते तथा मृत उग्रवादी का शव खींचने की कोशिश करते हुए देखा। यह उग्रवादी अपनी सुरक्षित स्थिति से पुलिस बल के लिए काफी खतरा उत्पन्न कर रहा था क्योंकि वह चौकी में कार्मिकों की ओर गोली चला रहा था तथा उसकी ओर को जरा सा भी बढ़ना जान जोखिम में डालना था। इस पर एस आई विनोद कुमार सैनी, कांस्टेबल वाई.बी. नायूडू और उनकी पार्टी ने अपने प्रयासों को तुरंत समन्वित करने का निर्णय लिया और उग्रवादी पर भारी गोलीबारी करके उसे जख्मी कर दिया। इस जख्मी उग्रवादी ने तुरन्त अपने साथी को छोड़कर खाई में पोजीशन ले ली। एस आई विनोद कुमार सैनी और कांस्टेबल वाई बी नायडू अपने जीवन की परवाह किए बिना समन्वित गोलीबारी करते हुए और अदम्य एवं अनूठे साहस का प्रदर्शन करते हुए उग्रवादियों की ओर आगे बढ़े। इस आधारभूत वास्तविकता को स्वीकारते हुए कि स्वचालित आग्नेयास्त्र प्रभावी नहीं हैं, उन्होंने एक ग्रेनेड फेंका जिससे उग्रवादी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। बाद में उस उग्रवादी की मौत हो गयी।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि उस क्षेत्र में कोई अन्य उग्रवादी तो नहीं छिपा है, एफ डी एल के चारों ओर अत्यधिक रणनीतिक ढंग से गहन तलाशी की गई। इस क्षेत्र की तलाशी में निम्नलिखित शस्त्र एवं गोलाबारुद बरामद किए गए :-

ए.के. 47 राइफल	-	02सं.
ए.के. मैग्स	-	07 सं.
ए.के. एम्यून्स	-	230 आर डी एस
ग्रेनेड	-	03 सं.

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री विनोद कुमार सैनी, उप निरीक्षक, वर्गे भुजंग राव, कांस्टेबल तथा वाई. भास्कर नायडू कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20 अक्तूबर, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

29—381 GI/2008

सं. 167-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. शिशिर कुमार चतुर्वेदी,
   सहायक कमांडेंट
2. सी. नारायण अप्पा,
   हैड कांस्टेबल
3. नसीर अहमद
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 14 नवम्बर, 2007 को लगभग 0300 बजे जिला कार्बी आंगलोंग (असम) में चारीकुटी के घने जंगल में के एल एन एल एफ गुट के सशस्त्र उग्रवादियों के एक बड़े समूह की उपस्थिति के संबंध में विशिष्ट सूचना के आधार पर श्री शिशिर कुमार चतुर्वेदी, सहायक कमांडेंट, 16 बटालियन बी एस एफ की कमान्ड के अन्तर्गत 02 एस ओ और 40 अन्य रैंक की एक विशेष अभियान पार्टी विद्रोह रोधी बेस चोकीकोला से चोकीहोला वाली जान – चारी कुटी अक्ष की तरफ बढ़ी कठिन पहाड़ी भूभाग, घने जंगल और उग्रवादियों की भारी उपस्थिति को दृष्टि में रखते हुए पार्टी ने कलयाणी नदी के साथ-साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरु किया। भूभाग और सम्भावित झाड़ी स्थल को देखते हुए श्री शिशिर कुमार चतुर्वेदी, सहायक कमांडेंट ने अपनी पार्टी को दो समूहों में विभाजित कर दिया तथा उपयुक्त छिपाव की युक्ति अपनाते हुए कॉलमों का नेतृत्व करना शुरु किया। लगभग 0835 बजे जब पार्टी गांव चारीकुटी के पास तंग रास्ते से गुजर रही थी, उस पर उग्रवादियों द्वारा पहाड़ियों की दोनों दिशाओं से स्वचालित हथियारों द्वारा भारी गोलीबारी की गई। श्री शिशिर कुमार चतुर्वेदी ने उस भूभाग की स्थिति का फायदा उठाया और अपने 51 एम एम मोर डेट केडर को उन दोनों पहाड़ियों पर एच ई बम फैंकने का आदेश दिया जहां से उग्रवादी प्रभावपूर्ण ढंग से गोलीबारी कर रहे थे। एच ई बमों के विस्फोट के कारण उग्रवादियों के मध्य पैदा हुए डर का लाभ उठाते हुए श्री शिशिर कुमार चतुर्वेदी ने अपनी पार्टी को पुन: संगठित किया तथा पहाड़ी पर चढ़ना शुरु किया। जब पार्टी ऊंचाई पर चढ़ रही थी, अधिकारी ने कुछ उग्रवादियों को मोर्चा संभालते हुए तथा बी एस एफ पार्टी पर गोलीबारी करते हुए देखा। बी.एस.एफ. पार्टी को चढ़ते हुए देखकर, एक उग्रवादी ने घने जंगल का फायदा उठाते हुए पहाड़ी पर चढ़ना शुरु कर दिया। अधिकारी ने कांस्टेबल प्रहलाद सिंह को उनको कवरिंग गोलीबारी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया तथा साहस और चुस्ती-फुर्ती का प्रदर्शन करते हुए भागते हुए उग्रवादी का पीछा किया, अपने स्वयं के जीवन के सामने उत्पन्न आसन्न खतरे को देखते हुए भागते हुए उगवादी पर वे कूदे तथा हाथापाई में उसको जीवित पकड़ लिया। पकड़े गए उग्रवादी की बाद में पहचान वेलबोन कथार पुत्र महेन्द्र कथार, निवासी, होंगसिंग तेरोंग (असम) के रुप में की गई। हैड कांस्टेबल सी

नारायण अप्पा तथा कांस्टेबल नसीर अहमद ने अन्य उग्रवादी को एक बडे पत्थर के पीछे छुपते हुए नोटिस किया तथा वह बड़े ही पास से बी एस एफ पार्टी पर पिस्तौल से गोलीबारी कर रहा था। हैड कांस्टेबल सी नारायण अप्पा ने कांस्टेबल नसीर अहमद को उन्हें कवरिंग गोलीबारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा तथा तुरन्त कार्रवाई में वे अपने मोर्चे से बाहर निकल आए और उग्रवादी पर टूट पड़े तथा उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके अलावा वे उग्रवादी को काबू में करने हेतु उस पर कूद पड़े। जब हैड कांस्टेबल सी नारायण अप्पा हाथापाई में संलग्न थे, कांस्टेबल नसीर अहमद ने यह नोटिस किया कि उग्रवादी हैड कांस्टेबल सी नारायण अप्पा पर गोलीबारी करने के लिए अपनी पिस्तौल पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा था। इस पर कांस्टेबल नसीर अहमद ने उच्चकोटि की पेशेवरता और साहस का परिचय देते हुए उग्रवादी के दाएं हाथ को सहजता से पकड़ लिया तथा भरी हुई पिस्तौल से उसे विहिन कर दिया। घायल उग्रवादी को जिन्दा पकड़ लिया गया परन्तु बाद में उसकी मृत्यु हो गई। मारे गए उग्रवादी की बाद में पहचान जयाल केआरओ पुत्र चन्दौर केआरओ, निवासी फोंगचरोप (असम) के रूप में की गई। बी एस एफ पार्टी की साहसपूर्ण मुकाबला घात कार्रवाई के कारण अन्य उग्रवादी जंगल के मध्य लुप्त हो गए।

क्षेत्र की तलाशी पर निम्नलिखित शस्त्र और गोला बारुद बरामद किए गए:-

7.65 एम एम पिस्तौल (यू एस ए में निर्मित)	01 सं.
7.65 एम एम पिस्तौल मैग्जीन	01 सं.
7.65 एम एम पिस्तौल आर डी एस	06 सं.
ई एफ सीएस 7.65 एम एम पिस्तौल	02 सं.
ई एफ सीएस ए के 47 राईफल	10 सं.
ई एफ सीएस 7.62 एम एम एस एल आर	02 सं.
मिस फायर गोला बारुद ए के-47 राईफल	01 सं.
लैटर पैड के एल एन एल एफ	01 सं.
नोकिया मोबाइल चार्जर	01 सं.
नोकिया मोबाइल	01 सं.
पॉकेट डायरी	02 सं.
छोटे साइज़ की नोट बुक	03 सं.
मलेरिया संबंधी दवाई	08 पैकेट
फोटोग्राफ	03 सं.
फायर क्रेकर	11 सं.

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री शिशिर कुमार चतुर्वेदी, सहायक कमांडेंट, सी. नारायण अप्पा, हैड कांस्टेबल तथा नसीर अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 नवम्बर, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 168-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. ललित कुमार,
   निरीक्षक
2. जी.सी. गोगोई,
   हैड कांस्टेबल
3. दिनेश कुमार,
   कांस्टेबल
4. जे.जे. गोगोई,
   कांस्टेबल
5. जीत सिंह,
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

पुलिस स्टेशन कुतरु के अन्तर्गत इन्द्रावती नदी के समीप पारकेली गांव के जंगल क्षेत्र में नक्सलवादियों द्वारा बेस कैम्प स्थापित करने तथा एक व्यक्ति को मारने तथा एस पी ओ के घरों को जलाने के विषय में विशिष्ट सूचना की प्राप्ति पर निरीक्षक ललित कुमार, कम्पनी कमांडर - डी/31 वी एन, सी आर पी एफ ने अपनी कम्पनी की दो प्लाटूनों के साथ तथा राज्य पुलिस की एक पार्टी के साथ 26.3.06 को लगभग 0530 बजे नक्सलवादियों को धर पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाने हेतु प्रस्थान किया। तेलीपांटा गांव पहुंचने के पश्चात निरीक्षक ललित कुमार (पार्टी कमांडर) ने इन्दरावती नदी की तरफ जाने वाले मार्ग पर नए पैरों के निशान नोटिस किए। उन्होंने पदचिन्हों का पीछा करने हेतु अपनी बुद्धि का उपयोग किया तथा मार्ग परिवर्तित कर दिया। टुकड़ियां युक्तिपूर्वक आगे बढ़ी तथा कमर तक गहरे पानी में इन्दरावती नदी को पार किया तथा पदचिन्हों का पीछा किया। टुकड़ियां आगे बढ़ीं तथा विस्तृत पंक्ति में अपने गठन को परिवर्तित करती रहीं तथा उन्होंने पारकेली गांव के घने जंगल क्षेत्र में प्रवेश किया। पार्टी कमांडर निरीक्षक ललित कुमार ने आगे बढ़ते हुए नेतृत्व करते हुए अचानक बेस कैम्प में लगभग 20-25 नक्सलवादियों के समूह को देखा। उन्होंने तुरन्त क्षेत्र की घेराबंदी करने हेतु टुकड़ियों को संकेत दिया, कैम्प के निकट से पहाड़ियों के नीचे से भारी गोलीबारी होने लगी। कोई और विकल्प के न रहने पर निरीक्षक ललित कुमार ने अपने साथी कांस्टेबल जे.जे. गोगोई और दिनेश कुमार के साथ दुश्मन की गोलीबारी में अपने जीवन को पूरी तरह जोखिम में डालते हुए कैम्प की तरफ आगे बढ़े और अपनी ए के-47 राइफलों से गोलीबारी प्रारंभ कर दी। टुकड़ियों द्वारा प्रदर्शित इस तुरन्त हरकत और पेशेवर कार्रवाई ने दुश्मन की गोलीबारी को निष्क्रिय कर दिया। निडरता से टुकड़ियों के आगे बढ़ने के कारण नक्सलवादी उनके ताप को ज्यादा देर तक सहन न कर

सके तथा वे शिविर को छोड़ने के लिए विवश हो गए। चूंकि नक्सलवादी सी आर पी एफ टुकड़ियों के कारगर प्रहार के कारण चौंक गए, वे दो आई ई डी में भी विस्फोट नहीं कर सके, जिन्हें पहुंच मार्गों पर लगाया गया था। परस्पर चली गोलीबारी में निरीक्षक ललित कुमार ने पेड़ की शाखा की आड़ लेते हुए, संतरी चौकी पर एक महिला नक्सल को मार गिराया जो उन पर गोलीबारी कर रही थी। नाले में कूदते हुए उन्होंने दुबारा अपने मोर्चे को परिवर्तित किया तथा एक और पुरुष नक्सल को निष्क्रिय किया जो हथगोला फेंकने की तैयारी कर रहा था तथा मोर्चे में बदलवाव लाने और आगे बढ़ने हेतु अपने कोर ग्रुप को कवरिंग गोलीबारी उपलब्ध करवाई। तत्काल कांस्टेबल जे.जे. गोगोई कवर हेतु नाले के पास एक वृक्ष की तरफ आगे बढ़े तथा उन्होंने एक नक्सलवादी को मार गिराया। बंदूक की लड़ाई में हैड कांस्टेबल जी.सी. गोगोई और कांस्टेबल जीत सिंह तथा दिनेश कुमार युक्तिपूर्वक आगे बढ़े तथा प्राकृतिक कवर की मदद से नक्सलवादियों के मोर्चे की तरफ प्रभावपूर्ण गोलीबारी शुरु कर दी तथा स्थल पर दो और नक्सलवादियों को मार गिराया। जबकि प्लाटून भारी गोलीबारी में व्यस्त थी, नक्सलवादियों की गोलीबारी की मात्रा कम हो गई तथा आक्रमण का मुकाबला करने में अक्षम होने पर समाप्त हो गई। क्षेत्र की घेराबंदी और तलाशी शुरु की गई जिसमें पहचान विहिन नक्सलवादियों के पांच शव बरामद किए गए। शस्त्र/गोलाबारुद, विस्फोट, साहित्य और अन्य माओवादी सामग्री भी शिविर स्थल से बरामद की गई। विभिन्न खून के धब्बे देखे गए। जिससे पता चलता है कि भागे हुए अन्य नक्सलवादियों को गहरी चोटें लगी हैं। टुकड़ियों ने शिविर को ध्वस्त कर दिया तथा वे टुकड़ियों को किसी चोट अथवा हानि के बिना सुरक्षित वापिस लौटा लाए। तथापि, मुठभेड़ के बारे में सूचना प्राप्त होने के पश्चात, श्री वी.डी. टोकस, तब के आई जी पी, विशेष सेक्टर, सी आर पी एफ दिल्ली जोकि अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बीजापुर में उपस्थित थे, टुकड़ियों के साथ दौड़े आए तथा क्षेत्र को सुरक्षित किया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री ललित कुमार, निरीक्षक, जी.सी. गोगोई, हैड कांस्टेबल, दिनेश कुमार, कांस्टेबल, जे.जे. गोगोई, कांस्टेबल तथा जीत सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26 मार्च, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 169-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री संतोष चौधरी,
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

सशस्त्र संदिग्ध एन डी एफ बी उग्रवादी द्वारा फैंसी बाजार, बीजनी (असम) में लूटखसोट किए जाने के संबंध में स्वंय के स्रोत से विश्वसनीय सूचना की प्राप्ति पर श्री राकेश पाल राणा, कमांडेंट (सी सी डी) द्वारा 06.06.07 को उक्त उग्रवादी को पकड़ने के लिए एक योजना तैयार की गई। इस सूचना के आधार पर डी/116 के आसूचना प्रकोष्ठ के सी टी/जी डी दिपेन बोरो के साथ एक पार्टी को कुछ दिनों के लिए संदिग्ध व्यक्तियों पर सतर्क नजर रखने के लिए फैंसी बाजार क्षेत्र में तैनात किया गया। 14.06.2007 को दो एच सी/जी डी तथा छः सी टी/जी डी को शामिल करके एक पार्टी सहित सी टी/जी डी दिपेन बोरो ने सादी वर्दी में लगभग 1840 बजे क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में पीले रंग की हीरो होण्डा ग्लैमर बाइक पर एक व्यक्ति को घूमते हुए देखा। कम्पनी कमांडर ने पार्टी को संदिग्ध पर नजर रखने तथा उसको उस इलाके को छोड़ने न देने का निर्देश दिया। तदनुसार टुकड़ियां स्थल की तरफ दौडीं तथा उन्होंने क्षेत्र को घेर लिया। पार्टी संदिग्ध की तरफ सावधानी से आगे बढ़ी तथा उसको अपने हाथ खडे करने का आदेश दिया। कम्पनी कमांडर के आदेश पर, सी टी/जी डी संतोष चौधरी ने युक्तियुक्त रणनीति अपनाते हुए संदिग्ध की तलाशी लेना शुरु किया। अचानक संदिग्ध ने इलास्टिक स्पोर्ट एंक्लेट में रखी अपनी पिस्तौल निकाल ली जोकि उसने पैन्ट के नीचे अपने जुराबों में रख रखी थी तथा सी टी/जी डी संतोष चौधरी के घुटने में बुरी तरह वार किया। सी टी/जी डी संतोष चौधरी घटनास्थल पर नीचे गिर पड़े तथा संदिग्ध ने भूमि पर पिस्तौल को गिराने के पश्चात वहां से भागना शुरु कर दिया। टुकड़ियों ने उसका पीछा करने का प्रयास किया परन्तु भारी बी.पी. जैकेट और हैल्मैट में होने के कारण संदिग्ध व्यक्ति निरन्तर आगे भाग रहा था। यह देखते हुए कि उग्रवादी पकड़ से बाहर जा रहा है, सी टी/जी डी संतोष चौधरी ने उग्रवादी द्वारा छोडी गई हीरा होण्डा को तत्काल चालू किया तथा उसका पीछा किया। सी टी/जी डी संतोष चौधरी को काफी निकट देखने के पश्चात संदिग्ध व्यक्ति ने सड़क छोड़ दी तथा सड़क के साथ पानी में कूद पड़ा। सी टी/जी डी संतोष चौधरी ने तत्काल बाइक को रोका, अपनी राइफल निकाल ली तथा उसको चुनौती दी। भागने का कोई रास्ता न पाने पर संदिग्ध व्यक्ति ने समर्पण कर दिया। सी टी/जी डी संतोष चौधरी ने श्री रामेश्वर सिंह, ए/सी की कमांड के तहत पार्टी के आगमन तक उसको बंदूक की नोक पर रखा। उसकी दुबारा सावधानीपूर्वक तलाशी ली गई। उसके कब्जे से निम्नलिखित शस्त्र/गोलाबारुद तथा मदें बरामद की गई:-

1. 7.62 एम एम चाइनीज पिस्तौल - 01

2.	7.62 एम एम चाइनीज पिस्तौल मैगजीन	-	01
3.	7.62 एम एम जिंदा राउन्ड	-	08
4.	नौकिया मोबाइल फोन सेट	-	01
5.	हीरो होण्डा ग्लैमर एम/सी	-	01
6.	आई कार्ड जिस पर डी. खाबांग पुत्र बिपेन डिमेरी लिखा है		
7.	एक पर्स साथ में 1900/-रु.	-	
8.	हीरो होण्डा ग्लैमर एम/सी ए एस-15/बी.1152 का पंजीकृत प्रमाणपत्र जिसमें रमेश चंद डिमेरी का मालिक के रुप में उल्लेख है		
9.	डी. खाबांग, एक दुर्दान्त एन डी एफ बी उग्रवादी गिरफ्तार		

इस मुठभेड़ में श्री संतोष चौधरी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14 जून, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 170-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता हेतु पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	संजय कुमार, सहायक कमांडेंट	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	कलाब हुसैन, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:

दिनांक 26.3.06 को प्रात: श्री संजय कुमार ने आई ई डी तलाशी का पर्यवेक्षण किया तथा आर ओ पी और औचक नाका के लिए युक्तिपूर्वक तैनाती की। लगभग 0910 बजे, जब पामपोरे बाजार क्षेत्र से सेना की प्रथम डाउन टुकडी गुजर रही थी, श्री संजय कुमार ने दारंगबल मौहल्ले से ए के गोली दागने की ध्वनि सुनी और उन्होंने रणनीतिपूर्वक साइड लेन के जरिए एक बंकर में तत्काल प्रस्थान किया। उन्होंने दार मस्जिद लेन के समीप एक उग्रवादी को बैठे हुए देखा जोकि एन एच-1ए से गुजरते टुकडी के वाहनों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था। श्री संजय कुमार ने तत्काल उग्रवादी की तरफ गोलीबारी करके जवाबी कार्रवाई की जिसने एक हथगोला फैंका जोकि बंकर के निकट फटा। उग्रवादी ने गोलीबारी द्वारा बंकर पर प्रहार किया तथा उग्रवादी और श्री संजय कुमार सहित एस्कोर्ट के मध्य कुछ

मिनटों हेतु मुठभेड़ चलती रही। उग्रवादी ने पत्थर के टुकड़े की आड़ लेते हुए बंकर की तरफ गोलीबारी करना जारी रखा। श्री संजय कुमार और सी टी/जी डी कलाब हुसैन ने अपने आपको संलग्न रखा जिसके कारण उग्रवादी सेना की टुकड़ी पर गोलीबारी नहीं कर सका। श्री संजय कुमार और सी टी/जी डी कलाब हुसैन बुद्धि का परिचय देते हुए, हालांकि उत्पन्न गहरे खतरे के बावजूद, बंकर के अंदर से कूद पडे तथा उपयुक्त मोर्चा संभाला और एक संक्षिप्त मुठभेड़ के पश्चात उग्रवादी को मार गिराया। श्री संजय कुमार ने सी टी/डी वी आर बिजेन्द्र कुमार को बंकर को उग्रवादी की तरफ बढ़ाने के लिए कहा ओर वाहन उग्रवादी की टांग पर लगा। श्री संजय कुमार, अन्य उग्रवादी की गोलीबारी का निरन्तर जवाब देते रहे जोकि गोलियां दाग रहा था तथा जिसने सी आर पी एफ पार्टी की तरफ अन्य हथगौला फेंका। 50 आर.आर. का हाइड आउट दल भी घटनास्थल पर पहुंच गया तथा प्रत्येक घर की तलाशी शुरु की गई। जब डी और जी/141 बटालियन की टुकड़ियां घेराबंदी और तलाशी अभियान में व्याप्त थी तभी सेना की टुकड़ी को सहायक ड्यूटी उपलब्ध करवा रही 5 जे ए टी की टुकड़ियां भागती हुई आईं तथा उस गली की तरफ गोलीबारी करने लगी, जहां उग्रवादी का शव पड़ा था और इस तरह हडबड़ी सी मच गई और उन्होंने मृतक उग्रवादी का हथियार उठा लिया और 50 आर आर की टुकडियाँ घटनास्थल पर उपस्थित 141 बटालियन कार्मिकों द्वारा रोकने के बावजूद उग्रवादी के शव को उठा कर ले गई। मारे गए एल ई टी आत्मघाती स्कैवड के उग्रवादी की पहचान बशहरात अहमद वागे उर्फ अबु हुरेरा पुत्र अब्दुल हमद वागे निवासी हरमान, सोपियान, पुलवामा के रूप में की गई। श्री संजय कुमार ए/सी तथा कांस्टैबल कलाब हुसैन ने कर्तव्य के प्रति उच्चकोटि की प्रतिबद्दता का परिचय दिया तथा अत्यधिक पेशेवर तरीके से इस स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया की जिसके कारण उग्रवादी सेना की टुकड़ी को ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा सके। उत्पन्न गहरे खतरे के बावजूद, श्री संजय कुमार और कांस्टेबल कलाब हुसैन ने अपने परिचालनात्मक कार्य कौशल का वीरतापूर्वक परिचय दिया और एल ई टी उग्रवादी को मार गिराया। ऐसी पांच कायरतापूर्ण आक्रमण की घटनाओं में से सिर्फ उक्त घटना में ही उग्रवादी को घटनास्थल पर ही निष्क्रिय किया गया था जिसने उग्रवादियों के मनोबल को चकनाचूर कर दिया। मृतक उग्रवादी के पास से १ ए के-47 तथा 2 मेगजीन, हथगौला पिन-2, दागे गए खोल-28 संख्या में बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री संजय कुमार, सहायक कमांडेंट तथा कलाब हुसैन, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए प्रथम बार/वीरता हेतु पुलिस पदक सहर्ष के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26 मार्च, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

30—381 GI/2008

सं. 171-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1.	सुबेश कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2.	नरेन्द्र भारदद्वाजा, पुलिस उप महानिरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
3.	अखिलेश प्रसाद सिंह कमांडेंट	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
4.	उपेन्द्र पाल सिंह, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
5.	ललित चौधरी, कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

गुलाम रसूल, निवासी ईशबेर निशात, श्रीनगर, के घर में अल बदर उग्रवादियों की उपस्थिति के संबंध में एस पी (आपरेशन) जे.के.पी. से आसूचना प्राप्त होने पर श्री नरेन्द्र भारदद्वाजा, पुलिस उप महानिरीक्षक, सी.आर.पी.एफ., श्रीनगर ने 05.04.2007 को अल्प नोटिस पर प्रस्थान करने हेतु 112 बटालियन मुख्यालय को अपनी टुकड़ियों को सतर्क करने के लिए श्री सत्य नारायण सिंह, 2-आई सी 112 बटालियन और श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, कमांडेंट 139 बटालियन को सचेत किया। तदनुसार, बी और जी/139 बटालियन की टुकड़ियों ने एस पी (आपरेशन) श्रीनगर से उग्रवादियों की उपस्थिति के संबंध में पुष्टिकरण रिपोर्ट प्राप्त होने पर 112 बटालियन मुख्यालय के लिए प्रस्थान किया। श्री भारदद्वाजा ने टुकड़ियों को तत्काल लामबंद होने का आदेश दिया। क्यू आर टी और 112 बटालियन की एक प्लाटून ने श्री सत्यनारायण सिंह 2-आई सी तथा डी सी (आपरेशन) श्री रिन चेन वांग्याल दावा ने बी और जी कम्पनी 139 बटालियन, श्री रमेश कुमार बाली, डी/सी 139 बटालियन की कमांड के अन्तर्गत; रणनीति तैयार की और उस इलाके की ऊपरी दिशा में घेराबंदी के लिए पैदल ही 0030 बजे निशात के लिए प्रस्थान किया। लगभग 0045 बजे जब क्षेत्र की घेराबंदी की प्रक्रिया चल रही थी, घर में छुपे उग्रवादियों ने गोलीबारी प्रारंभ कर दी। अंधेरे का फायदा उठाते हुए, एक उग्रवादी ने घर के बाग की तरफ घेराबंदी को तोड़ते हुए भागने का प्रयास किया परन्तु उसको देख लिया गया तथा निष्क्रिय कर दिया गया। श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, कमांडेंट, 139 बटालियन, अपनी क्यू आर टी के साथ 0130 बजे घटनास्थल पर पहुंचे तथा आतंरिक घेराबंदी को सुदृढ़ किया। इसी बीच जे के पुलिस एस ओ जी ने वहां के निवासियों को आरक्षित स्थान पर पहुंचा कर आस-पास के घरों के चारों तरफ युक्तियुक्त मोर्चा संभाल

31—381 GI/2008

लिया। टुकड़ियों ने प्रातः के प्रथम प्रकाश के लिए प्रतीक्षा की तथा उग्रवादियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए 0630 बजे लक्षित घर की तरफ कुछ राउन्ड गोली चलाई। श्री भारदद्वाजा अपनी क्यू आर टी के साथ 06.04.2007 को 0700 बजे घटनास्थल पर पहुंच गए तथा स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात क्षेत्र का एक राउन्ड लगाया, विभिन्न पार्टियों की युक्तियुक्त स्थिति का आकलन किया, बंकरों, एल एम जी तथा टेलीस्कोपिक बंदूकों, ए जी एल आदि की स्थिति की जांच की तथा उनको ठीक किया, ऐसा करते समय वे भारी जोखिम उठा रहे थे और उग्रवादियों की गोलीबारी का सामना कर रहे थे। उप महानिरीक्षक के स्वंय के नेतृत्व में 03 आक्रमण तथा रुम इन्टरवेंशन पार्टियों, कमांडेंट 139 बटालियन और 2-आई सी 42 बटालियन का क्रमशः गठन किया गया। लक्षित घर की तरफ प्रस्थान करने हेतु बनी रणनीति के बारे में उनको ब्रीफ किया गया। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, डी आई जी सहित पार्टियों को उग्रवादियों की भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। श्री भारदद्वाजा ने अपने व्यक्तिगत जोखिम पर घर की सभी दिशाओं पर इन बिन्दुओं पर स्वंय मोर्चा संभालते हुए विभिन्न बिन्दुओं से लक्षित घर पर नियंत्रित गोलीबारी का संचालन किया। श्री सुबेश कुमार सिंह, आई पी एस, आई जी (प्रशासन), सी आर पी एफ श्रीनगर और श्री पोरेन्द्र प्रताप, ए डी आई जी (इन्ट/आप.), श्रीनगर, अपनी क्यू आर टी के साथ तत्काल आपरेशन स्थल पर पहुंचे। डी आई जी, श्रीनगर द्वारा ब्रीफ किए जाने के पश्चात आई जी, श्रीनगर ने लक्षित घर के आगे हो रहे गोलीबारी संग्राम की सीधी पंक्ति में स्थित घर में अपना मोर्चा संभाला। अपने मोर्चे से वे उग्रवादियों की हरकत को देखने में सक्षम थे और तदनुसार उन्होंने टेलीस्कोपिक बंदूक को देख लिया और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना वे समय-समय पर गोलीबारी करने के आदेश पास कर रहे थे। उन्होंने लक्षित घर पर निगरानी रखते हुए लगातार अभियान का पर्यवेक्षण किया और उग्रवादियों की हरकत के बारे में सूचना दी। एक उग्रवादी को देखने के पश्चात उन्होंने तत्काल उग्रवादी पर गोली चलाई और उसको घायल कर दिया, जिसके कारण विभिन्न सी आर पी एफ कार्मिकों की जानें ही नहीं बचीं बल्कि परन्तु बिना किसी रुकावट के निरन्तर अभियान को चलाने में भी इससे सहायता मिली। उनके मोर्चे को देखे जाने और उग्रवादी की तरफ से उनकी तरफ गोलियों की बौछार होने के बावजूद वे खतरनाक व्यक्तिगत जोखिम पर लगातार डटे रहे तथा अपने-अपने मोर्चे पर खड़े कमांडर को मार्ग निर्देशित और दिशा निर्देशित करते रहे। सर्व/श्री नरेन्द्र भारदद्वाजा, डी आई जी, श्रीनगर, अखिलेश प्रसाद सिंह, कमांडेंट, 139 बटालियन और सुनन्द कुमार, 2-आई सी 42 बटालियन जो कि रूम इन्टरवेंशन टीमों और अन्य टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे थे, ने लघु शस्त्रों के साथ उग्रवादियों की गोलीबारी का साहस के साथ सामना किया। चूंकि लघु शस्त्रों द्वारा की जा रही गोलीबारी प्रभावपूर्ण साबित नहीं हो रही थी, इसलिए श्री भारद्वाज ने अपनी क्यू आर टी को लक्षित घर पर ए जी एल से गोलीबारी करने का निर्देश दिया। ए जी एल गोलीबारी के दौरान श्री भारद्वाज, कांस्टेबल उपेन्द्र पाल सिंह, 112 बटालियन, कांस्टेबल नरेन्द्र गुजर, 1 बटालियन आतंकवादियों की गोलीबारी का सामना कर रहे थे परन्तु उन्होंने स्थिति का साहस के साथ सामना किया तथा ए जी एल को देख लिया और सफलतापूर्वक आतंकवादियों को निष्क्रिय कर दिया। कांस्टेबल नारायण सिंह राठौर, 1 बटालियन, अपने शस्त्रों और टेलीस्कोपिक साइटस के साथ रणनीतिपूर्वक मोर्चा संभाले हुए थे जहां से उन्होंने समग्र अभियान के दौरान आतंकवादियों पर निरन्तर दबाव बनाए रखा, हालांकि उनको आतंकवादियों द्वारा लक्ष्य बनाया जा रहा था और वे उनकी गोलीबारी का सामना कर रहे थे। श्री सुबेश कुमार सिंह, आई जी श्रीनगर ने अपनी सुरक्षा की चिन्ता किए बिना तथा उग्रवादियों की गोलीबारी को प्रत्यक्ष पंक्ति के निरन्तर सामने आने के बावजूद, प्रत्येक खिड़की और दरवाजे को कवर करते हुए रणनीतिपूर्वक इन कांस्टेबलों की गोलीबारी के मोर्चे का पता लगाया। कुछ समय पश्चात दोनों पक्षों की तरफ से संक्षिप्त विराम हो गया। श्री भारदद्वाजा ने इन्टरवेशन पार्टी के साथ

हस्तक्षेप करने हेतु लक्षित घर की तरफ पहुंचने का प्रयास किया परन्तु श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, कमांडेंट 139 बटालियन ने एक उग्रवादी को देख लिया जिसने उन पर गोलीबारी करना शुरु कर दिया। इसके बाद श्री भारदद्वाजा ने सी जी आर एल फायर को लक्ष्य को थोड़ा सहज बनाने का निर्देश दिया और चूंकि सी जी आर एल के प्रयोग हेतु कोई स्पष्ट गोलीबारी नहीं हो रही थी, श्री भारदद्वाजा ने अपनी क्यू आर टी को सी जी आर एल से गोलीबारी को कारगर बनाने हेतु लक्षित घर की चारदिवारी में दो छेद करने का निर्देश दिया। आई जी, सी आर पी एफ श्रीनगर ने लक्षित घर की प्रथम मंजिल पर उग्रवादियों की हरकत को देख लिया और डी आई जी, श्रीनगर को सूचित किया। श्री भारदद्वाजा ने प्रथम मंजिल पर ए जी एल से गोलीबारी करने का निर्णय लिया। यह एक बहुत ही जोखिमपूर्ण और साहसपूर्ण कार्रवाई थी क्योंकि कमरे के आगे दांए खुले में पार्टी थी जहां उग्रवादी छुपे हुए थे। इसके पश्चात लक्षित घर के भीतर कोई हरकत नहीं देखी गई ओर गोलीबारी भी बंद हो चुकी थी। डी आई जी, श्रीनगर ने अपनी क्यू आर टी के पर्यवेक्षण के तहत रूम इन्टरवेशन किया तथा श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, कमांडेंट 139 बटालियन की कमांड के अन्तर्गत अन्य इन्टरवेंशन कार्य कर रही थी तथा घर के अंदर पड़े हुए तीन शव बरामद किए गए। मृतक उग्रवादियों की बाद में पहचान अबु अख्तर पहलवान निवासी रावलपिंडीर, पाकिस्तान, कुलजार अहमद दर उर्फ से फुल्लापुज अब्दुल रसीद दर निवासी जैना बाटो सौफियान तथा रमीज अहमद माला पुत्र गुलाम हसन माला निवासी लातेर, पुलवामा के रूप में की गई।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री सुबेश कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, नरेन्द्र भारदद्वाजा, पुलिस उप महानिरीक्षक, अखिलेश प्रसाद सिंह, कमांडेंट, उपेन्द्र पाल सिंह, कांस्टेबल तथा ललित चौधरी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक के नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 6 अप्रैल, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 172-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री हजारी लाल
हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 09/08/2006 की रात को विशिष्ट सूचना के आधार पर श्री प्रदीप राणा, सहायक कमांडेंट और एस एच ओ गारु की कमान के अन्तर्गत सी आर पी एफ की एफ/13 बटालियन ने योजना बनाई और अभियान चलाया। लगभग 2330 बजे के आसपास स्थानीय पुलिस के साथ सी आर पी एफ की 13 वीं बटालियन के जवान अभियान के लिए क्षेत्र की ओर पैदल चल पड़े। दिनांक 10/08/2006 को 0200 बजे के आसपास, जब पार्टी कावरी बाजार पहंची, तब बारीबंध और दारीछप्पर गांवों को दो दिशाओं से घेरने के लिए श्री प्रदीप राणा, ए/सी और एस एच ओ गारु की कमान को दो टीमों में बांट दिया गया। श्री प्रदीप राणा, ए/सी के नेतृत्व वाली टीम दारी छप्पर गांव के पास पहुंची और उसे घेर लिया। विशिष्ट सूचना होने के कारण , शांति देवी पत्नी स्व. लक्ष्मण राम के संदिग्ध घर को घेर लिया गया। घर की तलाशी के दौरान अंदुरुनी छत पर कुछ हलचल देख कर एच सी हजारी लाल ने श्री प्रदीप राणा ए/सी की दिशा से सीढ़ी की सहायता से छत के नजदीक पहुंचने की कोशिश की। जब एच सी हजारी लाल अकेले घर की भीतरी छत पर पहुंचने के लिए पतली जगह से पहुंच रहे थे, तभी अतिवादियों द्वारा अचानक उन पर गोलीबारी शुरु कर दी गई। एच सी हजारीलाल ने भी गोलीबारी की । चूंकि अतिवादियों ने लकड़ी के लट्ठे के पीछे स्थिति ले रखी थी और बिल्कुल अंधेरा होने के बावजूद भी, एच सी हजारीलाल ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अतिवादियों की तरफ आगे बढ़े। चूंकि अतिवादियों के पास एक बार चलने वाली पिस्तौल थी, इसलिए अंधेरा होने के कारण वे अपने हथियार को दोबारा भरने में सक्षम नहीं हो सके थे। जैसे ही एच सी हजारीलाल उनके पास पहुंचे तभी अतिवादी लकड़ी के लट्ठे के पीछे से उस पर कूदे और उनका हथियार छीनने के लिए उन पर झपटे। तुरंत प्रतिक्रिया, दृढ निश्चय और साहस दिखाते हुए एच सी हजारीलाल ने दोबारा उग्रवादी पर गोली चलाई और उसे मार गिराया, जिसकी बाद में पहचान सत्येन्द्र पासवान उर्फ विनय जी उर्फ संदीप जी, लेटहार जिले के गारु , मेहतानंद और नेत्रहाट क्षेत्र के सब जोनल कमांडर के रुप में हुई। तलाशी अभियान के दौरान निम्नलिखित बरामदी हुई:-

1. एक नक्सली का शव
2. .315 बोर की पिस्तौल
3. डेटोनेटर
4. .315 जिंदा कारतूस
5. .315खाली कारतूस

6. 7.62 खाली कारतूस
7. .303 खाली कारतूस
8. नकदी
9. इलेक्ट्रिक तार
10. पीठू
11. काली वर्दी
12. नक्सल साहित्य
13. संदिग्ध

इस मुठभेड़ में श्री हजारी लाल, हैड कांस्टेबल ने असाधारण शौर्य , अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10 अगस्त, 2006 अक्तूबर से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 173-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री कन्हैया सिंह,
सहायक कमांडर

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

दिनांक 5/10/2006 को 1745 बजे के आसपास पुलिस प्रतिनिधियों के साथ श्री कन्हैया सिंह, ए/सी की कमान के अन्तर्गत 13वीं बटालियन के जवानों के साथ "जेबरा" नामक एक विशेष अभियान के एक भाग के रुप में रनपुरा बाजार के बेसरी टोला क्षेत्र से रणनीतिक युक्ति से चले। अचानक रनपुरा गांव की मार्केट में उपस्थित 80 के लगभग नक्सलवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। सी आर पी एफ जवानों ने तुरंत पोजीशन ले ली ओर जवाबी गोलीबारी की। स्थानीय लोगों से खचाखच भरे बाजार ने जवानों के लिए मुश्किल पैदा कर दी, परन्तु श्री कन्हैया सिंह ए/सी ने स्थिति को नियंत्रण में रखा ओर नियंत्रित एवं लक्षित गोलीबारी के आदेश दिए। भारी गोलीबारी के बाद नक्सलवादी स्थानीय लोगों को ढाल बनाते हुए पीछे हटने लगे। सी आर पी एफ के जवान सिविलियनों के हताहत होने के डर से ग्रेनेड तथा मोर्टार जैसे हथियारों को उस क्षेत्र में प्रयोग नहीं कर सके। श्री कन्हैया सिंह ए/सी ने एक टुकड़ी के साथ प्रतिकूल परिस्थिति जैसे कि अंधेरा होना, अतिवादियों की तरफ से संभावित गोलीबारी वाला भूभाग और बारुदी सुरंग वाला क्षेत्र होने के बावजूद धैर्य और दृढ निश्चय से अतिवादियों का पीछा किया। पीछा करते हुए सी आर पी एफ पार्टी दोनों तरफ से गोलीबारी के बीच में आ गई । श्री कन्हैया सिंह, सहायक कमांडेंट ने पहल करते हुए और अपनी जिन्दगी को खतरे में डालते हुए अपनी गोली से एक नक्सल ग्रुप को निरस्त कर दिया। इस ग्रुप में जो नक्सली दूसरे नक्सलवादियों को भागने के लिए कवर दे रहा था उस को मार गिराया। जिसकी बाद में पहचान नक्सल की 42वीं प्लाटून के टुकड़ी कमांडर के रुप में हुई और एक एस एल आर, दो राउंदों से भरी एक मैगजीन को उनके

32—381 GI/2008

कब्जे से बरामद किया। अतिवादियों ओर सी आर पी एफ जवानों के बीच रुक-रुक कर रातभर गोलीबारी होती रही। निम्नलिखित सशस्त्र और गोलाबारुद मोके से बरामद किए गए:-

1. एस एल आर	-	01 नग
2. एस एल आर मैगजीन	-	01
3. 7.62 जीवित राउंद	-	28नग
4. हैंड ग्रेनेड-	-	02
5. केन बम-	-	01 (10केजी)
6. डिटोनेटर-	-	11
7. 7.62 मिमी खाली केस-	-	02
8. 303 बोर राउंद	-	48
9. चार्जर	-	10

10. और दूसरे अन्य सामग्री -नक्सलाइट का मृत शरीर, वर्दी और नक्सली साहित्य

इस मुठभेड़ में श्री कन्हैया सिंह, सहायक कमांडेंट ने असाधारण शौर्य , अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 5 अक्तूबर, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 174-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी का नाम और रैंक</u>
श्री राधे श्याम,
उप-निरीक्षक

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया</u>

दिनांक 2/12/06 को सिविल पुलिस कार्मिकों के साथ श्री पी के लाल, एसी की कमान के अधीन ए/13 वीं की दो प्लाटूनों ने लेटहार जिले में छापा/तलाशी अभियान चलाया। 10 बजे के आस पास जब सी आर पी एफ जवान चाक गांव के पास पहुंचे और तलाशी के लिए गांव को घेरा, तभी उन्होंने गांव के एक कोने में कुछ संदिग्ध हलचल देखी। पास –पड़ोस में नक्सली दस्ते की उपस्थिति की आशंका से सी आर पी एफ पार्टी ने दो तरफ, एक तरफ श्री पी के लाल, एसी और दूसरी तरफ एस आई राधेश्याम के नेतृत्व में क्षेत्र को चतुराई से कवर कर लिया। जैसे ही एस आई राधेश्याम के नेतृत्व वाला दस्ता नदी के समीप पहुंचा, तभी नदी के किनारे पर लगे पेड़ो के पीछे से नक्सली दस्ते के गुप्तचरों ने उन पर गोलीबारी शुरु कर दी। एस आई राधेश्याम ने तीव्रता से कार्रवाई की और भेदियों पर भारी गोलीबारी की तथा उन्हें भारी गोलीबारी से दबा दिया। आगे बढ़ने पर, वहां उपस्थित एक नक्सलवादी ग्रुप ने सी आर पी एफ जवानों पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। इस जबरदस्त मुठभेड़ में एस आई राधेश्याम ने अपने दस्ते के जवानों के साथ अपनी जिन्दगी को खतरे में डालते हुए नक्सलवादी ग्रुप की तरफ आक्रमण किया और एक अतिवादी को गोली मारी, जिसकी बाद में मौत हो गई। इनकी निडरता के कारण नक्सलवादी पीछे हटने लगे और नदी के पार चले गए। उनका पीछा करते हुए, जवानों ने भी एक नक्सली को पकड़ लिया। सी आर पी एफ जवानों की तीव्र कार्रवाई और एस आई राधेश्याम के अदम्य साहस ने न केवल सशस्त्रों /गोलाबारुदों की बड़ी खेप और अन्य मदों (पैरा 5 मे उल्लिखित) की बरामदगी कराई बल्कि नक्सली दस्ते को अपना निजी समान और हथियार छोड़कर भागने के लिए मजबूर भी किया। नक्सली दस्ते की बाद में पहचान जोनल कमांडर बी के जी उर्फ रवि जी के रुप में हुई। यह 35-40 केडरों से बना एक भयानक दस्ता था जो लोगों के लिए भय का एक कारण था और सुरक्षा बलों के साथ कई मुठभेड़ कर चुका था। संख्या 971121225 एस आई राधेश्याम द्वारा सावधानी, स्फूर्ति और वीरतापूर्ण कार्रवाई तथा उनके कुशल नेतृत्व ने अदभूत कार्य कर दिखाया जिसमें नक्सलवादियों ने न केवल अपने एक क्षेत्र कमांडर की जान गंवाई बल्कि अत्यधिक सशस्त्रों ।गोलाबारुद की भी उन्हें हानि हुई। नक्सलवादियों का मनोबल बुरी तरह टूट गया जिससे दस्ता टूट गया। निम्नलिखित सशस्त्र/ गोलाबारुद मौके से बरामद हुआ:-

1. पुलिस स्टेनगन- 01नग
2. पुलिस 303 राइफल-02 नग

3. 315 राइफल-01 नग
4. सिंगल बैरेल गन-01 नग
5. डबल बैरेल गन-01 नग
6. सी/निर्मित रिवाल्वर-02 नग
7. 315 कारतूस-317 नाटस
8. 9एमएम-18नाट्स
9. 303 कारतूस-138 नाट्स
10. 12बोर कारतूस-109 नाट्स
11. डिटोनेटर-06 नाट्स
12. काली वर्दी-25सेट
13. चार्जर-10 नाट्स
14. बेल्ट-12 नाटस
15. मोटर साइकिल-01नग
16. अत्यधिक मात्रा में नक्सली साहित्य, नक्सली वर्दी, चादरें, सिविल परीधान, दवाईयां और रोजमर्रा की वस्तुएं।

इस मुठभेड़ में श्री राधेश्याम, उप-निरीक्षक ने असाधारण शौर्य , अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप नियम 5 अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2दिसम्बर, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 175-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. जयंतो कुमार बंद्योपाध्याय,
   कांस्टेबल
2. सजल चौधरी,
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

दिनांक 6.7.06 को 138वीं बटालियन के श्री अरुण कुमार सिंह की कमान के अधीन एक प्लाटून, एस पी बिजापूर द्वारा दी गई विशेष सूचना पर बसगुड़ा पी एस, बिजापूर, छतीसगढ़ के अन्तर्गत मरुबका में नक्सल ठिकाने पर छापा मारने जा रही थी। जब वे 1530 बजे के आसपास लिंगागिरी के जंगली क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब नक्सलवादियों ने एक बारुदी सुरंग में विस्फोट कर दिया और फिर सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। जवानों ने अपनी पोजिशन ले ली और तदनरुप जवाबी गोलीबारी की। नक्सलवादी 100 के आसपास थे और स्वचलित हथियारों जैसे कि एस एल आर, एल एम जी, ए के-47 इत्यादि से गोलीबारी कर रहे थे। वे अच्छी पोजिशन में भी थे। जिसके कारण जवानों को नक्सलवादियों के आक्रमण का जवाब देने में मुश्किल पैदा हो रही थी। इस स्थिति में श्री ए.के. सिंह पार्टी कमांडर ने पेशेवर, प्रशंसनीय सूझ-बूझ का परिचय और अपनी जिन्दगी की परवाह न करते हुए रेंगते हुए 150 मीटर आगे बढ़े। उन्होंने नक्सलवादियों की स्थिति को देखा और एक रणनीति बनाई। तब उक्त अधिकारी एक टुकड़ी के साथ रेंगते हुए 350 मीटर आगे बढ़े और उस स्थान के नजदीक पहुंचे जहां से नक्सलवादी पार्टी पर गोलीबारी कर रहे थे जबकि दूसरी टुकड़ी नक्सलवादियों पर जवाबी गोलीबारी करती रही और उन्हें व्यस्त रखा। श्री ए.के. सिंह ए सी सामने से टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। जब वह आगे बढ़ रहे थे तब पेड़ के पीछे से पार्टी पर गोलीबारी कर रहे एक नक्सलवादी ने उक्त अधिकारी की पोजिशन देखी और उन पर गोलीबारी शुरु कर दी परन्तु श्री ए.के. सिंह, ए सी ने गोली से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजिशन बदल ली और अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए वह स्फूर्ति से नक्सलवादी पर कूद पड़े और नक्सलवादी द्वारा उन पर गोली चलाने से पहले ही उन्होंने नक्सलवादी को मार गिराया। फिर अधिकारी, कांस्टेबल जयंतो कुमार बंद्योपाध्याय, सजल चौधरी के साथ आगे बढ़े और नक्सलवादियों की स्थिति तक आगे बढ़ते रहे तथा नक्सलवादियों पर बाजू से आक्रमण किया। बंदूक की लड़ाई में अन्य नक्सलवादियों के मरने की रिपोर्ट मिली। जवानों ने भी खून के धब्बे और तीन अलग-अलग स्थानों पर घसीटने के चिन्ह देखे जिससे पता चला कि नक्सलवादी अंधेरे, पहाड़ी भूभाग और घने जंगल का फायदा उठाते हुए अपने साथ तीन शवों को लेकर जाने मे सफल हो गए हैं। नकसलवादियों को हराने में पुलसि पार्टी भारी पड़ी। रात भर रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही। दिनांक 7.7.06 को 0500 बजे के आस-पास

नक्सलवादी, अंधेरे, पहाड़ी भू-भाग और घने जंगल का फायदा उठाते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे। जवानों ने उनका पीछा किया। जब जवान उनका पीछा कर रहे थे, तब दो नक्सलवादी, जिन्होंने पुलिस पार्टी द्वारा पीछा कर रहे रास्ते में सुरंग बिछा रखी थी, नाले में छिपे बैठे थे और जवानों का बारुदी सुरंगों के पास आने का इतंजार कर रहे थे ताकि जवानों को अधिक से अधिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से बारुदी सुरंगों को उड़ाया जा सके लेकिन वे कुछ कर पाते उससे पहले ही श्री ए.के. सिंह, ए सी ने उनकी पोजिशन देख ली और उन्हें ललकारा परन्तु उन्होंने उन पर हथगोला फेंका और भागने की कोशिश की। हथगोला रास्ते में पेड़ से टकराया और वहीं फट गया। यहां श्री ए.के. सिंह, ए सी ने अदम्य साहस का परिचय दिया तथा अपनी जिन्दगी की परवाह न करते हुए वह और कांस्टेबल सजल चौधरी तथा कांस्टेबल जयतों बंद्योपाध्याय ने नक्सलवादियों का 200 मीटर तक पीछा किया और उन पर गोलीबारी की। दोनों नक्सलवादी मौके पर ही मारे गए। तलाशी लेने पर जवानों को उनके कब्जे से विस्फोटक बरामद हुआ। पुलिस पार्टी ने पूरे क्षेत्र की तलाशी ली और 3 नक्सलवादियों के शव और सशस्त्र/गोलाबारुद बरामद हुए। दो संदिग्ध व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया। मृत तीनों नक्सलवादियों में से दो की पहचान सोरेंन पुजारी, एल जी एस कमांडर और मरकम बल्ला के रूप में हुई जबकि तीसरे शव की पहचान नहीं हो सकी। इस प्रकार उक्त तीनों व्यक्तियों ने अदम्य साहस, अच्छी सूझ-बूझ का परिचय दिया और उन्होंने इस अभियान में न केवल तीन नक्सलवादियों को मार गिराया जिनके शवों बरामद करने के अतिरिक्त अन्य शवों की वे ले गए, बल्कि अन्य जवानों की जिन्दगी भी बचाई। इसमें गांव वालों की सुरक्षा की भावना भी शामिल है और लगभग 100 परिवार जिन्होंने साल्वा जुडम राहत कैम्पों को सुरक्षा कारणों से छोड़ रखा था वे भी वापिस केम्पों में लौट आए। इस अभियान के दौरान निम्नलिखित जब्ती हुई:-

(i)	बारमर गन	:	1 नग
(ii)	विस्फोटक	:	250 ग्राम
(iii)	आई ई डी लाइव – के जी प्रत्येक	:	2 नग
(iv)	बिजली की तार	:	18 मीटर
(v)	डेटोनेटर	:	1 नग
(vi)	बैटरी बॉक्स	:	1 नग
(vii)	.303 खाली डिब्बी	:	3 नग.
(viii)	.303 जिंदा राउंद	:	2 नग
(ix)	12 बोर गन खाली डिब्बी	:	1 नग
(x)	यूनीफार्म के साथ बैग	:	1 नग
(xi)	नक्सलवादी साहित्य/पम्पलेट	:	4 नग

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री जयंतों कुमार बंद्योपाध्याय, कांस्टेबल और सजल चैधरी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 7 जुलाई, 2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 176-प्रेज/2008, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. मुकेश कुमार गुप्ता,
   सहायक कमांडेंट
2. ओम प्रकाश भट्ट,
   हैड कांस्टेबल
3. शिव वीर सिंह चौहान,
   कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया:</u>

पुलिस स्टेशन छोटा डोंगर नारायणपुर, छतीसगढ़ के अन्तर्गत बेदनघोल गांव के नजदीक क्षेत्र में नक्सलवादियों के कैम्प/ठिकाने के बारे में जानकारी मिलने पर, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, सहायक कमांडेंट, सी आर पी एफ की बी/43 बटालियन के कम्पनी कमांडर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों तथा अपने जवानों के साथ विचार-विमर्श करके सशस्त्र नक्सलवादियों को घेरने और पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान की योजना बनाई। तदनुसार, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, ए सी के नेतृत्व में राज्य पुलिस प्रतिनिधि कांस्टेबल महेन्द्र सिंह (मार्गदर्शक के रूप में) के साथ सी आर पी एफ, धौदई कैम्प की बी/43 बटालियन की 2 प्लाटूनों से बनी एक पार्टी ने 08.01.07 को लगभग 0015 बजे बी/43 कैम्प से 10 कि.मी. के लगभग विशेष अभियान चलाया। पूरी पार्टी कठिन पहाड़ी रास्तों से चतुराईपूर्ण पैदल चली और 0430 बजे के आसपास बेढनघोल गांव के पास जंगलों में पहुंची। वहां पहुंचने के बाद, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, ए सी ने सशस्त्र नकसलवादियों को पकड़ने के लिए अपने बल को तीन भागों में बांट दिया। एक ग्रुप उक्त अधिकारी के नेतृत्व में छापा दल बना और बाकि दो ग्रुप एस आई भोकरे होरो और एस आई विद्यासागर की कमान में बचने के संभावित दो रास्तों को काटने के लिए बनी। सुबह सबसे पहले श्री मुकेश गुप्ता छापे दल के साथ चतुराई से नक्सल कैम्प की तरफ चले। जब वे संदिग्ध ठिकाने पर जा रहे थे तब सशस्त्र नक्सलवादी जो घात लगाए बैठे थे ने सुरक्षा बलों को मारने के उद्देश्य से पुलिस पार्टी पर गोलीबारी शुरु कर दी। श्री गुप्ता ने तुरंत स्थिति पर नियंत्रण किया और अपने कार्मिकों को गोली चलाने के आदेश दिए। उन्होंने जवाबी गोलीबारी की और अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए बहादुरी से नक्सलवादियों की तरफ आगे बढ़े। सुरक्षा बलों द्वारा जबरदस्त जवाबी गोलीबारी किए जाने के कारण, नक्सलवादियों ने पार्टी पर भारी गोलीबारी करते हुए भागने का प्रयास किया। श्री एम.के. गुप्ता, ए सी ने दो नक्सलियों को देखा। उन्होंने उन पर अपने हथियार से गोलीबारी की और अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना उनकी तरफ बढ़े और तदनुसार अपने जवानों का सामने से नेतृत्व करते हुए बहादुरीपूर्ण कार्य में दो सशस्त्र नक्सलवादियों, एक .303 राइफल्स और एक भीमार गन से लेस को मारने में सफल रहे।

इसी बीच एच सी (जी डी) ओमप्रकाश भट्ट और कांस्टेबल (जी डी) शिव वीर सिंह चौहान दोनों ने एक-एक नक्सली को देखा और अदम्य साहस का परिचय देते हुए चतुराई से आगे बढ़े तथा प्रभावी गोलीबारी करके उन्हें मार गिराया। उक्त कार्मिकों ने नक्सलवादियों द्वारा गोलीबारी और आई ई डी के विस्फोट के बीच दो पहाड़ियों की तलहटी में नक्सलवादियों का पीछा किया और उन्हें मारने मे सफल हुए। नक्सलियों का पीछा और गोलीबारी में लगभग दो घंटे का समय लगा जिसके दौरान उन्होंने इस साहसिक कार्य में उच्चदृष्टि की मानसिक सतर्कता, तुरंत प्रतिक्रिया, सुझबूझ, गोलीबारी कौशल, निडर मनोवृति और दृढ़निश्चय का प्रदर्शन किया। इस लड़ाई में उक्त कार्मिकों ने चार कट्टर नक्सलियों को मार गिराया। तलाशी अभियान केदौरान उक्त नक्सलियों के चार शव बरामद हुए। जिनकी पहचान (1) दीपक, क्षेत्र कमांडर (2) सतीश (3) सबीता (महिला नक्सली) और (4) रान्या बाई (महिला नक्सली) के रूप में हुई। जवानों ने 20-22 साल की एक महिला नक्सली नामत समरी बाई निवासी कालीभट्ट, छोटा डोंगर पुलिस स्टेशन, जिला नारायणपुर को पकड़ा। बाद की तलाशी के दौरान जवानों ने एक .303 बोल्ट एक्शन राईफल्स, 2 नग बरमार गन, संशोधित मोर्टार और अत्यधिक मात्रा में विस्फोटक, वायर, डेटोनेटर, कपड़े, वस्तुएं, दवाइयां और अन्य मदें बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री मुकेश कुमार गुप्ता, सहायक कमांडेंट, ओमप्रकाश भट्ट, हैड कांस्टेबल और शिव वीर सिंह चौहान, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8 जनवरी, 2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 2008

संकल्प

सं. 5/17/2007-चमड़ा--

चमड़ा क्षेत्र भारत का 10वां सबसे बड़ा विनिर्माण क्षेत्र है और यह अपने भारी समग्र उत्पादन, निर्यात आय और रोजगार संभाव्यता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चमड़ा क्षेत्र में 2.5 मिलियन लोग नियोजित हैं जिनमें से अधिकांश समाज के कमजोर वर्गों से तथा लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस क्षेत्र में लघु और मध्यम उपक्रमों का बाहुल्य है।

2. कच्चे माल का आधार बढ़ाने; क्षमता में वृद्धि करने; पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान करने; मानव संसाधन विकास; निवेश को आकर्षित करने तथा भारतीय चमड़े के वैश्विक विपणन के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन हेतु भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) को अनुमोदित किया है, जिसके घटक निम्न प्रकार हैं :-

रुपये करोड़ में

1.	चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास (आईएलडीपी)	253.43
2.	चमड़ा टैनिंग परिसर, नैल्लौर	29.00
3.	फुरसतगंज में एफडीडीआई (एनआईएफटी) शाखा की स्थापना	7.17
4.	फुटवियर परिसर	3.00
5.	जीनसाजी विकास	10.00
6.	कारीगरों को सहायता	40.00
7.	मानव संसाधन विकास	60.00
8.	एफडीडीआई की सुविधाओं का उन्नयन तथा ऐसे अन्य संस्थानों एवं केंद्रों की स्थापना	300.07
9.	चमड़ा क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु ढांचागत सुविधाओं का उन्नयन/स्थापना	200.00
10	मिशन मोड	10.00
	योग	**912.67**

3. चमड़ा क्षेत्र के विकास के लिए एक बहु-क्षेत्रीय पद्धति की आवश्यकता होती है और इसके लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय आवश्यक है। इस प्रक्रिया में सहायता की दृष्टि से, एक अधिकार प्राप्त समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। इस अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :

34—381 GI/2008

i) भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मानीटर करना।

ii) भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न उप-स्कीमों के दिशा-निर्देशों में संशोधनों का सुझाव देना और साथ ही चमड़ा क्षेत्र के विकास हेतु वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपेक्षित/आवश्यक विशिष्ट उपायों का सुझाव देना।

iii) चमड़ा क्षेत्र से संबंध रखने वाली, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के बारे में जानकारी का समन्वय एवं मिलान करना।

iv) भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम की विभिन्न उप-स्कीमों के तहत 15 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों का अनुमोदन करना।

4. अधिकार प्राप्त समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी:-

i)	सचिव (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)	चेयरमैन
ii)	वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	सदस्य
iii)	योजना आयोग का प्रतिनिधि जिसका पद सलाहकार से नीचे न हो	सदस्य
iv)	पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रतिनिधि, जिसका पद संयुक्त सचिव से नीचे न हो	सदस्य
v)	पशुपालन और डेरी विभाग का प्रतिनिधि जिसका पद संयुक्त सचिव से नीचे न हो	सदस्य
vi)	ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधि, जिसका पद संयुक्त सचिव से नीचे न हो	सदस्य
vii)	वाणिज्य विभाग का प्रतिनिधि, जिसका पद संयुक्त सचिव से नीचे न हो	सदस्य
viii)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रतिनिधि, जिसका पद संयुक्त सचिव से नीचे न हो	सदस्य
ix)	चेयरमैन, चमड़ा निर्यात परिषद	सदस्य
x)	चेयरपर्सन, फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान	सदस्य
xi)	निदेशक, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान	सदस्य
xii)	उस राज्य की राज्य सरकार का प्रतिनिधि, जिसके लिए भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।	विशेष अथिति
xiii)	ऐसे संगठन (नों) का प्रतिनिधि जिसके लिए भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।	विशेष अथिति
xiv)	भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत विचार किए जा रहे प्रस्ताव पर विशेषज्ञता रखने वाले संगठनों के विशेषज्ञ।	विशेष अथिति
xv)	संयुक्त सचिव (चमड़ा), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	संयोजक

समिति द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति को आमंत्रित किया जा सकता है।

5. समिति अपनी प्रक्रियाएं तैयार करेगी और यदि आवश्यक हो, तो उप-समिति की नियुक्ति कर सकती है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसकी बैठकें होंगी।

आदेश

आदेश किया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति अंतर्मन्त्रालयी समिति के चेयरमैन, सदस्य, विशेष अतिथियों तथा संयोजक को प्रेषित की जाए।

आदेश किया जाता है कि संकल्प को आम सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

गोपाल कृष्ण
संयुक्त सचिव

वस्त्र मंत्रालय

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 26 नवम्बर 2008

संकल्प

संख्या के–12012/5/16/2008–पीएण्डआर– पुर्नगठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की अवधि को संकल्प सं0 के–12012/5/16/2006 –पी एण्ड आर, दिनांक 6.10.2008 द्वारा अगले 2 वर्षों के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया गया था। भारत सरकार ने अब श्री टी. चुंगसेई हौकिप, सुपुत्र स्वर्गीय श्री टी. केमखोलन हौकिप, ग्राम टी. लहांगजोल, चकपिकारोंग सब डिविज़न, चंदेल जिला मणिपुर को अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य के रुप में शामिल करने का निर्णय लिया है जबकि संकल्प दिनांक 6 अक्तूबर, 2008, संकल्प दिनांक 7 अक्तूबर, 2008, 22 अक्तूबर 2008, 24 अक्तूबर, 2008, 29 अक्तूबर, 2008, 6 नवंम्बर, 2008 एवं 12 नवम्बर, 2008 के द्वारा वर्धित समयावधि में मौजूदा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी सदस्य यथावत बने रहेंगे।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य के रुप में श्री टी. चुंगसेई हौकिप को शामिल करते हुए पुर्नगठित अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य सचिव सहित 24 सरकारी सदस्यों तथा 72 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए बोर्ड की वर्तमान संख्या 97 सदस्य हो जाएगी।

तथापि, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 के संकल्प में दर्ज अन्य सभी निबंधन एवं शर्तें वही रहेंगी तथा उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संदीप श्रीवास्त्व
अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली-110115, दिनांक 31 अक्तूबर 2008

सं. 2-16/2004-अकादमी--

भारत सरकार ने दिनांक 29 अक्तूबर, 2004 की समसंख्यक अधिसूचना के शुद्धि-पत्र के साथ पठित दिनांक 12 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या IV-14014/7/2004-एनआई-II और दिनांक 25 नवम्बर, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना के जरिए 'श्रेण्य भाषा' के रूप में भाषाओं की नई श्रेणी सृजित की है और किसी 'श्रेण्य भाषा' के रूप मे वर्गीकरण के लिए भाषाओं की पात्रता पर विचार किए जाने हेतु निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए हैं :-

i) आदि पाठों/अभिलेखित इतिहास का 1500-2000 वर्षों से अधिक प्राचीन होना।

ii) प्राचीन साहित्य/पाठों का ऐसा एक समूह, जिसे संबंधित भाषा बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा एक बहुमूल्य विरासत माना गया हो।

iii) साहित्यिक परम्परा मौलिक हो और इसे किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं लिया गया हो।

iv) प्राचीन भाषा और साहित्य, आधुनिक साहित्य से पृथक् हो, प्राचीन भाषा और इसके बाद के स्वरूपों या इससे उत्पन्न होने वाली भाषाओं के बीच अंतर भी हो।

2. यह एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 'तेलुगु भाषा' और 'कन्नड़ भाषा' उक्त मानदंडों को पूरा करती हैं और इसलिए इन्हें 'श्रेण्य भाषा' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

3. यह अधिसूचना माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में 2008 की रिट याचिका सं. 18810 के निर्णय के अध्यधीन है।

वी. टी. जोसेफ

अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 12th December 2008

No. 109–Pres/2008- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry/ 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/SHRI

1.	**Sajad Hussain, Constable**	**- PPMG (Posthumously)**
2.	**Nitish Kumar, Superintendent of Police**	**- 1st Bar to PMG**
3.	**Sethi Ram, Sub Inspector**	**- PMG**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 31/07/2006, a specific information was received by Police Pulwama about presence of two terrorists of Hizbul Mujahideen in village Chaddipora P/S Zainapora. On this a Police team led by SI Sethi Ram rushed to the said village and cordoned the target house where terrorists were hiding. Terrorists on spotting the police party held the family members of the house, where they were hiding as hostage and did not allow them to move out of the house and fired indiscriminately on Police party. Given the sensitivity of the situation SP Pulwama Shri Nitish Kumar rushed on spot and directed the police to have effective fire control so that no harm is caused to the family members. In the meanwhile personnel of a nearby Army unit of 62 RR also reached the spot and joined the operation. A team of police party including SI Sethi Ram and Ct Sajad Hussain was constituted to rescue the civilians. Under an effective covering fire the police team made entry into the house and were encountered with heavy volume of fire from the terrorist. Amidst heavy gunfire three civilians were asked to vacate the house who did so and were rescued from the clutches of terrorists. However, in the firefight Ct Sajad Hussain received bullet injuries who had come face to face with one terrorist. Despite sustaining injuries, he fired upon the terrorist and killed him. SI Sethi Ram evacuated Ct. Sajad Hussain from the spot but he succumbed on the way to hospital. Another terrorist was also later on eliminated by the Police team. This operation was personally led by Shri Nitish Kumar, SSP Pulwama. The two H.M.terrorists were later on identified as follow:-

1. Uqash @ Shakeel, R/o Pakistan.
2. Aijaz Ahmad Dar, S/o Sultan Dar R/o Khwajapora Zainapora

In the operation the following arms/ ammunition were recovered from the site of encounter:-

1.	AK 47 Rifle	-	01 No.
2.	AK Mag	-	06 Nos.
3.	AK Amn.	-	135 Rds.

Case FIR No.72/06 u/s 307 RPC, 7/271.A Act stands registered in this regard in Police Station Zainapora. It may be mentioned here that the report received by Pulwama Police was regarding two terrorists but actually there were three terrorists and therefore, the police party (rescue team) faced a heavy volume of fire. One terrorist who managed to escape, after seriously injuring Constable Sajad Hussain also carried the weapon of his associate, killed in this operation, and therefore only one weapon was recovered from the encounter site.

In this encounter S/Shri (Late) Sajad Hussain, Constable, Nitish Kumar, Superintendent of Police and Sethi Ram, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/ Police Medal/ 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31st July, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 110–Pres/2008- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1.	**Gurmeet Singh Gill Constable**	**-**	**PPMG**
2.	**Khemnar Tabaji, Constable**	**-**	**PMG**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 20th June 2007 at about 0500 hrs, on specific information of Unit 'G' Cell 51 Bn BSF and State Police, regarding the presence of militants in village Muslimabad, Bandipur, a Cordon and Search Operation was planned under command of Shri Sukhminder Singh, Deputy Commandant. During search of the house, one room of Gulam Nabi Zargar s/o Ali Mohd Zargar was found locked from inside. Immediately, Shri Sukhminder Singh, Deputy Commandant, alerted the party, took position and asked the house owner to open the room. As soon as the room was opened, a grenade was hurled on the BSF party by the militants hiding inside the room, causing multiple splinter injury to Constable Gurmeet Singh Gill and Constable Khemnar Tabaji as well as house owner Gulam Nabi and his daughter Nazma, aged approx 18 years.

After throwing the grenade, the militants retracted inside the room. Both the injured Constable Gurmeet Singh Gill and Constable Khemnar Tabaji without caring for their lives crawled towards the door by covering each other to neutralize impending fire of the militants. After having reached near the door, Constable Gurmeet Singh Gill noticed one militant preparing to throw another grenade. Sensing danger to the lives of his comrades, though injured himself, in a quick display of presence of mind and combat audacity he instantly fired a burst from his Rifle and injured the militant who later succumbed to the injuries. The unprimed grenade, however blasted inside the room. This daring act by Constable Gurmeet Singh Gill was tactically covered by covering fire of Constable Khemnar Tabaji, despite his serious injuries and imminent danger to his own life. The other militant hiding inside the room in a panic reaction,

jumped out of the window and tried to escape, but was overpowered by Sh Sukhminder Singh, Deputy Commandant and Sub-Inspector M S Chahar after a brief chase. Constable Gurmeet Singh Gill and Constable Khemnar Tabaji were immediately evacuated to BSF Hospital Bandipur and further to 92 Base Hospital by Hepter as conditions of both the Constables were critical, especially of Constable Gurmeet Singh Gill. During search of the house and surrounding areas, the following arms, amns and other articles were recovered:-

Chinese Pistol	-	01 No
Pistol Mag	-	01 No
Pistol Amn	-	05 Rds
Hand Grenades (Chinese)	-	02 Nos
Satellite Phone (Thuraya made)	-	01 No
Mobile Phone	-	01 No
Wig	-	01 No

The injured apprehended militant namely Mehraj-Ud- Din s/o Gulam Nabi Zargar (House owner) later revealed that the slain militant was Shaheen, a Pak National, Deputy Divisional Commander of HuM outfit of Bandipur area and both of them were given the task to carry out the reccee of Counter Terrorists Post Tehsil in order to execute a suicidal attack.

In this encounter S/Shri Gurmeet Singh Gill, Constable and Khemnar Tebaji, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th June, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 111–Pres/2008- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Pyare Lal,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 31/3/06 at about 1330 hrs while the troops of D/13 alongwith Civil Police were returning from raid/search duty at village -Badi Madgadi, Barkol under P.S. Bhandaria, the Coy Commander of D/13 Insp Bishwambher Dutt was tipped about the concentration of a big extremist group in the vicinity of Kutku village in connection with some meeting. Troops of 13 Bn rushed to the villlage. On reaching the village the party commander divided the party into two flanks, gave necessary instructions and moved tactically. One of the flanks was led by Insp Bishwambher Dutt and HC/GD Pyare Lal of D/13 was the point man of the party. As this flank was nearing the village at about 1400 hrs, it was fired upon by the scouts of the naxalites hiding in a trench like structure outside the village. On the guidance of Insp Bishwambher Dutt, without loosing a moment and caring for his life HC/GD Pyare Lal showed exemplary courage and charged with his weapon and fired a burst from his A.K.47 butt No. S/76. In this ensuing gun battle he shot down the scout and cleared the way to the village. Shocked by the quick action of CRPF troops the group of naxalites present in the village, opened fire on CRPF party. Due to effective retaliation of CRPF party extremists fled away to the nearby hills. While chasing them, CRPF party caught two armed extremists. The apprehended extremists identified the extremist who was killed by HC/GD Pyare Lal, as a dreaded naxalite namely Prasann Turi, (age 28) r/o Vill Ghugari Distt Sarguja, Chhattisgarh. Pool of blood with dragging marks at several places was also found in the area. During the interrogation the apprehended CPI (Maoists) revealed that they were gathered in the village to plan an attack on Bhandaria P. S. The following recoveries were also made:-

1. .315 Bore Rifle -0 3 Nos.

2.	.303 G.F. Rifle	- 01 No.
3.	.315 Bore C/M Pistol	- 01 No.
4.	S.L.R. Magazine	- 02 No.
5.	7.62 mm live amn.	- 240 rds.
6.	.303 mm live amn.	- 139 rds.
7.	.315 mm amn.	- 255 rounds
8.	Huge quantity of Pitthus, Naxal Literature, Medicines, eatables, clothing's and daily use articles.	

The grit, alertness, swiftness in action and gallantry shown by HC/GD Pyare Lal is an outstanding act of bravery in which he not only killed a dreaded extremist but considerably dented the morale of the CPI (Maoist) activists and will go a long way in inspiring CRPF troops in this fight against naxalism. The exemplary show of courage and timely action exhibited by HC Pyare Lal has galvanized the force in the face of determined and organized enemy.

In this encounter Shri Pyare Lal, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31st March, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 112–Pres/2008- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/SHRI

1. **Dhananjay Singh, Constable** **(Posthumously)**
2. **Ghanshyam, Constable** **(Posthumously)**
3. **Ram Ratan Meena, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 14-11-2005 at about 1505 hrs, a suicide attack was made by terrorists in the heart of Srinagar city – Lal Chowk. The suicidal attackers lobbed a grenade in the business market and started indiscriminate firing towards the Palladium post of CRPF 131 Bn. Immediately CT/GD Ghanshyam who was deployed on C.I. (OPs) duties courageously retaliated by fighting gallantly by firing from his L.M.G. on the terrorists but sustained bullet injury and was succumbed to injuries. Hearing the gunshots, CT/GD Dhananjay Singh along with QRT rushed to the spot in B.P. Bunker and without caring for his life, tried to pin down the militants by effective firing. However, in the process he too was hit by bullets and died on the spot. Amidst chaos in the initial stage of the attack in a busy business hub, the area was cordoned by the troops amidst heavy fire of terrorists. The challenges were to locate the attackers, evacuate the civilians/injured personnel and effectively engage the terrorists to prevent any further loss. The QRTs of 131/164 Bns, CRPF, IGP Kashmir, DIG CKR, SSP Sgr, SP South, SP East, SDPO Kothibagh, SHO P/S Maisuma reached the spot and took a quick stock of the situation without any delay. The officers with QRTs tried to evacuate as many civilians as they could. Two parties headed by Shri Anand Jain SP East and Shri S.P.Pani – SP South were formed to trace out/ eliminate the terrorists hiding inside the hotels and evacuate the civilians who were trapped inside these hotels. A strong outer cordon was laid around the Lal Chowk. SP East along with SI Ab Hamid, HC Ashok Kumar, JKAP 5th Bn, Ct Shubkraran No.680/JKAP 5th Bn, entered from back side. The strategy proved a

success as they successfully put a ladder behind the building and entered in Peak View hotel and evacuated the trapped civilians from the Peak View hotel. While this process was going on, one terrorist who was hiding in Punjab hotel lobbed a hand grenade on security forces which indicated that the other terrorist is in Punjab hotel. Since it got dark, it was decided to strengthen the cordon further and conduct the storming operation at first light the following day. On 15-11-2005, as the first light approached, an operation to storm the peak View and Punjab Hotel was launched. While the operation was going on a terrorist holed up in Hotel Punjab tried to escape leaving his arms/ammunition but his suspicious movement led to his capture by the personnel on cordon duties identified as Ajaz Ahmed Bhat @ Abu Saman s/o Reyaz Ahmed Bhat, R/O Mansoorabad (Pakistan). The apprehended terrorist was in possession of Rs.100/- (One hundred) only Pakistan currency and on spot interrogation divulged that his grenades are lying on forest complex area and the said area was searched by CRPF and state police party and recovered three live grenades and orange juice concentrate packets etc. He also confirmed presence of another terrorist named Abu Furkan also resident of Pakistan holed up in Peak View Hotel. The party comprising of Shri S.P.Pani South, HC Showkat Ahmad, SG. Ct Bashir Ahmad, SGCt Kul Rattan Singh & Ct Shiv Karan JKAP 5th Bn. got ready to make final assault on the hiding terrorist. As per direction of Shri S.R. Ojha, IPS, the then DIGP (OPs) directed QRT and CT/Commando Ram Ratan Meena to lead the storming party. Exhibiting tremendous courage and valour and without caring for their personal safety, the storming party leaped from balcony of the adjoining hotel (New Orion) and entered into the third floor of the Peak View Hotel. The storming party tactically cleared all the rooms of the third and second floor. While descending to the first floor, the terrorist, who was in the hall of the Peak View Hotel desperately fired and threw grenades at the entrance to prevent the storming, parties from descending. Due to effective firing by combined parties of CRPF and J&K Police, the terrorist was compelled to change his position and was cornered in the first floor. Storming parties went for storming action making brilliant use of B.P. sheets. The hiding terrorist in a desperate bid to shift his location, fired indiscriminately on both the parties i.e. one covering the escape route leading to the stairs and the other which had almost reached the door of the hall. Exhibiting great courage, the joint parties of CRPF and J&K Police cornered the terrorist and finally eliminated the terrorist, without injury to own personnel despite firing by two parties from different directions. The killed terrorist was later identified that Umar Khalid @ Abu Furqan of LeT Tanzeem and one AK-47 Rifle, 05 magazines were recovered from the slain terrorist. In the operation led by Shri Anand Jain-IPS SP, East and Shri S.P.Pani, IPS SP, South alongwith 2 I/C of 164 Bn CRPF and his QRT, over 50 civilians were rescued. The combined parties worked in unison with excellent coordination which led to the killing of one terrorist and apprehension of the other. The joint operation was done

immaculately as there was no collateral damage during the operation. Many civilians who were trapped inside the Peak View Hotel and in close vicinity i.e. within the firing zone of the terrorists were rescued. CT/GD Ram Ratan Meena, Late-CT/GD Ghanshyam and Late-CT/GD Dhananjay Singh exhibited exemplary courage, extraordinary bravery, utmost devotion to duty, great sense of appreciation of ground reality and conspicuous bravery in accomplishing the difficult mission of 26 hours of gun battle without any collateral damage and eliminated one terrorist and apprehended the other terrorist alive.

In this encounter S/Shri (Late) Dhananjay Singh, Constable, (Late) Ghanshyam, Constable and Ram Ratan Meena, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th November, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

37—381 GI/2008

No. 113-Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **G. Dayanand,**
   Deputy Assault Commander/ Reserve Inspector
2. **D. Naresh Kumar,**
   Reserve Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Shri D Naresh Kumar,RSI received credible information, that the CPI (Maoist), Rayalaseema Division Committee was organizing a meeting in Nallamala Forest area falling in Racharla Mandal near Somidevipalli (v) of Prakasam dist. Upon this, 7 personnel each from Grey Hounds and SIB and 6 personnel from Prakasam district (total 20) were quickly constituted as a team for this operation.

The two teams under the leadership of S/Shri G. Dayanand, Reserve Inspector and D. Naresh Kumar, Reserve Sub-Inspector reached Nallamala forest in the Racherla Mandal of Prakasam district, at about 6.00 P.M. on 16.06.2006 where police team of Prakasam District consisting of SIs Kumbham P.S, Giddalure P.S., Ardhaveedu P.S. and 3 PCs from special party police of Prakasam district joined them and all of them proceeded towards the hillock in the forest where Shri D Naresh Kumar got the information about the scheduled Divisional Committee meeting of Maoists. The teams identified and reached the hill where the meeting was planned, around mid night. The teams climbed top of the hill and found a vast area with trees and bushes over the top of the hill.

Even a small noise also could alert the members of the camp which may lead not only to the escape of extremists but also cause imminent danger to the Police personnel. S/Shri G. Dayanand, Reserve Inspector and D. Naresh Kumar, Reserve Sub-Inspector alerted their members, briefed them thoroughly with their plan of action. Both the teams took shelter near a big rock. S/Shri G. Dayanand, Reserve Inspector and Shri D. Naresh Kumar, Reserve Sub-Inspector selected 4 members from their teams and sent them in 4 directions for

reccee of the area to locate the Maoists. They were instructed to return within one hour to their base. Accordingly 4 members went and returned to their base in 1 hour without finding anything. Again another 4 members were sent to other directions with the same instructions. One among the said 4 members, found the place where the extremists gathered. He made thorough inspection of the area, observed topography, located 2 sentries, observed their positions and returned to the base and explained about topography of the place where Maoists gathered. The Maoists gathered on the corner of the hill top where the Northern side and Eastern side are covered with a valley and western and southern sides are plains surrounded by trees and rocks. One sentry was posted on western side while another sentry was posted on southern side.

Since the northern and eastern sides are covered with valley, the police were left with options of moving towards Maoists through western and southern sides only. Accordingly, police party was divided into two groups under the leadership of S/Shri G. Dayanand, Reserve Inspector and Shri D. Naresh Kumar, Reserve Sub-Inspector. S/Shri G. Dayanand, Reserve Inspector and Shri D. Naresh Kumar, Reserve Sub-Inspector planned the operation and briefed the teams thoroughly. As per the plan, the team under the leadership of Shri G Dayanand should go towards western side sentry, whereas Shri D Naresh Kumar should lead his team towards the southern side sentry to cover the Maoists. Both the teams slowly moved towards the Maoists camp, guided by the constable who made the reccee. After 30 minutes around 3:10 A.M. both the teams reached Maoists camp, where they spotted western side sentry. The team led by Shri G Dayanand took convenient positions at that place, while Shri D. Naresh Kumar led his team towards southern side sentry under the guidance of the PC who made reccee. As per the plan of action, both the teams decided to start their operation exactly at 3:30 AM. The team led by Shri D Naresh Kumar spotted southern side sentry at 3:25 AM, and the team slowly started moving towards the sentry taking cover of trees and rocks.

At that juncture, around 3:30 AM, the western side sentry, on hearing some noise, got some suspicion and he shouted, challenged and alerted other extremists. Upon this Shri G Dayanand disclosed the identity of the police and warned the extremists to surrender. Instead of surrendering, the western side sentry and other Maoists started firing to kill the police. The southern side sentry also started firing along with other extremists towards the team led by Shri D. Naresh Kumar. Shri G Dayanand who took position in the front and leading his team, narrowly escaped the bullets fired by the sentry and other Maoists. Even then he did not get perturbed but retaliated with counter attack by firing at Maoists. Further, he encouraged his team members to continue the assault also. Shocked with sudden retaliation of the team led by Shri G Dayanand, the extremists, moved towards northern side of the valley by firing at the police party. Shri G Dayanand without caring for his personal security moved forward and attacked Maoists. Though it was dark and bullets were raining towards him, Shri G Dayanand showed exemplary courage and bravery in combating them

and moved further towards Maoists by firing at them. Shri D Naresh Kumar who was leading his team and stood in the front covering southern side sentry also narrowly escaped when the sentry and other Maoists launched attack on him and his team by indiscriminate firing. S/Shri G. Dayanand, Reserve Inspector and Shri D. Naresh Kumar, Reserve Sub-Inspector showed quick reflexes and immediately started counter attack, by firing at Maoists. The Maoists, who were shocked with the immediate retaliation, started moving towards eastern side valley by firing at Shri D Naresh Kumar and his team.Shri D Naresh Kumar did not care for his life, encouraged his team, guided them and started chasing the Maoists. Shri D. Naresh Kumar showed great courage and bravery in carrying out the attack. The Maoists unable to sustain the brave attack made by Shri D Naresh Kumar, ran into the valley in the dark. The exchange fire lasted for about 30 minutes. The police party waited till early hours and when the area of exchange of fire was searched, they found dead bodies of 2 male persons and 1 female. Later they were identified as 1) Chakali Adeppa @ Adi @ Varadhi, Commander of Gadikota LOS of Maoist group , 2) Palagiri Suvarna @ Deepa @ Rajitha @ Swarna ,Commander of Penna Ahobilam mobile team of Maoist and 3) Narayana Naik @ Syam, member of Maddileru Military Platoon .

The police party recovered two .410 Muskets,3 Kit bags and 33 live bullets from the scene of exchange of fire. The said incident was registered as a case in Cr .No. 17/2006 U/s 147,148,307r/w 149 IPC, Sec 25 & 27 I. A Act, Sec. 8 of APPS Act, 174 Cr. PC and E.O.F of Racharla P.S of Giddalur Circle (GCR No. 39/2006) , Prakasam District .

In this encounter S/Shri G. Dayanand, Deputy Assault Commander/ Reserve Inspector and D. Naresh Kumar, Reserve Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17th June, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 114–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/SHRI

1. **P. Prakash,**
   Reserve Inspector
2. **P. Ravinder Reddy,**
   Constable
3. **K.V.S.R. Prasad**
   Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On the evening of **28-02-2007, Shri P. Prakash, Reserve Inspector** collected precise information through his source that the CPI (Maoist) cadres of Gurthedu dalam along with other cadres are camping in the forest area situated in Marrigudem forest area which is located at a distance of 18 KMs from Donkarai PS of East Godavari district. The said area is situated at a distance of 220 KMs from the district Hqrs in the North-Eastern direction and borders the state of Orissa. The area is full of dense mixed jungle, streams and hills. Almost all the roads, cart tracks and foot tracks are mined and are dangerous for road journey/cross country. In spite of hostile conditions prevailing, the Shri P. Prakash, Reserve Inspector collected actionable intelligence and planned an operation to neutralize the extremists camping in the forest. As per his plan, he took assistance of one **Special party of East Godavari district** to conduct this operation. To keep the movement of Forces secret, he planned their movement in the night so as to reach the scene and launch operation with the first light. As per his plan, the Special party, S/Shri P. Ravinder Reddy, Constable and K.V.S.R. Prasad, Head Constable led by Shri P. Prakash landed in the forest area and started combing the area with the first light of 1st March 2007.

The party trekked through the mountainous forest to reach the area and traced the camping area of the extremists, which was just vacated. S/Shri P. Prakash, Reserve Inspector, P.Ravinder Reddy, Constable and K.V.S.R Prasad, Head Constable without losing hope, motivated his party and they pursued the

likely track of the extremists. At a distance, Shri P. Prakash, Reserve Inspector along with his unit traced some footprints. The party followed the footprints carefully and started combing the area keenly. At about **0400** hours on the next day, they noticed the movement of armed extremists in the forest situated near Marrigudem village. Then Shri P. Prakash, Reserve Inspector observed the terrain around the extremist camp which is in the deep jungle, decided to launch assault from the front and to have a cut off to give support fire and to prevent the escape of extremists. Shri P. Prakash, Reserve Inspector divided his party into assault and cut off groups. While the cut off group was positioned in an advantageous place to give cover fire and check escape of extremists, Shri P. Prakash, Reserve Inspector led the assault group and S/Shri P.Ravinder Reddy, Constable and K.V.S.R Prasad, Head Constable acted as incharges of both cutoff groups. As the visibility was poor due to thick undergrowth forest and uneven terrain, S/Shri P. Prakash, Reserve Inspector, P.Ravinder Reddy, Constable and K.V.S.R Prasad, Head Constable with their small assault party crawled very close to the extremists who were taking shelter. When S/Shri P. Prakash, Reserve Inspector, P.Ravinder Reddy, Constable and K.V.S.R Prasad, Head Constable and their party reached very close, the extremists noticed them and opened indiscriminate fire towards them. S/Shri P. Prakash, Reserve Inspector, P.Ravinder Reddy, Constable and K.V.S.R Prasad, Head Constable who were very close to the extremists reacted quickly and launched their assault. The extremists fired indiscriminately using automatic weapons with a view to kill S/Shri P. Prakash, Reserve Inspector, P.Ravinder Reddy, Constable and K.V.S.R Prasad, Head Constable and their party. S/Shri P. Prakash, Reserve Inspector, P.Ravinder Reddy, Constable and K.V.S.R Prasad, Head Constable and their party, though in small numbers, retaliated valiantly without caring for their lives. S/Shri P. Prakash, Reserve Inspector, P.Ravinder Reddy, Constable and K.V.S.R Prasad, Head Constable continued their fire and moved towards the extremist camp and shot the extremist who was firing with an automatic weapon. Meanwhile the instructions of Shri P. Prakash, Reserve Inspector, the cut off party gave cover fire and prevented the extremists from making an escape. Shri P. Prakash, Reserve Inspector, Shri P. Ravinder Reddy, Constable and Shri K.V.S.R Prasad, Head Constable without caring for their lives, continued fire on the extremists, advanced towards the extremists and shot three important extremists who were giving stiff resistance to the police. Sensing danger from the assault of S/Shri P. Prakash, Reserve Inspector, P.Ravinder Reddy, Constable and K.V.S.R Prasad, Head Constable the remaining extremists fled away from

the scene taking the advantage of thick forest and boulders. S/Shri P. Prakash, Reserve Inspector, P.Ravinder Reddy, Constable and K.V.S.R Prasad, Head Constable along with their assault group chased the extremists who were firing with AK-47 and other automatic weapons. The operation came to a close around 04:30 Hrs. The brave act of S/Shri P. Prakash, Reserve Inspector, P.Ravinder Reddy, Constable and K.V.S.R Prasad, Head Constable and their team inflicted heavy casualties on CPI (Maoist) with the death of Gundamalla Raghupathi @ Swamy @ Raju @ Linga Swamy 35yrs, DCM – Krishnapatty dalam, Lakkidi Narasimhulu @ Narasimhareddy @ Lakshman, 22yrs, Commander – Krishnapatty dalam of Nalgonda distrtict, and Dasani Basavamma @Bhavani @ Radha – Area Committee Secretary of Palavanka Dalam of Nallamala Forest Divisional committee, who joined AOB from Nallamala area.

In this encounter, (3) SBBL guns with ammunition, (2) electrical wire bundles, (1) Hand grenade were recovered vide Cr.No.05/2007 of Donkarai PS of East Godavari district.

These slain extremists committed several heinous offences, in Nalllamala area including killing of police personnel and political leaders, blasting of Police Stations and Vehicles, assaults etc. As a result of this encounter, the morale of the CPI (Maoist) in the **Nallamala and AOB area** fell to its lowest ebb. S/Shri P. Prakash, Reserve Inspector, P.Ravinder Reddy, Constable and K.V.S.R Prasad, Head Constable with a small team meticulously planned the operation and carefully executed the same without any lapses from the police side and achieved good results, which deserves recognition and encouragement.

In this encounter S/Shri P. Prakash, Reserve Inspector, P. Ravinder Reddy, Constable and K.V.S.R. Prasad, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd March, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 115–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **T. Siva Reddy,**
   Head Constable
2. **T. Jitender Singh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

CPI (ML) People's War Group formed Action Team and took up Tactical Counter Offensive Campaign (TCOC) to attack political leaders and police officers since the year 2001 under the guidance Central Military Commission. **Sande Raja Mouli @ Prasad @ PD Central Committee Member and as a member of Central Military Commission** led and planned **many actions including attack on Sri N. Chandra Babu Naidu at Alipiri in the year 2003.** He was involved in many criminal cases in AP, Maharashtra, Chattisgarh and Karnataka. He was a military tactician who led the cadre from the front in Nallamalla Forest when the cadre was demoralized due to regular pressure from the police. He believed in Counter Offensive Tactics and always planned actions on politicians and police officers. At a time when the cadres of CPI (Maoist) in A.P. were demoralized and decided. to retreat, Sande Raja Mouli decided to commit major actions in the state of Andhra Pradesh and attack political leaders and police officers. In order to prevent violent activities of the Maoists, a Special Team was formed in SIB to apprehend Sande Raja Mouli and S/Shri T. Siva Reddy, HC and T. Jitender Singh, Constable were chosen as members in the team.

S/Shri T. Siva Reddy, HC and T. Jitender Singh, Constable with their team took this task as a challenge and worked out clues, kept surveillance over suspects and extensively moved in Anantapur, Chittoor and Kadapa Districts and finally collected information about the movements of Sande Raja Mouli and his Action Team and their plans to commit violent actions. S/Shri T. Siva Reddy, HC and T. Jitender Singh, Constable and their team received pinpointed information that he was visiting Dharmavaram Railway Station; in Anantpur

District on 22.06.2007 and due to paucity of time a small police team of district police was organized to check the suspected persons in Dharmavaram Railway Station. While S/Shri T. Siva Reddy, HC and T. Jitender Singh, Constable and their team were checking the passengers on platform No.1 at about 8.50 P.M., suddenly a young woman opened fire on police party and S/Shri T. Siva Reddy, HC and T. Jitender Singh, Constable narrowly escaped from being hurt. Immediately two other suspicious persons also opened fire on the police party and started running towards the exit gate. S/Shri T. Siva Reddy, HC and T. Jitender Singh, Constable and their team, while cautioning the passengers to lie down and unmindful of the danger to their lives, chased them while the suspects continued firing on the police party. Once again the suspects fired on S/Shri T. Siva Reddy, HC and T. Jitender Singh, Constable and ran towards Auto and cycle stand outside the Railway Station. S/Shri T. Siva Reddy, HC and T. Jitender Singh, Constable and others further chased them while the suspects continued firing on the police party after taking cover behind RTC bus. S/Shri T. Siva Reddy, HC and T. Jitender Singh, Constable and police party, retaliating in self defense, opened fire on the suspects resulting in the death of one person who was identified as Sande Raja Mouli @ Prasad, a Central Committee and Central Military commission Member of CPI (Maoist). One 9 MM Pistol, one 0.38 Revolver, extremist literature and 2 CDs in bags and empty cartridges were found at the scene.

A case vide Cr. No. 122/07 U/Sec. 307 IPC, R/w 34 IPC, Sec. 25(1) (b) and (a), 27 Arms Act, Sec. 174 Cr.P.C. and opening of fire by police, was registered at Dharmavaram Town police station.

In this encounter S/Shri T. Siva Reddy, Head Constable and T. Jitender Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd June, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

39—381 GI/2008

No. 116–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **M. Chandra Sekhar,**
   Sub Inspector
2. **G. Rama Krishna Rao,**
   Constable
3. **K. Renukeswara Rao,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

S/Shri M.Chandra Sekhar, SI, and G. Rama Krishna Rao, Constable received credible information that some action teams of CPI (Maoist) are pressed into action to eliminate important targets in Vizianagaram and Srikakulam districts. On that Shri M. Chandra Sekhar, SI approached SP, Vizianagaram and meticulously planned operations to neutralize action teams. They found that these action teams are moving during night time in two wheelers and hence S/Shri M.Chandra Sekhar, SI, G. Rama Krishna Rao, Constable and K. Renukeswara Rao, Constable along with district special Party Vizianagaram organized surprise vehicle checking near Kannaiguda junction, 4 KMs North of Elwinpeta P.S., on the night of 10-03-2008 from 2200 hours onwards. At about 2330 hrs, the party noticed two unknown persons riding on a motorcycle coming from Kedaripuram towards Elwinpeta. When Shri M.Chandra Sekhar, SI and the police party tried to stop the motorcycle, the pillion rider suddenly opened fire with fire arms on the police party led by Shri M. Chandra Sekhar, SI. Immediately Shri M. Chandra Sekhar, SI by showing tact and bravery, directed the police party to take proper defense positions and retaliated on the persons traveling on motorcycle in self defense. S/Shri G, Rama Krishna Rao, Constable and K. Renukeswara Rao, Constable also retaliated bravely without caring for their lives. The exchange of fire lasted for a few minutes resulting in the death of 1. Chokkari Gangaram @ Komma @ Vijay, AOBSZC member 2. Jittu Ganapathi, an important CPI (Maoist) courier.

The brave act of S/Shri M.Chandra Sekhar, SI, G. Rama Krishna Rao, Constable and K. Renukeswara Rao, Constable and their team inflicted heavy casualties on CPI (Maoist) with the death of 1. Chokkari Gangaram @ Komma @ Vijay, AOBSZC member, 2. Jittu Ganapathi, an important CPI (Maoist) courier.

In this encounter, one Revolver, one Tapancha & One Bajaj Discover Motor cycle (AP35F6601) three Live Cartridges & one empty Cartridge, Revolver Live rounds-02 were recovered from the scene of offence vide Cr.No. 05/08 of Elwinpeta P.S. of Vizianagaram district.

In this encounter S/Shri M. Chandra Sekhar, Sub Inspector, G. Rama Krishna Rao, Constable and K. Renukeswara Rao, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th March, 2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 117–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri K. Madhusudhan Rao,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On reliable information about the movement of Maoists near Diguvametta in Mahanandi P.S. limits of Nandyal Sub Division of Kurnool District an operation was planned with 5 Greyhounds Units along with Distirict Special parties as cut off parties covering the suspected area. Senior Commando-1898 Sri K.Madhusudhana Rao was in one of the Greyhounds parties that was pressed into operation. The units were dropped on the intervening night of 4th and 5th August 2007. They moved throughout the night and reached the core area by 0800 hrs on 5-8-2007. The unit moved in the areas alloted to each one on the 5th and 6th traversing through hills and nalas, through thick thorny bushes and uneven terrain full of boulders and loose stones. On the 7th morning the Greyhounds unit in which the nominee was present started combing operation by 5-30 AM. As per programme the unit was to check Galikonda, a hillock to a height of 736 meters high. It was a steep and difficult climb. After verifying the peak the unit climbed down the hillock upto the nala to comb the likely camping spots. They started climbing up from the nala on to the 630 meter contour. Dividing the unit into 4 parties, parties 1, 2 and 3 of three members each and party 4 of 12 members. The nominee was leading the 4th party.

While climbing the hill, the leader of the unit Assault Commander (DSP) Sri. CH. Venkateshwarlu who was leading the party I noticed that something was amiss when the grass near the top of the hill at 630 contour appeared to be trampled. He halted his team and was observing the area when they noticed a lady wearing a shirt talking to someone not visible to them. The AC immediately alerted other parties. The party II led by Assistant Assault Commander (RSI) was ahead in another direction and started converging on the

maoist camp. Meanwhile the 3 members of party III rushed ahead towards the Maoist camp without taking precaution and opened fire on the tent like structure erected there. The Maoists who were actually camping in the rocks on higher ground opened fire and hit one Junior Commando. Because of the premature assault by party III, The Maoists got alerted before parties II and IV could alerted fully and could take position. Party II was caught in the firing that ensured and could not move out of its position. But party IV led by Shri K. Madhusudhan Rao quickly recovered and started chasing the Maoist District Committee and Area Committee secretary along with their two guards who already hit one policeman and were escaping by firing from AK-47 and other weapon intermittently. The woman maoist escaped. Shri K. Madhusudhan Rao had no cover and the Maoists were firing indiscriminately with automatic weapon in a desperate bid to escape. Unmindful of his personal security and the risk to his life Shri K. Madhusudhan Rao led his team from the front and brought down the Area Committee Secretary inspite of the fact that they already succeeded in hitting a member of the police team. The rare courage displayed by Shri K. Madhusudhan Rao resulted in the death of the Area Committee Secretary of Nallamala and recovery of one SLR, one .303 rifle, cash Rs.1,65,000/- besides ammunition and other items.

In this encounter Shri K. Madhusudhan Rao, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th August, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 118–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/SHRI

1. **K. Muni Krishna,**
   Head Constable
2. **V. Linganna Dora,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 13-1-2007 OSD Nalgonda received specific information about the movement of Maoists in Yellamanigudem village of Gurrampod P.S. of Nalgonda district. He immediately planned an operation with the Greyhounds unit personnel and dispatched them with local officers. The Greyhounds team with 19 members and local officers got dropped at about 1500 hrs. about half kilometer from the Yellamanigudem village. There the unit split into three parties - The Assault party consisting of 7 members including S/Shri K. Muni Krishna, Head Constable and V. Linganna Dora, Constable, the left cut off consisting of 6 members and the right cut off consisting of 6 members. The local officers accompanied the assault party. While on movement the unit developed local intelligence and came to know that the Maoists were seen some time ago in an orange orchard which was half a K.M. north-west of the village. The right cut off and left cut off were sent in advance to take position as per planning at a distance of half a K.M. on either side of the suspected area. The assault party moved in an extended formation after reaching orange garden where they found a shed in which used utensils and left over food were found indicating that a group has taken their food there some time ago. The local police officers stopped at the shed sensing that the Maoists might be nearby. The Greyhounds party on searching the area found some foot prints going in the direction of a sheet rock area which was at the northern edge of the orchard. The assault party proceeded towards the sheet rock area following the foot steps. When assault party was about 50 Mts. from the sheet rock area the Maoist sentry saw the scout and opened fire with his carbine alerting his colleagues by shouting 'Police' 'Police'. Four other extremists including

Mukka Ravi @ Betharju Narsimha @ Janardhan, District Committee Member, Nalgonda District who were resting behind the sentry also opened fire and started running towards East where they noticed the right cut off party. They immediately turned towards West in a bid to escape and had to face fire from the left cut off party. Finding themselves boxed on the three sides the Maoists ran towards north which had ground nut fields. They started firing on all the three sides in a desperate bid to escape from the police net. S/Shri K. Muni Krishna, Head Constable and V. Linganna Dora, Constable led the assault party in a spirited sprint behind the Maoists unmindful of the grave risk to their lives from the indiscriminate firing from the automatic and other rifles of the Maoists. The terrain did not offer any protection to them since they have to chase them in open fields. Still S/Shri K. Muni Krishna, Head Constable and V. Linganna Dora, Constable continued the chase and mounted the assault. Their dare devil assault brought down four Maoists while the 5^{th} who was being chased by the right cut off party escaped by running towards civilians who were working on one side of the ground nut field. The assault party and the cut offs had to stop firing for fear of injuring civilians.

In this well planned and well executed operation four Maoists including Mukka Ravi @ Jannardhan District Committee Member Nalgonda were killed leading to recovery of AK 47-1, 9mm Carbine-1, StenGun-1, Tapancha (country made revolver)-1, Cash Rs.98,500/- and other items . This operation sounded the deathknel to the Nalgonda District Committee in the Nallamala forest area.

In this encounter S/Shri K. Muni Krishna, Head Constable and V. Linganna Dora, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13^{th} January, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 119–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **V. Gopi,**
   Constable
2. **M. Veerraju,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 20.12.2007, the district police received a credible information that a group of about 20 – 25 Maoists was conducting a camp in the interior dense forest at Tiger Camp Reserve Forest area of Maredumilli P.S. limits. Additional Superintendent of Police (Operations), who was the incharge of anti-extremist operations, planned an operation with four ANS parties to apprehend the Maoists. Shri V Gopi and M. Veerraju participated in the planning of operations with their experience on Terrain. The operation was to be conducted and carried out in a very hostile terrain of the dense forest, which is considered to be the strong hold of the Maoists. The party consisting of Shri V Gopi and M. Veerraju was deputed in the most probable retreat route of the Maoists. Shri V Gopi was deputed as Scout-I (1st member of the team) and the M.Veerraju was deputed as Scout-II in the order of movement of the party.

On 21.12.2007, the ANS party consisting of one RSI, 18 PCs (a total of 19 members) was dropped on a road point between Maredumilli (East Godavari district) and Chinturu (Khammam District) near Tiger camp Reserve Forest area. The party marched towards the North-West direction up to Nellore Village outskirts and started crossing a big Nala at about 4 p.m. Shri V Gopi crossed the Nala and was moving forward. Shri M.Veerraju and rest of the party were crossing the Nala. Suddenly, a firing sound from automatic weapons like A.K.-47 and SLR etc. was heard by the Police Party. The police party which was in the middle of the river (Nala) did not have the opportunity of wearing any protective cover as the encounter was sudden and unexpected and occurred while the party was crossing the Nala. The dreaded Maoists, who

40—381 GI/2008

were retreating from the camp, laid ambush to the Police party and the police party was in a dangerous position. Shri V. Gopi who was scout-I and who already crossed the Nala, realized the risk to the police party and opened fire on the Maoists immediately without losing even a moment of the crucial time and even warned the Maoists against venturing on the police party. The caution given by Shri V. Gopi was ignored by the Maoists and they started firing indiscriminately against the Police party. Shri V. Gopi even though there is no support from other members of the party, lost no time in moving close to the Maoists and opened fire in retaliation. Shri V.Gopi who even did not have a cover to save himself from fire, showed extraordinary courage and self-sacrificing determination in successfully performing his duty by facing direct fire from Maoists and opening fire on the Maoists. This daring action of Shri V. Gopi prevented the Maoists from further advancement and hence protected the police party. While the other members of the party were still there in ambush area of Maoists, Shri M. Veerraju courageously moved out from the ambush area without having a cover from fire to assist Shri V. Gopi in his operation. While Shri V Gopi and M. Veerraju advanced to prevent the Maoists from further fire, other members of the police party occupied strategic points and retaliated on the Maoists. These actions lead to the fleeing of Maoists from that area. Shri M Veerraju had shown great courage and bravery by coming out from the ambush and by supporting Shri V. Gopi in his great action. This brave action of Shri V Gopi and M. Veerraju resulted in death of two ferocious Maoist leaders and saved the police party from risk.

The deceased Maoists were identified as:

1) Dabba Rajamma @ Saritha, Commander, Sabari LGS, Khammam Division, W/o.Naveen, Divisional Committee Member, Khammam Division , and
2) Jamuna, Deputy Commander, Chintoor LOS W/o.Raghu, Commander, Chintoor LOS, Khammam Division.

The following recoveries were made:

.303 Rifles	3 nos.
SBBL Guns	2 nos.
Land Mines	2 nos.
.303 Liver Rounds	15 nos.
12 Bore Rounds	15
Kit Bags	11 nos.
Maoist Literature	

In this encounter S/Shri V. Gopi, Constable and M. Veerraju, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the

special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21st December, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 120–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri R. Nageswara Rao,
Reserve Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 07-12-2006 Officer on Special Duty (OSD/Addl. S.P.) Warangal received information that some Naxalites belonging to the Pratighatana group along with the Khammam – Warangal Region Secretary were camping in the forest area adjoining Punukula Chilaka (V) of Khammam district which is adjoining Warangal District border. On information from him an operation was planned along with OSD Khammam. Since there was no Greyhounds unit in Warangal or Khammam at that time, the unit which was camping in Nalgonda about 200KM away was rushed to Kothagudem in Khammam. Shri R. Nageswara Rao, AAC/RSI was a member of this Greyhounds unit which was led by a DAC/RI. The unit had total strength of 19 members.

The unit was dropped on the outskirts of the forest on the midnight of 07-12-06. The unit moved throughout the night and reached the core area by 04.30 hrs., on 08-12-06. On reaching the hill feature 247 Height, the unit split into 3 groups. The leader of the party along with Shri R. Nageswara Rao, Reserve Sub-Inspector and 3 others formed the assault group. The other two fanned out to cover the hill feature from the flanks.

The hill feature 247 Height was very steep and covered with pebbles making progress uphill very difficult and that too noiselessly early in the morning in an interior silent forest area. While the police party was slowly making progress uphill contour by contour they noticed two vacated previous camp sites at two different levels indicating that the naxals were changing camp at frequent intervals observing all precautions. On reaching the peak at about 0620 hrs., one Junior Commando (JC/PC) of the assault group noticed a polythene bag with some items hanging from a tree branch. Shri R. Nageswara Rao, Reserve Sub-Inspector who got alerted scanned the entire area carefully

and noticed a sentry in a yellow shirt armed with a 8mm rifle watching the surroundings.

Shri R. Nageswara Rao, Reserve Sub-Inspector immediately signaled to the DAC, the unit leader, to inform other groups and started inching towards the naxal camp. The sentry who was alert, suspected something and alerted all the members of the camp who took up their weapons and called out to whoever was there to announce their presence. When the police party did not respond they opened fire with their weapons. While the other groups gave cover fire the assault group consisting of Shri R. Nageswara Rao, Reserve Sub-Inspector and two others boldly moved forward till they were almost within 15 meters of the naxal camp.

The naxals were in a well protected area with makeshift morchas made of stones to give them good cover. They were in a dominating position and the advantage of a good and commanding view. Yet Shri R. Nageswara Rao, Reserve Sub-Inspector made a daring assault from a short range throwing the naxals camp into a disarray. With his initial burst of fire he brought the sentry down. In the subsequent burst of fire the police assault party of three members hit two more naxals who ran from the camp towards East. Shri R. Nageswara Rao, Reserve Sub-Inspector and his two colleagues chased them for about 50 yards. The injured naxals turned back and opened fire with an AK and a Carbine. and his team stood their ground and retuned the fire bringing down both of them.

A search of the area led to recovery of 4 plastic sheets and 4 kit bags and other items indicating that one naxal escaped unnoticed by the police party. The deceased naxals were later identified as

1. Mankidi Madhu @ Gottam Seetaramaiah, State Committee Member with AK-47 Rifle
2. Etti Ravi @ Subash, Dalam member with Carbine
3. Yessam Narender @ Gopi, Dalam member with 8 mm Rifle.

In this encounter Shri R. Nageswara Rao, Reserve Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th December, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 121–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri K. Chakrapani,
Reserve Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 18-10-2007 S.I., Kothagudem-III Town P.S. received reliable information from his sources that some members of Janashakthi Kinnerasani dalam were camping on the top of a hillock 2 to 3 K.Ms. north of Gattamalla village near 'Kinnerasani Reservoir'. He informed the same to the Greyhounds unit camping in Kothagudem who planned the operation in detail. 21 member Greyhound team led by the nominee left the base camp in the middle of the night and reached the dropping point at 0420 hrs. The party moved for half a K.M. in the South-East direction and waited for the first light.

At 0520 hrs they took bearing and moved towards the hillock. Shortly they came across a large water body which was not there in the Survey of India Map. After checking the physical features shown in the Survey of India Map and their location with G.P.S. they were confirmed that they were on the right track. They realized that the water body was the back waters of Kinnerasani Reservoir which extended due to the heavy rains and that they have to go around the water body to reach the hillock.

Meanwhile the scouts of the party noticed some movement ahead and alerted Shri K. Chakrapani who scanned the area with Day Binocular and noticed Janasakthi extremists including one female with arms. Shri K. Chakrapani immediately formed the unit into three parties. Party-1 led by Shri K. Chakrapani had 7 members, Party-2 had 7 members and party three had 10 members including local S.I. and 2 Civil PCs. One of the scouts was in party one and the other in party three. Party-1 covered the position on the North while Party-2 covered on the West and Party-3 on the East. South was totally covered by the water body.

41—381 GI/2008

The movement of Party-3 was detected by the Janasakthi Kinnerasani dalam members who opened fire on them and tried to escape from the north-east direction. The Party-3 which was spread out in that area opened fire on the extremists who were fleeing while firing at the police party. Noticing the spread out party of the police the extremists changed direction ran towards the North. Since the area was open and as enemy was running towards them with blazing weapons, Shri K. Chakrapani kept tight control over his team without opening fire till the enemy came within close range. Then he led the party against the extremists who were running towards them. Seeing another police party cutting off the escape route the extremists panicked and ran towards the reservoir while firing indiscriminately from their weapons. Still Shri K. Chakrapani led his party undaunted and brought down four extremists who fell into the reservoir with their weapons. The police party could recover one body after search for one hour, while another body could be recovered by expert swimmers in the evening. Two other bodies surfaced the next day. In this exchange of fire Prakash, Kinnera Dalam Commander and 3 other dalam members were killed. One Spring Field Rifle and one Tapancha could be recovered. Other weapons could not be recovered even by the expert swimmers since the reservoir was deep and muddy. They can only be retrieved in summer when the water level recedes considerably. 28 live rounds of Spring Field rifle and 10 live rounds of SLR, Cash Rs. 1,26,000/- one .303 magazine were among the items that were recovered from the clothing of the extremists.

In this encounter Shri K. Chakrapani, Reserve Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19th October, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 122–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **N.V.Kishan Rao,**
   Reserve Inspector
2. **S. Srinivas,**
   Inspector
3. **Manohar Goud,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On the evening of 30.06.2007 S/Shri N.V Kishan Rao, Reserve Inspector, S. Srinivas, Inspector and Manohar Goud, Constable collected precise and specific information that the UG cadres of CPI (Maoist) including top cadre of the North Telangana Special Zonal Committee were moving in the forest between Medaram of Tadvai Mandal and Kondai and Iylapur of Eturunagaram Mandal. The camping area of Maoists consisted of dense mixed jungle, streams and hills. The entire area under Tadvai PS was affected with the activities of various groups of leftwing extremists and most of the routes were mined and dangerous for road journey by vehicles. S/Shri N.V Kishan Rao, Reserve Inspector, S. Srinivas, Inspector and Manohar Goud, Constable on the instructions of DIG SIB, met S.P. Warangal and apprised her about the information. SP Warangal, and S/Shri N.V Kishan Rao, Reserve Inspector, S. Srinivas, Inspector and Manohar Goud, Constable analyzed the information thread bare and prepared a meticulous operational plan. The S.P.Warangal pooled up the available district guards for organizing a raid on the camp.

As per the plan, S/Shri N.V Kishan Rao, Reserve Inspector, S. Srinivas, Inspector and Manohar Goud, Constable and special party left district head quarters reached at 4 Km mile stone between Tadvai and Medaram and halted there on the night of 30.06.2007. On 01.07.2007 at about 5 AM, the special party commenced combing of suspected camping area of Maoists. As all the tracks traversing through the forest were suspected to be heavily mined, S/Shri N.V

Kishan Rao, Reserve Inspector, S. Srinivas, Inspector and Manohar Goud, Constable along with the party started moving cross country on foot, following field tactics meticulously. The parties trecked through thick forest and at the day break reached suspected camping place of extremists. At about 7.30 AM, Shri Manohar Goud, Constable who was acting as a scout, noticed a group of 8 armed persons clad in olive green uniform camping at South East direction to Medaram village. Shri Manohar Goud, Constable immediately conveyed his observation to Shri N.V. Kishan Rao, Reserve Inspector who signaled the party to halt and personally observed and suspected them to be extremists belonging to CPI (Maoist). Shri N.V Kishan Rao, Reserve Inspector divided the entire party into two assault parties and one cut off party. Shri N.V. Kishan Rao was in the first assault group and S/Shri S. Srinivas and Manohar Goud were in the second assault group. After the cut off party led by CI Eturnagaram circle took position on possible escape route, Shri N.V. Kishan Rao gave signal for advancement of the assault parties. As the assault parties approached the camp of extremists by crawling, the sentry who smelled the advancing police party alerted the extremists in the camp by shouting "police" and simultaneously opened rapid fire on the police party. The extremists numbering about 8 who were in a dominant location immediately opened indiscriminate fire in all directions with automatic weapons and simultaneously hurled HE grenades. Shri N.V. Kishan Rao warning the extremists to stop fire and surrender to police, ordered the assault parties to move forward towards extremist camp taking available cover. As the extremists failed to yield to the repeated warnings and continued heavy firing from AK-47, SLRs, and other auto weapons with intention kill the police, Shri N.V Kishan Rao, ordered the party to reply fire of extremists in self defense and also alerted the cut off party to seal the escape route. Shri N.V. Kishan Rao and Manohar Goud wearing bullet proof jackets unmindful of grave risk to their lives replying fire of extremists, advanced close to the camp site. Some of the extremists taking cover of the big trees and boulders managed to escape by blasting claymore mines, while the other cadre engaged police by incessant fire from the camp place. The fierce gun battle resembled a warlike situation in thick forest. S/Shri N.V Kishan Rao, Reserve Inspector, S. Srinivas, Inspector and Manohar Goud, Constable though were under intense fire from extremists and the stream of bullets were passing from a hair split distance, bravely chased the extremists and through a controlled fire neutralized the firing of extremists. S/Shri N.V Kishan Rao, Reserve Inspector, S. Srinivas, Inspector and Manohar Goud, Constable and their party, though in small numbers, retaliated valiantly without caring for their lives. The exchange of fire continued for half an hour. When the situation became lull, the police party searched the area and found one dead body and one AK 47 Rifle, one 9 mm carbine, one pistol etc., The dead body was later identified that of Chetti Raju Papaiah @ Somanna @ Venkataramana, North Telangana Special Zonal Committee Member, i/c Mass Organizations and NTSZC Secretariat Member.

Somanna was a noted and hard core extremist and was underground since 1985. He is dreaded naxalite and was a dalam member in the year 1986, rose to

the Dalam Commander in 1990, DCM in the year 1993, elevated as NTF Division Committee Member in the year 1997, NTSZC Member since 31.04.2000. He was involved in about 50 criminal cases of various Police Stations in Karimnagar, Nizamabad, Khammam and Warangal District and was noted for vandalism, extortion and killings. He was carrying a reward of rupees 10,00,000.

In this exchange of fire, the police seized One AK 47 Rifle, One 9mm Carbine, One Pistol, Four Kit bags, One AK 47 Magazine and this is the subject matter of Cr. No. 23/2007 of Tadvai Police Station of Warangal District.

In this encounter S/Shri N.V.Kishan Rao, Reserve Inspector, S. Srinivas, Inspector and Manohar Goud, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st July, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

42--381 GI/2008

No. 123–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Katepalli Venu Gopala Rao,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Superintendent of Police, Guntur Dist received an information that Kota Anand Kumar and Pedaraju Dasaratham were coming in the Nallamalla Reserved Forest of Bollapalli PS limits of Guntur Dist. with a plan to eliminate some important political leaders in nearby villages to create terror in the area.

Immediately District Special Party of Guntur led by the Y.Ranganth Goud, SI with strength of 18 was called and dropped in the reserve forest of Nallamala on the Night of 24-07-07 after thorough briefing. The Special Parties Combed the area given to them for day one, but in vain. Next day on 26.07.2007 while the party was on move Shri Katepalli Venu Gopala Rao noticed 6 to 7 persons moving in suspicious circumstance. On noticing this, Shri Katepalli Venu Gopala Rao immediately alerted the party and took cover under thick bushes. Then the party got divided into three sub parties. First Consisting of 6 members led by Shri Y.Ranganath Goud, SI covered the left side of the enemy area. Second party consisting of another 6 persons led by Shri P.Deva Prabhakar, SI covered right side of the enemy area and third party consisting of 6 members led by Shri K.Venugopala Rao acted as assault party. While the party were on move one of the enemy noticed the police party and opened fire indiscriminately on them. Police Party immediately took cover and advised the enemy to surrender. Enemies did not heed to the advise of police and continued firing on police. Then police also opened fire in self defence, The exchange of fire continued for about 30 minutes during which the nominee K.Venugopala Rao exhibited great courage and bravery and stood against the barrage of bullets. In self defence Shri K. Venugopala Rao also opened fire with his Self Loading Rifle on the enemy in which one enemy namely Kotta Ananda Kumar @ Syam, Member of Special Action Team was killed and recovered one tapancha. After a while, when the police party led by nominee was searching the

area, the Maoists again opened fire on him and other members of police party. Again police party took cover of bushes and advised the enemies to surrender. But, they continued firing on police party. Police party led by Shri K.Venugopala Rao who was undauntedly guiding the team, proceeded forward, opened fire at the enemies in self-defence. Another Maoist by name Peddaraju Dasaradham @ Tech Srinu of Special Action Team Commander was killed and one tapancha was recovered from the scene. During the entire incident, the nominee exhibited exemplary action in fighting back the Maoist firing.

In this encounter Shri Katepalli Venu Gopala Rao, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26th July, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 124–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri D. Satyanarayana,
Reserve Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

This is a case of exchange of fire with the dreaded Maoist guerillas of North Telengana Special Zone Committee (NTSZC) in which four notorious ultras including very important leader Madhu @ Saraiah – Karimnagar East Division District Committee Secretary and three LOS members of Chityal and Medaram areas of Warangal district died. This led to recovery of deadly firearms such as AK-47 and .303 Rifle-3 Nos.

Reliable information was received that Ganesh, NTSZC Secretary, Madhu, Karimnagar East Division Committee Secretary and other important Maoists were Camping in the Chityal Reserve Forest area surrounding Ooratam and Kondai Villages within Tadvai PS limits of Warangal district. An operation was planned with 3 Greyhounds units and 9 special parties of Warangal district by Greyhounds, District Police and State Intelligence officers. Shri D. Satyanarayana was leading one of the Greyhounds units with a strength of 20 members. The Greyhounds units and District Special parties were dropped on 12-09-06 midnight for operations. The combing parties moved in the area assigned to each one on the 13th and 14th of September covering all the identified and possible shelter points. On the 14thevening one Greyhounds unit developed local intelligence from some cattle grazers that they noticed 8 to 10 Maoists on a nearby hill feature 2 to 3 days ago. That unit was diverted towards the hill feature to check the area on the 15th morning. However, they drew a blank there on the 15th early morning.

Meanwhile, a member of the Greyhounds unit lead by Shri D. Satyanarayana, Reserve Sub-Inspector which was moving on the South West of this hill feature noticed a person in civilian clothing moving from North East to South West direction. Immediately Shri D. Satyanarayana, Reserve Sub-

Inspector alerted the entire unit and started tracking the person. Shri D. Satyanarayana, Reserve Sub-Inspector led the unit from the front and others followed behind. After tracking the civilian for nearly 200 yards Shri D. Satyanarayana, Reserve Sub-Inspector saw six persons going in the South West direction. The last of the six was a lady in olive green dress carrying a .303 rifle. Shri D. Satyanarayana, Reserve Sub-Inspector gave signal to his team members to split into 3 groups. While he was to lead the assault with four members, the others were to cover both the flanks. When the other unit members were moving away to cover the flanks, the lady maoist who was in the tail got suspicious on hearing a sound, turned back and started firing. Shri D. Satyanarayana, Reserve Sub-Inspector who was nearest to her and was tracking without any cover reacted sharply and retaliated the fire bringing her down. Alerted by this the Maoists started running away and firing from their weapons indiscriminately to stop pursuit by the police party. Though the terrain was full of thorny bushes, and boulders all over the area, some covered in grass making movement hazardous, Shri D. Satyanarayana, Reserve Sub-Inspector and his team of 4 members chased the Maoists unmindful of the spray bullets from their weapons. Shri D. Satyanarayana, Reserve Sub-Inspector being in the lead brought down one more lady maoist after another 200 meters of chasing.

Noticing that the police party in relentless in chasing them the Maoists split in different directions. Shri D. Satyanarayana, Reserve Sub-Inspector and his team kept chasing some of the them as the Maoists continued to fire while making their get away. One of his team members T. Mohan and those with him brought down one more lady maoist. At the same time T. Mohan noticed one maoist turning round and aiming at the police party with his AK-47. Undaunted, he opened fire and brought down the maoist who was later identified as Madhu, Secretary of the Karimnagar East Division Committee. The unit then spread out and checked the entire area to trace other Maoists who escaped, but without result. They recovered 6 kit bags, cash Rs. 42,000/- and 3 gold biscuits among other items.

The noteworthy point in this Exchange of Fire that took place in an interior and forest area full of thorny bushes, undaunting terrain full of boulders is that the police party chased the Maoists for nearly 1 ½ Kms. The distance between the first body and the last body was more than 1 KM with the bodies distributed over the entire length. But for the dogged determination and the relentless pursuit by the police party in the face of stiff resistance from all the Maoists with automatic weapons such as AK-47 and other rifles, all the Maoists could have easily escaped in the forest within moments.

In this exchange of fire the following Maoists were killed leading to recovery of one AK-47 and three .303 rifles.

1. Aluvala Saraiah @ Madhu, Karimnagar East Division Committee Secretary carrying AK-47.

43—381 GI/2008

2. Pothurajula Vasantha @ Nirmala, Chityal Local Operation Squad member carrying .303 rifle.
3. Sunkar Pramalee @ Lalitha, Madaram LOS Member carrying .303 rifle.
4. Modiga Padma, Medaram LOS Member carrying .303 rifle.

The above incident is recorded as Cr.No. 105/06 U/S 148, 307 r/w 149, 25 (1B) and 27 Indian Arms Act, APPS Act of Tadvai PS, Warangal district.

In this encounter Shri D. Satyanarayana, Reserve Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th September, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 125–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mahesh Chandra Laddha,
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 27-04-2005 Shri Mahesh Chandra Laddha after attending his office in Ongole Town (Prakasam District), was returning to his camp office at about 14.05 hrs in a Tata sumo alongwith four (4) Gunmen. As soon as he reached Kamakshi Devi Temple a 7-member Action Team of the Maoists triggered claymore mines kept on a bicycle, targeting Shri Mahesh Chandra Laddha. The blast was so devastating that it shook the entire area and completely mangled the vehicle in which Shri Mahesh Chandra Laddha was traveling, besides killing 3 civilians, who were in the near by area.

Undeterred by this massive explosion and the damage to the vehicle, Shri Mahesh Chandra Laddha maintained his composure and displaying extraordinary presence of mind and bravery he extricated himself along with the gunmen out of the mangled remains of vehicle. Even as Shri Mahesh Chandra Laddha was marshalling his shocked gunmen and driver, the extremists opened fire at him. Unmindful of the grave danger to his life, Shri Mahesh Chandra Laddha displayed outstanding leadership qualities and took charge of the situation. He marshaled his meager force and launched a counter attack on the Maoists. Even in the face of fierce gunfire from the extremists, Shri Mahesh Chandra Laddha did not flinch and continued to repulse the attack. This exchange of fire continued and because of the effective counter action by the Police under the direction of Shri Mahesh Chandra Laddha , the 7-member-strong, highly motivated and trained killing squad (Action Team) of the Maoists, retreated by taking cover of buildings and walls.

In this encounter Shri Mahesh Chandra Laddha, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th April, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 126–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **Devendra Singh Chauhan,**
   Superintendent of Police
2. **N. Shiva Prasad,**
   Reserve Inspector
3. **M. Gagendra Kumar,**
   Reserve Sub Inspector
4. **M.A. Shukur,**
   Sub Inspector
5. **R. Srinu Babu**
   Constable
6. **V. Sai Babu**
   Constable
7. **V. Srinivasa Rao**
   Head Constable
8. **A. Shiva Kumar**
   Reserve Sub Inspector
9. **Shaik Aftab,**
   Constable
10. **M.V.Narayana,**
    Constable
11. **V. Krishna**
    Constable
12. **D. Srinivas Reddy**
    Reserve Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

A reliable information was received by Shri Devendra Singh Chauhan IPS, S.P. Khammam, on 15-03-2008, that the outlawed Maoists were conducting a camp in the bordering forest areas of Cherla PS limits of Khammam District and Pamedu PS limits of Bijapur District and hatching plans

to attack police stations and to carry out violent acts against police and State in the bordering areas. Shri Devendra Singh Chauhan discussed with his officials and prepared the plan of the operation meticulously taking into account all the factors and security precautions. Then, he requested the Greyhounds Chief to spare 8 Greyhounds units for launching an operation to apprehend the banned Maoists who were reported to be carrying large number of illegal weapons and ammunition and explosives. Accordingly, 8 Greyhounds units were dispatched to Khammam district headquarters in the forenoon of 16.03.2008 along with Sri G. Dayanand, Assault Commander/DSP. The operation was planned by Shri Devendra Singh Chauhan S.P. Khammam in consultation with Sri Shahnawaz Quasim, IPS, ASP Kothagudem, Sri G.Krishna Murthy, Squadron Commander/Addl.SP and Sri G. Dayanand, Assault Commander/DSP. The parties were briefed thoroughly, in detail by Shri Devendra Singh Chauhan, on 16.03.2008 evening.

Accordingly the police party consisting of 8 Greyhounds units and 17 Civil Police officers & men, including N.Shiva Prasad, Reserve Inspector, M.Gagendra Kumar, Reserve Sub-Inspector, M.A. Shukur, Sub-Inspector, R. Srinu Babu, Constable, V. Sai Babu, Constable, V. Srinivasa Rao, Head Constable, A.Shiva Kumar, Reserve Sub-Inspector, Sk. Aftab, Constable, M.V. Narayana, Constable, V. Krishna, Constable and D. Srinivas Reddy, Reserve Sub-Inspector (Totally 167) was dispatched towards bordering area, from Khammam, on 16.03.2008 night. Accordingly the Police parties started the search & combing operation, in the area to apprehend the said outlawed extremists. While combing the forest area, on 17.03.08 evening, one Police party of Khammam district noticed the movement of a group of persons, approximately 10-12 in number, clad in olive green dresses and equipped with fire arms. Immediately, the Police party tried to apprehend them, but the armed group escaped towards Northern direction, into the forest of Chattisgarh. The Police party started chasing the armed group to apprehend them and in pursuit of the outlawed, the Police party entered the forest area of Chattisgarh State and continued the said search-cum-combing operation. On receiving this information, Shri Devendra Singh Chauhan, IPS, S.P. Khammam joined the party to lead the operation. Shri Devendra Singh Chauhan joined the party in forest at a pre-decided RV point and continued the operation, leading the parties from the front.

At around 0830 hrs on 18.03.2008, while the parties were moving in the north east direction in the Paliguda village forest area, the party led by Shri Devendra Singh Chauhan, Shri Siva Prasad DAC, GHS, Shri Gagendra Kumar AAC, and Shri M.A.Shukur, SI Dummagudem and others, noticed some extremists. At the same time extremists noticed the police party and all of a sudden, opened heavy fire on the police party with an intention to kill the police personnel.

44—381 GI/2008

Shri Devendra Singh Chauhan and his party consisting of Shri Siva Prasad DAC, GHS, Shri Gajendra Kumar AAC, Shri M.A.Shukur, SI Dummagudem and others faced indiscriminate fire from the naxalites from the weapons like AK-47, SLRs. Shri Devendra Singh Chauhan immediately alerted his party and the party took position for its defense, taking the ground cover and warned extremists to surrender, duly disclosing their identity. The terrain was difficult and unknown to the Police party and there was no proper cover available. Shri Devendra Singh Chauhan not deterred by the adverse circumstances and heavy firing from extremists side, divided his party into two units and instructed one unit to cover left side and other unit to cover right side with an intention to apprehend the extremists alive. The extremists paid deaf ear to their warnings and continued heavy firing on the Police parties. Left with no other option to save their lives, after duly warning the outlaws, the Police parties opened fire, in self defense. The sentry extremist also tried to explode a claymore mine, planted by the extremists nearby but the said mine did not explode. During the exchange of fire, which ensued Shri Devendra Singh Chauhan, Shri N. Siva Prasad, DAC, Shri Gagendra Kumar AAC, Shri M.A. Shukur, SI, Shri R.Srinu Babu JC-2726 and Shri V.Sai Babu braved the firing of extremists and had shown exemplary courage and moved forward, opening fire, at the cost of their personal safety and undeterred by the grave danger to their lives.

While the above exchange of fire was going on, Shri Devendra Singh Chauhan directed Shri Anjaneya Reddy, Deputy Assult Commander/RI, who was in the same party, to move his unit in such a way as to cover the left side. While the unit headed by Shri Anjaneya Reddy, Deputy Assault Commander/RI had moved some distance towards northwest direction, they found another group of extremists taking cover of small hillock across the nala. The party led by the Deputy Assault Commander/RI disclosed their identity as police and warned the extremists to surrender. The extremists who were on hillock on higher ground, instead of surrendering, opened fire on police party with AK-47 and other weapons, with an intention to kill them. On instructions of fire from Shri N.Shiva Prasad, Shri V. Srinivasa Rao took initiative and showed dedication to his duty by moving forward in the face of enemy fire by automatic weapons at great risk to his personal safety and life and opened fire on the enemy, in self-defense.

This is the first of the four EOF, that took place in this major operation . The EOF resulted in the death of 7 extremists (4 male and 3 female) and recovery of 1 AK-47, 2 SLRs, 2 .303 rifles, 2 SBBLs, 1 claymore mine, 3 Grenades, some live ammunition of AK-47, SLR, .303, 12-bore and Rs. 2 lakhs cash.

45—381 GI/2008

After sometime on hearing the sound of fire, the party headed by Sri Moses Babu, Deputy Assault Commander/RI and Sri G. Vijay Kumar, SI Cherla, started closing in towards the place from where the sound of fire was

coming. While the party was on move, Shri Devendra Singh Chauhan contacted this party on VHF set and instructed them to be alert as more groups of extremists were surfacing and trying to attack police parties. While the said party was approaching towards sound of fire, they sighted a group of extremists on hillocks. As soon as the extremists sighted the police party, they opened fire on Police. The Police party warned them to surrender, disclosing their identity and as the firing continued, opened fire in self defense. In this party, Shri G. Vijay Kumar SI, Shri A. Shiv Kumar AAC, Shri Sk. Aftab, Shri N V Narayana, and Shri V. Krishna have shown exemplary courage in adverse circumstances, braved the extremists fire and retaliated the fire.

In this EOF, 4 male extremists died and 1 .303 rifle, 1 8 mm rifle, 2 SBBLs, 1 scanner set, 1 landmine, 2 SLR magazines, 2 camera flashes and some live ammunition of .303, 8 mm and 12-bore were recovered.

Meanwhile, another party headed by Sri D. Adinarayana, DAC and comprising Sri B. Janardan Reddy, AAC, Sri Ramchander, SI Allaplly and Sri Rajaiah, SI Venkatapuram, also had an exchange of fire , when another group of extremists opened fire on them and the party retaliated in self defense , after duly warning the extremists to surrender.

This EOF resulted in death of 1 male and 1 female extremists, besides recovery of 1 .303 rifle, 2 grenades and some live rounds of .303 bore.

At around 1245 hours when the unit headed by Sri M.Srinivasa Rao, Deputy Assault Commander/RI was coming down from a small hillock after checking it, they also heard the sound of fire and decided to move in the direction of exchange of fire. After sometime, while the party was moving in the direction of exchange of fire, they sighted one more group of extremists on the edge of forest. The extremists, on sighting the police, opened fire by taking cover behind trees. Shri D.Srinivasa Reddy, Asst. Assault Commander/RSI) showing extreme dedication to duty, without caring for his personal security, moved forward and opened fire on the extremists.

This EOF resulted in the death of 4 extremists (2 male and 2 female) and recovery of 1 DBBL, 2 SBBLs, 1 Grenade, 1 camera flash, 1 manpack battery , 69 electric detonators, some live ammunition of SLR and 35 kit bags & literature.

In all, four exchanges of fire took place from around 0850 hours in the morning upto 1315 hours and ended when there was no further sound of fire from the side of extremists. All the four EOFs totally resulted in the death of 17 Maoists (11- Male and 6 Female) and recovery of 15 weapons (1-AK 47, 2-SLR Rifles, 4-.303 Rifles, 3- 12 Bore guns, 4- SBBL, 1-DBBL). Police also recovered 1-SLR Pouch, 2-SLR Magazines, 2-Land mines, 2-Grenades, 1-manpack, 67-Detonators, 9-SLR Rounds, 35-Kit bags and cash of Rs.2 Lakhs. It is the subject matter of Cr. No. 01/2008 U/sec. 147,148,307, R/w 149 IPC ,

120-B, 124(A) IPC, Sec. 25 (1) (a) 27 I.A. Act and Sec. 4 & 5 of E.S. Act of Pamedu Police Station of Bijapur District.

The cadres, who were neutralized in the EOFs includes Maturi Yadgiri @ Sagar, DCS Khammam. Apart from this, (9) important commander level underground cadres including 1) Bhagath @ Iythu, C.O. Kistaram, 2) Bhasker C.O. , Velirpad LOS, 3) Ongal C.O. CNM, Pamedu died in the Exchange of fire. This fierce exchange of fire that took place between Police parties comprising 8 Greyhounds units, Khammam District Police and the extremists of CPI (Maoist), lasted for around 4 ½ hours, and resulted in death of 17 hardcore extremists and recovery of lot of weapons. The above party displayed rare courage and dedication to duty by retaliating fire on the extremists who were firing on police party with automatic weapons, without caring for their lives and personal safety. This exchange of fire has proved to be the first serious blow to the extremists of CPI Maoist), in Dandakarnya Region of Chattisgarh State which was hitherto supposed to be strong hold of Maoists and declared as liberated zone by them. This had a tremendous positive impact in both the states, as Maoists were resorting to indiscriminate violence and killing of Policemen in Bastar area of Chhattisgarh. In the same Pamedu PS limits, on 02.11.2007, 11 policemen were killed by the Maoists. This operation has drastically demoralized the Maoists and boosted the morale of Police of both the States. This is so far the biggest encounter in the history of Left Wing Extremism in the Country.

In this encounter S/Shri Devendra Singh Chauhan, Superintendent of Police, N. Shiva Prasad, Reserve Inspector, M. Gagendra Kumar, Reserve Sub Inspector, M.A. Shukur, Sub Inspector, R. Srinu Babu, Constable, V. Sai Babu, Constable, V. Srinivasa Rao, Head Constable, A. Shiva Kumar, Reserve Sub Inspector, Saik Aftab, Constable, M.V.Narayana, Constable, V. Krishna Constable and D. Srinivas Reddy, Reserve Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th March, 2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 127–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **Jayanta Sarathi Borah,**
   Sub Divisional Police Officer
2. **Durga Kingkar Sharma,**
   Sub Inspector
3. **Dipak Tungkhangia,**
   Constable
4. **Prafulla Khakhlary,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 28/10/07 Shri Jayanta Sarathi Borah, APS, SDPO, Sonari, acting on a secret information regarding presence of the hardcore ULFA militants in the house of Shri Pramode Gogoi of village Bhalukanigaon (PS- Kakotibari, Dist: Sivasagar) conducted raid there to nab the militants. At about 14.30 hours, the Police party led by Jayanta Sarathi Borah came under heavy fire. The extremists also lobbed a hand grenade tragetting Jayanta Sarathi Borah and his party. Soon Jayana Sarathi Borah commanded his party to take position and started firing with his service weapon exposing himself to extremist firing. This motivated S.I. Durga Kingkar Sharma, ABC 25 Dipak Tungkhangia and ABC 38 Prafulla Khakhlary and all of them quickly retaliated leading to fierce encounter. One hardcore ULFA militant was killed due to timely and quick retaliation by Jayanta Sarathi Borah and his party. The other militants escaped through paddy fields under cover of thick bamboo bushes. One Belgium made Pistol, One Magazine, 4 rounds live ammunitions and few incriminating documents were recovered from the site of encounter. The killed militant was identified as SS Sgt. Maj. Ananta Duwara @ Anirban Basumatary of Village-Singlopathar, P.S-Mathurapur, Dist: Sivasagar and was kingpin of extortion by ULFA militants in Sivasagar.

In this encounter S/Shri Jayanta Sarathi Borah, Sub Divisional Police Officer, Durga Kingkar Sharma, Sub Inspector, Dipak Tungkhangia, Constable

and Prafulla Khakhlary, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th October, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 128–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/SHRI

1. **Shyamal Prasad Saikia,**
   Superintendent of Police
2. **Kumud Chetia,**
   Sub Inspector
3. **Tarun Dowarah,**
   Armed Branch Constable
4. **Dhurba Das,**
   Armed Branch Constable
5. **Jebul Ali,**
   Armed Branch Constable
6. **Madhu Chouhan,**
   Armed Branch Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 31.3.07 in the morning at about 8.40 A.M. a secret information was received by SI Kumud Chetia, O/C Demow PS regarding presence of ULFA extremists in village Chakalapath under Demow PS . Accordingly a joint search operation was launched by SI Kumud Chetia, O/C Demow PS and other police personnel and the officers & men of 174 and 136 Field regiment of Army. While the search operation was in progress, the ULFA militants fired upon the Security forces from the house of one Shri Jiba Gogoi resulting injuries to Major Swapnish Parihar of 174 Field Regiment who was immediately shifted to AMCH, Dibrugarh for treatment. On retaliation, the operation team also gunned down one hardcore ULFA extremist who was finally identified as self-style Sergent Major Tirtha Chetia @ Biplab Konwar of village Hawparachuck, Nitaipukhuri, PS Demow of Sivasagar district. On getting this information, Shri Shyamal Prasad Saikia, APS, Supdt. of Police, Sivasagar immediately rushed to the spot alongwith the other officers and police personnel and found that firing between the ULFA extremists and police team was continuing. Immediately Shri S.P. Saikia, APS, Supdt. of Police, Sivasagar took over the charge of the operation with reinforcement and started mounting attack on the ULFA

46—381 GI/2008

extremists. The operation under his leadership also continued for more than (45) forty five minutes. During subsequent encounter another desperate ULFA extremist got killed who was later identified self-style Corporal Nandeswar Mohan (Boruah) @ sarudhai @ Bipul Mohan of village Japihojia PS- Bakata, Dist. Sivasagar, Assam. When the encounter was over, the entire house and the campus was thoroughly searched and a huge cache of Arms, Ammns, Explosives items for making IED/Bomb and incriminating documents were recovered from the house. In this connection a case was registered vide Demow PS case No. 21/07 u/s 307/326/353/120 (B)/121(A)/R/W sec. 25 (1) (A) Arms Act R/W Sec. 10/13UA(P)R/W Sec. 4/5 E.S. Act.

In this encounter S/Shri Shyamal Prasad Saikia, Superintendent of Police, Kumud Chetia, Sub Inspector, Tarun Dowarah, Armed Branch Constable, Dhurba Das, Armed Branch Constable, Jebul Ali, Armed Branch Constable and Madhu Chouhan, Armed Branch Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31st March, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 129–Prcs/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Anand Prakash Tiwari,
Sub Divisional Police Officer

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 28th August'07 at 1830 hrs Shri Anand Prakash Tiwari received an intelligence input about the presence of a group of hardcore ULFA terrorists at village- Baragog, PS-Kamalpur, District- Kamrup, Assam. The officer immediately carried out detailed planning and along with a team of one S.I of Police and five constable moved towards the village located at distance of about 25 K.M. from Rangia.Following the intelligence input, he moved with tactical skills and stealthily approached the house in which the terrorist was taking shelter. Approximately 50 meters short of the house he stopped the party and briefed all the police personnel. Anand Prakash Tiwari along with two constable crawled and closed in towards the target room. On taking position, he challenged the terrorist, the terrorist immediately open fire with A.K. Rifle and lobbed a grenade. The SDPO immediately fired back at the terrorist and dashed to one side of the house for self defence. One of the constable namely, Moinul Haque Lashkar received splinter injury and his weapon also got damaged by terrorist fire. The SDPO approached to the injured constable and evacuated him. The terrorist was intermittently firing from the house. The SDPO along with Constable Dwijen Kalita continued firing. The gunfire continued for 40-45 minutes . Due to the explosion of grenade by the extremist one of nearby house caught fire.

While keeping close vigil on the house, the SDPO called for reinforcement. At around 2330 hrs, the reinforcement reached the P.O. After readjusting and placing the reinforcement party, the house searched and a dead body of a terrorist along with his personal weapon and belongings were recovered.

The slain militants was later on identified as self styled sergeant Major Niranjan Bejbaruah @ Randeep Sharma @ Bhagin R/O Jabangpar, Naokata, PS- Goreswar, District Baksa, Assam of 709 Bn of the banned outfit of United Liberation front of Assam.

In this encounter Shri Anand Prakash Tiwari, Sub Divisional Police Officer displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th August, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 130–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ratneswar Barman,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 7.2.2007 morning, based on a secret information about movement of KLNLF (Karbi Longri N.C. Hills Liberation Front- an under ground extremist organization) cadres in general area of Biswanath Pathar- Boghómatari under Uttarborbil O.P. , a search operation was planned by SI R. Barman, I/C Uttar Borbil O.P., the recommendee. He deployed the CRPF platoon to search Biswanath Pathar area, and he himself moved ahead towards Baghomatri area, alongwith Commando personnel in civil dress and civil vehicles, disguising themselves as insurgents, since moving in uniform invites attention by informers of the insurgents who in turn alert them at their hideouts foiling the efforts of the security agencies. The Police team moved in 2 Motor cycles and one Tata Mobile vehicle, in a bid to deceive and also prevent IED attack. After reaching Mon Phangso gaon of the Boghomtari area, the Police team was lying in an ambush near the Mon Phangso gaon to observe movement of extremists. At about 1255 pm they spotted 3 persons coming from opposite direction on cycles. But seeing the Motor cycle and the vehicle, the cyclists at an distance of about 100 mtrs, suddenly turned back and tried to escape towards the jungle. The police team asked them to stop, but the cyclists, leaving behind the cycles, started running towards the nearby hill. The recommendee chased them on the bumpy village road by his motor cycle but the extremists started firing back at the police team with automatic weapons and hence he had to abandon his motor

cycle and taking / cover he advanced towards the extremists. The extremists cleverly split into two groups. One extremist fleeing towards a thick jungle side in south direction whereas the other two started climbing together up a hill structure towards east. The police team, on low ground was at disadvantage, being in clear view and line of fire of the extremists who were by now trying to escape to the heights and at the same time kept firing towards police team below. Despite being at a disadvantaged location, the recommendee showed exemplary courage and chased the two extremists on higher ground by taking cover behind a tree and also directed another group of commando personnel to chase and reply the firing coming from the 3rd extremist who was fleeing to the right of them in the jungle and undergrowth. The exchange of Fire continued for nearly one hour and police had to fire 2 HE bombs too, to dent the fire power of the extremists hiding on the high ground and firing at the police below. The Recommendee maintained the pressure and courageously stood the ground and directed the Fire towards the extremists. Finally when the firing stopped, the Police team cautiously advance towards a huge boulder about 100 mtr. away and found one extremists lying dead. One 9mm pistol and the ammunition was recovered from the spot. The slain extremists was later identified as Lieut Biplob Changmai, a very senior leader and organizing Secretary of the 27 Bn ULFA which is active in Karbi Anglong district and which was jointly operating with KNLF. These two extremists Orgn had earlier caused the IED blast on 6th January'07 where 7 persons including policemen had lost their lives.

In this encounter Shri Ratneswar Barman, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th February, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 131–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **Jadav Gogoi,**
   Sub Inspector
2. **Jalalludin Ahmed,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 31.07.2006, based on a secret information received by the S.P,Dhemaji that about 4/5 ULFA cadres armed with sophisticated weapons and explosives were taking shelter in the house of one Sri Dhanai Barman of village Lakhipathar P.S. Gogamukh under Bordoloni O.P, the S.P. Dhemaji alongwith the Addl. S. P (HQ) and staff rushed to Bordoloni O.P. There a plan was made to nab the extremists in this remote and inaccessible village. Three teams were formed to launch the operation. Two teams were given the task of cordoning the village and they were sent from separate directions. A striking team under the leadership of the S.P. and the Addl S.P, Dhemaji and 10 others armed with AK-47/SLR rushed to the village Lakhipathar on foot in scorching heat which is about 10 KM inside from the Bordoloni O.P. The other two team detailed for cordon duty comprised of CRPF 52 Bn 'B' Coy camp Gogamukh. The striking team comprising of all the recommendees arrived at the village at about 2.30 PM the same day. As soon as the Police party reached near the house of Sri Dhanai Barman, three ULFA cadres armed with Sophisticated Arms and explosives started running away. The police party shouted at the fleeing ULFA boys to surrender but they started firing at the police party. Police also retaliated in order to stop the fleeing militants but the militants continued to fire at the Police party. Meanwhile, one militant surrendered with one M.20 Pistol and 16 rds of live ammunitions along with a huge number of documents. The other two militants who were still running took position in two different houses and one of them started firing taking cover of the house from his AK-56 riffle. Police personnel persued the militants at the risk of their lives. The area being a populated one police resorted to controlled firing with a view to prevent any unnecessary loss of human life and property. The militants lobbed a hand

grenade at the police with a view to kill so that they could escape. Because of the continuous firing by the militants one elderly person, namely, Dhiren Barman sustained injuries on his back and one domestic cattle died at the spot. Seeing no other alternative and to save lives and livestock in a populated area, the police party by putting their lives at risk approached the hideout of the militants to nab them alive. One of the militants, taking the opportunity surrendered but the other militant kept firing at the police. The police personnel also retaliated and during the exchange one militant sustained bullet injury and was caught. The injured militants was immediately shifted to the Dhemaji Civil Hospital for treatment with the help of local villagers but the militant was declared dead at the Dhemaji Civil Hospital by the attending Doctor on arrival. During the interrogation the arrested militants identified themselves as (1) S/S CPL Bhoben Sonowal (22 Yrs) @ Biplab Kachari S/O Shri Sumeswar Sonowal of village Borbam Kachari Gaon P.S. Gogamukh and (2) S/S CPL Anil Basumatary @ Gadapani (33 years) S/O Shri Thaneswar Basumatary of village Simaluguri Bihpurai P.S. Bihpuria, District Norht Lakhimpur and also revealed that the slain militants was self styled Sergeant Major and 2 –IC of C Coy 28 Bn ULFA Mrinal Hazarika @ Bhaskar Baruah S/O Lt. Khageswar Hazarika of village Ratanpur P.S Majuli. He was the prime accused in the famous kidnapping and murder case of the social activist Sonjoy Ghosh at Majuli. The militant group under the leadership of the slain militant was involved in a series of Anti-national activities viz extortion/attack on the civilian and security personnel by throwing of hand grenades and planting of IED's at Dhemaji Parade Ground on 15th Aug'04 where 10 School Children and 3 women died, etc.

In this encounter S/Shri Jadav Gogoi, Sub Inspector and Jalalludin Ahmed, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31st July, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 132–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Andaman & Nicobar Islands Police:

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri G. Shaji, (Posthumous)
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 20/03/2008 at about 0040 hours, while on night duty at Police Station, Chatham, HC, G. Shaji received an information over VHF set from beat duty Constable (PC/551) Ratan Kumar Singh, also of PS Chatham that pilferage of large quantity of Diesel was taking place from MV Philokunji (Government vessel) berthed at Chatham Jetty. The message further alerted that on seeing the police patrol, the miscreants had fled away in one dinghy loaded with pilfered Diesel and left behind another dinghy. Immediately HC G. Shaji, accompanied by PC Amit Thalukdar reached the spot, which is about half k.m. from the Chatham Police Station and saw that one dinghy with stolen property was drifting near the boat MV Pilokunji. Being duty conscious, HC G. Shaji, who was in uniform, immediately went down the drifting dinghy to secure the same, being case property. At that very moment, while HC G. Shaji was on the dinghy in the sea, four miscreants came back to the spot in other engine dinghy and tried to snatch away the first dinghy forcibly from his custody. HC G. Shaji resisted their efforts and repulsed their attacks. Though the perpetrators were more in number and also equipped with ores, dah etc. HC G. Shaji fought with them bravely and without caring for his life held on to the dinghy. As the aggressors could not succeed in getting the better of him, one of the assailants, Abdul Nawaz attacked him (HC G. Shaji) with a dah on his head. Though severely wounded, late HC G. Shaji continued the battle till he was pushed into the sea. The heroic fight put up by HC G. Shaji resulted in the main culprits being identified and led to a final total of sixteen arrests. The dead body of HC G. Shaji could be retrieved from the sea only in the morning at about 6.00 a.m. with the help of Coast Guard drivers. A case crime No.66/08 dated 20/3/08 u/s 302/409/411/392/34 IPC was registered at PS Chatham and subsequently persons involved in the murder & theft/ pilferage of oil were arrested and case

property recovered. The deceased HC Shaji has left behind two minor children aged 7 & 5 years and young wife aged 25 years. The following items have been recovered during the action:-

(i) 2 Mono block pump with heliflexible pipe and electric cable from on board M.V.Pilokunji,
(ii) Cash Rs.14,585 pocket telephone note book log book of MV Pilokunji from the Cabin of Master of the vessel MV Pilokunji,
(iii) Weapon of offence i.e. one dah.
(iv) One mobile phone belonging to accused Appanna (Engineer of MV Pilokunji)
(v) One Mobile phone Sony Ericson found lying in the engine dinghy berthed along side MV Pilokunji.
(vi) 55 empty plastic drums from Chouldari No.10, Lal Pahad and Stewart Nallah.
(vii) 4 wooden engine dinghies.

In this encounter (Late) Shri G. Shaji, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th March, 2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

48—381 GI/2008

No. 133–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Bihar Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

1. **Smt. K.S. Anupam,**
   Superintendent of Police
2. **Shri Sanjay Kumar Pandey,**
   Sub Inspector
3. **Shri Prem Sagar,**
   Sub Inspector
4. **Shri Brijkishore Prasad,**
   Junior Commando
5. **Shri Rajeev Kumar Yadav,**
   Junior Commando
6. **Shri Dinesh Kumar yadav,**
   Junior Commando

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 17/01/2005 at about 2100 hrs after receipt of information about assemblage of a very long time fugitive (since 1988) violent and stiff necked criminal, Sahendra Sharma and his gangsters in village Itmadi under Beldaur P.S. to commit some heinous crimes, Smt. K.S. Anupam, IPS, S.P. Khagaria directed officers in charge Beldaur, Chautham, Mansi and other PS.s. and STF to depart immediately with their armed forces and rushed herself to the rendezvous of the criminals with her armed force. Being well acquainted with intricate topography of the riverine terrain of Itmadi village, she briefed the assembled force suitably how to cordon the targeted village and deployed the officers and men accordingly. By 0400 hrs on 18/01/2005 Itmadi stood cordoned. The raiding police party including SI Sanjay Kumar Pandey led by SP Khagaria pushed ahead from the north and another led by SI Prem Sagar advanced from the north east. At this, the criminals started indiscriminate firings on advancing police party. Finding that the criminals bullets might hit the raiding party, she signaled her men to take lying position and alerted other parties through wireless. The SP and the members of the raiding party asked the arrogant criminals to lay down their arms and surrender but they were in no mood to pay heed to their calls of warnings. The criminals were in an advantageous position having entrenched themselves in gorges behind raised banks whereas the police party was constrained to take the position in the open as they had to be close and near the dry rivulet bank to be effective. Even in the face of indiscriminate firings, showing great leadership

quality and courage, SP Anupam alongwith her men, crawled forward towards the criminals without bothering their personal safety. This made criminals more violent and they intensified the firing. Conceiving gravity of the situation and finding no option, the leader ordered to open restricted and controlled fire in self defence as the situation demanded. The criminals on the other hand, continued indiscriminate firings. Heavy exchange of fire took place between the police party the criminals for nearly six hours. During the encounter, 15-20 criminals taking advantage of the situation, fled towards south eastern corner taking shelter of the depth of rivulet's basin and disappeared in dense grown up crop fields. Efforts made to apprehend them proved futile. After a long fierce encounter at about 1100 hrs when firing had completely stopped, the police party proceeded ahead cautiously and found four criminals dead with a large cache of arms and ammunitions which included one regular 30.06 semi automatic rifle, 190 rounds of live 30.06 cartridges and .303 loaded regulard looted police rifle. The dead criminals were identified by villagers as (1) Sahendra Sharma (gang leader) (2) Nandan Sharma (3) Sanjay Sharma (4) Maheshwar Thakur. It was indeed a very challenging encounter. The dreaded Sahendra Sharma was a terror in the area and FIR accused in at least 33 criminals cases of carnages, murders, extortions, kidnappings and loot of rifles etc. in various Police Stations of Khagaria and its neighbouring districts. His cruel barbaric criminal acts are best symbolized by his killing of 16 persons in one incident and then cutting dead bodies into pieces before tossing them in Kosi river. On 15/08/2005 he and his gang attacked the venue of the flag hoisting ceremony underway in Beldaur High School and brutally killed one police constable and grievously injured another 3 innocent villager and looted 2 police rifles. These incidents epitomize the destructive instinct and the terror he created in the minds of the people of Kosi diara. A long chequered antecedents as mentioned in Supervision Note of Beldaur P.S. Case No.05/2005 u/s 307/353/34 IPC and 25 (1-B)A 26/27/35 Arms Act speak a volume of his reckless terrifying criminality and propensity for violence.

In this encounter S/Shri (Smt.) K.S. Anupam, Superintendent of Police, Sanjay Kumar Pandey, Sub Inspector, Prem Sagar, Sub Inspector, Brijkishore Prasad, Junior Commando, Rajeev Kumar Yadav, Junior Commando and Dinesh Kumar Yadav, Junior Commando displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th January, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 134–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry/ 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Bihar Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1.	**Sunil Kumar,** **Senior Superintendent of Police**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**Karm Lal,** **Inspector**	**(PMG)**
3.	**Chhattu Singh,** **Havildar**	**(PMG)**
4.	**MD. Mukhtarul Haque Ansari,** **Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 29.08.2002 at about 13-15 hrs, Sr. S.P. Patna, Sri Sunil Kumar, IPS received a secret information from one of his reliable sources, that the chief of the banned Ranveer Sena Brahmeshwar Singh alias Mukhiyajee was staying at a secret hide out along with his confidants in one of the flats of India Machinary Building at Exhibition Road which was under Gandhi Maidan Police Station. They were planning to commit some carnage like the previous ones, and with this object he was having discussions on the strategy and other allied matters. The informer also mentioned that armed squads, equipped with sophisticated weapons, were deputed around the flat in which Mukhiyajee with his confidants was staying. Their escape was apprehended if they were not raided without loss of time. This tip off required an instantaneous response. Given the paucity of time, it was not possible to get adequate force lined up. There was no alternative for Sr. S.P.other than to rush immediately with available forces. Irrespective of consequences and armed with his service revolver only, he started out immediately for the Exhibition Road on his Gypsy along with Driver Constable Md. Mustafa and his security guards-armed Havildar 51 Chhatu Singh, armed Const. Md. Mukhtarul Haque Ansari and Inspector Karm Lal, armed with his service revolver, who was readily available. This small Police Party raided the flat on the 3rd floor of the said building. The Ranveer Sena cadres had the least expectation of such a confrontation in broad daylight and

were taken unawares. The armed squads also, who were reportedly guarding at the flat, were not given time to retaliate and were surprised as the arrival of the Police causing chaos among them and they tried to dodge the Police and escape. They entered into a physical fight, pushed the Police personnel with vigour and force to extricate themselves from the Police net. Some tried to slip on the terrace and others took to the stair case. Here were men in uniform, determined and totally focused on the job in hand. The nominees, under the skilful leadership of Sr. S.P.Patna, Sri Sunil Kumar, IPS, put their best. Taking advantage of element of surprise in face of imminent danger and physical encounter, Brahmeshwar Singh alias Mukhiyajee and his 5 (five) associates were rounded up, overpowered and arrested. It was all done so swiftly and tactfully that Mukhiyajee and his associates could not escape. On interrogation, they gave out their names and addresses. Their names were as follow: -

1. Bahameshwar Singh alias Mukhiyajee, the supremo of Ranveer Sena (Bhojpur district)
2. Shiv Bachan Sharma of Gaya district.
3. Krishna Nandan Chaudhary of Bhojpur district.
4. Manish Kumar of Patna district.
5. Ravinder Sharma of Patna district.

The seizure of original papers from the hideout were minefield of information and show the existence of a dreaded militant outfit with immaculate training methods on military pattern, expertise in explosives etc, Brahmeshwar Singh had plans to give the Ranveer Sena a Pan Indian outlook. The names of persons and villages targeted by Ranveer Sena figured in the seized papers. The budget of Ranveer Sena ran in crores. Most importantly the arrest has prevented further massacres of many innocents.

In this encounter S/Shri Sunil Kumar, Senior Superintendent of Police, Karm Lal, Inspector, Chhattu Singh, Havildar and MD. Mukhtarul Haque Ansari, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal/ 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 29th August, 2002.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 135–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Chhatisgarh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **Ratan Lal Dangi,**
   Superintendent of Police
2. **T R Koshima,**
   Sub Divisional Officer Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 12.07.2006 Shri Ratan Lal Dangi Superintendent of Police Bijapur received a reliable intelligence from a local source about the presence of nearly 150 naxalites in the forest area of Hallur and Fuladi who were planning to attack the 'Salwa Judum Relief Camp, and the Police station. Based on the information a special operation was immediately planned by Sh.R.L. Dangi in consultation with Comdt. 138 Bn, CRPF, ; Comdt 31 Bn, CRPF; Shri T.R Koshima ASP Bijapur and K.L.Nand, Sub.Inspr PS Mirtur. As per plan R.L.Dangi Supdt. of police and Sh. T.R.Koshima, A.S.P. Bijapur along with police party left Mirtur at night on foot in spite of bad weather conditions. On 13.07.2006 at about 1245 hrs. when the operational parties were near the Phuladi jungle area, the naxalites suddenly started firing heavily on the troops. The troops immediately took position and retaliated. The Naxalites were nearly 150 in number and firing with automatic weapons like AK-47 , SLR, LMG etc. on the police party from dominating places using rocks and trees as shields. The troops due to a disadvantageous terrain were finding difficulties in countering them effectively. Realizing that the police force was at a disadvantage due to the terrain, the naxalites started blasting IEDs {improvised explosive devise } and from behind cover of rocks and trees and started heavier firing on the police. R.L.Dangi immediately divided the police in two groups, leading one himself and the other by T.R. Koshima. R.L.Dangi along with his party moved towards the right side and T.R. Koshima along with his party cordoned off from the left side. Seeing the police party advancing the naxalites started throwing Molotov cocktails which caused the dry bushes to catch fire and the advancing force had to look for cover, thus stopping their advance. Realizing the difficult situation, Sh. R.L.Dangi showed high professional acumen and admirable presence of mind and without caring of his life, he crawled nearly 150 mtrs, observed the

terrain and position of the naxalites and chalked out a strategy. He told T.R. Koshima to keep the naxalites engaged while Sh. R.L.Dangi from the other flank inspite of heavy enemy firing along with his party crawled nearly 350 meters and managed to go close to the place from where the naxalites were firing at the party. Sh. Dangi was leading the troop from the front, and while he was advancing, two of the naxalites noticed the position of Sh. Dangi and fired at him. Sh Dangi swiftly changed his position to escape the enemy bullets. Showing conspicuous valour lobbed an HE Grenade and simultaneously fired killing two naxalites. The fall of the two naxalites proved to be big blow to the others who started fleeing. On subsequent search of the encounter site the Police recovered 01 land mine with detonator & 200 Meters electric wire, 2 sets of bows and arrows, naxalites literature, pressure bombs, 14 empty cases of AK-47, 04 live rds and 04 empty cases of SLR (7.62), 4 empty cases of .303 rifle, 07 live rds of 315 bore gun and 01 Pitthu bag containing things of daily use. The identity of the two naxalites killed were established as (1). Hemla Fagu S/O ZBuchha, Muriya 32 year, Vill-Fuladi, (2) Dilip Kumar, 22 year Muriya Vill-Pusnar PS Gangalur.

In this encounter S/Shri Ratan Lal Dangi, Superintendent of Police and T R Koshima, Sub Divisional Officer Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13th July, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 136–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Chhatisgarh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **Sunderraj P.,**
   Superintendent of Police
2. **K L Dhruw,**
   Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 01.7.2006 Shri Sundarraj. P. Superintendent of Police, Narayanpur received a reliable intelligence from his source about the presence of nearly 100 armed naxalites in the forest area of Atturbeda village along Narayanpur-Antagarh road. He learned that the naxalites were planning to attack and kill security personnel deployed in the nearby location and loot their weapons. Shri Sundarraj. P. planned for a special operation in consultation with Shri K.L. Dhruw Dy. S.P. and his officers and men to cordon off the armed naxalites and to nab them. As per his plan the Superintendent of Police and his men boarded their vehicles and immediately reached the Atturbeda village and the SP divided his force into three parties to nab the armed naxalites. But the armed naxalites after realizing that Police party is nearing them, slipped into the adjoining forest area. While returning towards Narayanpur, on 1.7.06 at about 1700 hrs when the police party were nearing the Anjrel jungle. i.e, between 10th and 11th km milestone on the Narayanpur-Antagarh road, the armed naxalites who were waiting in an ambush fired upon the police party with the intention of killing the police men sitting inside the vehicle. The Superintendent of Police, immediately took control of the situation and ordered his men and officers to debus from their vehicles and took position on the other side of the road. The naxalites were nearly 100 in number and firing with automatic weapons like AK-47, SLR,LMG etc, on the Police party from dominating places using rocks and trees as shield. After realizing that the life of his men is at risk, the S.P. ordered his men also to open fire in self defense. He immediately organized his men and officers into right flank party, left flank party and main attack party to counter the heavy firing by naxalites. The S.P., in spite of heavy firing from the naxalites courageously led the main attack party and ventured inside the jungle to counter the naxalies. K.L. Dhruw led the left flank. Under the able leadership and guidance of the S.P. Sunderraj P. and K.L. Dhruw , the right and left flank parties also cordoned the area form their respective sides. This shows the mental toughness of Superintendent of Police Sunderraj. P. and his capability to take

initiatives even under critical situations. Shri Sundarraj P. showed high professional acumen and admirable presence of mind and without caring for his own life and safety crawled about 100 mts towards the direction of firing ignoring the difficult terrain and bullets passing over his head. He observed the terrain and location of the naxalites and chalked out a strategy and later encouraged his men also to tactically advance forward by crawling and in low-lying positions. This tactical approach of the SP helped in preventing casualty among the police force. When he along with his party further advanced inside the jungle , he could spot few armed naxalites positioned in a strategical location were firing with weapons like AK-47, SLR, .303 rifles, barmar rifles. The bullets were passing few inches away from the body of the S.P. He and his men had a narrow escape. The S.P. realized that if the armed naxalites were not neutralized the life of his men and officers are at risk, because the naxalites were in a better firing position. So he decided that he and his men also should retaliate back heavily. He took the initiative and boldly risked himself to bear the main brunt of naxalite firing and by rare courage and valour in the time of crisis, Shri Sundarraj. P. advanced forward by crawling and indulged in direct assault with the naxalites without caring for his own life and safety. He asked DSP K.L. Dhruw to advance from the left flank and engage the enemy. K.L. Dhruw along with his party crawled forward amidst heavy enemy fire and without caring for this own safety engaged the naxalites from one side so that the main assault party could advance and close in on the naxalites. The Superintendent of Police located two armed naxalites dressed in olive green uniform were in a dominating position and firing upon him and his men. The Superintendent of Police challenged the armed naxalites with his AK-47 rifle and he successfully neutralized the armed naxalite firing with their weapon and two of the naxalites died on the spot. The daring and tactful act of Shri Sundarraj. P. and K.L. Dhruw not only ensured the safety of his men but also naxalites lost their main strategic position. This offensive action planned and executed by the S.P. and K.L. Dhruw caused panic among the naxalites and they withdrew from their ambush by dragging the injured naxalites and the dead bodies of few naxalites. But the S.P. continued with his offensive operational plan, which made it difficult for the naxalites to remove two more dead bodies from the spot. During the search operation, two dead bodies of the naxalites along with two countries made rifle could be recovered. Both of the dead naxalites were wearing olive green uniforms. The identity of the dead naxalites could not be established immediately but later they were identified as (1) Samlu (@) Chamlu s/o Jagru, Age 27 yrs, Village Godagaon, Abujmaad region (2) Gangaram s/o Lakma aged about 30 yrs, village Thadonar Abujmaad region. During subsequent search operation the Police Party recovered 02 country made rifle, two tiffin box bomb, electric wire, detonator, 168 rounds of empty cases, 06 battery cells and a polythene container containing about 06 kgs of explosive

50—381 GI/2008

materials, naxalites literature and daily use articles. One pressure mechanism mine was detected and the S.P. along with K.L. Dhruw Dy. S.P. (HQ) safely defused it, thus saving life of his own men and officers.

In this encounter S/Shri Sunderraj P, Superintendent of Police and K L Dhruw, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st July, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 137–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Haryana Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Narender Singh, **(Posthumous)**
Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 5 January, 2008, at about 10.30 P.M. an information was received from Control Room, Jind, that two parties were quarrelling with each other in Balmiki Basti, Ramrai Gate, Jind. On receipt of this information, ASI Narender Singh, HC, Dilbag Singh, HC Ravinder Singh, HC Atma Ram, HC Umed Singh, Constable Sajjan Singh and Constable Rohtash Singh. P.S. City Jind rushed to the place of occurance in a Govt. vehicle. When the Police Party reached near the place of occurrence they found both the parties throwing Brick bats/Stones at each other. ASI Narinder Singh, who was incharge of police party, asked the two sides to stop this violent action. However, when alongwith the police party he reached in the front of the house of one Bhagirath, the police party was also attacked with stones due to which ASI Narender Singh received a serious head injury and become unconscious and fell down to the ground. He was brought to Civil Hospital, Jind for medical treatment, where he was declared dead. In this regard a case FIR No. 10 dated 06.01.2008 u/s 302/353/148/149/186 IPC P.S. City Jind was registered on the statement of HC Dilbagh Singh, 167/Jind.

In this incident (Late) Shri Narender Singh, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th January, 2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 138–Pres/2008- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Haryana Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Arun Singh,
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Satinder @ Kala S/o Ishwar, Jat R/o Kurar P.S. Murthal, Sonu @ Sinu S/o ramphal Jat R/o Kurar, P.S. Murthal Neter Pal S/o Jai Karan Jat R/o Kurar P.S. Murthal had committed several heinous crimes like murders, attempt to murder, loot, dacoity, kidnapping and they had also committed another ghastly act of murdering two innocent young boys namely Naveen S/o Lakhi Ram Jat and Amit S/o Suresh both R/o Vill. Kurar and had seriously injured Deepak S/o Dharambir R/o Kurar by inflicting gunshot wounds on him. In this connection, a case FIR No. 118 dated 20.08.2006 u/s 302/307/34 IPC and 25/54/59 Arms Act was registered in Police Station Murthal District Sonepat. A reward of Rs.50000/- and 15000/- was announced by the State Govt for the arrest of Satinder @ Kala S/o Ishwar and Sonu @ Sinu S/o Ramphal both R/o Vill. Kurar respectively. On 03.09.2006 a secret information was received that Satinder @ Kala and Sonu @ Sinu both R/o vill Kurar were travelling towards village Nakloi, district Sonipat on a black colour Hero Honda motor cycle without a license number-plate with the purpose of committing a heinous crime. On receiving this information at about 12.40 p.m. Shri Arun Singh divided the police party into three parts and formed the raiding parties. He however, flashed V.T. Message to control room Sonipat to inform the other SHOs's of the Police station to reach the spot. He himself proceeded towards village Bhatgoan and Nakloi, without awaiting the additional force to come. In the meanwhile both the dreaded criminals Sitender and Seenu might have slipped away. When the raiding parties under the command of Arun Singh DSP Gohana reached at Nakloi road, two boys were seen going on black motor cycle. Both the boys took turn towards a Kucha Path, but they had to leave the motor cycle as the same was stucked in the mud and they started running towards the cluster of trees and took shelter behind the trees. These boys were identified as Sitender and Seenu by some members of the raiding parties. DSP Arun Singh directed

the raiding parties to surround them from all the four directions. However he himself was leading one of the raiding parties from the western side and was directly facing Setinder and Seenu. Shri Arun Singh exhorted and warned them to surrender before the police but instead they started firing upon the raiding party headed by DSP Arun Singh, but Shri Arun Singh saved his life by falling himself on the ground. Shri Arun Singh ordered the raiding parties to open fire on Sitender and Seenu in their self defence. Firing continued about half an hour from both the sides. After some time when the firing was stopped from the criminals side, the raiding parties reached near both of the accused where they were found seriously injured. The injured Satinder @Kala and Sonu @ Sinu later succumbed to their injuries while being evacuated to Civil Hospital. In this entire incident Shri Arun Singh, DSP displayed exceptional courage, industry and diligence towards the duties assigned to him despite the risk to his own life. The following arms/ammunition were recovered from the site:-

(i) One Revolver Country Made .32 bore, (ii) 3 live catridges & 3 Empty cartridges, (iii) one Revolver made in Bormingham .38 bore, (iv) one alive cartridge & 5 Emptry cartridges, (v) one automatic Pistol made in China & 2 live cartridges, (vi)one empty cartridge and one pistol Country made .315 bore & (vii) one empty cartridge.

In this encounter Shri Arun Singh, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3rd September, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

51—381 GI/2008

No. 139–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **Mohd. Zahid,**
   Deputy Superintendent of Police
2. **Arshid Khan,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 20.04.2006, on specific information provided by SSP Anantnag regarding the presence of terrorists in general area of Babagund, Matan, a joint team of SOG Srigufwara, 3RR, 95 and 93 Bn. CRPF carried out cordon and search operation in the said area. The hiding terrorist came out and started firing upon the police party indiscriminately. The fire was retaliated and the terrorist was forced to surrender but he continued firing. Due to brave efforts of Shri Mohd. Zahid, Dy.S.P. and SI Arshid Khan, the terrorist was not allowed to enter in any residential house as there was apprehension of big damage and casualities. Shri Mohd. Zahid, Dy.S.P. was leading the police party from one side while as SI Arshid Khan also advanced from another side to cover up the terrorist. On seeing, the terrorist immediately managed his entry in a nearby mosque, but Shri Mohd. Zahid followed him by jumping into the mosque. While as SI Arshid Khan also advanced from another side and managed his entry in the said mosque tactfully. Both the officers planned a strategy there to force the terrorist to come out from mosque and to conclude the operation without any damage to said mosque. Due to the commendable and gallant action shown by these officers the terrorist who was forced to come out from mosque and was neutralized. The slain terrorist was identified as Mohd. Yousuf Bhat @ Fareed Khan S/O Gh. Mohd. Bhat R/O Akura, who was active since last 10 years and was self styled Bn. Commander of HM outfit. However, no civil casuality or damage to private property/ mosque took place during the operation. The following quantity of arms/ammunition were recovered:-

01.	AK Rifle	=01 No.	02.	Magazine	=01No.
03.	AK Amn.	=13 Rds.	04.	Grenade	=02 Nos. (destroyed in situation)

In this encounter S/Shri Mohd. Zahid, Deputy Superintendent of Police and Arshid Khan, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th April, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 140–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Rohit Baskotra,
Deputy Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 26.01.2007 on specific information provided by SSP Anantnag regarding the presence of terrorists in general area of Kachwon. A joint team of SOG Kokernag, 36 RR, 157 Bn. CRPF cordoned the specific area. During the search, the terrorist opened fire on the search party. The terrorist were asked to surrender but instead they resorted to firing upon search party. The police party under the command of Shri Rohit Baskotra retaliated in a professional manner and with out caring for their precious lives killed one dreaded terrorist namely Shareef Khan @ Awarngzab @ Peer @ Baji on spot. In the said encounter Shri Rohit Baskotra, Dy.S.P. SOG Kokernag fired 141 rounds from his service rifle i.e. AK-47. The gallant action of Deputy Superintendent of Police Rohit Baskotra was exemplary one and appreciated on spot by the general public as no damage or any civilian casualty took place during the operation. The following quantity of arms / ammunition was recovered: -

01.	AK Rifle	=01 No.	02.	Magazine	=02Nos.
03.	AK Amn.	=50 Rds.			

In this encounter Shri Rohit Baskotra, Deputy Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26th January, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 141–Pres/2008- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/SHRI

1. **Abdul Ghani Mir,** **(1st Bar to PMG)**
   Senior Superintendent of Police
2. **Muzaffar Ahmad,** **(PMG)**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 04.05.2007, a specific information was received by SSP Anantnag indicating presence of terrorists in general area of Khailhar Nagam Kocrnag. A joint team of SOG Anantnag, P/S Kokernag, 93 Bn. CRPF and 95 Bn. CRPF, was immediately framed, who laid the cordon of the said area. However, during search presence of a dreaded terrorist namely Reyaz Ahmad Deva @ Saifullah S/o Ab. Hamid Deva R/o Panzth Quazigund Kulgam (HM District Commander) was noticed. On being asked to surrender, he indiscriminately fired on the search party. The search party, headed by SSP Anantnag retaliated in professional manner and without caring for their precious lives killed the said dreaded terrorist on spot. The gallant action of Constable Muzaffar Ahmad was assisting the SSP Anantnag in this encounter was exemplary and appreciated on the spot by general public as there was no damage or any casuality on own side. 150 & 75 rounds were fired by SSP Anantnag and Constable Muzaffar Ahmad respectively with AK-47 rifles during the operation. The following arms/ammunition were also recovered from the side of encounter:-

01.	AK Rifle	- 01 No.
02.	Magazine	- 01 No.
03.	AK Amn.	- 25 rds
04.	Grenade	- 01 No.

In this encounter S/Shri Abdul Ghani Mir, Senior Superintendent of Police and Muzaffar Ahmad, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4th May, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 142–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jammu & Kashmir Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ashfaq Ahmad,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 28.3.2005, on a specific information, a joint operation was launched by SOG Anantnag and the troops of 1st RR, 3rd RR, 42 RR and 1st PARA at Village Loktipora Bijbehra, Shri Ashfaq Ahmad, SI/NGO was commanding the troops on the rear of the target house. In a bid to break the cordon, terrorists resorted to heavy fire, but the officer taking a risk of his life, fought valiantly and during the fire fight three terrorists namely Abdul Hameed Khan R/O Haram shopian: Abdullah Bari Malik R/O Kachdooru Shopian and Aijaz Ahmad Dar R/O Hassanpora Bagh, got killed. Besides, recovery of 01 AK Rifle, 02 Magazines, , 01 Chinese pistol, 04 Grenades, 01 Pouch, 72 rounds of AK – 47 & 10 rounds of Pistol was made. It was due to the Officer's professional handling of the situation that no collateral damage of life and property occurred in the operation. This gallant action of Shri Ashfaq Ahmad, SI was hailed on spot by general public and also the forces.

In this encounter Shri Ashfaq Ahmad, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28th March, 2005.

BARUN MITRA
Joint Secy.

52—381 GI/2008

No. 143–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Jharkhand Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Pramod Kumar Singh,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 06-01-2004 S.I. P.K. Singh, the then officer-in-charge Chainpur P.S. Palamau, got information from a reliable source that the most dreaded Naxalite of Palamau division viz Khudi Singh Kharwar @ Netajee, self-styled Member of the Divisional Committee PWG for Palamau Division) had gathered with his team around Mandal Dam (25 kms from Chainpur PS in thickly forested area). S.I. P.K. Singh had an armed party of only 5 armed constables at his disposal. He however decided to immediately rush to the spot, because any delay could have led to a major incident by PWG. Unknown to the police party, the PWG squad had already been tipped about the movement of the police and had laid an elaborate ambush. As soon as PK Singh with his party reached a small clearing in the forest at around 1730 hrs, he was immediately fired upon from two sides. The jawans felt totally disheartened under the intense surprise fire, but SI PK Singh led his small party by personal courage and valor. He took out his pistol and started firing at the Naxals and with loud exhortations asked his men to follow him. Seeing the example and courage of their brave leader, the policemen also started firing. The situation at this juncture was:- On one hand there was a heavily armed big party of Naxals (about 40), who had laid a well planned ambush and were on high ground and also had the element of surprise. But on the other hand there was a small party of Policemen in the open and on low ground and totally exposed. SI P.K. Singh showed exemplary courage and leadership under surprise fire in such extreme odds. Even the Naxals were taken by surprise by the bravery of this officer. SI PK Singh and his men kept on firing and advancing. After some time firing from Naxals stopped and SI PK Singh advanced towards the place from where the fire was coming and saw one Naxal carrying his injured comrade. The Naxals immediately started firing upon SI P.K. Singh. Again SI P.K. Singh showed extreme presence of mind and retaliated with his service pistol and shot down two of the attacking Naxals. Later investigation of the case and examination of the place of occurrence of the encounter showed how well the ambush was planned and how fierce the encounter had taken place. The killed extremists were identified as Khudi Singh

Kharwar and Chhotu Chowdhary, both top ranking, dreaded Naxals with cash reward on their heads. The following recoveries were made :-

(i) 2 (Two) Dead bodies of extremists, including one that of a Divisional committee member of CPI,ML(PWG),
(ii) 1 (One) 9 mm Pistol (Made in Italy) with Magazine,
(iii) 4 (Four) alive cartridge in Magazine,
(iv) 1 (One) alive cartridge in pistol slide,
(v) 5 (Five) alive cartridge in a green Holster,
(vi) 4 (Four) 9mm fired cartridge
(vii) 1(One) miss fired cartridge,
(viii) 1 (One) Country made Pistol,
(ix) 1 (One) Fired .315 cartridge in barrel
(x) 4 (Four) fired cartridge,
(xi) 1 (One) Rajdoot Motorcycle No. MP-27A – 5347,
(x) 1 (One) Black colour Pitthu, Extremists literature, Address to Khudi Singh Naxal letter, 1 (One) Magnate Compass, PGA constitution CPI (ML) Peopleswar (PWG) Book act, Area committee hand book, Levy contractor details, Drill and field craft details, Bihar-Jharkhand joint state committee commission CPI (ML) Peopleswar (PWG) books, Chattisgarh, Bandaria Simant Zonal committee Palamau commissionary letter, Calculator, Medicine, Peopleswar (PWG) details Levy receipt.

In this encounter Shri Pramod Kumar Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 6th January, 2004.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 144–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Karnataka Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri G R Patil,
Circle Police Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 7/6/07 the employees of Atlas Company, Shinolli, Tq, Chandagad, Sri Sanjay More and Sri Janoba Ravalu Yellurkar who were carrying employers salary amount of Rs. 4,07,000/- from UTI Bank Belgaum to Atlas Company, Shinolli on their motor cycle No. MH 09, AS 8923 ON Vengurla Road near Bachi village 4 unknown persons who followed them on two Pulsar Motor cycles attacked them with the sickle and caused grievous injuries to Janoba yellurkar and snatched the bag containing Rs.4,07,000/- and fled away towards Belgaum on their Motor Cycles. On the complaint of Sanjay More the criminal case U/s 397 IPC was registered in Belgaum Rural PS Crime NO. 91/2007. On 7/6/2007 on receipt of the information of Belgaum Rural PS Cr.No.91/07 U/s 397 of looting of Rs.4,07,000/- from the employees of Atlas Factory by four accused who were on two Pulsar Motor Cycles near Bachi village and fled away towards Belgaum City of them two accused who are in one Motor cycle are wearing Black and red shirts. By receiving the information Sri G.R. Patil , CPI who was in the Khanapur Circle Office swiftly swung into action alongwith his staff Sri S.S Gadag CPC 1433 of Khanapur PS and Sri S.A Tolagi, CPIC 1517 of Nandagad PS ina Govt Jeep No. KA-22, G 276 with the driver Shri V.N Bagale, and rushed for Khanapur Belgaum road patrolling duty and while he was waiting for suspected culprits at Hattargundi cross at around 03.30 PM two persons wearing black and red shirt were going towards Khanapur on one blue colour Pulsar vehicle with scratched number plate in a suspicious manner and when they have signaled to stop, but instead of stopping the vehicle they increased the speed and drove their vehicle in rash manner and headed towards Khanapur. When the CPI, Sri G.R. Patil followed them they increased their speed and went towards Jamboti on Khanapur Jamboti road. In the meanwhile, the CPI informed about the scene to the DSP, Belgaum Rural and Belgaum District Control room and requested to send the Police officers via Belgaum Jamboti road and also instructed the PSI, Khanapur to arrange for road obstruction in the Jamboti. The CPI, Sri G.R. Patil CPI, followed the culprits risking his and staff life and overtook the culprits near Ottolly forest curve. In the meanwhile, the culprits left their vehicle at roadside and fled into the forest.

The CPI chased the culprits and apprehended one of the culprit namely Robery Edwin Sabastian of Tilakwadi on the spot. On enquiry he disclosed that the another culprit who was Somu Rajput. The two PCs Sri S.S. Gadag CPC 1433 of Khanapur PS and Sri S.A. Tolagi CPC 1517 of Nandagad PS chased the another culprit Rajput, the culprit assaulted them and escaped. Meanwhile on seeing the Red coloured Maruti Car bearing No. KA-22, 2419 which was passing on Khanapur Jamboti road, the culprit Robert Edwin Sabastian drove CPIs attention towards the car saying that the amount is in the said car and the inmates in the car are their associates Sanjeev Santosh Rane and his brother Vinayak and Kamruddin Soudagar all of Belgaum. When the CPI, looked at the car and the culprit Robert Edwin Sabastian immediately assaulted and pushing the CPI and the driver escaped in the Ottolly forest causing simple injuries to the CPI Sri G.R. Patil chased him with the staff. Meanwhile Sri R.B. Patil, DSP, Belgaum Rural Sri B.P Hulasgund, CPI, Belgaum rural Sri Viswanath Kulkarni PSI, Belgaum rural and Sri Mahanteshwar PI, Tilakwadi came to the spot with their staff and surrounded the Ottolly forest area from all sides and started searching the accused. Sri G.R. Patil CPI while searching the escaped accused he saw the accused threatening the Police force headed by Sri BP Hulasgund, CPI, Sri Vishwanath Kulkarni, PSI Belgaum Rural and CPC 1763, Shyam Doddanaikar and CPC 800 Sri V.K.Malagi with his revolver and was trying to shoot them and had misfired twice. Then the CPI guessing the further consequences in order to save the lives of Police officers, courageously went towards the accused and disabled the accused by shooting at his right leg by his Govt revolver. His prompt and timely action saved the lives of Police officers and also arrested the accused seized the Pulsar Motor cycle and one country revolver. Further this led to the recovery of Rs.3,76,100/- and the Maruti Car which was used for transporting looted amount and the accused persons 1) Santosh Sanjeev Rane of Yellur 2) Somu Kumar Rajput, 3) Kamruddin Soudagar 4) Robert Edwin Sabastain and 5) Bapu Ganapati Patil all of Belgaum city in Belgaum Rural PS Cr. No. 91/07. This prompt and timely action of the CPI has been appreciated by his superiors.

In the process Sri G.R. Patil, sustained injuries to his right forearm and right side of abdomen. Thus Sri G.R. Patil has performed exceptional courage and skill and exhibited conspicuous devotion to duty and shown conspicuous gallantry in saving life and property and in arresting the criminals.

In this encounter Shri G R Patil, Circle Police Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th June, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

53—381 GI/2008

No. 145–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry/ 2nd Bar to Police Medal for Gallantry/ 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Madhya Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1.	**V.S. Bhadoria,** **Inspector**	**- PMG (Posthumous)**
2.	**Vijay Yadav,** **Inspector General of Police**	**- 2nd Bar to PMG**
3.	**Dinesh Chand Sagar,** **Deputy Inspector General of Police**	**- 1st Bar to PMG**
4.	**Dr. Hari Singh,** **Superintendent of Police**	**- 1st Bar to PMG**
5.	**Niranjan B. Vayangankar,** **Superintendent of Police**	**- PMG**
6.	**K.D. Sonakia,** **Inspector**	**- PMG**
7.	**Satish Dubey,** **Inspector**	**- PMG**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

The dreaded bandit king Jagjeevan Parihar along with main members of his gang were eliminated in a fierce encounter with Police which lasted for more than 18 hours on 15-3-2007 in village Gadia Budhara, district Morena, Madhya Pradesh. The gang of Jagjeevan Parihar had unleashed a reign of terror in the Chambal Valley comprising the States of Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh.They had committed 54 heinous offences like cold-blooded murder, dacoity, loot and sensational kidnappings for ranson which caused widespread panic in the area. The gang had a lethal arsenal stocked with automatic weapons like AK-47 rifle, US MI Semi Automatics, .303 rifles and Chinese made Grenades. On 14th of march 2007, Shri Vijay Yadav IGP Chambal Range received an input from the interception centre of the STF Madhya Pradesh, Bhopal, about the probable location of the gang in seeking shelter in the house of Hira Singh Parihar residing in the village Gadia Budhara, Police Station Porsa, district Morena. Shri Vijay Yadav professionally conversant with the topography of the area meticulously planned an operation to nab the dacoits. Four Police Parties were immediately constituted and directed to converge at Gadia Budhara. The first party was led by S.P. Morena Shri Hari Singh. The second party was led by D.I.G. Chambal Range Shri D.C.Sagar. The charge of the third party was taken by S.P. Bhind Shri Niranjan B.Vanyangankar while

I.G.Chambal Shri Vijay Yadav himself took the charge of fourth group. The first party led by S.P.Morena Shri Hari Singh Yadav reached the probable location at about 1430 hrs and entered the house. Seeing the Police party approaching, the dacoits took positions inside and opened heavy fire with automatic weapons. The Police party was without cover and taken by utter surprise. Undaunted Shri Hari Singh rallied his men together and returned fire. Inspector Shri Virender Singh Bhadoria, SHO of Police Station Porsa was hit by the burst of bullets from automatic fire. Bravely returning fire he succumbed to his injuries on the spot. Inspector Shri K.D.Sonakia of Police Station Kotwali Morena was also hit by a burst of automatic fire in the hands. He too bravely returned the fire. Head Constable Rajender Singh Parihar, Constable Rambaran and Constable Uday Vir were also injured in this initial exchange of fire. The injured were immediately evacuated to safety. Unfortunately, the weapons of injured policemen fell into the possession of dacoits. The dacoits were firing from within the house using stone and concrete walls as cover whereas the Police was in the open, tactically at a gross disadvantage. Shri Hari Singh Yadav unfazed by the heavy firing; with more than half his party injured and outnumbered by the dacoits, exhibited extreme courage and sterling leadership. He rallied his men and facing bullets climbed the roof of the house to gain the tactical advantage and engage the dacoits. The remaining members of his party took up positions outside and returned fire. Just then, Shri D.C.Sagar D.I.G. Chambal Range reached the spot with his party. Braving bullets, he immediately rushed to the roof of the house.The central portion of the roof had a big skylight covered with an iron grill. As soon as any member of the police force would try to move on the roof, the dacoits used to let loose a burst of fire from inside the house. The unprotected Police force was put to even greater danger by the ricochet of bullets from the iron grill. Inspector Shri Satish Dubey SHO Police Station Phoof district Bhind courageously and bravely moved ahead on the roof and nearing the skylight fired below on the dacoits. D.I.G. Chambal Range Shri D.C.Sagar's call for the surrender was greeted by a hail of bullets. Inspector Satish Dubey was hit with ricocheting iron splinter below his eye and he fell down on the roof. With bullets flying all around Shri Sagar risking his own life, instantaneously moved forward and carried him to safety. After that Shri Sagar resumed the armed assault in self defense. I.G Chambal Shri Vijay Yadav, meanwhile, reached the spot and immediately rushed to the roof of the house. The situation was an extremely tense one. One Police Inspector had been killed, 2 police inspectors and 3 other policemen had been hospitalized with bullet injuries. The dacoits were all alive and firing heavily while the police force was in the open and unable to make a break through inside the house. The I.G. held a brief discussion with his officers and a strategy was worked out. It was apparent that this was not going to be an easy and quick success. Soon it would be dark

and the dacoits could make an escape. An inner, outer and isolation cordon was deployed for ensuring operational success. Shri D.C.Sagar D.I.G. Chambal Range with his team was to spearhead the assault from the roof assisted by Shri Hari Singh S.P. Morena. While Shri Niranjan B. Vayangankar and his team was to provide security to the left flank of the house. The STF of Madhya Pradesh was to cover the front of the house. It was a difficult task. Shri Vijay Yadav IG Chambal established his command post on the roof and personally directed the operations. Throughout the long night and with utter disregard to his personal life, he moved among bullets to various locations encouraging the men and giving them professional guidance. Injured by a ricocheting bullet in the initial stages he continued absolutely unfazed. When the assault from the roof flagged Shri Vijay Yadav personally moved ahead and lobbed grenades. Specifically trained in commando tactics in the United States, Shri Vijay Yadav provided a sterling example of courage, professionalism and leadership which was to prove decisive. Shri D.C.Sagar with utter disregard for his personal safety soon mapped out a strategy to launch an effective assault from the roof top and skylight through which the dacoits were relentlessly firing. Taking initiative himself in drilling holes in the roof, he directed the force to follow him. In this way, Shri D.C.Sagar endeavoured to make effective fire and lobbed tear gas shells and H.E-36 grenades in response to the continuously deadly firing done by the dacoits. It was an extremely hazardous task as the roof was open with no cover and the lethal bullets were hurtling all around. Through the night Shri D.C.Sagar struck valiantly to his task. Even though hit with a bullet splinter he continued undaunted and kept up the assault. He was ably assisted in this task by Shri Hari Singh Yadav. Past midnight the dacoits made a desperate attempt to break out through the left wall of the house. They pried loose a few bricks on the left wall and through it unleashed a burst of automatic fire. Shri Niranjan B. Vayangankar S.P. Bhind who guarding the left flank responded valiantly. At risk to personal safety, braving bullets, he moved ahead and directed a volley of fire on the dacoits which forced them to take cover and abandon all attempts of escape from the side. Throughout the night the relentless firing continued. The dacoits equipped with automatic weapons and large quantity of ammunition and helped by numerous walls within the house remained un- subdued. It was decided to break into the house at the daybreak by smashing the roof and the walls of the house. Two large gaps were made in the roof of the house. Shri Vijay Yadav had the front of the house broken by the JCB machine. The police force was stunned into shock when the gang replied by lobbing two grenades, one of which exploded. At this crucial juncture, Shri Vijay Yadav, exhibiting rare courage and providing exemplary leadership, dashed inside the front of the house and neutralized the dacoits at close range. Simultaneously, Shri D.C.Sagar and Shri Hari Singh Yadav at grave risk to personal life and exhibiting exemplary courage jumped down into the rear portion of the house

from the roof and shot dead the dacoits at close range. In this historic 18 hours long encounter gang leader Jagjeevan Parihar along with 6 main members of his gang were eliminated. The gang carried a cumulative reward of Rs.9.17 Lakhs. A Lethal arsenal along with a large quantity of live and empty cartridges was recovered from the dacoits. This included one AK-47 rifle, Two US MI Semi-automatic 30-06 Bore rifles, Five Mark III .303 rifles, two .315 Indian Ordinance Factory rifles, and Chinese made fragmentation grenades were also recovered.

In this encounter S/Shri (Late) V.S. Bhadoria, Inspector, Vijay Yadav, Inspector General of Police, Dinesh Chand Sagar, Deputy Inspector General of Police, Dr. Hari Singh, Superintendent of Police, Niranjan B. Vayangankar, Superintendent of Police, K.D.Sonakia, Inspector and Satish Dubey, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 2nd Bar to Police Police Medal/ 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15th March, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

54—381 GI/2008

No. 146–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Madhya Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mohinder Kanwar,
Sub Divisional Police Officer

Statement of service for which the decoration has been awarded:

13th June 2006 proved to be a bench mark in the dacoit elimination history of Shivpuri police. In the evening SDOP- Karera, Mohinder Kanwar received information from a reliable informer about the movement of 4-5 armed dacoits in the ravines of Mahuar river near village Badgore. SDOP Karera immediately intimated S.P. Shivpuri and lost no time to reach out post Sunari. In the meantime he briefed SHO, P.S. Amola, Shri Ravi Bhadoria, incharge outpost Sunari, ASI Udai Bhan Singh to do the required preparation. On 13.06.2006 at midnight around 2.30 am entire police force gathered at out post Sunari and moved through village Badgore to the ravines of Mahuar and reached Khati Baba temple where the informer gave them the pinpoint location of gang. SDOP Karera divided the force into three searching parties. First party led by himself alongwith Hawk Commando Shakti Singh, Manoj Singh, Chandgi Ram and Constable Daya Shankar, C-475 Suneshwar Paikra. Second party led by SHO P.S. Amola, Shri Ravi Bhadoria alongwith Const. Santosh, Const. Kaptan, Const. Rustam & Const. Premlal Panday. Third party led by Incharge out post Sunari ASI Uday Bhan Singh alongwith ASI Vinod Chabai, H.C. Bhan Singh, H.C. Amar Singh, Const. Rajendra, Const. Sanjay Marko. Under the able leadership of SDOP Karera, SHO Amola, and Incharge outpost Sunari, police parties stealthily moved into the domain of dacoits. During this search Constable Suneshwar Paikra of party No. 1, led by SDOP Karera, saw some armed dacoits sitting under the tree. Immediately SDOP Karera conveyed the message to party No.2 & party No.3 through wireless set and ordered them to advance in that direction. In the meantime santri of the dacoits fired and missed. That instant advantage gave SDOP Karera the required edge, for the gang consisted of best sharp shooters fortified by deadly rifles. All the members of police party No.1 took position, SDOP Karera challenged the dacoits to lay their arms and surrender themselves to police. Dacoits did not pay any heed to the warning and opened indiscriminate firing on the police party with the intention of killing them. Bullet shots went whistling near their ears and sensing danger to their lives SDOP Karera ordered firing in self defence, SDOP Karera moved ahead to meet the danger headlong. Firing

continued from both the sides. While taking cover SDOP Karera shot fearlessly with his AK-47 rifle and gunned down one of the dacoits who fell into the ravines. The dacoits became desperate and continued indiscriminate firing. Party No.2 and Party No.3 also joined in. During the course of this firerce encounter one member of the gang was gunned down who was later identified as a wanted desperado dacoit Umrao Singh Bundela, while his associates managed to escape by taking advantage of poor light and treacherous terrain. The deceased dacoit Umrao Singh Bundela was involved in more than three dozen heinous offences of murder, kidnapping, loot, dacoity, attempt to murder and the like. He carried a reward of Rs.25000/-. The dacoit was evading police from last 13 years. During this period he had killed at least four police officers in different encounters. His area of operations extended from Gwalior, Shivpuri, Datia, Tikamgarh, Guna of Madhya Pradesh to Jhansi and Lalitpur of Uttar Pradesh. In this deadly encounter 55 rounds were fired by dacoits and 84 rounds by the police party. One 12 bore gun, one bildolia with 10 live rounds, 05 empty cartridges, one 315 bore country made rifle, two live rounds of 315 bore, some essential commodities of daily use and Rs.1250/- cash were found along with dacoits body. 12 empty cartridges of 12 bore and 4 empty cartridges of 315 bore were recovered from the encounter spot.

In this encounter Shri Mohinder Kanwar, Sub Divisional Police Officer displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13th June, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 147–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Maharashtra Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Sunil Shantaram Hosalkar,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

During the intervening night of 02/03-06-2007, HC/6239 Sunil Shantaram Hosalkar, P.N./24675, Prakash Laxman Kalgutkar were patrolling at Kurar Village of Mumbai City in plain clothes. At about 0245 hrs.or so, while patrolling, H.C. Sunil S. Holalkar received reliable information through his sources that a wanted notorious robber viz Naresh @ Naru Raghunath Dhanawade is hiding alongwith his associates at Konkani Pada, Banerji Chawl, Room No.5, Kurar village. On receipt of the said credible information, HC Sunil S. Hosalkar called other two Policemen i.e. PN/24533, D.D.Ugalmugale and PC/961165, S.P. Tatkare who were patrolling the adjacent area. The notorious robber Naresh @ Naru Dhanawade is the wanted accused in a sensational case of robbery which has recently occurred in Kandivali jurisdiction. He was having number of serious offence on his discredit on police record. As HC Sunil S. Hosalkar was able to identify the wanted accused, he led the team and rushed to the said place at about 03.35 A.M. HC Sunil S. Hosalkar alongwith his colleagues realized that 3/4 persons were suspiciously hiding in the room. HC Sunil S. Hosalkar surrounded the room with staff, he knocked the door and disclosed his identity shouting at the inmates that "we are the policemen and they should surrender themselves". Within a short span of time, the criminal switched off the lights in the room and one of the criminals suddenly opened the door of the room. In the opposite side lights, HC Sunil .S Hosalkar immediately identified that he was none but dangerous desperado Naresh Dhanawade, he pounced upon him and held him in a tight embrace. Within a second Naresh Dhanawade whipped out a dagger which he had concealed under his shirt and assaulted HC Sunil S. Hosalkar on his head, causing bleeding head injury. Immediately PN, Prakash Luxman Kalgutkar rushed to help of HC, Sunil S. Hosalkar, leaving other associates of Naresh Dhanawade with PN, D.D. Ugalmugale and PC, Sunil S. Hosalkar. However, inspite of being seriously injured, HC, Sunil S. Hosalkar, did not loosen the grip over the armed assailant. The other two associates of Naresh Dhanwade, namely Jagdish Patel and Yogesh stared to run and threaten PN D.D. Ugalmugale and PC, S.P. Tatkare that "HUT JAAO NAHIN TO MAAR DALENGE" with brandishing a dangerous dagger in their hands towards both the policemen and in scuffle PN, D.D. Ugalmugale received injury to his hand

who tried to arrest accused persons but they managed to escape even though PN, DD Ugalmugale and PC, S.P. Tatkare chased them to nab both the culprits who were then disappeared in the enveloping darkness. The culprit Naresh Dhanawade then brought to kurar Police Station along with seized weapon. HC, Sunil S. Hosalkar then removed to Bhagwati Hospital, Borivali for medical treatment and Medical officer on duty admitted him for his serious head-injury. In this connection, a case has been registered at Kurar Police Station, Mumbai vide C.R.No.164/2007, u/s 307, 353, 332, 333, 504, 506 (ii), 34 IPC r/w sec-135 Mumbai Police Act. The accused Naresh @ Naru Raghunath Dhanawade has been registered in this case and the Police are on the hunt for the absconding accused Jagdish Ishwar Patel and Yogesh. Inquiries into the antecedents of the above accused revealed that he was arrested in several cases of robbery and dacoity and wanted in recent sensational case of Kandiwali Police Station. He is the gang leader of this gang of robbers and enquiries are on to trace the other members of this gang. It is crystal from the acts mentioned above that small posse of unarmed vigilant plain clothes Policemen were doing their duty diligently and consciously during the wee hours of Sunday the 3rd June 2007, had accosted the above mentioned wanted accused and his associates who were hiding in Konkani Pada. These criminals were armed with deadly weapons with a definite plan to commit a crime in the city of Mumbai.

In this encounter Shri Shantaram Hosalkar, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3rd June, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

55—381 GI/2008

No. 148–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **P. Sanjoy Singh,**
   Sub Inspector
2. **K. Dinesh Kumar Singh,**
   Sub Inspector
3. **Th. Sunil Singh,**
   Constable
4. **M. Ingocha Singh,**
   Rifleman
5. **Th. Hemanta Singh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 10.12.2007 at about 7 a.m. a specific reliable information was received that a group of the banned organization KYKL(Kanglei Yawol Kanba Lup) led by one senior cadre who is known to be involved in the killing of one Sub-Inspector and 5 Constables at Nongren Chinglak on 25/12/2004, the ambush at 10 AR killing 1 Captain Rupinderdeep and his 5 jawans at Kumbi on 16/02/2005, the killing of 11 personnel of 5/8 G.R. including a JCO at an ambush at Ngariyan Hill on 19/09/2005, and the killing of 16 IRB personnel and injuring 7 other IRB personnel at Khoirok Lamkhai on 24.02.2007 were taking shelter in one Hotel City Inn located at North A.O.C. Imphal, a team of Bishnupur Commando, after intimating the Imphal West Commando, led by SI, P. Sanjoy Singh was organized to raid the said hotel. On reaching the hotel, the hotel was properly cordoned and S.I. P. Sanjoy Singh, S.I. K. Dineshkumar Singh, Constable Th. Sunil Singh, Rifleman M. Ingocha Singh and Constale Th. Hemanta Singh, with all caution and alertness climbed up the stairs of the hotel. As S.I., P. Sanjoy Singh followed by Rifleman M. Ingocha Singh and Constable Hemanta Singh was starting to search each and every hotel room tactically, they opened the door of Hotel Room No. 202 in utter disregard of their personal safety, two youths who were inside the room suddenly reached out for an AK-47 Assault Rifle and made an attempt to fire upon the party of S.I. P. Sanjoy Singh. Simultaneously, S.I. P. Sanjoy Singh under the tactical cover fire of Rifleman M. Ingocha Singh and Constable Th. Hemanta Singh sprung into action with dogged determination without caring for their lives and ran inside

the hotel room firing at the two youths inside the room and the two youths received injury and died inside the room itself. Meanwhile, SI, K. Dineshkumar Singh followed by Constable Th. Sunil Singh were climbing up to search the terrace of the hotel when all of a sudden, one armed cadre again made an attempt to fire against SI, K. Dineshkumar Singh and party. Taking cover of the unfinished wall of the hotel terrace, SI, K. Dineshkumar Singh and Constable Th. Sunil Singh impelled by extraordinary sense of duty fired back to foil the attempt made by the armed cadre where after he received bullet injury and died at the terrace of the hotel. The three slain militants were later on identified as:-

1) Hamom Phulindro Meitei @ Ito @ Nanao @ Sunil @ Great (44) S/o H. Khelemba of Bishnupur Mamang Leikai Ward No.II, S/S Lt. of Lalhaba Tengol-I, KYKL Fighting Group also Commander, O.N.K. (Operation New Kangleipak).

2) Thokchom Binod Kumar @ Chingkhei @Seti (26) S/o Th. Ratan Kumar of Kumbi Awang Leikai, S/S Sergeant, Fighting Cadre of Lalhaba Tengo-I, KYKL.

3) Mutum Amu @ Deban (26) s/o M. Ibocha of Oksu Mamang Leikai, Imphal East, S/S Sergeant, Fighting Cadre of Lalhaba Tengol-I, KYKL.

The following arms and ammunition were recovered from them:-

1) One AK-47 Assault Rifle with one magazine and 22 live rounds.
2) One 9 mm pistol with one magazine and 3 live rounds.
3) One HE .36 Hand Grenade.

In this encounter S/Shri P. Sanjoy Singh, Sub Inspector, K. Dinesh Kumar Singh, Sub Inspector, Th. Sunil Singh, Constable, M. Ingocha Singh, Rifleman, and Th. Hemanta Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th December, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 149–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **Ningombam Sadananda Singh,**
   Sub Inspector
2. **E. Joykumar Singh,**
   Constable
3. **Yumnam Sharatchandra Singh,**
   Constable
4. **T. Jiten Singh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 07.02.2008 at about 9.30 p.m. a reliable information was received that some fighting members of Kangleipak Communist Party (KCP), a terrorist organization,were moving around at Mayang Imphal road for their prejudicial activities like extorting money from the public, hijacking of vehicles, laying of ambush to the security personnel etc. on receipt of the source information, a team of commandos of Imphal West District under the command of Sub-Inspector N. Sadananda Singh immediately rushed to the said area for pre-emptive strike at the terrorists. At around 10.05 p.m. when the commando team reached the bypass road between Narankonjin Lamkhai and Samurou, some unknown youths suddenly opened fire upon the commandos from both sides of the road. Immediately, the police commandos jumped down from their vehicle, took positions near the police gypsy vehicle and retaliated. During the encounter, the unknown youths also hurled grenades upon the commandos but luckily it was off target and exploded at the western roadside near the paddy field. Sub-Inspector Sadananda along with his men namely Constable Y. Sharatchandra Singh, Constable Elangbam Joykumar Singh and Constable Tongbram Jiten Singh swiftly and tactically moved forward amidst the darkness with incessant firing from their AK-Rifles towards the youths who fired upon the commandos. Even as the commandos continued to advanced and charged against the militants, the militants burst fired towards the commandos with sophisticated assault weapons. Undeterred by the incessant bullets from the opposite side, and the adverse situation due to darkness, Constable E. Joykumar Singh succeeded in shooting down one youth who took position at the western side of the road adjacent to the paddy field. The youth was later on identified as (A) Santosh Pradhan (23) s/o Somorit Pradhan of Mantripukhri, near Pukhri

Achouba, Imphal, A/P Kakwa Asem Leikai, Imphal, an activist of KCP Constable T. Jiten Singh succeeded in shooting down one youth who took position at the eastern side of the road. The Youth was later on identified as (b) Khaidem Boker Meitei (24) s/o Kh. Ibobi Meitei, of Kakwa Huidrom Leikai, a hardcore activist of KCP. In the meantime, Sub-Inspector N. Sadananda Singh along with Constable Y. Saratchandra Singh, crawled beside the nullah near the road and inspite of the disadvantageous position, succeeded in shooting down another youth who took position at the eastern side nullah near the paddy field. The youth was later on identified as (c) Naorem Boboi Meitei @ Boynao (23) s/o N. Ibohal of Kakwa Naorem Leikai, Corporal of KCP. The group was responsible for the shooting of a shopkeeper at Kakwa Bazar recently and serving extortion notes in and around Wangoi village. However, 4/5 of the militants managed to escape towards different directions with intermittent firing by taking advantage of the darkness. After the brief encounter, a thorough search was conducted at the encounter site and (a) one 7.65mm Automatic pistol made in USA with magazine bearing No.77317 and one live round in the chamber and another live round of 7.65mm ammunition in the magazine, total two rounds of 7.65mm ammunition were recovered from near the dead body of the militant round at the western side paddy field. (B) one 36 HE Hand Grenade with detonator was recovered from near the dead body of the militant found at the eastern side of the road. (C) One 7.65mm pistol with magazine and one live round in the chamber and three live rounds of 7.65mm ammunition in the magazine total four rounds of 7.65mm ammunition were recovered from the dead body found lying at the eastern side paddy field. On further checking, one empty cases of 9mm ammunition and four empty cases of AK ammunition were recovered from the spot. This refers to Case FIR No.15 (2)08 Wangoi PS u/s 121/121-A/307/34 IPC 25 (1-c) A. Act, 3/5 Expl. Subs. Act & 16 UA (P) A. Act.

In this encounter S/Shri Ningombam Sadananda Singh, Sub Inspector, E. Joykumar Singh, Constable, Yumnam Sharatchandra Singh, Constable and T. Jiten Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th February, 2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

56—381 GI/2008

No. 150–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **I. Khaba Singh,**
   Jemadar
2. **L. Rameshwor Singh,**
   Havildar
3. **M. Akaton Singh,**
   Rifleman
4. **Th. Dilip Singh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 18.01.2008 at about 1030 hours Jemadar I. Khaba Singh of Commando Unit Imphal East District received a very reliable and actionable information from his source about the presence of a group of armed militants belonging to terrorist outfit KANGLEIPAK COMMUNIST PARTY (Military Council) in general area of Tharoijam Maning Leikai, Pastsoi, Imphal West. Immediately, Jemadar I. Khaba Singh informed Inspector. Manihar Singh, O.C. of Commando Unit of Imphal East District, who organized four teams of commando Viz. the teams led by 1) Inspector Ksh. Manihar singh 2) Jemadar I. Khaba Singh 3) S.I. P. John Singh DCO Unit, Imphal West & 4) Havildar L. Rameshwor Singh. The organized team after briefing and planning, without wasting time rushed to the aforesaid area for conducting operation. On reaching the area at about 1105 hours the team led by Jemadar I. Khaba Singh and Hav. L. Rameshwor Singh rushed directly to suspected house, while the team led by Inspector Manihar Singh and SI P John Singh cordoned the surrounding area by way of spreading out and covering adjoining houses. Thus while Jemadar I. Khaba Singh followed by his team were approaching towards the house, three unknown youths were seen running out from the back side of the houses in a very suspicious manner. Hav. L. Rameshwor Singh and Rfn. M. Akaton Singh shouted tem to stop. However, the youths instead of stopping started firing towards the commandos and running in different directions. The police officers and men were taken aback as the militants were firing in the midst of local people. However, the officers and men regrouped within a very short time and after taking due care started chasing the militants at the same time firing towards them so that they can be prevented from escaping. Inspite of this adverse situation, Hav. L. Rameshwor with an AK Rifle trigger in his finger and

Rifleman Akaton providing coverage behind and both side. While Rfn. Akaton continue to cover from behind Hav. Rameshwor moved in further as soon as he saw one militant with a small arm firing towards him, he immediately fired and one militant was shot dead at the spot. The deceased was later on identified as Nongthombam Dineshwor Singh, 23 years, s/o N. Jugeshwor Singh of Senjam Chirang, PS Sekami, Selfstyled Corporal of UG Outfit, Kangleipak communicst Party (MC). One 9mm Pistol marked as "Petro Berrata" with one magazine having six live rounds & five empty cartridges of 9mm ammn. was recovered near the dead body. On the other hand Jemadar I. Khaba Singh and Constable Th. Dilip Singh, both holding an AK Rifles each in close co-ordination with Hav. Rameshwor's team, who were also chasing the militants and taking position on the other end of the brick wall slightly saw two militants, one of them armed with a small arm continue to fire at the police party. There was stand off for about 5/6 minutes. Then suddenly the armed militants again fired the police party intermittently. Jem Khaba Singh and Constable Dilip Singh took maximum care with precaution at the risk of their live and charged towards the militants in the midst of their firing and in retaliatory fire two of them were shot dead. The deceased were later identified as (1) Heisnam Inaoba Singh, 34 years, S/o (l) H. Chaoba Singh of Snjam Chirang, self styled sergeant major of the unlawful UG outfit KCP (MC). One 9 mm pistol loaded with 4 live rounds and 4 empty cartridges of 9mm ammns were recovered near the dead body, and (2) Shri Drangam, 18 years, s/o Benjamin of thamnapokpi, Lamkang (near Pallel), Liwa Chaning Village, self-styled Corporal at the same UG outfit i.e., KCP (MC). The rest escaped. It refers to Case FIR No.184 (11) 07 Moirang PS and (2) Shri Mayum Santosh Sharma 44years, S/o Ibobombi Sharma (Govt. contractor of Tentha Khangbal on 1.1.2008) It refers to case FIR No.7(1)(8)PSI-PS u/s121/121-A,307 IPC 16 UA(P) A. Act 04 and 25 (I-Co A. Act., During further search of the site 11 empty cartridge of AK Assault rifle were recovered from the spot. During the course of investigation of the case, it was revealed that all the three militants killed in the encounter were involved in the heinous crime of killing Govt. official/civilian namely (1) Chanambam Ningol Saikhom Onhi Rasheshori Devi, 52 years, w/o (L) S. Brajagopal Singh of Habam Marak Kesham Leikai on 14/11/2007in her office itself i.e. ICDS Project, Moirang. It refers case FIR No. 184 (11) 07 Moirang PS and (2) Shri Mayum Santosh Sharma 44 yrs, S/o Ibobmbi Sharma (Govt. contractor of Tentha Khangbal on 1.1.2008. It refers to case FIR No.1(1)08 , Mayang Imphal P.S. Despite the risk of losing their own lives from the heavy and sudden firing from the well armed militants, the police officer and men under the command of Jemadar I. Khaba Singh and Hav. L Rameshwor Singh and their men reacted with professional bravery and courage, thereby killing 3 hardcore members of Kangleiapk Communist Party(MC) and recovery of 2(two) pistol with 10 rounds of live ammunitions and 9 empty case of 9mm ammunitions with 11

empty case of AK ammunitions and 4 demand letters signed by K.C. Meitei, District Commander.

In this encounter S/Shri I. Khaba Singh, Jemadar, L. Rameshwor Singh, Havildar, M. Akaton Singh, Rifleman and Th. Dilip Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18th January, 2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 151–Pres/2008- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/SHRI

1.	**K. Bobby,** **Sub Inspector**	**(PMG)**
2.	**M. Prem Kumar Singh,** **Head Constable**	**(PMG)**
3.	**Y. Sharatchandra Singh,** **Constable**	**(1st Bar to PMG)**
4.	**L. Naba Singh,** **Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 24.04.2008 at about 5.05 P.M, a specific and reliable information was received through the intelligence network of the Eastern Command Internal Security Group (ECISG) regarding the presence of some valley based underground elements in and around National Games village, Langoi with a

view to carry out subversive activities like kidnapping of Govt. officials etc. On receipt of this information , a team of Commando of Imphal West District under the command of Sub-Inspector K.Bobby rushed to nab the undergound elements. The Commandos, on reaching a place about 50 meters south of Second Sangai Home, Game Village (road-corssing area), stopped their vehicle and conducted frisking/checking of passers-by. While the commandos were conducting frisking/checking by maintaining close vigil and surveillance over the area, at about 5.20 pm, three unknown youth came riding on a scooter (Vespa) along the road of the foothill from Iroishemba village i.e. western side. On seeing the suspicious movement of the three youth in one scooter, Sub-Inspector Bobby shouted them to stop for verification. However, they did not stop, instead the two pillion riders suddenly opened fire with small arms towards the Commandos. At the same time, they flung off their scooter, took position and continued firing towards the Commandos. Immediately, the Commandos also retaliated. One of the militants (second pillion rider resorted to firing by positioning himself beside the nulah (drain) of the foothill, which was countered by SI Bobby assisted by Constable Y. Saratchandra Singh. The Commandos could hardly find suitable area for their physical coverage. However, with strong determination, SI K. Bobby and Constable Sharatchandra made a forceful drive and charged against the youth in the encounter. In the midst of the encounter, another youth (the first pillion rider) also jumped into the same nullah from the right side and came to help his comrade in the encounter. Suddenly, two unknown youth were slightly visible inside the nullah, with a small arm, SI K Bobby, Head Constable Premkumar Singh, Constab le Sharatchandra and Constable L. Naba instantaneously fired and killed both of them at the spot. The encounter lasted for 10-15 minutes, When there was silence, the commandos conducted search over the area. Both the two pillion riders were found succumbed to bullet injuries. One 9 mm Pistol loaded with two live rounds-one live round in its chamber and one live round in the magazine- was found by the right side of the dead body of the second pillion rider. One leather wallet that contained a cash receipt in the name of the "Office of the Finance Department, PULF" was also found in the back pocket of the dead body. He was later on identified as Md. Leihamudding @ Ithem (25) s/o (L) Md. Asaptullah of Changamdabi Kangla Ukok, Yairipok, hard core member of the UG outfit PULF. One 9 mm pistol loaded with two live rounds-one live round in its chamber and one live round in the magazine- was also recovered from the dead body of the first pillion rider, which was found lying 15/16 ft. away from the dead body of the second pillion rider in the right side inside the drain. He was later on identified as Md. Azad Khan (34) s/o Md. Abdur Rahman of Changamdabi Kangla Ukok, Yairipok, a hard core activist of PULF. The

third person, the rider of the scooter, who was running here and there to escape from the police dragnet despite repeated warning also received bullet injuries and he succumbed to his injuries. He was later on identified as Md. Darush Khan (25) s/o Md. Sanayaima of Chagamdabi Kangla Ukok, Yairipok who was also a member of PULF. It refer to FIR No. 45 (4) 08 LPL PS u.s 307/384/34//400 IPC and 25 (1-B) A. Act. Thus, in the encounter cited above, 3 (three) hard-core members of the underground outfit PULF were killed with recovery of arms and ammunition two 9 mm pistols and four live rounds of 9 mm ammn) and other incriminating documents. The militants were indulging in extortion from Govt. officials and businessmen.

In this encounter S/Shri K. Bobby, Sub Inspector, M. Premkumar Singh, Head Constable, Y. Sharatchandra Singh, Constable and L. Naba Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal/ 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24th April, 2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 152–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Manipur Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **Th. Phulchandra,**
   Assistant Sub Inspector
2. **Laishram Surchandra Singh,**
   Rifleman
3. **Yumnam Robish Kumar Singh,**
   Rifleman
4. **Naorem Budha Singh,**
   Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 23-04-2008 at about 5 P.M. , on receipt of a reliable and actionable information that a strong group of armed militants were camping in and around the area of Wakha hill, a combined team of commando of Imphal East District and a column of 32-Assam Rifles rushed to the area after proper planning & briefing. The commandos and the security forces took utmost care to cover the hilly area being a remote, secluded and insurgent-infested village. The combined team on reaching Kshetri Bengoon village and after proceeding about half a km. South along the eastern river side, turned left and advanced towards the eastern side along the inter-village road leading to Wakha hill adjoining Baruni hill. Then, the combined team after proceeding about 3kms distance along the inter-village road leading to the foothill of Wakha hill (which is a secluded area surrounded by paddy fields on the left side and hillocks on the southern side) strategically bifurcated for extensive coverage of the area- the Assam Rifles personnel turned right and proceeded on the southern side of Wakha hill while the commandos under the command of ASI Phulchandra further advanced along the same route running on the northern side of Wakha hill range. The commandos after making a stride of about half a km. on the foothill area noticed 4/5 huts constructed under Sericulture project. Thus, while the commandos were getting close to the huts, some youths were seen moving suspiciously nearby the huts. ASI Phulchandra cautioned his personnel and accordingly they advanced tactfully towards the huts. At a distance of about 70/80 ft. the commandos jumped out of their vehicle and asked the youths to stop for verification. Immediately, some more youths rushed out from the huts and fired upon the commandos heavily from two directions-from the southern hill side as well as from the northern paddy field side. Bushes surrounded the

foothill area, with uneven surface, providing advantageous position for physical coverage of the militants. On the other hand, initially the commandos could hardly find tangible object on the road for their physical coverage. Despite the adverse situation faced, the commandos under the effective command of ASI Phulchandra Singh ducked on the ground and retaliated with incessant firing to counter the well-equipped militants. At an opportune moment Rifleman. L Surchandra Singh rushed towards the northern low-lying area of paddy field and from behind a thick bush, he resorted to fire towards the huts where the militants were firing from. ASI Phulachandra had the advantage of this covering fire, and advanced forward to get closer to one of the huts (i.e., the first hut). However, due to heavy firing from the hill-side , he could hardly get closer to the hut. Momentarily, ASI Phulchandra retreated, jumped into the low-lying area beside Rifleman L.Surchandra and he also fired from behind the thick bush. On the other hand Rifleman N. Budha Singh and Rifleman Y.Robish Kumar Singh also, in the face of heavy firing from the opposite direction, managed to advance forward by crawling, getting close to the north-eastern corner of the second hut. Both of them, with physical coverage behind the northern wall of the hut, fired through the open windows. The militants inside the huts being unable to withstand against the forceful drive of the commandos started rushing out to escape. At this critical juncture, ASI Phulchandra and Rifleman L Surchandra jumped out from behind the bush and charged against the militants running out through the front door, resulting in killing one of the militants who was later on identified as Pechimayum Ajitkumar @ Nanao @ Nongthrei (27), s/o P. Achou Singh of Khonghampat Awang Leikai, self-styled Corporal of the U.G outfit Peoples liberation Army (PLA). One AK-56 Rifle loaded with six live rounds of AK-56 Rifles as recovered from near the dead body. Thus, when the front door of the hut was blocked with the attacks from ASI Phulchandra and Rifleman Surchandra, one of the militants could not sneak out of the hut. At the moment, Rifleman N.Budha Singh and Rifleman Y.Robish Kumar Singh fired upon him through the northern window of the hut, wherein the youth holding one 9 mm Pistol (loaded with four live rounds) succumbed to his injury. He was later on identified as Khangenmanyum Komol Singh (23), s/o Thoi Singh of Sanjenbam Sabal Leikai, Hard-core member of the UG outfit peoples Liberation Army (PLA) (rank self styled private). Even after the killing of the two, the remaining militants, numbering about 6/7 who spread over the hilly area continued to fire and the commandos also retaliated , thereby ensuing the encounter for about 7 minutes. The militants then retreated and escaped through the thick jungle of the hill. In the meantime, the Assam Rifles personnel also reached the area and thus, the combined team continued to conduct search operation for another half an hour. But, due to darkness, the operation did not yield further achievement. In the above encounter, the commando personnel

showing exemplary courage, valour of the highest order succeeded in gunning down two of the well-armed militants with recovery of arms and ammunition.

In this encounter S/Shri Th. Phulchandra, Assistant Sub Inspector, Laishram Surchandra Singh, Rifleman, Yumnam Robish Kumar Singh, Rifleman and Naorem Budha Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd April, 2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

58—381 GI/2008

No. 153–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Brahmpal Singh Rana,
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 22.09.2007, the removal of encroachment and subsequent rumor of Quran having been defiled in the area of Jamia Nagar during the holy month of Ramzan enraged the local populace and eventually led to the siege of PP Jamia Nagar by a furious mob. The mob was bent upon destroying the police post and killing the police officers. Inspector Braham Pal Singh Rana while present in Police Station Okhla Ind. Area received a wireless message at 7.56 PM about the incident and gathering of about 400/500 persons at Police Post Jamia Nagar under the jurisdiction of Police Station New Friends Colony. Sensing the gravity of the situation, he took the initiative and beyond the normal call of his duty and immediately rushed to the spot along with available staff in his Government Gypsy even before the orders of his superior officers. He reached there in no time and noticed a mob of 400/500 persons around the police post. Exhibiting uncommon valour and without caring for his own life, he came forward and made all out efforts to assuage and disperse the furious mob. But the angry mob was not ready to listen to anything at that time and set afire the police post Jamia Nagar and the police vehicles including his official Gypsy. The police officers were trapped inside the burning police post. In order to disperse the unruly mob and to rescue the fellow policemen, he bravely stood up to the situation and opened fire, despite knowing the fact that the little force and ammunition could not sustain for long against such a huge riotous mob. However, he put a brave resistance against an irate mob of 1000/1500 persons and managed to rescue injured police officers. He kept on firing in the air while advancing towards the mob until he emptied his official 9 mm pistol and managed to keep the mob at bay. He also used 14 tear gas shells to disperse the mob.

In the entire incident he along with several other police officers suffered serious injuries, but he did not let his temp down and prevented the mob from entering the police post. Setting an example of timely action with high sense of responsibility and devotion to duty and utmost courage, he saved the lives of several police officers and government property. His brave and commendable courage was widely acclaimed by the media, which boosted the moral of police force. It was due to his timely and swift action that prevented a huge mishap, which could have turned into a massacre reflecting an ugly face of communal tension.

In this encounter Shri Brahmpal Singh Rana, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22nd September, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 154–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Delhi Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Sunder Lal,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

During recent past several incidents of snatching and robberies were recorded in Delhi. Considering the gravity of the offences, teams were deployed to identify & trace the culprits. Information was received that after release from Jail notorious and desperate criminal Deewan Chand @ Lala alongwith his associate Prit Pal Singh @ Goldy r/o Uttam Nagar has been committing snatchings in Delhi. This information was further developed. On 21/09/2006, at about 2.30 PM, on the basis of a secret information, Prit Pal Singh @ Goldy @ Sonu s/o Gurdayal Singh r/o C-49, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi, age about 21 years was apprehended while having one stolen Motorcycle and one 12 bore pistol along with 4 live cartridges. One Vikas Malik s/o Mahender Singh r/o F-180, Lado Sarai, Mehrualli, New Delhi was also arrested. A case under appropriate sections of law was registered at PS Special Cell and investigations taken up. Vikas Malik was arrested u/s 41.1 Cr P C as he was wanted in an assault case of PS Malviya Nagar, Delhi. Accused Prit Pal Singh @ Goldy @ Sonu was subjected to intensive interrogation. He disclosed that his gang leader Deewan Chand @ Lala has gone to sell a chain and will meet him at NDPL Office, Near Industrial area Mangolpuri, New Delhi. He further told that Deewan Chand @ Lala will come on Black colour Pulsar motorcycle No. DL 6S Z 0624 and is having a pistol in his possession. On the basis of the disclosure of accused Prit Pal Singh @ Goldy @ Sonu, a trap was laid at and around NDPL Office, near Industrial Area Mangolpuri, New Delhi. At about 10.30 PM accused Deewan Chand @ Lala came on the said motorcycle and parked the motorcycle on the service road between NDPL Office and Industrial Area Mangolpuri, New Delhi. The team led by Shri Sanjeev Yadav, ACP, asked him to surrender, but in a bid to escape he started running and simultaneously fired at the police party. The police party returned fire in self-defence and for apprehending him. After 15-20 minutes, when firing stopped from the side of

gangster, the police party carefully approached him and found Deewan Chand @ Lala injured. One 9 mm pistol was recovered from him. The injured criminal was immediately removed to hospital, where he was declared brought dead. During follow up action, 3 other associates of Deewan Chand @ Lala gang namely 1). Yogesh Kumar @ Dharmender s/o Raghubir Singh r/o C-44/237, Gali No. 13, Sudama Puri Part-II, Gamdi, Bhajan Pura, Delhi (associate), 2). Raj Kumar @ Ram Jane s/o Late Jeewan Lal r/o C-1822, Jahangir Puri, Delhi (associate) and 3) Vinod Kumar Sharma s/o Krishan Lal Sharma r/o K-195, Shakur Pur JJ Colony, Delhi (Jeweller) were arrested and 12 snatched golden chains were recovered.

INDIVIDUAL ROLE OF THE OFFICER:

CONSTABLE, SUNDER LAL– On 21/09/06, when the trap was laid at and around NDPL Office, near Industrial Area Mangolpuri, New Delhi, Constable Sunder Lal was positioned at the corner of service road by the side of NDPL wall. At about 10.30 PM accused Deewan Chand @ Lala came on a motorcycle and parked on the service road between NDPL Office and Industrial Area Mangolpuri, New Delhi. Deewan @ Lala was asked to surrender but in a bid to escape he started running and fired at the police party. Constable Sunder Lal, who was positioned just near the spot where Deewan @ Lala had parked the motorcycle, bravely confronted the gangster, while directly in the firing line of the dreaded gangster. Without caring for his life and exhibiting commendable valor, Constable Sunder Lal promptly moved close to the gangster. When Deewan @ Lala ran towards the wall of NDPL on service road, Constable Sunder Lal prevented his escape towards the wall and despite having no cover for his safety, gradually moved close to the gangster, bravely confronted him and prevented his escape towards the wall. In self-defence and in order to apprehend the gangster, Constable Sunder Lal Singh also returned fire. He fired 3 rounds from his service pistol and played a vital role in neutralizing the dreaded gangster.

In this encounter Shri Sunder Lal, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21st September, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

59—381 GI/2008

No. 155–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Tamilnadu Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri S R Jangid, Inspector General of Police/ Additional Commissioner of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded:

During the late ninetees, a handful of outlaws were causing havoc and disturbing the peace and tranquility of Chennai City by indulging in heinous crimes. Among the criminal gangsters, one Ravi @ Vellai Ravi s/o S.P.Samy, of Viyasarpadi, Chennai was dreaded as the most merciless and cruel culprit. He had a criminal track record of having been indulged in 5 gruesome murders and 16 cases of attempt to murders, kidnapping and abduction, extortion, causing grievous hurts criminal intimidations etc and was detained 5 times under Goondas Act (Tamilnadu Act 14/1982). While out of gaol he along with his accomplices used to strike terror resulting in nightmares to the denizens of Chennai City. His horrifying activities and atrocities touched the ceiling in the beginning of 2007. On 22.05.2007 he kidnapped one Rajkumar with the help of his armed gang and released him after taking a ransom of Rs. 60 lakhs and absconded. The Commissioner of Police formed a special team led by Shri Sangaram Jangid, the dynamic Additional Commissioner of Police, Chennai City with a view of putting an end to rowdyism and hooliganism in and around Chennai City. On 01.08.2007, Shri Jangid got wind of Vellai Ravi's movements in Bagalur area in Krishnagiri District and his design to kidnap Ex. MLA Shri Venkatasamy of Hosur for a ransom of Rs. 1.5 crore. At the drop of a hat Shri Jangid reached there and deployed his team members to encircle the area. Around 1745 hrs., when Shri Jangid, with his team moved towards them with a warning to surrender, Vellai Ravi and his associates, threw petrol bombs and opened fire on the police team eventually injuring Shri Jangid on his left hand and escaped providentially.

Shri Jangid realizing that either he himself or any of his team members will certainly fall victim to the criminal's gun fire, returned fire with his pistol in self defence. Following the exchange of fire which lasted for a few minutes,

in which Shri Jangid fired 6 rounds from his service pistol, Vellai Ravi and another criminal by name Guna @ Gunasekaran fell on the ground with bleeding injuries, and 3 of his associates carrying guns took to their heels firing on the police party taking advantage of the jungle. While vellai Ravi was found in possession of a country made Revolver, Guna was holding a SBML gun. Both were declared as dead when brought to the Hospital. Following the elimination of Vellai Ravi and his associate the people of Chennai City started heaving a sigh of relief.

In this encounter Shri S.R. Jangid, Inspector General of Police/ Additional Commissioner of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1st August, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 156–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **Raghubir Lal,**
   Superintendent of Police
2. **Vijaymal Singh Yadav,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

During combing operations Shri Raghubir Lal, SP Sonbhadra received credible information regarding presence of 15 dreaded naxalites, equipped with sophisticated weapons near a drain (Nallah) on the western side of Anjan Dera. After dividing the force in two teams, SP himself led on team and advanced with the intent to surround and arrest the naxalites. Other team was led by S.O. Chopan. As they reached near the naxalites they started unprovoked and indiscriminate firing targeting the police with the intention to kill them and snatch their weapons. Shri Raghuvir Lal disclosing his identity asked them to surrender before the police, but the naxalites instead of surrendering kept on firing. Seeing no other alternative, the SP ordered the police force to open fire in self defence and kept advancing bravely towards the naxalites. During the encounter, one bullet fired by the naxalites, hit the B.P. Jacket of Shri Raghuvir Lal on the chest and partially damaged it. Had he not worn the same, he would have surely lost his life. Despite the heavy firing by the naxalites the SP, risking his life kept on encouraging his men to advance in order to nab the naxalites. In the process he also received multiple gun shot injuries on his right leg. Not caring about his injuries and the threat to his life, Shri Raghubir Lal with courage advanced ahead. During the encounter one bullet also hit the BP Jacket of Vijaymal Yadav then SO Pannuganj. But he showed exemplary courage and kept firing at them despite sustaining injuries. Due to mounting police pressure the naxalites started fleeing taking advantage of the hilly terrain and forested area. Subsequently on a thorough search of the encounter site, one naxalite was found dead, who was later identified as Ravindra, area commander of Naugarh. He was carrying a cash reward of Rs. 20,000/- on his head. This gallant encounter could only take place and hard-core dreaded naxalite, who was a

terror among the public could be eliminated, because of the detailed and meticulous planning and exemplary leadership and courage shown by Shri Raghubir Lal, SP and Shri Vijaymal Singh yadav then SI now Inspector. They despite receiving injuries continued to fire at the naxalites. The elimination of this dreaded naxalite commander by Shri Raghubir Lal and Shri Vijaymal raised the morale of the police force and people of the area and in the bordering state of Bihar were greatly relieved. The following Arms/ammunitions were recovered during the action:-

1 One SLR No- 15366564
2 One bolt action Rifle No. T- 2972-7.62mm
3 One DBBL (F.M) gun No. – 4501400
4 One SBBL (F.M.) gun 12 Bore
5 Two container bomb

Two bandoliers with cartridges, Battery, wire and two haver sack (Pitthu) bags.

In this encounter S/Shri Raghubir Lal, Superintendent of Police and Vijaymal Singh Yadav, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27th June, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

60—381 GI/2008

No. 157–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **Jai Prakash,**
   Deputy Superintendent of Police
2. **Navendu Kumar,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

STF,U.P., Lucknow received an information on 23.06.2006 from a Police informer that an Inter Zonal gang of gangsters (IR 234) led by its gang leader Hafizullah resident of district Kaushambi, a hardened criminal with a cash reward of Rs.50000/-, alongwith his main accomplice Mohd. Muslim were coming to meet a person at Gomti Nagar Railway Station to take advance for a contract to kill and to recognize the victim. Thereupon the police party was divided into two teams, one led by Sh. Rajesh Pandey Addl. S.P., STF, with S.I. Sushil Kumar Singh, S.I. Vinay Gautam, S.I. Abhay Pratap Mall, Commando Dilip Singh, constable Pankaj Kumar Singh and constable Driver Ravindra Kumar Yadav and the other led by Dy. S.P. Jai Prakash consisting of S.I. Navendu Kumar, S.I. Shri Satyendra Singh, constable Devendra Kumar Yadav, constable Driver Manvendra Singh, constable driver Azharuddin. Both the teams took position on two sides and lay in wait. At about 8 P.M., a Bolero without registration numbers entered the gate and stopped at the Gomti Nagar Railway Station. 5 persons alighted from it. On being challenged by the first police party, Hafizullah with his main accomplice Mohd. Muslim and others started running towards the East side platform and then ran towards the vacant land on the North where the second police team was waiting. They challenged them to stop and surrender. However, the gang led by Hafizullah started firing indiscriminately at the police personnel. Since passers by including women and children who were caught in the cross fire, were panic stricken and were crying and running helter-skelter for cover and safety, the second police party of Dy.S.P. Jai Prakaksh and S.I. Navendu Kumar without caring for their own safety and firing in self defence, came out of their cover and chased the miscreants in order to apprehend and arrest them. In the exchange of fire, first

Hafizullah and then the main accomplice Mohd. Muslim fell on the ground and on seeing this, the other gang members fled in the cover of darkness firing indiscriminately at the police personnel. When the dust died down, the police party approached the spot with caution where Hafizullah and Mohd. Muslim were lying and found both Hafizullah and his main accomplice killed on the spot. In this fierce encounter which took place at a busy place like Gomti Nagar Railway Station and where innocent passersby including women and children were caught in the cross-fire between the police and dreaded criminals with dangerous weapons, the team lead by Dy. S.P. Jai Prakash and S.I. Navendu Kumar without caring for their own lives in order to pre-empt public casualty, faced and challenged the dreaded gang with great courage and presence of mind and exhibited utmost sense of devotion by killing these dangerous criminals without any loss of life of the public. During the encounter following recoveries were made:-

1-One factory made revolver .38 bore with empty cartridges.
2-One country made revolver .38 bore with empty cartridges.
3-One CMP .315 bore with empty cartridges.

In this encounter S/Shri Jai Prakash, Deputy Superintendent of Police and Navendu Kumar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd June, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 158–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **Chandra Prakash,**
   Senior Superintendent of Police
2. **Gyaneshwar Tiwari,**
   Additional Superintendent of Police
3. **Dharmendra Singh Chauhan,**
   Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Sri Chandra Prakash IPS, then Senior Supdt. Of Police Ghaziabad along with Sri Gyaneshwar Tiwari, then Addl. S.P. City Ghaziabad was patrolling in the city area in the midnight of 19-20.05.2003, in his official car. At about 01.00 AM, they received the news, flashed from the City Control Room that MOHAN DON of Agra and his associate miscreant have robbed two persons, of their Maruti Zen Car No. UP-80-W / 5548, one Pistol and Rs 90000=00 cash, at pistol point, near Mela Plaza Hotel, Ghaziabad. Sri Chandra Prakash SSP, having received the information of this sensational robbery, immediately sprang into action and alerted the Circle Police Officers and Station Officers of the city circle. After discussing the operational strategy with Sri Gyaneshwar Tiwari S.P.City, to track down the alleged robbers, they arrived near Meerut-Ghaziabad-Delhi tri-junction. There they saw a speeding Maruti Zen Car of the aforesaid number, going towards Hindon River bridge. Sri Chandra Prakash SSP, informed the City Control Room, that he was chasing the concerned Maruti Zen Car and directed the Station Officers of the border police stations and Mobile Vans, to trap the said vehicle and arrest the robbers. When the speeding Maruti Zen Car, moving in a zig-zag manner reached near the Kanavni Culvert on the Kanavani Road, Sri Dharmendra Singh Chauhan, Inspector of Police then Sub-Inspector and Station Officer Police Station Indirapuram, reached there, from Indirapuram side, with police force, whereas other police vehicles arrived there from Kanavani village side. The occupants of the said Maruti Zen Car suddenly stopped the car and alighting from their respective sides, took up positions. One of them fired, on the vehicle of SSP with intention

to kill the police officers and the bullet, breaking the left side window glass of the SSP's car, pierced the back-rest of the back seat of the vehicle. Sri Chandra Prakash SSP and SP City Sri Gyaneshwar Tiwari providentially, escaped as they were sitting on the rear seat of the car. Simultaneously, the other miscreant also fired towards the police team, headed by Sri Dharmendra Singh Chauhan. Two of the shots fired by this miscreant hit the wind screen of the jeep, just touching the body of Sri Dharmendra Singh Chauhan. Sri Chauhan, too had a providential escape. Then both the miscreants began opened incessant firing upon the police parties, with intention to kill. Sri Chandra Prakash SSP, Sri Gyaneshwar Tiwari Addl. S.P. and Sri Dharmendra Singh Chauhan, undeterred by this firing and in utter disregard of their safety and security, came out of their vehicles, along with the members of the police force and challenged the miscreants to surrender, but the miscreants continued to fire upon the police parties. Then Sri Chandra Prakash SSP ordered the police force for restricted firing and he himself along with, Sri Gyaneshwar Tiwari SP and Sri Dharmendra Singh Chauhan Station Officer, gallantly and without caring for their lives also resorted to restricted firing upon the miscreants, in their self-defense. In this fierce face to face encounter, both the miscreants were injured and fell down. They later succumbed to their injuries in hospital. Both were later identified to be, MOHAN DON @ MANISH, who was having 40 heinous criminal cases of murder, kidnapping for ransom, dacoity, robbery and Gangster Act in his criminal police record and JATIN NARANG who was his close associate. They were dreaded, trigger-happy reckless criminals, who used to create terror, by mercilessly committing gruesome crimes, against peace-loving citizens. One factory made Pistol .38 bore with ammunition and one factory made Pistol 9 MM, with ammunition, were recovered, from their possession, along with the recently robbed Maruti Zen Car No. UP-80-W / 5548, one foreign made revolver, loaded with 5 live cartridges and Rs 90, 000/- Cash

In this encounter S/Shri Chandra Prakash, Senior Superintendent of Police, Gyaneshwar Tiwari, Additional Superintendent of Police and Dharmendra Singh Chauhan, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th May, 2003.

BARUN MITRA
Joint Secy.

61—381 GI/2008

No. 159–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Rabi Kumar Debbarma,
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 12 August 2007 based on specific intelligence about presence of four to five hardcore ATTF (All Tripura Tiger Force) cadres in general area Bharatchoupara, an operation was planned and column comprising of 10 other ranks was launched, led by Naib Subedar Gobinda Daimari. Rifleman General Duty Rabi Kumar Debbarma was the leading scout throughout the operation. He played a vital role in navigating the column on the right direction through dense jungle. When the column reached the surveillance point, he took initiative and climbed up a tree and successfully discovered and observed the hideout of the ATTF (All Tripura Tiger Force) insurgents, without compromising surprise. After carrying out a detailed surveillance the column approached the hideout in the night. As the leading scout, Rifleman General Duty Rabi Kumar Debbarma displayed unparalleled field craft skills, exemplary courage and with complete disregard to his personal safety, shot dead one dreaded ATTF (All Tripura Tiger Force) insurgent from a point blank range of five meters. The following recoveries were made:-

i)	Rifle AK 56	-	01 No.
ii)	Magazine Rifle AK 56	-	03 Nos.
iii)	Ammunition AK 56	-	87 Rounds

In this encounter Shri Rabi Kumar Debbarma, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th August, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 160–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Vasudevan Potty R,
Assistant Commandant

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 23 October 2007 at around 2200 hours, an area domination patrol ex Sawombung Company Operation Base consisting of one officer, one JCO and 15 Other Ranks under Company Commander Assistant Commandant Vasudevan Potty R moved out in general area Sawombung. At approximately 2230 hours, Assistant Commandant Vasudevan Potty R noticed suspicious movement of one person on road Sawombung-Phaknung axis. He immediately challenged the individual. On seeing the security forces approaching him, the Underground opened fire and started running uphill. In an act of sheer raw courage, Assistant Commandant Vasudevan Potty and his buddy Rifleman Ganesh Kumar ran towards the Underground. The Underground turned again and fired at Assistant Commandant Vasudevan Potty from point blank range as the officer was about to reach him. The bullets narrowly missed Assistant Commandant Vasudevan Potty who immediately fired back instantly killing the Underground on the spot. In 'Operation Sawombung' led by Assistant Commandant Vasudevan Potty one militant was killed and two 9 mm pistols, two 9 mm magazines and five 9 mm live rounds were recovered.

In this encounter Shri Vasudevan Potty R, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23rd October, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 161–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Hari Kanta Jha,
Naib Subedar

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 12 December 2007, Major Lokanadham G V received information that undergrounds of Kanglei Yawol Kanna Lup (Okan) are moving on Wabagai-Sugnu road. The Company Operating Base Commander carried a quick appreciation and established an ambush with a party of 01 officer, 01 Junior Commissioned Officer and 10 Other Ranks. Naib Subedar Hari Kant Jha was part of the ambush party. At approx 2330 hours he observed a Motorcycle approaching towards the ambush site. He informed Major Lokanadham G V who ordered Naib Subedar Hari Kanta Jha and his party under him to approach the road and check the vehicle. On being challenged the undergrounds opened fire from close range and jumped off from the vehicle. Naib Subedar Hari Kanta Jha displaying raw courage and with utter disregard to his own safety charged on the undergrounds firing aggressively which resulted in successful elimination of two hardcore undergrounds and recovery of two 9 mm Pistol, ammunition, extortion chit, Rs. 16,640 and a motorcycle.

In this encounter Shri Hari Kanta Jha, Naib Subedar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12th December, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

In this encounter S/Shri Janak Raj, Rifleman and Nabal Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 9th June, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 162–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **Janak Raj,**
   Rifleman
2. **Nabal Singh,**
   Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 09 Jun 2007, information regarding hardcore terrorists of DHD (J) led by self styled Lance Corporal hiding in village Ganganagar, on the out skirts of Silchar town for carrying out subversive activities in the town was received. A small team led by Maj Jaideep Krishan was inserted in the area on 09 Jun 2007 at 2230 hrs. Rifleman/General Duty Janak Raj and Rifleman/General Duty Nabal Singh were performing the duties of Scout No. 1 and Scout No. 2 respectively. The team was inducted into the built up area with stealth from an arduous and unpredictable route to avoid detection. On reaching the village, the team cordoned off the house in which the Cadres were suspected to be hiding. Rifleman/General Duty Janak Raj and Rifleman/General Duty Nabal Singh alongwith Maj Jaideep Krishan stormed into the house with complete disregard to their personal safety and pounced on four hardcore terrorists hiding inside the house and overpowered them physically. Rifleman/General Duty Janak Raj and Rifleman/General Duty Nabal Singh displayed astonishing bravery in face of grave danger, rendering them in a state of acquiescence while ensuring no collateral damage. On the spot interrogation the apprehendees revealed about a huge hidden cache of arms and ammunition which subsequently was recovered from an underground location near village Lamsakhang, North Cachar Hills District. The recovery consisted of two SLRs, one AK-74 Rifle, one AK-56 Rifle, one Lathod Grenade Launcher, 277 rounds of assorted amn, three pouches and Rs. 80,000/- (eighty thousand) in cash from an underground location. The success of "OP LONG STRIKE" is attributed to the lightening reactions and presence of mind of Rifleman/General Duty Janak Raj and Rifleman/General Duty Nabal Singh.

62—381 GI/2008

No. 163–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Assam Rifles: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Lal Bahadur Newar,
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 02 October 2006, based on actionable intelligence by Rifleman Raju Ram, about presence of Undergrounds at village Nongbram (RM 5977) cordon and search operation was launched by the troops of 34 Assam Rifles on night of 02 October 2006. Rifleman Raju Ram and Rifleman Lal Bahadur Newar volunteered to be leading scouts for their platoon. While approaching village , Platoon came under heavy volume of hostile fore. During the firefight Rifleman Raju Ram and Platoon Commander Major SS Nagiyal observing two undergrounds trying to flee, quickly pursued them despite heavy firing coming on them and brought down the undergrounds with effective fire. The militants on being hit jumped into the river. Meanwhile Rifleman Lal Bahadur Newar, who was the number two scout, immediately gave chase and jumped into the fast flowing river and apprehended one militant who belonged to the banned terrorist organization Peoples Liberation Army, identified as self styled Private Tombi who later succumbed to his injuries. The dead body of another militant who managed to escape wading through the fast flowing river found by villagers approx 350 mtrs downstream with bullet injuries and identified as Self Styled corporal Maimu @ Deban of Kanglei Yumpham Kanna Lup. One 9mm automatic pistol with ammunition was recovered during this operation. The gallant action on part of Rifleman Raju Ram and his buddy Rifleman lal Bahadur Newar resulted in elimination of two hardcore terrorist which dealt a severe blow and setback to the terrorist groups.

In this encounter Shri Lal Bahadur Newar, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 3rd October, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 164–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/SHRI

1. **Vinay Gahlot,**
   Inspector
2. **Lal Singh,**
   Head Constable
3. **Farooq Ahmad Dar,**
   Constable
4. **Satpal Singh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 05th February 2007 at about 1700 hrs, on specific information received from Unit 'G' source regarding presence of two militants in village Kamrazipura, Shri A K Sharma, Second-in-Command/Offg Commandant, 42 Bn BSF asked Inspector (G) Vinay Gahlot to lay initial cordon of the target house. Accordingly, Inspector (G) Vinay Gahlot formed two parties. One party was led by him whereas, the other party was led by Head Constable Sitamber Singh of 42 Bn BSF. In the meantime, Offg Commandant directed Shri Rajesh Kumar, Dy Comdt/Adjutant, Shri S A Tigga, Deputy Commandant and other Coy Commanders also to rush with troops for re-enforcement. The first party consisting of Head Constable Rajesh Kumar, Head Constable Yashpal Sharma, Constable Manzoor Ahmed, Constable Javed Ali and Constable Farooq Ahmed Dar under command of Head Constable Sitamber Singh traveled in a civil vehicle and after crossing the village laid cordon covering the Romushi Nala which is approximately 200 yards away from the target house. Second party under command of Inspr (G) reached village Kamrazipura in BSF vehicle and immediately cordoned the target house. Seeing BSF troops closing in, two militants jumped out of the house and opened fire on the party of Inspector (G). Without getting unfazed by this heavy volume of fire, Inspector (G) **Vinay Gahlot** and Constable **Farooq Ahmad Dar** kept their nerves under control and immediately retaliated the fire. Both the militants ran away in different directions in an apple orchard and took position in the broken ground. Constable

Farooq Ahmad Dar and Inspector (G) **Vinay Gahlot** advanced aggressively in a strategic manner and kept firing on the militants while the rest of the party provided covering fire. In the meantime, Inspector (G) **Vinay Gahlot** shifted to crawling position along with Constable **Farooq Ahmad Dar** and without caring for their personal safety, approached towards the militant who by now was moving towards Romushi Nala and fired at the militant immediately. Due to their accurate firing in retaliation, the dreaded militant was eliminated on the spot. The group of Head Constable **Sitamber Singh** and his party engaged another militant from the eastern direction of Village-Kamrazipura. No. 01000118 Constable **Satpal Singh** took bold initiative and approached towards the militant without caring for his life and limb and retaliated the fire of the militant along with Head Constable **Lal Singh**. The dreaded militant could not sustain the combat audacity and aggressive posture of Constable **Satpal Singh** and Head Constable **Lal Singh** for a long time and ultimately gave in. Shri A K Sharma, Second-in-command/Offg Commandant along with DSP (Ops) Special Operation Group, Pulwama and SHO Rajpora also reached the spot and joined the operation. On search of the area, dead bodies of two militants who were identified as Javed Ahmed Ganai (Ex SPO-deserter from PS Charare-e-Sharif) of HM outfit, s/o Late Abdul Ganani, resident of Dalwan (J&K) and Sajjad Ahmed Mir of HM outfit, s/o Bashir Ahmed Mir resident of Babihar, Distt-Pulwama (J&K), were recovered along with following arms and Amns :-

A K Series Rifles	-	01 No
Pistol (Chinese)	-	01 No
Hand Grenades (Chinese)		02 Nos
AK Mag	-	06 Nos
Pistol Mag	-	05 Nos
A K Amn	-	63 Rds
Pistol Amn	-	22 Rds
EFC A K Series	-	28 Nos

In this encounter S/Shri Vinay Gahlot, Inspector, Lal Singh, Head Constable, Farooq Ahmad Dar, Constable and Satpal Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th February, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 165–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/SHRI

1. **Sitamber Singh Bhadoria,**
   Head Constable
2. **Sher Jamal,**
   Constable
3. **Rantesh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 07th January 2007 at about 1450 hrs, on specific information from Unit 'G' Cell regarding presence of militants in village Dalwan, Shri A K Sharma, 21C/Offg Comdt along with three officers rushed to the village. Meanwhile, Special Operation troops named as "Lotha group", who were already available in the adjoining area and Party of Inspector (G) from Counter Insurgency Post, Pakharpura were also asked to reach near the target house. Militants on seeing the movement of troops, jumped out from the backside of the house and ran towards Bachnar Nala, but their movement was observed by Constable **Sher Jamal** who informed party Commander Head Constable **Sitamber Singh Bhadoria**. Immediately, the party started chasing the militants. Both the militants opened heavy volume of fire from their automatic weapons on the chasing party. Head Constable **Sitamber Singh Bhadoria** took position on the other side of Nala and retaliated the fire. In the meantime, Lotha party also joined the encounter from the north-east direction and started firing on the militants. Both the militants took position at different places and poured heavy volume of fire on BSF troops. Head Constable **Sitamber Singh Bhadoria** made two groups of his party and approached towards the militants from flanks. At the same time, Constable Hamidulla Mir, Constable Mustaq Ahmed Dar and Constable Nisar Ahmed Wani of Lotha team prevented the escape of the militants by providing covering fire. Head Constable Sitamber Singh Bhadoria, Constable Sher Jamal and Constable Satpal Singh immediately reached on the top of Nala from the right flank. Militants were climbing up the Nala to occupy dominating and convenient position. Head Constable **Sitamber Singh**

63—381 GI/2008

Bhadoria asked his party to give covering fire and by crawling approached near the militant and fired on him without caring for his personal safety. In the meantime, Constable **Sher Jamal** also approached towards the militants and lobbed a hand grenade followed by firing. Due to the accurate firing of Head Constable **Sitamber Singh Bhadoria** and Constable **Sher Jamal**, one militant was killed on the spot, who was later identified as, Gulam Mohd Dhobi, s/o Ali Mohd Dhobi code Muzamil Jehadi, Tehsil Comdt of JeM outfit. Simultaneously another group under command of Head Constable Lal Singh consisting of Constable Rantesh and Constable Hansraj engaged other militant from different axis of Bachnar Nala. While the militant kept firing on them, Constable **Rantesh** disregarding his personnel safety approached near the militant from north direction under covering fire provided by Head Constable Lal Singh and Constable Hansraj. Constable **Rantesh** in a sheer display of indefatigable courage and accurate fire, eliminated the militant who was later identified as Shabir Ahmed, code Danish, s/o Abdul Aziz Rather resident of village-Frasipura, Distt-Pulwama (J&K). Later Shri A K Sharma, Second-in-Command/Offg Commandant and other officers joined the operation followed by police from Charar-e-Sharief. The area was thoroughly searched in the presence of police officials and civilians and following arms and ammunitions were recovered:-

A K Series Rifles	-	02 Nos
A K Series Mags	-	06 Nos
Hand Grenades	-	01 No
7.62 M M Amn	-	11 Rds
A K Series Amn	-	142 Rds

In this encounter S/Shri Sitamber Singh Bhadoria, Head Constable, Sher Jamal Constable and Rantesh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th January, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 166–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **Vinod Kumar Saini,**
   Sub Inspector
2. **Barge Bhujang Rao,**
   Constable
3. **Y. Bhaskar Naidu,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 20th Oct 2006, at about 0830 hrs, while Constable Barge Bhujang Rao and Const Arvind Bhai were on duty at FDL Karma of 63 Bn BSF. They noticed some suspicious movements towards Naini/Saddle side located on the North of FDL Karma. The duo immediately took defensive positions and Constable **Barge Bhujang Rao** challenged them to stop and reveal their identity. Militants on seeing the BSF person challenging them to stop, suddenly opened heavy volume of fire from their automatic weapons on the FDL. On being fired upon, the duo retaliated the militant's fire very effectively and constrained their movement. Effective retaliation on the part of both the constable forced the militants to take position in the nearby area but continued indiscriminate firing towards the FDL. As the terrain was favoring the militant's for escape/ to encircle the FDL, Ct **Barge Bhujang Rao** realized that it was the need of hour to take a dare-devil action to save his FDL men. He immediately came out of his position amidst heavy firing from the militants by displaying combat audacity and sheer courage, made accurate fire on one of the militant and killed him on the spot. Thereafter, this brave Constable absolutely unfazed by imminent danger took deterrent action against the other militants also who were trying to approach towards the post in order to inflict heavy causalities on BSF troops. Meanwhile, SI **Vinod Kumar Saini**, the Platoon Commander of FDL Karma, on hearing the sound of firing, took prompt action and amidst heavy firing from the militant's, succeeded to deploy the troops around the FDL. This junior commander, by exhibiting high degree of professionalism ensured the proper deployment of troops at vulnerable places around FDL.

After that, in order to ensure the safety and security of arms and amns and other equipments kept in the kote, he rushed towards the kote by exposing himself towards militant's fire with utter disregard to his personal safety. After ensuring the safety and security of the Kote, he immediately took position and continued retaliatory firing. In the meantime, SI **Vinod Kumar Saini** saw a militant firing and trying to drag the body of dead militant. This militant was giving a very tough time from this vantage position as he was firing towards the men in the post and any approach towards him was totally fraught with risks to the life. On this, SI **Vinod Kumar Saini,** Constable **Y B Naidu** and party coordinated their efforts in a split second decision and brought down effective fire on the militant and injured him. The injured militant immediately left his buddy and took position in a ditch. SI **Vinod Kumar Saini** and Ct **Y B Naidu** in a sheer display of exemplary courage approached towards the militants without caring for their lives under coordinated firing. Appreciating the ground realities as automatic fire was not effective; they took a tactical decision to lob the grenade which pinned down the militant on the spot. The militant later succumbed to his injuries

In order to ensure that there was no other militant hiding in the area, a comprehensive search around the FDL was carried out in the most tactical manner. During search of the area, dead bodies of 02 militants along with following arms and amns were recovered:-

AK 47 Rifles	-	02	Nos
AK Mags	-	07	Nos
AK Amns	-	230	Rds
Grenades	-	03	Nos

In this encounter S/Shri Vinod Kumar Saini, Sub Inspector, Barge Bhugang Rao, Constable and Y. Bhaskar Naidu, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20th October, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 167–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **Shishir Kumar Chaturvedi, Assistant Commandant**
2. **C. Narayan Appa, Head Constable**
3. **Nasir Ahmed, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 14 Nov'2007 at about 0300 hrs, based on specific information regarding presence of a large group of armed militants of KLNLF outfit in the dense forest of Charikuti, District Karbi Anglong (Assam), a special operation party under command of Shri Shishir Kumar Chaturvedi, Assistant Commandant, 16 Bn BSF along with 02 SOs and 40 other ranks moved on Chokihola-Balijan-Charikuti axis from Counter Insurgency Base Chokikola. Keeping in view the difficult hilly terrain, dense forest and heavy concentration of militants, party started moving astride Kalyani River. Appreciating the lay out of ground and likely ambush sites, Shri Shishir Kumar Chaturvedi, Assistant Commandant divided his party into two groups and started leading the columns adopting suitable concealment tactics. At about 0835, hrs while party was negotiating a defile near village Charikuti, it was heavily fired upon with automatic weapons from both sides of the hills by the militants. Shri Shishir Kumar Chaturvedi quickly appreciated the ground situation and ordered his 51 mm Mor Det Cdr to fire HE bombs on both the hills wherefrom the militants were firing effectively. Taking advantage of panic created amongst the militants due to the blast of HE bombs, Shri **Shishir Kumar Chaturvedi** regrouped his party and started climbing up the hill. While the party was negotiating the height, the officer observed some militants taking position and firing on BSF party. Seeing BSF party charging on, one militant started climbing up the hill by taking advantage of dense jungle. The officer ordered Constable Prahlad Singh to give him covering fire and chased the fleeing militant in a sheer display of courage and flexibility, jumped over the fleeing militant under imminent danger to his own life and caught him alive in a hand to hand fight.

The apprehended militant was later identified as Welbon Kathar s/o Mahendor Kathar resident of Hongsing Terong (Assam). Head Constable **C Narayan Appa** and Constable **Nasir Ahmed** noticed another militant hiding behind a boulder and was firing with the pistol on BSF party from a very close range. HC **C Narayan Appa** asked Constable **Nasir Ahmed** to give him covering fire and he, in a quick reflex action came out of his position, charged on the militant and seriously injured him. He further pounced on the militant to overpower him. While Head Constable **C Narayan Appa** was engaged in hand to hand fight, Constable **Nasir Ahmed** noticed that militant was maneuvering to take control on his pistol to fire on Head Constable **C Naryana Appa**. On this, Constable **Nasir Ahmed** by displaying high degree of professionalism and courage swiftly caught hold of the right hand of the militant and un-armed the loaded pistol. The injured militant was caught alive but, later succumbed to his injuries. The slain militant was later identified as Jayal Kro s/o Chandor Kro resident of Phongchrop (Assam). Due to the bold counter ambush drill of BSF party, the other militants vanished deep into the forest.

On search of the area, following arms and ammunitions were recovered:-

7.65 mm pistol (made in USA)	-	01 No
7.65 mm Pistol Mag	-	01 No
7.65 mm Pistol Rds	-	06 Nos
EFCs 7.65 mm pistol	-	02 Nos
EFCs AK 47 Rifle	-	10 Nos
EFCS 7.62 mm SLR	-	02 Nos
Miss fire amn AK-47 Rifle	-	01 No
Letter Pad KLNLF	-	01 No
Nokia Mobile Charger	-	01 No
Nokia Mobile	-	01 No
Pocket diary	-	02 Nos
Small size note book	-	03 Nos
Malaria related medicine	-	08 packets
Photographs	-	03 Nos
Fire crackers	-	11 Nos

In this encounter S/Shri Shishir Kumar Chaturvedi, Assistant Commandant, C. Narayan Appa, Head Constable and Nasir Ahmed, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th November, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 168-Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **Lalit Kumar,**
   Inspector
2. **G.C. Gogoi,**
   Head Constable
3. **Dinesh Kumar,**
   Constable
4. **J.J.Gogoi,**
   Constable
5. **Jeet Singh,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On specific information about establishing base camp by the Naxalites in jungle area of Village Parkeli near Indravati river under PS Kutru and killing one person and burning houses of SPOs, Inspector Lalit Kumar, Company Commander-D/31 BN, CRPF along with two Platoons of his Coy and a party of the State Police left on 26/3/06 at about 0530 hrs to carry out special operation to nab and book the naxalites. On reaching village Telepanta Inspector Lalit Kumar (Party Commander) noticed fresh footmarks leading towards river Indravati. Immediately, he applied his mind to follow the footprints and changed the route. Troops tactically advanced and crossed the Indravati River at waistline deep water and followed footmarks. Troops marched and changed formation into extended line and entered thick forest area of village Parkeli. Party Commander Inspector Lalit Kumar leading in the front suddenly sighted a group of about 20-25 naxalites in a base camp. No sooner did he signal the troops to cordon the area, heavy firing came upon from foothills adjacent to the camp. With no option left Inspector Lalit Kumar along with his escort Constables J.J.Gogoi and Dinesh Kumar charged towards the camp by opening a burst fire with their AK-47 Rifles putting their lives at full risk from enemy fire. This prompt quick reflex and professional action exhibited by troops neutralized the enemy fire. Due to the brave advance of troops naxalites could

face no longer their brunt and were forced to flee the camp. As the Naxalites were taken by surprise with the lightning attack of CRPF troops, they could not even explode two IEDs, which were planted on the approach routes. In the thick exchange of fire Inspector Lalit Kumar taking cover of a tree trunk shot down a lady Naxal on sentry post who was firing on them. Again he changed his position by jumping into a Nala and neutralized a male naxal preparing to lob a hand grenade and provided covering fire for his core group to change position and advance. Immediately, Constable J.J Gogoi advanced towards a tree near the nala for cover and killed one naxalite. In the gun battle Head Constable G.C. Gogoi and Constables Jeet Singh & Dinesh Kumar tactically advanced and with the help of natural cover opened effective fire towards naxalites position and killed two more Naxalites on the spot. While the Platoon engaged in heavy firing naxalite intensity of fire died down and ran away being unable to resist the attack. Cordon and search of the area ensued in which five dead bodies of unidentified naxalites were recovered. Arms/Ammunitions, explosives, literatures and other Maoist materials were also recovered from the campsite. Several bloodstains were spotted suggesting serious injuries to other escaped naxalites. Troops destroyed the camp and returned safely without any injury or losses to the troops. However, after receiving information about encounter, Shri. V.D.Tokas, the then IGP, Special Sector, CRPF, Delhi who was present at Bijapur along with other senior officials rushed with reinforcement and secured the area.

In this encounter S/Shri Lalit Kumar, Inspector, G.C.Gogoi, Head Constable, Dinesh Kumar, Constable, J.J.Gogoi, Constable and Jeet Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26th March, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

64—381 GI/2008

No. 169–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Santosh Choudhary,
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On receipt of reliable information from own source regarding extortion in Fancy Bazar, Bijni (Assam) by an armed suspected NDFB militant, a plan was chalked out by Shri. Raksh Pal Rana, Commandant (CCD) on 06.06.07 to apprehend the said militant. Based on this information, a party alongwith CT/GD Dipen Boro of intelligence cell of D/116 was placed at Fancy bazaar area to keep a discreet watch there on the suspected persons for a few days. On 14/06/2007, a party consisting of two HCs/GD and Six CTs/GD alongwith CT/GD Dipen Boro in civil dress found a person riding a yellow colour Hero Honda Glamour Bike moving suspiciously in the area around 1840 hrs. The Coy Commander instructed the party to keep an eye on the suspect and not to allow him to leave the place. Accordingly, the troops rushed to the spot and cordoned the area. The party approached the suspect very cautiously and ordered him to keep his hands up. On the order of the Coy Commander, CT/GD Santosh Choudhary started frisking the suspect adopting a tactical strategy. Suddenly, the suspect took out his Pistol kept in an elastic sport anklet which he was putting on over his socks under the pant and hit CT/GD Santosh Choudhary in his knee badly. CT/GD Santhosh Choudhary fell down on the spot and the suspect started fleeing leaving the Pistol on the ground. The troops tried to chase him but. being in heavy B.P. Jacket and Helmet the suspect was continuously gaining ground. Seeing the militant getting out of hand, CT/GD Santosh Choudhary immediately started the Hero Honda bike left by the militant and chased him. After seeing CT/GD Santosh Choudhary very close, the suspect left the road and jumped into the water beside the road. CT/GD Santosh Choudhary immediately stopped the bike, cocked his rifle and challenged him. Finding no way to escape, the suspect surrendered. CT/GD Santosh Choudhary kept him at gun point till the arrival of the party

65—381 GI/2008

under command of Shri. Rameshwar Singh, A/C. He was searched again very carefully. The following arms / amns and items were recovered from his possession:-

1.	7.62 mm Chinese Pistol	–	01
2.	7.62 mm Chinese Pistol Mag.	–	01
3.	7.62 mm live rounds	-	08
4.	Nokia Mobile Phone set	-	01
5.	Hero Honda Glamour M/C	-	01
6.	I/Card bearing the name of D. Khabrang S/O Bipen Daimary	-	01
7.	A purse with Rs. 1900/-		
8.	A certificate of registration of Hero Honda Glamour M/C AS-15/B.1152 Carrying the name of Ramesh Chand Daimary as owner.	–	01
9.	Apprehended D. Khabrang, a hard core NDFB militant.		

In this encounter Shri Santosh Choudhary, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14th June, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 170--Pres/2008- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/SHRI

1.	**Sanjay Kumar,** **Assistant Commandant**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**Kalab Hussain,** **Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 26/3/06 morning Shri. Sanjay Kumar supervised IED search and tactically placed the deployment for ROP and surprise Naka. At about 0910 hrs , while first down convoy of Army was passing from Pampore market area, Shri. Sanjay Kumar heard sound of AK – burst fire from Darangbal mohalla and he immediately rushed in a Bunker through a side lane strategically. He spotted a militant in sitting position near Dar Masjid lane who was firing indiscriminately on the passing convoy vehicles towards the NH-1A. Shri. Sanjay Kumar retaliated immediately by firing towards the militant who threw a grenade which exploded near the bunker. The militant hit the bunker by firing and the encounter between the militant and Shri. Sanjay Kumar alongwith escort continued for a few minutes. The militant continued firing towards the bunker by taking cover of a slab of stone. Shri. Sanjay Kumar and CT/GD Kalab Hussain engaged him due to which the militant could not fire on the Army convoy. Shri. Sanjay Kumar and CT/GD Kalab Hussain by showing presence of mind though exposed to grave danger, jumped out of the bunker and took suitable position and killed the militant after a brief encounter. Shri. Sanjay Kumar asked CT/DVR Bijender Kumar to move the bunker towards the militant and the vehicle hit the militant on his leg. Shri Sanjay Kumar continued to retaliate fire of another militant who was firing bullets and blasted another grenade towards the CRPF party. The hideout parties of 50 RR also arrived at the place and a house to house search started. When troops of D & G/141 BN busy in cordon and search operation troops of 5 JAT who were providing escort duties to the Army convoy came running and firing towards the lane where dead body of the militant was lying thus creating utter chaos and took away the

weapon of the dead militant and troops of 50 RR took away the dead body of militant inspite of stopping by 141 BN personnel present at scene. The killed LeT suicide squad militant was identified as Basharat Ahmed Wagay @ Abu Hurera S/O Abdul Hamed Wagay R/O Harman, Sopian, Pulwama. Shri. Sanjay Kumar-A/C and CT. Kalab Hussain displayed high level of commitment toward duty and promptly reacted to the situation in most professional manner due to which the militants could not influct much damage on the Army convoy. Though exposed to grave danger, Shri. Sanjay Kumar and CT Kalab Hussain exhibited Gallantry their operational skills and killed the LET militant. Out of five such sneak attacks incidents, only in the above incident the militant was neutralized on the spot which demoralized the militants. 1 AK-47 and 2 mag., Grenade Pins-2, Fired cases –28Nos were recovered from the dead militant.

In this encounter S/Shri Sanjay Kumar, Assistant Commandant and Kalab Hussain, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26th March, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 171–Pres/2008- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1.	**Subesh Kumar Singh,** **Inspector General of Police**	**(1st Bar to PMG)**
2.	**Narendra Bhardwaja,** **Deputy Inspector General of Police**	**(1st Bar to PMG)**
3.	**Akhilesh Prasad Singh,** **Commandant**	**(PMG)**
4.	**Upender Pal Singh,** **Constable**	**(PMG)**
5.	**Lalit Choudhary,** **Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On receiving intelligence from SP (Ops) JKP regarding presence of Al Badar militants in the house of one Ghulam Rasool, R/o Ishber Nishat, Srinagar, Shri Narndra Bhardwaja, DIG, CRPF, Srinagar alerted Shri Satya Narayan Singh, 2-IC 112 Bn and Shri Akhilesh Prashad Singh, Commandant 139 Bn to keep their troops concentrated at 112 Bn HQr for move at short notice on 05/04/2007. Accordingly, the troops of B and G/139 Bn moved to 112 Bn Hqrs and upon receiving confirmatory report regarding presence of militants from SP (Ops) Srinagar, Shri Bhardwaja ordered immediate mobilization of troops. QRT and one platoon of 112 Bn under command of Shri Satya Narayan Singh 2-IC and DC (Ops) Shri Rinchen Wangyal Dawa alongwith B and G coy 139 Bn under command Shri Ramesh Kumar Bali, D/C 139 Bn, chalked out the strategy and moved to Nishat at 0030 hrs by foot to cordon upper side of the locality. Around 0045 hrs while the process of cordoning the area was on, the militants hiding in the house started firing. Taking advantage of darkness, one militant tried to escape by breaking the cordon towards garden of the house, but was spotted and neutralized. Shri Akhilesh Prasad Singh, Commandant 139 Bn with his QRT reached the spot at 0130 hrs and strengthened the inner cordon. In the meantime J&K Police SOG had occupied tactical position in surrounding

66—381 GI/2008

houses by evacuating inhabitants. The troops waited for the first light and fired few rounds towards the target house at 0630 hrs to gauge the actual location of militants but there was no response. Shri Bhardwaja alongwith his QRT arrived at the spot at 0700 hrs on 06/04/2007 and after taking stock of the situation took a round of the area, assessed tactical positions of various parties, checked and corrected positions of bunkers, LMG and telescopic guns, AGL etc. repeatedly exposing himself and coming under fire of militants. 03 assault and room intervention parties each led by DIG himself, Commandant 139 Bn and 2-IC 42 Bn respectively were formed. They were briefed about the strategy to move towards the target house. DIG alongwith parties came under heavy fire from militants as they tried to move. Shri Bhardwaja directed controlled firing on the target house from different points, positioning himself at these points on all sides of the house, at personal risk. Shri Subesh Kumar Singh, IPS, IG (Adm), CRPF Srinagar and Shri Porendra Pratap, ADIG (Int/Ops), Srinagar alongwith their QRTs reached the site of the operation immediately. IG, Srinagar after being briefed about the situation by the DIG, Srinagar took his position in the house situated in direct line of fire fight in front of target house. From his position, he was able to see the movement of militants and accordingly he got the telescopic gun sited and kept passing orders of fire from time to time without caring for his personal safety. He supervised the operation constantly keeping the surveillance on the target house and informed about the movement of militants. Once on seeing the militant he immediately fired at the militant and injured him, that not only saved several lives of CRPF personnel but also helped the operation to continue without any distraction. Despite his position being exposed and bullets coming towards his side from militant he continuously remained there at grave personal risk and kept on guiding and directing the Commander carrying out the operation. S/Shri Narendra Bhardwaja, DIG, Srinagar, Akhilesh Prashad Singh, Commandant 139 Bn and Sunand Kumar, 2-IC 42 Bn who were leading the room intervention teams and other troops courageously engaged the militants firing with small arms. As the small arms firing was not proving effective, Shri Bhardwaja directed his QRT to fire AGL on target house. During AGL firing Shri Bhardwaja, Constable Upender Pal Singh of 112 Bn, Const Narender Gujar of 1st Bn came under fire of the terrorists but bravely faced the situation and sighted the AGL and successfully neutralized the terrorists. Constable Narayan Singh Rathore, 1st Bn and Constable Lalit Chaudhary of 112 Bn were both strategically placed with their weapons and telescopic sights from where they maintained constant pressure on the terrorists throughout the operation even while they were being targeted by the terrorists and coming under their fire. Shri Subesh Kumar Singh, IG Srinagar without any concern for his safety and while constantly coming under direct line of fire from the militants, sited the firing positions of these constables strategically covering each window and door. After sometime there was a small lull from the both sides. Shri Bhardwaja alongwith

intervention party tried to approach the target house for invervention but, Shri Akhilesh Prashad Singh, Commandant 139 Bn saw a militant, who started firing at them. After that Shri Bhardwaja directed CGRL fire to soften the target and as there was no clear line of fire for use of CGRL, Shri Bhardwaja directed to his QRT to make two holes in the boundary wall of the target house to facilitate fire with CGRL. IG, CRPF Srinagar saw the movement of militants on the first floor of the target house and informed DIG, Srinagar. Shri Bhardwaja decided to fire AGL on the first floor. This was a very risky and daring maneuver because the party was in the open right in front of the room where militants were hiding. After that no movement was seen inside the target house and the firing had also stopped. Room intervention was carried out under supervision of DIG, Srinagar with his QRT and another intervention team under command of Shri Akhilesh Prashad Singh, Commandant 139 Bn and three dead bodies lying inside the house recovered. The slain militants were later identified as Abu Aktar Pahalwan R/o Rawalpindi, Pakistan, Qulzar Ahmed Dar @ Saifulla S/o Abdul Raseed Dar R/o Zaina Bato, Sophian and Rameez Ahmed Mala S/o Gulam Hussan Malla R/o Later, Pulwama.

In this encounter S/Shri Subesh Kumar Singh, Inspector General of Police, Narendra Bhardwaja, Deputy Inspector General of Police, Akhilesh Prasad Singh, Commandant, Upender Pal Singh, Constable and Lalit Choudhary, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 6th April, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 172–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER
Shri Hazari Lal,
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On the night of 09/08/2006, troops of F/13 Bn, CRPF under command of Shri Pradeep Rana, Asstt. Comdt alongwith SHO Garu on specific intelligence planned and launched an operation. AT about 2330 hrs, troops of 13 Bn, CRPF alongwith Civil Police components left for the area of operation on foot. At about 0200 hrs on 10/8/2006 when the party reached Kabri Bazar, it was divided into two teams under Command of Shri Pradeep Rana, A/C and SHO Garu to cordon village Baribandh and Darichhapar from two directions. The team led by Shri Pradeep Rana, A/C reached near village-Darichhapar and cordoned it. On specific intelligence suspected house of Shanti Devi wife of Late Laxman Ram was cordoned. Noticing some movement on inner terrace during search of the house, HC Hazari Lal tried to reach the terrace with the help of ladder on the direction from Shri Pradeep Rana, A/C. When HC Hazari Lal reached the inner terrace of the house alone and was entering the roof which had a very narrow clearance, he was suddenly fired upon by an extremist. In retaliation HC Hazari Lal also fired. Though the extremist had taken position behind a wooden log and it was pitched darkness, HC Hazari Lal showed exemplary courage and advanced towards the perched extremist. Since the extremist had single shot pistol with him, probably he could not have reloaded the weapon due to darkness. As soon as HC Hazari Lal reached near him the extremist sprang from behind the log, pounced upon HC Hazari Lal to snatch his weapon. Showing great reflex, determination and courage HC Hazari Lal again fired at the militant and killed him who was further identified as Satyendra Paswan alias Vinay Ji alias Sandeep Ji, a Sub Zonal Comdr of Garu, Mahuatand and Netrahat area of Latehar district. During the search operation following recoveries were made:-

01.	Dead body of one	01

	naxalite	
02	.315 Bore pistol	01
03.	Detonators	02
04.	.315 live cartridge	03
05.	.315 empty case	01
06.	7.62 empty case	7
07.	.303 empty case	5
08.	Cash	Rs. 13,000/-
09.	Electric wire	30 Mtr.
10.	Pithu	1 Nos
11.	Black Dress (Uniform)	1 No
12.	Naxal Literature	
13.	Suspect	01

In this encounter Shri Hazari Lal, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10th August, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

67—381 GI/2008

No. 173–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Kanhaiya Singh,
Assistant Commandant

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 5/10/06 at about 1745 hrs striking troops of 13 Bn u/c Shri Kanhaiya Singh, A/C alongwith Police representative were advancing tactically from Besri tola area of Ranpura bazaar as a part of Spl. Operation called "Zebra". Suddenly indiscriminate fire was opened upon troops by the naxalites numbering about 80, present in the Ranpura village market. CRPF troops immediately took position and retaliated the fire. The bazaar crowded with civilians made the situation really difficult for the troops but Shri Kanhaiya Singh, A/C kept the situation under control and ordered for controlled and aimed fire. After heavy exchange of fire the naxalites started retreating taking shield of civil population. CRPF troops could not use area weapons like grenades or Mortor fearing civilian causalities. Shri Kanhaiya Singh, A/C alongwith a section chased the extremists tactically with grit and determination despite odds like falling darkness, alien terrain with possible snipping from extremists and possibility of area being mined. While chasing, CRPF party came across firing from two sides. Shri Kanhaiya Singh, Astt Comdt. taking initiative and putting his life to grave risk, neutralized one group of naxalites with his fire. In that group a naxalite who was giving cover fire to let other naxalites fled away, was shot down. He was later identified as Section Comdr. of 42 No. Platoon of naxals and one SLR, one Magazine loaded with two rounds was recovered from his possession. Intermittent firing continued through out the night between extremists and CRPF troops. The following arms and ammunition were recovered from the site:-

1.	SLR Rifle	-01 No.
2.	SLR Magazine	-01
3.	7.62 live rds.	-28
4.	Hand Grenade	-02

5.	Cane Bomb	-01 (10 Kg)
6.	Detonator	-11
7.	Empty Cases of 7.62 mm	-02
8.	303 bore rds.	-48
9.	Charger	-10
10.	& Other Misc. items	
11.	Dead body of Naxalite, uniform and naxal literature.	

In this encounter Shri Kanhaiya Singh, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 5th October, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 174–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Radhey Shyam,
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 2/12/06 Two pln of A/13 under command of Shri P.K. Lal , AC a/w Civil Police Components were on raid/search operation in distt Latehar. At about 1000 hrs when CRPF troops reached village Chak and were cordoning the village for the search, they noticed some suspicious movement at one corner of the village. Apprehending presence of naxal dasta in the vicinity, CRPF party tactically covered the area from two flanks, one led by Shri P.K. Lal, AC and the other by SI Radhey Shyam. As the flank led by SI Radhey Shyam reached near the river they were fired upon by the scout of naxal dasta from behind the tree on the riverbank. SI Radhey Shyam acted swiftly and fired heavily on the scout and suppressed him with heavy fire. On further advance, a group of naxalites present there, fired heavily on CRPF troops. In this hot gun pursuit SI Radhey Shyam, putting his life into grave risk, showing exemplary courage and leadership quality, charged with his troops from his flank towards the naxal group and shot one extremist who later on succumbed to his injuries. Due to his daredevilness, the naxalites were taken aback and retreated across the river. While chasing them, the troops also apprehended one naxalite. The swift action of CRPF troops and extra ordinary courage shown by SI Radhey Shyam not only led to the recovery of huge quantity of arms/ammunition and other items (mentioned in para 5) but also forced the naxal dasta to retreat, throwing away their personal belongings and weapons. The naxal dasta was later identified to be of Zonal Comdr B.K. Ji @ Ravi Ji. It was a formidable naxal dasta of about 35-40 cadres which is a terror for people and involved in many encounters with security forces.The alertness, swiftness, gallant action and leadership quality exhibited by SI Radhey Shyam is an outstanding act in which the naxalites not only lost their one Area Commander but also suffered a heavy loss of arms/amn. The morale of the naxalites has been dented badly, which has

decapitated the dasta. The following arms/ammunition was recovered from the site of the encounter:-

1. Police Sten Gun -01No.	2. Police 303 Rifle -02Nos.
3. 315 Rifle -01No.	4. Single barrel Gun-01No.
5. Double barrel Gun-01No.	6. C/Made Revolver -02Nos.
7. 315 Amn. - 371 Nos	8. 9 mm amm. - 18 Nos.
9. 303 Amn. - 138 Nos	10. 12 Bore Amn. - 109 Nos
11. Detonator - 06 Nos	12. Black Uniform - 25 Set
13. Charger - 10 Nos	14. Belt - 12 Nos.
15. Motor cycle - 01No.	16. Large No. of Naxal Literature, Naxal uniforms, Bed sheets, civil dress, Medicines & daily use articles.

In this encounter Shri Radhey Shyam, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 2nd December, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 175–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **Jyanto Kumar Bandopadhyay, Constable**
2. **Sajal Choudhary, Constable**

Statement of service for which the decoration has been awarded:

On 6/7/06 one Platoon under command of Shri Arun Kumar Singh, AC 138 Bn was going to raid a naxal hideout at Marubaka under PS:- Basaguda, Bijapur, Chhatisgarh, on a special intelligence given by the SP Bijapur. While they were passing through the forest area of Lingagiri at around 1530 hrs naxalites triggered one land mine followed by indiscriminate firing at the security forces. Troops took position and retaliated accordingly. The naxalites were nearly 100 in no. and were firing with automatic weapons like AK-47, LMG, SLR etc. They were also in a dominating position. Due to which troops were facing difficulties in repulsing the attack of naxalites. Under this situation Shri A.K.Singh, AC, Party Commander had shown professionalism, admirable presence of mind and without caring for his own life, he crawled nearly 150 mtrs ahead. He observed the terrain, position of naxalites and chalked out a strategy. Then, the above officer alongwith one section crawled nearly 350 meters and tried to go close to the place from where the naxalites were firing at the party while another section kept on retaliating the fire of naxalites and engaged them. Shri A.K.Singh, AC was leading the section from the front. While he was advancing one of the naxalites who was firing at the patry taking shield of a tree noticed the position of the above officer and fired at him but Shri A.K.Singh, AC immediately changed his position to escape the hit of the bullet and without caring for his own life he swiftly pounced on the naxal and before the naxal could fire at him he killed the naxalite. The officer further advanced with Constables Jyanto Kumar Bandopadhyay, Sajal Choudhary and moved further to the positions of the naxalites and made flanking attack on the naxalites. In the gun battle more naxalites were reportedly killed. Troops also noticed blood spot and dragging marks at three different places which indicated that naxalites managed to escape with three dead bodies with them taking advantage of darkness, hilly terrain and thick forest. After that naxalites lost their ground and the police party proved heavy. Some intermittent firing continued for the while night. At around 0500 hrs on 7/7/06 naxalites were trying to flee taking advantage of darkness, hilly terrain and thick forest.

Troops chased them. While troops were chasing, two of the naxalites who had planted one land mine on the way the police party was chasing and they were hiding in a nala and waiting for the troops to come close to the land mine so as to trigged off the land mine in order to inflict heavy casualties on troops but before they could do any thing Shri A.K.Singh, AC noticed their position and challenged them, but they threw a grenade at him and tried to run away. The grenade hit a tree in the way and blasted there. Here Shri A.K.Singh, AC showed conspicuous valour and without caring for his own life he and constable Sajal Choudhary and Jyanto Kumar Bandopadhyay chased naxalites at nearly 200 mtrs and fired at them. Both of them killed on the spot. On searching troops recovered explosives from their possession. The police party searched the whole area and recovered 3 dead bodies of the killed naxalites and arms/amns. Two suspected persons were also apprehended. The identity of two out of three naxalites killed were established as Soren Pujari, LGS Commander and Markam Balla while the third dead body could not be identified. In this way the above three men showed an exceptional courage, admirable presence of mind and they not only killed 3 naxalites in this operation whose dead bodies were recovered in addition to others whose dead bodies were taken away by naxalites but also saved the lives of other jawan. This included a sense of security among villagers and nearly one hundred families who left the Salwa Judum Relief Camp because of security reasons again return to their camp. The following were made during the operation:-

(i)	Bharmar Gun	:	1 No.
(ii)	Explosives	:	250 gms
(iii)	IED live – KG each	:	2 No.
(iv)	Electric wire	:	18 Mtrs
(v)	Detonator	:	1 No.
(vi)	Battery box	:	1 No.
(vii)	.303 Empty cases	:	3 No.
(viii)	.303 live rounds	:	2 Nos
(ix)	12 bore gun empty cases	:	1 No.
(x)	Bag with uniform	:	1 No.
(xi)	Naxalite literature/pamphlets	:	4 Nos.

In this encounter S/Shri Jyanto Kumar Bandopadhyay, Constable and Sajal Choudhary, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7th July, 2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 176–Pres/2008- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Central Reserve Police Force: -

NAME & RANK OF THE OFFICERS
S/SHRI

1. **Mukesh Kumar Gupta,**
   Assistant Commandant
2. **Om Prakash Bhatt,**
   Head Constable
3. **Shiv Veer Singh Chouhan,**
   Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded:

Based on an intelligence input about presence of naxalites in their camp/hide out in the forest area near Badenghol village under PS:- Chhota Dongar, Narayanpur, Chhattisgarh Shri Mukesh Kumar Gupta, Assistant Commandant, Company Commander-B/43 Bn, CRPF planned for a special operation in consultation with his senior officers and men to cordon off the armed naxalites and to nab them. Accordingly, a party comprising of 2 Platoons of B/43 Bn, CRPF, Dhaudai Camp along with state police representative Constable Mahendra Singh (as guide) led by Shri Mukesh Kumar Gupta, AC marched at about 0015 hrs on 08/01/07 for conducting special operation about 10 KMs from B/43 camp. The complete party moved tactically on foot taking arduous hilly track and reached the forest nearby Badenghol village at about 0430 hrs. After reaching there, Shri Mukesh Kumar Gupta, AC devided his force into three parties to nab the armed naxalites. One group under the above officer formed the raiding party and remaining two groups under command of SI Bhokre Horo and SI Vidya Sagar formed the cut off groups at two possible escape routes. At first light, Shri Gupta moved the raiding party tactically towards probable place of Naxal camp. While approaching the suspected hide out, the armed naxalites who were waiting in an ambush fired upon the police party with the intention of killing the security forces. Shri Gupta immediately took control of the situation and ordered his men to open fire. They retaliated the firing and tactically advanced towards the Naxalites bravely without caring for their lives. Due to strong retaliation by the security forces, naxalites tried to flee by firing heavily on the party. Shri M.K. Gupta, AC spotted two Naxals.

He fired on them from his weapon and advanced towards them without any fear of his life and accordingly succeeded in neutralizing two Naxals armed with one .303 Rifle and one Bharmar gun through his gallant act by leading his troops from the front. Meanwhile, 850802999 HC(GD) Om Prakash Bhatt and Constable(GD) Shiv Veer Singh Chouhan also spotted one Naxal each and neutralized them by advancing tactically and firing effectively showing exemplary courage. The above personnel chased the Naxalites in the foot hill of two hillocks amidst firing and blasting of IEDs by naxalites and succeeded in neutralizing them. The chase of Naxals and exchange of fire took place for about two hours during which they have shown a very high degree of mental alertness, quick reflex, presence of mind, shooting skill, dare-devil attitude and determination through their gallant action. In the gun battle four hard core trained Naxalites were killed by the above personnel. During the search operation four dead bodies of the above naxalites were recovered. They were identified as (1) Deepak, Area Commander (2) Satish (3) Sabita (Mahila naxalite) and (4) Ranaya Bai (Mahila naxalite). Troops apprehended one mahila naxalite namely Samari Bai aged about 20-22 years, resident of Kalibhatt under P.S. Choota Dongar, Police Distt. Narainpur. During subsequent search operation troops recovered one .303 Bolt Action Rifle, 2 nos. of Bharmar Guns, Improvised Mortar and huge quantity of explosive, wire, detonators, clothing, utensils, medicines and other items.

In this encounter S/Shri Mukesh Kumar Gupta, Assistant Commandant, Om Prakash Bhatt, Head Constable and Shiv Veer Singh Chouhan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8th January, 2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

69—381 GI/2008

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION)

New Delhi, the 27th November 2008

Resolution

No. 5/17/2007-Leather—

Leather Sector is the 10th largest manufacturing sector in India and it plays an important role in Indian economy in view of its substantial overall output, export earnings and employment potential. The Leather Sector employs 2.5 million people with majority from weaker sections of the society and about 30% women. The sector is dominated by small and medium enterprises.

2. In order to augment raw material base; enhance capacity; address environmental concerns; human resource development; attract investment and global marketing of Indian Leather, the Central Government has approved implementation of the Indian Leather Development Programme (ILDP) for the 11th Five Year Plan comprising of the following components:-

		Rs. in Crores
1.	Integrated Development of Leather Sector (IDLS)	253.43
2.	Leather Tanning complex at Nellore	29.00
3.	Establishment of branch of FDDI (NIFT) at Fursatganj	7.17
4.	Footwear Complex	3.00
5.	Saddlery Development	10.00
6.	Support to Artisan	40.00
7.	Human Resource Development	60.00
8.	Up-gradation of facilities of FDDI and establishment of other such Institutes and Centres	300.07
9.	Upgradation/Installation of Infrastructure for Environment protection in Leather Sector	200.00
10	Mission Mode	10.00
	Total	**912.67**

3. Development of Leather Sector requires a multi-sectoral approach and necessitates co-ordination between various Central Ministries/Departments as well as State Governments. In order to facilitate this process, it has been decided to constitute

an Empowered Committee. The Terms and Reference of the Empowered Committee will be as under: -

i) Monitor the implementation of the Indian Leather Development Programme.

ii) To suggest modification in the guidelines of the various sub-schemes under Indian Leather Development Programme and also suggest specific measures required/essential to achieve the desired outputs for the development of the leather sector.

iii) To co-ordinate and collate information about schemes being implemented by various Ministries/Departments having connection or linkage to leather industry and synergize/disseminate the same to all concerned for overall development of the leather sector.

iv) Approve proposals under the sub-schemes of Indian Leather Development Programme costing above Rs. 15 crores.

4. The composition of the Empowered Committee will be as under: -

i)	Secretary (IPP)	Chairman
ii)	Financial Adviser, Department of Industrial Policy and Promotion	Member
iii)	Representative of Planning Commission not below the rank of Adviser	Member
iv)	Representative of Ministry of Environment and Forests not below the rank of Joint Secretary	Member
v)	Representative of Department of Animal Husbandry and Dairying not below the rank of Joint Secretary.	Member
vi)	Representative of Department of Rural Development not below the rank of Joint Secretary	Member
vii)	Representative of Department of Commerce not below the rank of Joint Secretary	Member
viii)	Representative of Ministry of MSME not below the rank of Joint Secretary	Member
ix)	Chairman, Council for Leather Exports	Member
x)	Chairperson, Footwear Design and Development Institute	Member
xi)	Director, Central Leather Research Institute	Member

xii)	Representative of State Government pertaining to the State for which the proposal under Indian Leather Development Programme is being considered	Special Invitee
xiii)	Representative of the organization (s) for which the proposal under Indian Leather Development Programme is being considered	Special Invitee
xiv)	Experts from organizations having expertise on the proposal under Indian Leather Development Programme being considered.	Special Invitee
xv)	Joint Secretary (Leather), Department of Industrial Policy and Promotion,	Convener

The Committee may invite any other person.

5. The Committee will devise its own procedures and may appoint Sub-Committee, as it may consider necessary. It will meet from time to time and as per requirement.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman, Member, Special Invitees and Convener of the Inter-Ministerial Committee.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

GOPAL KRISHNA
Joint Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDICRAFTS)

New Delhi-110066, the 26th November 2008

RESOLUTION

No. K-12012/5/16/2008-P&R/989—The term of the reconstituted All India Handicrafts Board (AIHB) was extended for a period of two years, or till further orders, whichever is earlier, vide Resolution No. K-12012/5/16/2006-P&R dated 6th October, 2008. The Government of India has now decided to induct **Shri T. Chungsei Haokip, S/o late Shri T. Kemkholun Haokip, Vill. T. Lhangjol, Chakpikarong Sub Division, Chandel District, Manipur as Non Official Member of the AIHB,** while retaining all officials and non official members of the existing AIHB extended term vide Resolution dated 6th October 2008, Resolutions dated 7th October 2008, 22nd October 2008, 24th October 2008, 29th October 2008 6th November 2008 & 12th November 2008.

With the above inclusion of **Shri T. Chungsei Haokip** as Non Official Member of the AIHB, the present strength of the Board shall be **97** Members, comprising of Chairman, **24** Official Members, including Member Secretary and **72** Non-Official Members, in the reconstituted All India Handicrafts Board.

All other terms and conditions recorded in the Resolution dated 08th September 2006 will, however, remain same and unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

SANDEEP SRIVASTAVA
Additional Development Commissioner (Handicrafts)

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi-110115, the 31st October 2008

No. 2-16/2004-Akademies—

Government of India created a new category of languages as 'Classical Languages' vide Notification No. IV-14014/7/2004-NI-II dated 12th October, 2004 read with the Corrigendum Notification of even number dated 29th October, 2004 and Notification of even number dated 25th November, 2005 and laid down the following criteria to determine the eligibility of languages to be considered for classification as a 'Classical Language': -

(i) High antiquity of its early texts/recorded history over a period of 1500 – 2000 years.

(ii) A body of ancient literature/ texts, which is considered a valuable heritage by generations of speakers.

(iii) The literary tradition be original and not borrowed from another speech community.

(iv) The classical language and literature being distinct from modern, there may also be a discontinuity between the classical language and its later forms or its offshoots.

2. It is hereby notified that the 'Telugu Language' and the 'Kannada Language' satisfy the above criteria and will henceforth be classified as 'Classical Languages'.

3. This Notification is subject to the decision in Writ Petition No. 18810 of 2008 in the High Court of Judicature at Madras.

V. T. JOSEPH
Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008